# पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास

( १९२०—१९४७ )

## HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT IN
**Eastern Uttar Pradesh** ( 1920—1947 )

भुवनेश्वर सिंह गहलौत

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को इतिहास में डी०फिल् की उपाधि के लिये
प्रस्तुत प्रबन्ध

मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

१९७४

## आमुख

पूर्वी उत्तर प्रदेश ने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक देन के कारण अतीत काल से ही देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । भगवान राम का जन्म-स्थल तथा महात्मा बुद्ध का निर्वाणस्थल इसी क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण पूर्वी उत्तर-प्रदेश का धार्मिक दृष्टि से भी विशिष्ट महत्व है । १८५७ में अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा दी गयी सशस्त्र चुनौती के अन्तर्गत इस क्षेत्र की जनता ने विदेशी शासन का तीव्र प्रतिरोध किया । विद्रोह की असफलता के पश्चात् इस क्षेत्र में राष्ट्रीयता का विकास मंद गति से हुआ किन्तु बीसवीं सदी के प्रारम्भ में देश में राष्ट्रीयता की जो नयी चेतना आयी उसका इस क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा जिससे भविष्य में स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों को यथेष्ट बल मिला । इस शोध कार्य का विषय पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास ( १९२०-१९४७) है । यह काल भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास पर अनेक शोध ग्रंथों की रचना की जा चुकी है । उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है और यहाँ स्वतन्त्रता के लिए किये गये प्रयासों का भी बाहुल्य रहा है, इसलिए उपलब्ध ग्रंथों में स्वतन्त्रता आन्दोलन की घटनाओं का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास को क्षेत्रीय आधार पर लिखने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में पूर्वी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता आन्दोलन पर प्रामाणिक ग्रंथ के अभाव को देखते हुये मुझे इस विषय पर कार्य करने की अभिरुचि उत्पन्न हुई । इस दिशा में प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का प्रणयन एक लघु प्रयास है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी देने की चेष्टा की है और विवादग्रस्त घटनाओं

पर तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष मत भी देने का प्रयास किया है। कई स्थानों पर सम्पूर्ण राष्ट्र की आधारभूत प्रवृत्तियों का विशेष उल्लेख है किन्तु मैंने इसे अपने विषय के प्रतिपादन के लिए आवश्यक समझा है। १९२०-४७ के मध्य भारत की सबसे बड़ी और शक्तिशाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसके संगठन, नेतृत्व, सिद्धांत और कार्यक्रम का आधार कोई विशेष प्रान्त न था। प्रान्तों का कार्यक्रम इसी व्यापक संस्था के कार्यकलापों का अंग था। इस बात को ध्यान में रखते हुये स्वतन्त्रता आन्दोलन के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय आधार के विवरण का उल्लेख किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में सभी संभव साधनों का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार, नयी दिल्ली; अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, नयी दिल्ली; कार्यालय उपमहानिरीक्षक (गुप्तचर), लखनऊ; सचिवालय अभिलेखागार, लखनऊ; राजकीय अभिलेखागार, उ०प्र०, लखनऊ; उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, लखनऊ; क्षेत्रीय अभिलेखागार, इलाहाबाद; पब्लिक लाइब्रेरी, इलाहाबाद; संग्रहालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग; इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय; भारती-भवन पुस्तकालय, इलाहाबाद तथा वाराणसी के दैनिक समाचार पत्र "आज" के कार्यालय में संग्रहित अपने विषय से सम्बन्धित अभिलेखों से मैंने उपयुक्त सामग्री एकत्र की है।

प्रांतीय गुप्तचर विभाग ने अपने विभाग की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए मुझे गुप्तचर विभाग की पत्रावलियों के नाम तथा क्रम संख्या का शोध प्रबन्ध में उल्लेख करने की अनुमति नहीं दी है। मैंने प्रांतीय गुप्तचर विभाग की सहमति से पत्रावलियों के नाम तथा क्रम संख्या के स्थान पर "गुप्तचर विभाग के अभिलेख" का उल्लेख किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्राय: हर जिले में जाकर मैंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों से मिल कर स्वतन्त्रता आन्दोलन

से सम्बन्धित क्षेत्रीय घटनाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य एकत्र किये हैं और उनका शोध ग्रंथ में प्रयोग किया है।

डा० डी० एन० शुक्ल, अध्यक्ष, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस शोध कार्य को शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न कराने में यथेष्ट सहायता की है।

श्री चन्द्र प्रकाश झा, रीडर, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं विशेषरूप से आभारी हूं। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध उनकी प्रेरणा और निर्देशन का वस्तुत: मूर्तरूप है।

स्वर्गीय डा० ताराचन्द जी का मैं विशेषरूप से कृतज्ञ हूं जिन्होंने रुग्णावस्था में भी मुझे बहुमूल्य सुझाव देने की कृपा की। इसके अतिरिक्त मैं डा० ईश्वरी प्रसाद, डा० बनारसी प्रसाद सक्सेना तथा डा० विश्वेश्वर प्रसाद का भी आभारी हूं जिन्होंने समय समय पर मुझे शोध कार्य हेतु सुझाव दिये हैं।

भुवनेश्वर सिंह गहलौत
( भुवनेश्वर सिंह गहलौत )

मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

३१ मई, १९७[illegible] ई०।

## विषय-सूची

## प्रथम अध्याय

## भूमिका

**प्रस्तावना** -

भारत के गौरवमय इतिहास में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। उसी तरह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पूर्वी उत्तर प्रदेश अपना विशिष्ट महत्व रखता है। गंगा, घाघरा, राप्ती आदि पुण्य नदियों द्वारा सिंचित उत्तर प्रदेश का यह पूर्वी भाग हिमालय और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य स्थित है। भगवान राम का जन्म-स्थल इसी क्षेत्र के अन्तर्गत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश आत्मबलिदान, शौर्य, कलाकौशल और अपनी संस्कृति के लिए विश्वविख्यात रहा है। आदिकाल से धर्म, कला और शिक्षा के लिए सर्वविख्यात नगरी वाराणसी इसी क्षेत्र में स्थित है। बौद्धधर्म का विशाल वटवृक्ष वाराणसी के पास सारनाथ में पल्लवित हुआ था। प्राचीन काल से मिर्जापुर देश के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में से था। दीर्घकाल से इस क्षेत्र में कला और उद्योग का चला आ रहा अद्भुत समन्वय १८५७ के बाद ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण समाप्त हो गया। १८५७ की सशस्त्र क्रांति में इस क्षेत्र के निवासियों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। १९२० के पूर्व का पूर्वी उत्तर प्रदेश का इतिहास विदेशी कुशासन के मध्य राष्ट्रीयता के विकास का इतिहास है।

**पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वरूप**

वर्तमान उत्तर प्रदेश[१] में गोरखपुर डिवीजन के गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, वाराणसी डिवीजन के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर

---

१- वर्तमान उत्तर प्रदेश मुख्यतः बंगाल महाप्रांत का एक भाग था प्रशासकीय आवश्यकताओं के कारण १८३३ के अधिकार पत्र अधिनियम के अन्तर्गत बंगाल महाप्रांत का विभाजन कर पृथक आगरा प्रांत के सृजन का विधान बनाया गया किन्तु विधान कार्यान्वित न करके आगरा प्रांत का नवीन नामकरण पश्चिमोत्तर प्रदेश किया गया, उसका प्रशासन १८३६ में उपराज्यपाल के अधीन सौंप दिया गया। १८७७ में अवध जो एक पृथक प्रदेश था, उसमें सम्मिलित कर दिया गया। १९०२ में इस प्रदेश को "संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध" का

तथा फैजाबाद डिवीजन के फैजाबाद, सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ जिलों का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश कहा जाता है ।

## १८५७ के पूर्व की घटनायें

प्लासी के निर्णायक युद्ध के पश्चात् १७६४ में दिल्ली के बादशाह शाहआलम बक्सर के मैदान में पराजित हुये और उन्होंने १७६५ में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांतों की दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी को सौंपकर अंग्रेजों की राजसत्ता को माना और उसे कानूनी स्वीकृति दे दी । १७७२ में वारेन हेस्टिंग्स ने इन प्रांतों का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण किया और ब्रिटिश शासन पद्धति की स्थापना प्रारम्भ कर दी ।

अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण अवध के नवाबों को शासन करने में कठिनाई अनुभव होती थी । शासन की द्वैधता के कारण प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों पर था जबकि वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी । इसका अनिवार्य परिणाम् यह हुआ कि १८५६ में अवध कम्पनी के राज्य में मिला लिया गया और इस बीच बहुत सी दुखद घटनायें हुईं ।

इन घटनाओं में से पहली कम्पनी के एक अधिकारी कर्नल हैनी के कारण हुई।१७७८ में अवध के नवाब ने उसे अपनी सेवा में लिया और गोरखपुर, बहराइच तथा बस्ती जिलों का प्रशासन सौंपा । हैनी ने निष्ठुरता से शासन किया और बहुत सा धन अर्जित किया । उसने मालगुजारी की वसूली का भार ठेकेदारों को दिया, ठेकेदार गांव वालों से लगान की वसूली बड़ी कठोरता से करते थे । तीन वर्षों में ही यह समृद्ध क्षेत्र उजड़ गया और जनता में आतंक व्याप्त हो गया । निराश होकर लोगों ने इसका प्रतिरोध किया । घाघरा नदी के पूर्वी क्षेत्र के जमींदारों ने शस्त्र उठा लिये और उन्होंने गोरखपुर, बैला तथा [illegible] पर अधिकार कर लिया और संचार के साधन काट दिये । वारेन हेस्टिंग्स पहले ही अवध की बेगमों से असंतुष्ट था और उसे वाराणसी के राजा चेतसिंह के तीव्र

---

नाम दिया गया । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया ।
(एम० बशीर एवं कालिब गुप्त, दि आर्गनाइजेशन आफ दि गवर्नमेंट आफ यू०पी०, पृ० २०-६)।

प्रतिरोध का कटु अनुभव भी था अतः कर्नल नील के भड़काने पर वह इस नतीजे पर पहुँचा कि ये लोग विद्रोह में सम्मिलित हैं। अँग्रेजों ने इतनी[2] कठोरता से विद्रोह का दमन किया कि सारा क्षेत्र वीरान सा प्रतीत होने लगा।

१८२८ में वलीउल्लाही आन्दोलन के नेता सैयद अहमद वाराणसी गये वहाँ उन्हें व्यापक समर्थन मिला।

वारेन हेस्टिंग्ज के समय से ही ईस्ट इंडिया कम्पनी का अवध के साथ व्यवहार दो शक्तियों के सम्बन्ध का एक अत्यन्त दुःखद अध्याय है जिसकी पराकाष्ठा तब हुई जब डलहौजी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा कर १३ फरवरी, १८५६ को अवध को ईस्ट इंडिया कम्पनी में मिला लिया। अवध के ताल्लुकेदार, हिन्दू और मुसलमान सभी क्षोभ और निराशा से भर गये। ब्रिटिश आश्वासनों में विश्वास सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश शासन की पहली शताब्दी अशान्ति दुःख और असंतोष का युग प्रमाणित हुई। इन सौ वर्षों के मध्य जितने भी जनता और सैनिकों के विद्रोह हुये वे उनकी मुक्ति की आकांक्षा के प्रमाण हैं। इन प्रयत्नों की असफलता ने दिखा दिया कि उनके प्रयास कितने कमजोर थे, इस प्रकार के अलग और छिटपुट प्रयत्न जो मध्ययुग के संकुचित विचारों से परिचालित थे, सफल नहीं हो सकते थे। १८५७ का विद्रोह इन्हीं प्रयासों की पराकाष्ठा थी।

## १८५७ का विद्रोह

संयुक्त प्रांत में सशस्त्र विद्रोह का प्रारम्भ २९ मार्च, १८५७ को बैरकपुर छावनी में मंगल पाण्डेय ने अंग्रेज अधिकारियों को मार कर किया। मंगल पाण्डेय पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विद्रोह का प्रारम्भ वाराणसी से हुआ। मई के प्रारम्भ में ब्रिटिश अधिकारियों ने चुनार भाग जाने की योजना बनाई, पर विद्रोह न रुकने के कारण यह योजना काम में नहीं लायी

---

२. डा० ताराचन्द, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग-२, पृ०११।

गयी। २१ मई को विद्रोह हुआ, ४ जून को सिपाहियों के अस्त्र छीन लिये गये, इससे तत्काल यहाँ सैनिक विद्रोह हो गया।[3] फौजी कानून लागू कर दिया गया। वाराणसी के देहाती क्षेत्र कुछ समय तक विद्रोहियों के अधिकार में रहे।

जौनपुर में ५ जून को विद्रोह हुआ, लुधियाना से आयी सिक्ख रेजीमेंट ने इसमें भाग लिया।[4] वाराणसी और जौनपुर के पश्चात् १० जून को मिर्जापुर में विद्रोह हुआ। भदोही के राजपूतों के नेता जसवंत सिंह विद्रोह में भाग लेने के अपराध में पकड़े गये, उन्हें फांसी दे दी गयी। ४ जुलाई को विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारी मूरे को मार डाला। जगदीशपुर के विद्रोही नेता कुंवर सिंह ८ सितम्बर को मिर्जापुर आये। ८ जनवरी, १८५८ तक मिर्जापुर में शान्ति हो गयी। गाजीपुर में विद्रोह प्रारम्भ हो चुका था, देशी सेना की ६५वीं रेजीमेंट कुंवरसिंह के साथ मिल कर विद्रोह करना चाहती थी किन्तु उसे निःशस्त्र कर दिया गया। जिले का कुछ भाग जून १८५८ तक विद्रोहियों के अधिकार में रहा।

आजमगढ़ में ३ जून, १८५७ को १७वीं रेजीमेंट ने विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने वाराणसी जा रहा आजमगढ़ और गोरखपुर का खजाना लूट लिया, इसके साथ ही विद्रोहियों ने जेल पर अधिकार करने के बाद पूरे आजमगढ़ को अपने अधिकार में ले लिया। विद्रोही अन्य जिलों में भी फैल गये और उनकी शक्ति विभाजित हो गयी, इसलिए वैनी कुल्स ने २२ जून को आजमगढ़ पर सुगमता से अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने अंग्रेज सेनाओं को अतरौलिया तथा दूसरे स्थानों पर बुरी तरह पराजित किया। १४ जुलाई को विद्रोहियों ने आजमगढ़ पर पुनः अधिकार कर लिया। २५ अगस्त, १८५७ को आजमगढ़ में बहादुरशाह का एक इश्तहार प्रकाशित हुआ जिसमें कहा गया कि "यह सबको विदित है कि इस युग में हिन्दुस्तान के लोग चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान सभी विधर्मी और विश्वासघाती अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित हैं"।[5] १८५८ के प्रारम्भ में कुंवर सिंह आजमगढ़ आये। कुंवरसिंह ने मिरिया

---

३- डा० ताराचन्द, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग-२, पृ० ८२।

४- वही।

५- वही, पृ० ८७।

और ऐसा स्थानों पर अंग्रेज सेनाओं को हराया, बाद में वे गाजीपुर चले गये।[6]

गोरखपुर में विद्रोही सैनिकों द्वारा कर्नल सोम्स को मार डालने के बाद गोरखा सेना ने आकर देशी सैनिकों को निरस्त्र कर दिया। गोरखपुर के अधिकारियों ने गोरखा सैनिकों के संरक्षण में गोरखपुर छोड़ कर आजमगढ़ जाने का निश्चय किया। गोरखपुर के नाज़िम मुहम्मद हुसेन नियुक्त हुये। जनवरी १८५८ को गोरखपुर के नायब नाज़िम मुबारक खाँ पकड़े गये, उन्हें फांसी हुई। मुहम्मद हुसेन ने कई स्थानों पर अंग्रेजों से वीरता पूर्वक युद्ध किया किन्तु बाद में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।[7] नरहरपुर के राजा हरिप्रसाद तथा बन्धू सिंह का योगदान उल्लेखनीय रहा।

१८५७ तक बस्ती गोरखपुर जिले में ही था। बस्ती पर विद्रोहियों ने जब अधिकार कर लिया तो अंग्रेज अधिकारियों को भाग कर खुखुन्दी के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। मुहम्मद हसन यहाँ के नाज़िम बने। जनवरी १८५८ को नेपाल के राणा जंगबहादुर तथा कर्नल रोक्रॉफ्ट के नेतृत्व में सेनाओं ने बस्ती पर आक्रमण किया। विद्रोही सैनिकों ने कप्तानगंज और अमोढ़ा में अंग्रेजों की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। ८ जून, १८५८ को अंग्रेजों ने पुनः आक्रमण किया। पराजय के बाद मुहम्मद हसन और बालाराम के संयुक्त प्रयास से विद्रोहियों ने अंग्रेजों से पुनः मोर्चा लिया किन्तु साधनों के अभाव में संघर्ष अधिक दिनों तक जारी न रह सका।[8] मई १८५९ तक बस्ती में शान्ति हो गयी।

फैजाबाद में ८ जून को सेना ने जिसमें देशी सेना की २२वीं रेजीमेंट, १३वीं नियमित घुड़सवार सेना का एक दल तथा देशी तोपखाने की एक घुड़सवार बैटरी सम्मिलित थी, ने विद्रोह किया।[9] सेना ने अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बनाया और जेल से मौलवी अहमदशाह को मुक्त करके उन्हें अपना नेता घोषित किया।

---

६. स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक(आजमगढ़) सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ५।
७. स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक(गोरखपुर), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ४।
८. स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक(बस्ती ), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ३।
९. डा० ताराचन्द, भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग-२, पृ० ८२।

६ जून को फैजाबाद में अंग्रेजी राज्य की समाप्ति की घोषणा कर दी गयी । फैजाबाद जनवरी १८५८ तक पूर्णरूप से स्वतन्त्र रहा । विद्रोहियों ने अंग्रेजों का तीव्र प्रतिरोध किया किन्तु लखनऊ के पतन के बाद उनका प्रतिरोध धीरे धीरे समाप्त हो गया ।[१०]

सुल्तानपुर में ६ जून, १८५७ को विद्रोह हुआ । विद्रोहियों ने कर्नल फिशर सहित अनेक अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला । सुल्तानपुर के नाज़िम मेंहदी हसन थे जिन्होंने सेना एकत्र करके अंग्रेजों से संघर्ष किया । अमहट के खानजादों ने अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया । सिंगरामऊ, चांदा तथा शाहगंज में भीषण लड़ाइयां लड़ी गईं ।[११] प्रतापगढ़ जिले में तरौल के राजा गुलाबसिंह, कालाकांकर के राजा हनुमंत सिंह तथा पठेहा के रामगुलाम सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया । कालाकांकर के युवराज लाल प्रतापसिंह प्रतापगढ़-जौनपुर सीमा पर अंग्रेजों से लड़ते हुये शहीद हुये । राजा गुलाब सिंह ने विश्वनाथगंज और चौरांव के मध्य अंग्रेजों को अनेक लड़ाइयों में पराजित किया । पठेहा के रामगुलाम सिंह ने रामपुर कसिया के युद्ध में अंग्रेजों को भीषण क्षति पहुंचायी । नवम्बर १८५८ तक यहां शान्ति हो गयी । नवम्बर १८५८ को यहां लार्ड क्लाइड ने सेना के समक्ष रानी का घोषणा पत्र पढ़ कर सुनाया ।[१२]

१८५७ का विद्रोह असफल रहा,[१३] विद्रोह असफल होने के कई कारण थे । नवनिर्मित राजशक्ति ने प्राचीन राजशक्ति को शस्त्र के बल पर कुचल दिया ।[१४] इस विद्रोह की असफलता का कारण पारस्परिक एकता तथा संगठन का अभाव और सामान्य वर्ग को युद्ध से अछूता रखना था ।

---

१०- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (फैजाबाद), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० म ।

११- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (सुल्तानपुर) सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० च ।

१२- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (प्रतापगढ़), १९०४, पृ० १६२ ।

१३- हर प्रसाद चट्टोपाध्याय, दि सिपाय म्यूटिनी, पृ० २३ ।

१४- जवाहर लाल नेहरू, विश्व इतिहास की एक झलक, पृ० ४६० ।

## राजनीतिक जागृति

१८५७ के असफल विद्रोह से अंग्रेजी शासन दो वर्षों में प्रभावित हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन की समाप्ति हुई और ब्रिटिश शासक यह विचार करने लगे कि भारत में अंग्रेजी शासन को बनाये रखने के लिए अंग्रेजी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करना आवश्यक है। अब यह चेष्टा की जाने लगी कि भारतीय शरीर में इस प्रकार से ब्रिटिश मस्तिष्क बैठा दिया जाय जिससे वह कभी भी स्वतन्त्र रीति से सोचने के योग्य ही न रह सके। उन्हें इसका वांछित फल मिला।[15] विद्रोह असफल होने के बाद से भारतीय जनता के एक वर्ग की यह धारणा बन चुकी थी कि ब्रिटिश सत्ता का सशस्त्र विरोध करना व्यर्थ है, उन्हें अपनी हीनता का बोध हुआ। ऐसे वर्ग के लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करना प्रारम्भ किया। १९वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीयता का बोलबाला था और राजनीतिक तथा आर्थिक समस्यायें सामने आ गयीं थीं। भारत में भी अंग्रेजी इतिहास तथा साहित्य से प्रोत्साहित शिक्षित भारतीय तत्कालीन राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन की इच्छा करने लगे। आर्थिक दुर्दशा, सरकार की राष्ट्र विरोधी नीति एवं जातीय द्वेष आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता के प्रमुख कारण बने। प्रेस तथा रेलों के विकास ने इसमें सहायता दी।[16] इसी समय सामाजिक सुधार के लिए भी प्रयत्न किया गया।[17]

१८६३ में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने अपने धर्म प्रचार व सुधार का कार्य प्रारम्भ किया जिससे भारतीयों में आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास की भावना का संचार हुआ। १८६९ में दयानन्द सरस्वती वाराणसी आये। धार्मिक प्रवचनों के अन्तर्गत उन्होंने माधवाचार्य और बालशास्त्री जैसे कट्टरपंथी पंडितों से शास्त्रार्थ किया।[18] १८८० में वे पुनः वाराणसी आये तथा केदारघाट पर एक संस्था की स्थापना की। १८७५ के बाद आर्य समाज की शाखायें पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रायः हर

---

१५. आचार्य नरेन्द्र देव, राष्ट्रीयता और समाजवाद, पृ० ८२।
१६. गुरुमुख निहाल सिंह, भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास, पृ० २११।
१७. बी०बी०एल० मजुमदार, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड थाट, पृ० २२-३०।
१८. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (वाराणसी), १९६५, पृ० ७७।

जिले में स्थापित हुयीं ।

२६ जुलाई, १८७६ को कलकत्ता में इंडियन एसोसियेशन की स्थापना की गई, इसके प्रमुख "सुरेन्द्रनाथ बनर्जी" और मंत्री आनन्दमोहन बसु थे । इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य देश को संगठित करके देश में एक प्रबल जनमत का निर्माण करना था । १८७६ में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उत्तर भारत की राजनीतिक यात्रा की जिसके दौरान वे वाराणसी भी गये और ऐश्वर्यनारायण सिंह, हरिश्चन्द्र सिंह तथा बाबूराम-काली से मिले ।[१९] सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की यात्रा से राष्ट्रीय विचारों को बल मिला ।

इंग्लैंड के हित साधन के लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति, आयात-निर्यात करों की व्यवस्था, उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त न करने की चेष्टाएं तथा भारतीय उद्योग धंधों के समाप्त हो जाने से उत्पन्न हुई दरिद्रता, इन सब ने मिल कर भारत में आर्थिक असंतोष की गंभीर भावना उत्पन्न कर दी । शासक वर्ग के लोग भारतीयों के प्रति घृणा का ऐसा भाव प्रकट करते थे, उससे कटुता की भावना तीव्रतर होती गयी । यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का ऐसा घोर विरोध किया, उसे देख कर भारतीयों को विश्वास हो गया कि समानता के व्यौहार की आशा करना व्यर्थ है । लार्ड लिटन के शासन काल की त्रुटियों ने, वर्नाक्युलर प्रेस के दमन की चेष्टाओं ने, समय समय पर पड़ने वाले दुर्भिक्षों ने सरकार के विरुद्ध कटु भावनाओं को अत्यधिक गंभीर रूप दे दिया ।[२०] उपरोक्त परिस्थितियों तथा प्रांतीय राजनीतिक प्रवृत्तियों ने एक ऐसी राजनीतिक संस्था के निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी जो सारे भारत की संस्था हो और जिसके माध्यम से राष्ट्रीय मांगों और आवश्यकताओं को स्पष्ट किया जा सके । इसी उद्देश्य से ऐलन आक्टेवियन ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन २८ दिसम्बर, १८८५ को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज के भवन में हुआ जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता के प्रमुख वकील उमेशचन्द्र बनर्जी ने की । इस अधिवेशन में संयुक्त प्रांत से ६ प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।[२१]

---

१९- सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, ए नेशन इन मेकिंग, पृ० ४३-४५ ।
२०- डा० ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास, पृ० ३७४ ।
२१- पी०सी०घोष, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पृ० २५ ।

१८८७ में कालाकांकर (प्रतापगढ़) के राजा रामपाल सिंह के प्रयत्नों से कालाकांकर से ही, "हिन्दुस्तान" समाचार पत्र का प्रकाशन, मदन मोहन मालवीय के सम्पादन में प्रारम्भ हुआ। तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रांतीय समस्याओं पर निर्भीकतापूर्ण और निष्पक्ष लेखों के कारण "हिन्दुस्तान" समाचार पत्र बहुत लोकप्रिय हो गया।[२२]

कांग्रेस ने आरम्भ से ही शासन में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना तथा सरकारी सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति की मांग की। यह प्रारम्भ से ही नरमदलीय तथा वैधानिक सुधारवादी संस्था रही किन्तु कांग्रेस के प्रति सरकार का व्यवहार सहानुभूति से उपेक्षा और बाद में सक्रिय शत्रुता में बदल गया। १८८८ में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की व्यवस्था में सरकार ने यथा सम्भव बाधायें उत्पन्न कीं फिर भी यह अधिवेशन जार्ज यूल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में सरकार के विरोध तथा कर वृद्धि की आलोचना की गयी। १८९० में सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस की बैठकों में भाग लेने से रोक दिया गया। सरकार के इस शत्रु भाव के बावजूद भी कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती गयी।

१८९२ में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद् अधिनियम पास किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत संयुक्त प्रांत में १२ सदस्यों की व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गयी। यह अधिनियम जनता को संतुष्ट न कर सका। इसकी निर्वाचन पद्धति, परिषदों का अल्पविस्तार विशेषरूप से कांग्रेस की आलोचना का विषय बना।

१८९१ और १८९३ में वाराणसी में तथा १८९३ में आजमगढ़ तथा अन्य पूर्वी जिलों में गौहत्या निषेध हेतु दंगे हुये। इन दंगों को आर्य समाज से प्रोत्साहन मिला क्योंकि गौरक्षा आर्य समाज के कार्यक्रम का विशेष अंग था और आर्य समाज के प्रचारकों ने इसका प्रचार व्यापक पैमाने पर किया था। इन दंगों से साम्प्रदायिकता को प्रश्रय मिला और हिन्दुओं तथा मुसलमानों में परस्पर विरोध की वृद्धि हुई।[२३]

---

२२- सीताराम चतुर्वेदी, पं० मदन मोहन मालवीय, पृ० १८।

१८९३ में श्रीमती ऐनीबेसेन्ट के भारत आगमन से थियोसॉफी आन्दोलन का प्रसार तीव्र गति से हुआ। उन्होंने नये प्रकार की शिक्षा का उपदेश दिया और थियोसोफिकल लाजों पर नये स्कूल खोलने तथा हिन्दू बालक-बालिकाओं को पढ़ाते समय भारतीय आदर्शों के मूल स्वर को ध्यान में रखने पर जोर दिया। भारत में श्रीमती बेसेन्ट ने सबसे पहले जिन कार्यों का बीड़ा उठाया, उसमें भारतीय साथियों के सहयोग से १८९८ में वाराणसी में सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना करना एक प्रमुख कार्य था।[२४]

देश में भक्ति एवं राष्ट्रीयता को १९०४-५ में जापान द्वारा रूस को पराजित किये जाने की घटना से बल मिला। भारतीयों में यह भावना उत्पन्न हुई कि अनन्य देशभक्ति, बलिदान तथा राष्ट्रीयता की भावना को अपने जीवन में उतार कर ही भारतीय स्वतन्त्रता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

लार्ड कर्जन ने १६ अक्टूबर, १९०५ को बंगाल का विभाजन कर दिया। कांग्रेस ने बंगाल के विभाजन को अखिल भारतीय समस्या बना दिया। बंगाल विभाजन के विरोध में सारे देश में शोक दिवस मनाया गया। संयुक्त प्रांत में भी इसका तीव्र विरोध किया गया। वाराणसी में बंगालियों की संख्या अधिक होने के कारण वहाँ बंग-विभाजन की तीव्र प्रतिक्रिया हुयी। यहाँ सरकार के विरुद्ध आन्दोलन की तैयारी की गयी, जुलूस निकाले गये तथा गुप्त सभायें की गयीं।[२५]

बंगाल विभाजन से उत्पन्न असंतोष के वातावरण में १९०५ में कांग्रेस का २१वाँ अधिवेशन वाराणसी में गोपालकृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ। गोपाल-कृष्ण गोखले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में लार्ड कर्जन के शासन की तीखी आलोचना करते हुये बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को इसी तरह अपमानित किया जाता है और उन्हें देश की निःसहाय बनाये रखना है तो मैं यही कह सकता हूँ कि लोक हित में शासनतंत्र के साथ किसी भी प्रकार सहयोग करने

---

२४- सी०पी०रामास्वामी अय्यर, ऐनीबेसेन्ट, पृ० ५५।
२५- सम्पूर्णानन्द, कुछ स्मृतियाँ कुछ स्फुट विचार, पृ० १२।

की आशा को अन्तिम नमस्कार है । गोखले के शब्दों में यह भविष्यवाणी छिपी थी जिसे असहयोग आन्दोलन का श्रीगणेश करते समय महात्मा गांधी ने सत्य कर दिखाया ।[26]

गोपालकृष्ण गोखले ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलनों का उल्लेख करते हुए कहा कि परमोत्कृष्ट स्वदेशी में मातृभूमि के प्रति अगाधानुराग की जो भावना साकार है वह इतनी गहरी और तीव्र है कि उसके स्मरण मात्र से रोमांच हो जाता है और उसका स्पर्श तो व्यक्तिगत सीमाओं "से बहुत ऊपर उठा देता है । स्वदेशी के इस आदर्श को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक विचारों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुये उन्होंने हथकरघा उद्योग का पुनरुत्थान करने तथा उसे आधुनिक रूप देने के महत्व पर जोर दिया । राजनीतिक क्षेत्र का उल्लेख करते हुये उन्होंने भारत के लक्ष्यों तथा आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला ।[27]

इस अधिवेशन में बालगंगाधर तिलक के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों के एक वर्ग ने उदारवादियों की "राजनैतिक भिक्षावृत्ति "की नीति की तीव्र निंदा की और इस बात का प्रतिपादन किया कि संगठन निष्क्रिय प्रतिरोध के मार्ग को अपनाकर ही भारत के राष्ट्रीय जीवन पर विदेशी नौकरशाही के प्रभुत्व को समाप्त कर सकता है । उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश माल और सरकारी शिक्षण संस्थाओं का भी संगठित और निरंतर बहिष्कार किया जाना चाहिये, परन्तु उदारवादी निष्क्रिय प्रतिरोध को कम अधिक रूप में अव्यवहारिक मानते थे और उनका विचार था कि इससे राष्ट्रीय प्रगति अवरुद्ध होगी । इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों वर्गों द्वारा "स्वराज्य "की अपने अपने ढंग से व्याख्या की गयी । उदारवादियों के अनुसार इसका तात्पर्य औपनिवेशिक आधार पर स्वशासन था जबकि उग्रवादी इसका आशय पूर्ण तथा निर्बाध स्वतंत्रता से लेते थे । इस विषय के परिणामस्वरूप विषय समिति में अति कटु विवाद हुये । वाराणसी अधिवेशन में इस प्रकार संकट के जो बीज बोये गये उनका फल १९०७ के सूरत अधिवेशन में प्रकट हुआ ।[28]

अक्टूबर १९०६ में बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय तथा विपिनचन्द्रपाल ने जनता में राष्ट्रीयता के विकास के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत का दौरा किया । २२ मई,

---

२६- टी०आर०देवगिरिकर,गोपालकृष्ण गोखले, पृ० १६० ।
२७- वही, पृ० १६१ ।
२८- वही, पृ० १६३ ।

१९०७ को सरकार ने संयुक्त प्रांत के गवर्नर को स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलन का दमन करने के लिए विशेषाधिकार प्रदान किये । १९०७ में पंजाब में अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक विधेयक तथा डैंजिल इब्बटसन की प्रतिक्रियावादी नीति के फलस्वरूप लाला लाजपतराय तथा अजीत सिंह के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आन्दोलन प्रारम्भ हो गया, सरकार ने दमननीति से काम लेकर लाला लाजपतराय और अजीत सिंह को देश निर्वासन का दण्ड दे दिया । पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वाराणसी, फैजाबाद, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ तथा गोरखपुर जिलों के सभी हिन्दुओं ने सरकार की दमननीति की आलोचना करते हुये लाला जी के प्रति सहानुभूति व्यक्त की । वाराणसी के विद्यार्थियों द्वारा प्रकट किया गया असन्तोष सराहनीय था किन्तु वाराणसी, मिर्जापुर तथा गाजीपुर के मुसलमानों और अवध के ताल्लुकेदारों ने सरकार के प्रति राजभक्ति प्रकट करते हुये, सरकार की दमन नीति को न्यायोचित बताया ।[२६]

सरकार द्वारा दमन नीति के प्रयोग के बाद भी स्वदेशी आन्दोलन कम न हुआ । वाराणसी में विदेशी चीनी का व्यापक पैमाने पर बहिष्कार हुआ । अगस्त १९०७ में लक्ष्मराम ने वाराणसी तथा गाजीपुर की अनेक सभाओं को सम्बोधित करते हुये उपस्थित जन समुदाय से स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आग्रह किया । वाराणसी के बंगाली नागरिकों ने बहिष्कार आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा बंगाल विभाजन के विरोध में १७ अक्टूबर, १९०७ को शोक दिवस मनाया । सरकार ने आन्दोलन का दमन करने के लिए अनेक कानून बनाये किन्तु अभी भी देश में उत्तेजना व्याप्त थी ।

उदारवादियों और उग्रवादियों के परस्पर मतभेदों के कारण सूरत अधिवेशन में बड़े उपद्रवपूर्ण वातावरण के मध्य दोनों में अंततः विच्छेद हो गया । उदार-वादियों को फिर भी प्रमुखता रही और उग्रवादी कांग्रेस से बाहर चले आये । उग्रवादियों की आवाज प्रारम्भ में यद्यपि कमजोर थी किन्तु तिलक के "केसरी" तथा विपिनचन्द्र पाल के "न्यू इंडिया" के माध्यम से वह जनता तक पहुंचने लगी, बाद में लाला लाजपतराय भी उनसे आ मिले । इन तीनों नेताओं के नेतृत्व में एक नया

---

२६. प्रोसीडिंग्स आफ दि होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल पार्ट बी, अगस्त १९०७, पृ० ४७ ।

आन्दोलन सारे भारत में व्याप्त हो गया। ब्रिटिश अन्याय और उदारवादियों की निष्फलता से उकताये हुये युवक उग्रवादियों की विचारधारा से बहुत प्रभावित हुये।

## १९०६ से १९१६ के मध्य का काल

१९०६ भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण वर्ष था। उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों को लागू किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उग्रवादी देश में स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलन का प्रचार करने में तत्पर थे।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलन वेग से चल रहा था। मालवीय जी ने भी व्यावहारिक कार्य करने के उद्देश्य से अनेक स्थानों पर स्वदेशी औद्योगिक केन्द्र खोलने का प्रयास किया। गोरखपुर, वाराणसी तथा आजमगढ़ जिलों के गांवों में सार्वजनिक सभाओं का गठन हुआ जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार[10] करना, शिक्षा का प्रसार करना तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था। ७ अगस्त, १९०६ को संयुक्त प्रांत में बहिष्कार आन्दोलन का वार्षिकोत्सव मनाया गया। वाराणसी के बंगालियों ने जुलूस निकाले और सभायें कीं।[11]

१९०९ में मार्ले मिन्टो सुधार के नाम से १९०९ का अधिनियम पास हुआ। इसके अन्तर्गत संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका परिषद् के सदस्यों की संख्या ५० निश्चित की गयी। १९०९ में लाहौर में हुये कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मार्ले मिन्टो सुधार के नियमों की आलोचना की। वस्तुतः इन सुधारों का उद्देश्य जनता को सन्तुष्ट करना और उसमें मतभेद उत्पन्न करना था। पहले मन्तव्य को व्यवस्थापिकाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्त करके तथा सदस्य के अधिकार बढ़ाकर पूर्ण करने का प्रयत्न किया गया,[12] दूसरा पृथक प्रतिनिधि प्रणाली के विषपूर्ण ढंग को अपना कर पूर्ण करना चाहा।

---

१०- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।

११- प्रोसीडिंग्स आफ होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल पार्ट बी, सितम्बर(१९०६),पृ०३३।

१२- डा० ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास,पृ० ३४६।

दिसम्बर १६१० में कांग्रेस का पचीसवां अधिवेशन इलाहाबाद में प्रारम्भ हुआ । वेडरबर्न ने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश की स्थिति पर विचार करते हुये हिन्दू और मुसलमानों, उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच समझौते तथा एकता पर जोर दिया ।[33] इस अधिवेशन में राजद्रोहात्मक अध्यादेश, सभा निषेधक अध्यादेश तथा प्रेस अधिनियम को हटाने की मांग की गयी । जिला परिषदों व नगरपालिकाओं में पृथक निर्वाचन लागू किये जाने का तीव्र विरोध भी किया गया ।

१६१३-१४ के मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी क्रांतिकारी गतिविधियों का केन्द्र बना । वाराणसी में बंगालियों की संख्या अधिक होने के कारण बंगाल में चल रहे क्रांतिकारी आन्दोलन का इस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । १६१४ में संयुक्त प्रांत के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर ने वाराणसी के कुछ व्यक्तियों तथा उनसे सम्बन्धित अन्य प्रदेशों के व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय पुलिस अधिनियम के अंतर्गत आरोपों की स्वीकृति दे दी । "बनारस षड्यंत्र केस" जिस अदालत में चला उसके कमिश्नर के अनुसार वाराणसी में १६०८ में स्थापित अनुशीलन समिति तथा यंग मेन ऐसोसियेशन का उद्देश्य राजद्रोह करना था ।[34] खुफिया मुखबिर बयान से पता चलता है कि शचीन्द्र नाथ सान्याल को कलकत्ता के क्रांतिकारियों से सहायता मिलती थी ।

प्रथम विश्वयुद्ध अगस्त १६१४ में प्रारम्भ हुआ, भारतीयों ने अंग्रेजों की हर प्रकार से सहायता की । पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर, गाजीपुर तथा आजमगढ़ के कुछ मुसलमानों ने जर्मनी के प्रति सहानुभूति प्रकट की । ३१ अगस्त, १६१४ को प्रांतीय सरकार ने इस स्थिति को पूर्णतः असन्तोषजनक बताया ।[35]

सितम्बर १६१६ में श्रीमती ऐनीबेसेन्ट ने अखिल भारतीय होमरूल लीग की स्थापना की । होमरूल आन्दोलन ने देश पर गहरा प्रभाव डाला । १६१६ में ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रायः हर जिले में होमरूल लीग की शाखायें स्थापित हो गयीं । आचार्य नरेन्द्र देव फैजाबाद में होमरूल लीग शाखा के मंत्री बने । बस्ती में होमरूल

---

३३- आज, २६ अप्रैल, १६३१, पृ० २ ।
३४- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
३५- वही ।

लीग के कार्य को मौलतराम कस्याना, सरयू प्रसाद वकील तथा लक्ष्मी नारायण टंडन ने आगे बढ़ाया ।[१६]

४ फरवरी, १९१६ को लार्ड हार्डिंग्ज ने वाराणसी में हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया । गांधी जी ने अपने भाषण में कहा "पहले शासक और शासित में यह सम्बन्ध था कि प्रजा राजा के दर्शन करती थी किन्तु ब्रिटिश राज्य में यह क्रम बदल गया है, जब लार्ड हार्डिंग सड़क से होकर गये उस समय किसी को उनके दर्शन करने की अनुमति नहीं मिली.... यहां जितने राजा और महाराजा एकत्र हुये हैं उनसे मेरी यह प्रार्थना है कि उनके मुकुटों में जो रत्न व मोती जड़े हैं उन्हें ले जाकर अपनी प्रजा में बांट दें क्योंकि यह उन्हीं दीन लोगों की सम्पत्ति है .... लार्ड हार्डिंग और सरकारी कर्मचारी बम फेंकने वालों से इतना डरते हैं कि सड़कों पर इतनी सावधानी और चौकसी रखी जा रही है किन्तु वास्तव में आपको जनता का विश्वास भाजन बनना चाहिये, जो युवक बम फेंक रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे ऐसा काम चोरी छिपे न करें, उन्हें जो कुछ भी कहना या करना हो खुलकर करें ।[१७] गांधी जी के भाषण से हलचल मच गयी । पूर्वी उत्तर प्रदेश में महात्मा-गांधी की यह प्रथम जिज्ञासा थी ।

१९०७ में सूरत अधिवेशन के अवसर पर उदारवादियों तथा उग्रवादियों के सम्बन्ध विच्छेद हो जाने के बाद १९१५ में श्रीमती ऐनीबेसेन्ट के प्रयत्नों से दोनों का पार्थक्य समाप्त हो गया । १९१५ में ही मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन में महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय जैसे कांग्रेस के विशिष्ट नेताओं ने मुस्लिम लीग के विचार विमर्शों में भाग लिया । लीग ने भारत के लिये एक योजना बनाने के लिए कांग्रेस से परामर्श लेते हुये एक समिति नियुक्त की । इस समिति ने अपना विवरण अगले वर्ष १९१६ के लखनऊ अधिवेशन में प्रस्तुत किया । यह विवरण १९१६ के लखनऊ समझौते का आधार बना । यह समझौता कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की हार्दिक इच्छा का प्रमाण था । इस समझौते के साथ ही मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का प्रारम्भ होता है ।

---

१६. स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (बस्ती), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ८
१७. सीताराम चतुर्वेदी, पंडित मदन मोहन मालवीय, पृ० ६१ ।

इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने निश्चित रूप से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन तथा अल्पसंख्यक प्रांतों में उनके लिए विशेष महत्व का स्थान स्वीकार कर लिया । इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया गया कि किसी भी परिषद् में चाहे वह केन्द्रीय हो या प्रांतीय, किसी वर्ग विशेष से सम्बन्धित किसी ऐसे विधेयक या उसके किसी अंश पर विचार न किया जायेगा जिसका उस वर्ग विशेष के तीन चौथाई सदस्य विरोध करते हों ।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने सुधारों की एक संयुक्त योजना स्वीकार की । इस योजना की प्रमुख बातें यह थीं कि केन्द्रीय और प्रांतीय दोनों परिषदों की सदस्य संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गये सदस्यों द्वारा जिन्हें और अधिकार दिये गये हों, बढ़ाई जाय तथा कार्यकारिणी परिषदों में भारतीय सदस्य सम्मिलित किये जाय ।

लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मुस्लिम समाज का एकमात्र प्रतिनिधि मान लिया और दोनों सम्प्रदायों को अलग रखने की ब्रिटिश नीति को स्वीकृति प्रदान की । समझौते में कांग्रेस ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया ।[38] यद्यपि तात्कालिक लाभों को दृष्टि में रखकर कांग्रेस ने यह समझौता किया था किन्तु आगे चल कर उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ ।[39] किन्तु महात्मा ने इस समझौते को महान भूल माना जो भविष्य में मुसलमानों की कांग्रेस के प्रति उपेक्षा की नीति की पृष्ठभूमि थी ।[40] इस समझौते के दूरगामी परिणामों ने भारत विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया ।

संयुक्त प्रांत में तीव्र गति से चल रहे होमरूल लीग आन्दोलन में मुसलमान कांग्रेस के साथ थे । जनवरी १९१७ में तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुसलमानों को चेतावनी दी कि वे होमरूल आन्दोलन में भाग न लें, उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे ऐसा करेंगे तो उनके सम्प्रदाय के हितों को हानि पहुँचेगी ।[41] १५ जून, १९१७ को मद्रास

---

३८- राजनबहादुर, दि मुस्लिम लीग, पृ० ९५ ।
३९- दि लीडर, १५ सितम्बर, १९२४, पृ० ६ ।
४०- इंडियन एनुअल रजिस्टर, १९३०, भाग-२, पृ० ३२४ ।
४१- दि पायनियर, २८ जनवरी, १९१७, पृ० ३ ।

में श्रीमती ऐनीबेसेन्ट की गिरफ्तारी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में रोष की लहर व्याप्त हो गयी । अनेक स्थानों पर सभाओं का आयोजन करके सरकारी नीतियों की आलोचना की गयी ।[५२]

१९१७ में व्याप्त जन उत्तेजना को शान्त करने के लिए माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुये । प्रांतों में द्वैध शासन इस योजना की प्रमुख विशेषता थी अतः सभी ने इसकी आलोचना की । समुचित विवाद के बाद २९ अगस्त, १९१८ को बम्बई में कांग्रेस की विशेष बैठक में घोषित किया गया कि भारत निश्चित रूप से उत्तरदायी शासन के योग्य था । दिसम्बर १९१८ में हुये कांग्रेस अधिवेशन में उस पूर्व निर्णय का समर्थन किया गया ।

१९१८ में मूल्यवृद्धि के कारण जनता में सरकार के विरुद्ध असन्तोष की भावना और अधिक विकसित हो गयी, सरकार भी जनता के असन्तोष से परिचित थी । माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू होने के पहले ही सरकार ने भारतीय जनता की अवज्ञा और आन्दोलन का सामना करने के लिए नये तरीके अपनाये, सरकार ने न्यायाधीश रौलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत में चल रही राजद्रोह सम्बन्धी गतिविधियों की जाँच करने तथा उन्हें समाप्त करने के लिए उपाय बताने के लिए नियुक्त किया । रौलेट कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर केन्द्रीय परिषद् में अनेक विधेयक प्रस्तुत किये गये जिनके अन्तर्गत लोगों को बन्दी बनाने, उनके घरों की तलाशी लेने तथा उन पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में असाधारण अधिकार पुलिस को देने का प्रस्ताव किया गया । महात्मा गांधी ने घोषणा की कि यदि रौलेट बिल को पास किया गया तो सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया जायेगा । १८ मार्च, १९१९ में भारतीय नेताओं के तीव्र प्रतिरोध के बाद भी रौलेट बिल पास हो गया ।

महात्मा गांधी ने रौलेट बिल के विरुद्ध आन्दोलन का प्रारम्भ व्रत द्वारा किया । पहले ३० मार्च, १९१९ को सम्पूर्ण भारत में हड़ताल करने का निश्चय किया गया किन्तु बाद में ६ अप्रैल को हड़ताल करने का निश्चय किया गया । पूर्वी उत्तर-

---

५२- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

प्रदेश के सभी जिलों में सत्याग्रह दिवस मनाया गया, हड़तालें की गयीं तथा सभाओं का आयोजन किया गया। वाराणसी में तो हजारों लोगों ने उपवास भी किया और पूर्ण हड़ताल रखी।[५३]

६ प्रैल को महात्मा गांधी की गिरफ्तारी से सारे देश में रोष व्याप्त हो गया। १३ अप्रैल, १९१९ को जलियांवाला बाग की दुखद दुर्घटना में सैकड़ों आदमी मारे गये।[५४] संयुक्त प्रांत में प्रत्येक वर्ग पर इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई।[५५]

जलियांवाला बाग तथा पंजाब में हुये अत्याचारों से उत्पन्न कटुता के वातावरण में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसम्बर १९१९ में अमृतसर में मोतीलाल-नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। मोतीलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ब्रिटिश शासन की कटु आलोचना की।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय किसानों में जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों के प्रति असन्तोष में अत्यधिक वृद्धि हुई। जमींदारों तथा ताल्लुकेदारों के अत्याचारों के विरोध में किसान संगठित होने लगे जिसने बाद में एक आन्दोलन का रूप ले लिया। टर्की के खलीफा के प्रश्न को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में सरकार के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगा जिसने बाद में खिलाफत आन्दोलन का रूप ले लिया। किसान आन्दोलन तथा खिलाफत आन्दोलन का उल्लेख अगले अध्याय में किया गया है।

---

५३- १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियाँ( बनारस का वातावरण,लै० टी०एन०सिंह), प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पृ० १२७।

५४- सर चमनलाल सीतलवाड़ जो जलियांवालाबाग गोलीकांड की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमेटी के सदस्य थे,का अनुमान था कि लगभग ४०० व्यक्ति मारे गये और १२०० व्यक्ति घायल हुये। (बी०आर०नन्दा,महात्मा गांधी,पृ०१३०)।

५५- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।

## -द्वितीय अध्याय-

## किसान, खिलाफत तथा असहयोग आन्दोलन

### किसान आन्दोलन

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में सन् १९२० ई० में एक नया युग प्रारम्भ होता है जब गांधी जी ने देश को स्वतन्त्रता दिलाने के लिए देश का नेतृत्व अपने हाथों में लिया । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में पूर्वी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान तो है ही किन्तु इसके साथ इस क्षेत्र में कुछ ऐसी समस्यायें थीं, जिनके कारण यहां एक विलक्षण आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, जिसने सारे संयुक्त प्रांत को अपनी ओर आकर्षित किया । यह आन्दोलन स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में किसान आन्दोलन के नाम से प्रसिद्ध है । किसान आंदोलन का प्रसार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर तथा जौनपुर जिलों में हुआ ।

किसान आंदोलन का प्रसार मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर के जिलों में ही हुआ इसके अनेक कारण हैं । इस क्षेत्र में १९२० में न तो दाखिलकार काश्तकार थे और न दायमी काश्तकार ही थे । यहां सिर्फ अल्पकालिक काश्तकार थे जो बेदखल होते रहते थे जिनकी भूमि अधिक नजराना या लगान देने पर दूसरों को दे दी जाया करती थी क्योंकि यहां विशेष रूप से एक ही प्रकार के किसान थे, इसलिए उनमें एक साथ काम करने के लिए संगठन करना सुविधाजनक था ।[१]

इस क्षेत्र में आरावी पट्टे की कोई भी गारंटी देने का रिवाज नहीं था । जमींदार शायद ही कहीं लगान की रसीद देते थे । कोई भी जमींदार कह सकता था कि लगान नहीं अदा किया गया और काश्तकार को बेदखल कर सकता था, ऐसी स्थिति में किसान को यह सिद्ध कर पाना असम्भव ही

---

१- जवाहर लाल नेहरू: मेरी कहानी, पृ० ८८

जाता था कि वह लगान दे चुका है । इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक लागें थीं, ताल्लुकेदार विशेष अवसरों पर जैसे कुटुम्ब में किसी के विवाह के लिए, लड़कों के विलायत में पढ़ने के लिए, उच्चाधिकारियों के भोज के लिए, हाथी या मोटर खरीदने के लिए किसानों से धन वसूल करते थे जिसके कारण किसानों में अत्यधिक असंतोष था ।[२]

सन् १९१९ में महात्मा गांधी ने रौलेट बिल के विरोध में जो राष्ट्रव्यापी हड़तालें करायी थीं, उनमें इस क्षेत्र के किसानों ने सक्रिय भाग लिया था । वे गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे और इससे उनकी संगठन शक्ति में अत्यधिक विकास हुआ था ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान आन्दोलन का प्रारम्भ बाबा रामचन्द्र नामक एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने किया । बाबा रामचन्द्र युवावस्था में फिजी-द्विप में गिरमिटिया मजदूर के रूप में भेजे गये थे, वहाँ उन्होंने मजदूरों को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष प्रारम्भ कर दिया । इसकारण उन्हें भारत वापस भेज दिया गया । भारत आने पर वे भ्रमण करते हुये प्रतापगढ़ आये, यहाँ ताल्लुकेदारी प्रथा के कुशासन को देख उन्होंने इस जिले को अपना कार्य क्षेत्र बनाया । जनता की भावनाओं को समझने की अनोखी सूझबूझ के कारण वे शीघ्र ही किसानों के नेता बन गये, उन्होंने किसानों को ताल्लुकेदारों किये जा रहे अत्याचारों के विरोध में संघर्ष करते हुये संगठित किया ।

बाबा रामचन्द्र ने "गोहार" (आवाज) लगाने की एक विशेष पद्धति को विकसित किया जिससे अगर किसी किसान पर ताल्लुकेदार के कर्मचारी अत्याचार करते तो वह किसान और उसके गांव वाले "जय जय सीताराम" की आवाज लगाते, जिसे सुनकर निकटस्थ गांव के लोग भी "जय जय सीताराम" की आवाज लगाकर पीड़ित व्यक्ति के पास पहुंच जाते । थोड़ी ही देर में हजारों की भीड़ एकत्र हो जाती और ताल्लुकेदारों के कर्मचारियों को भागने के लिए विवश होना पड़ता ।

---

२- किसान रायट इन प्रतापगढ़ (फाइल ) पुलिस विभाग, पृ० १०१

१६२० के प्रारम्भ में बाबा रामचन्द्र लगभग ५०० किसानों के साथ इलाहाबाद गये और जवाहर लाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टंडन, कृष्णाकांत मालवीय तथा मंजूर अली सौख्ता की सहायता से बलुआघाट पर एक सभा की । बाबा रामचन्द्र ने उन्हें किसानों की कठिनाइयों से अवगत कराया और जवाहर-लाल नेहरू को प्रतापगढ़ आने को आमंत्रित किया ।[३]

दो तीन दिन बाद जवाहर लाल नेहरू प्रतापगढ़ आये, किसानों से मिले और उनकी कठिनाइयों को सुना । अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है "---- उन्होंने हम पर बहुत प्रेम बरसाया, और वे हमें आशा व प्रेम भरी आंखों से देखते थे मानो हम कोई शुभ सन्देश सुनाने आये हों, या उनके रहनुमा हों, जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा देंगे । उनकी मुसीबतों और उनकी अपार कृतज्ञता को देखकर मैं दु:ख और शर्म के मारे गड़ गया । दु:ख तो हिन्दुस्तान की जबरदस्त गरीबी और ज़िल्लत पर और शर्म मेरी अपनी आराम की जिन्दगी पर और शहरों की न कुछ राजनीति पर, जिसमें भारत के इन अधनंगे करोड़ों पुत्र-पुत्रियों के लिए कोई स्थान न था ---।

मैंने उनके दु:ख की सैकड़ों कहानियों को सुनीं, कैसे लगान का बोझ दिन दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके तले वे कुचले जा रहे थे, किस तरह खिलाफ-कानून लागें लगायीं जाती हैं और औरों जुल्म से वसूली की जाती है, जमीन और कच्चे भोपड़ों से किस तरह उन्हें बेदखल किया जाता है, कैसे उन पर मार पड़ती है, कैसे चारों तरफ जमींदारों के एजेन्ट साहूकारों और पुलिस के गिर्दों से घिरे रहते हैं, किस तरह वे कड़ी धूप में मशक्कत करते हैं और अंत में यह देखते हैं कि उनकी सारी पैदावार उनकी नहीं है ---- दूसरे ही उसे उठा ले जाते हैं और उसका बदला उन्हें मिलता है- ठोकरें, गालियाँ और भूखे पेट से । जो लोग वहाँ आये थे, उनमें से बहुतों के जमीन नहीं थी और जिन्हें जमींदारों ने बेदखल कर दिया था उन्हें सहारे के लिए न अपनी जमीन थी और न भोपड़ा ।

---

३- रामगोपाल सिंह का भारत के वाइसराय को लिखा पत्र (११-६-२०) (किसान रायट इन प्रतापगढ़)( फाइल) पुलिस विभाग,पृ० २०

यहाँ जमीन उपजाऊ थी, मगर उस पर लगान आदि का बोझ बहुत भारी था । खेत छोटे छोटे थे और एक एक खेत पाने के लिए कितने ही लोग मरते थे । उनकी इस तड़प से फायदा उठाकर जमींदारों ने जो कानून के मुताबिक एक हद से ज्यादा लगान नहीं बढ़ा सकते थे, कानून को ताक पर रख कर भारी भारी नज़राना वगैरह बढ़ा दिया जाता था । बेचारे किसान कोई चारा न देख, रुपया उधार लाते और नज़राना वगैरह देते और फिर जब कर्ज और लगान तक न दे पाते तो बेदखल कर दिये जाते, उनका सब कुछ छिन जाता था ।[४]

जवाहर लाल नेहरू ने प्रतापगढ़ के जिलाधीश, वी० एन० मेहता से अनुमति लेकर भगवास,रूरे तथा अमरगढ़ में सभायें की जिनमें किसानों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया । पं० नेहरू ने किसानों को ताल्लुकेदारों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध संगठित होकर अहिंसक संघर्ष करने की सलाह दी ।[५]

कुछ ताल्लुकेदारों ने बाबा रामचन्द्र और उनके साथियों पर आरोप लगाकर उन पर मुकदमें कायम कर दिये । बाबा रामचन्द्र और उनके साथी २८ अगस्त, १९२० को गिरफ्तार कर लिये गये । २९ अगस्त को पं० नेहरू तथा गौरीशंकर मिश्र ने प्रतापगढ़ में किसानों की सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि बाबा तथा उनके साथियों की गिरफ्तारी से किसानों को निराश नहीं होना चाहिये । बाबा रामचन्द्र तथा उनके साथियों की जब सुनवाई होती उस समय किसानों का विशाल समुदाय कचहरी और जेल के बाहर एकत्र रहता । जिला अधिकारियों को उन पर नियंत्रण करना कठिन होता गया, कई बार तो युद्ध घटना होते होते बची । १० सितम्बर को तो सुल्तानपुर और जौनपुर से भी किसानों के जत्थे आये, इसका एक कारण यह भी था कि गाँवों में गाँधी जी के प्रतापगढ़ आने की अफवाह फैल गयी थी । ११ सितम्बर, १९२० को बाबा रामचन्द्र जेल से मुक्त कर दिये गये ।

४- जवाहर लाल नेहरू- मेरी कहानी, पृ० ८४ ।

५- उपमहानिरीक्षक ( गुप्तचर) का मुख्य सचिव को पत्र ( १-९-२० )। (किसान रायट इन प्रतापगढ़)(फाइल) पुलिस विभाग, पृ० २८ ।

६- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

४ अक्टूबर, १६२० को प्रतापगढ़ में आगेश्वर, कोहड़ौर, विश्वनाथगंज, खिलिपालगढ़ तथा गौरा में किसान सभाओं का आयोजन हुआ जिसमें किसानों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। इन सभाओं में अभूतपूर्व हिन्दू-मुस्लिम एकता देखने को मिली। सभाओं में, गांवों में पंचायतों का गठन, जमींदारों का लगान देने, बेगार न करने तथा अकारण किसी किसान से छीनी गयी जमीन को न जोतने के प्रस्ताव पास किये गये।[७]

प्रतापगढ़ के सोंधी, रानीगंज, गौरा, चम्हिका, रुमेशरगंज गांवों में किसान सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें जमींदारों को नजराना न देने तथा पंचायतों के गठन के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किये गये। कहीं कहीं जमींदारों के कर्मचारियों ने सभाओं के आयोजन में बाधा डालने की असफल चेष्टा की। ६ अक्टूबर, १६२० को प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर मदन मोहन मालवीय तथा जवाहरलाल नेहरू को मालायें पहनायी गयीं, उन्होंने किसानों को मनोबल ऊंचा रखते हुये ताल्लुकेदारों को लगान के अतिरिक्त कुछ न देने की सलाह दी।[८]

१७ अक्टूबर १६२० को प्रतापगढ़ के मिदनी गांव में हुई किसान सभा में जवाहरलाल तथा लक्ष्मीचन्द्र धारीवाल ने भाग लिया, इस सभा में थोड़ी देर के लिए प्रतापगढ़ के जिलाधीश भी उपस्थित थे। पं० नेहरू ने किसान सभा के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुये, किसान सभा हेतु विधान बनाने के लिए एक समिति मनोनीत करने की सलाह दी। माता बदल पाण्डेय द्वारा अवध किसान सभा की स्थापना की गई जिसे सभा ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस सभा का उद्देश्य किसानों की स्थिति में सुधार करना, किसान व ताल्लुकेदारों के सम्बन्ध सुधारना, देश के विकास हेतु यथासम्भव प्रयत्न करना तथा पंचायतों का गठन करना था।

---

७- किसान रायट इन प्रतापगढ़ (फाइल) पुलिस विभाग पृ० २०३।
८- इंडिपेंडेन्ट १७ अक्टूबर, १६२०, पृ० ३।
६- किसान रायट इन प्रतापगढ़ (फाइल) पुलिस विभाग, पृ० २१६

बाबा रामचन्द्र ने माताबदल पाण्डेय के साथ २७ अक्टूबर को रुलपुर(प्रतापगढ़) का दौरा किया । २८-२९ अक्टूबर को उन्होंने किसान सभाओं को सम्बोधित करते हुये हिन्दू-मुस्लिम एकता, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग, पंचायतों की स्थापना नजरानों का विरोध, किसानों में एकता तथा बाल शिक्षा पर बल दिया । १५ नवम्बर को प्रतापगढ़ में एक विशाल किसान सभा को गौरीशंकर मिश्र ने सम्बोधित करते हुये कहा कि बेगार लेना व करना दोनों पाप है, इसके अतिरिक्त उन्होंने अकारण किसी किसी किसान से छीनी गई जमीन को न जोतने तथा पंचायतों के गठन पर जोर दिया । इसी सभा में महात्मा गांधी के प्रतापगढ़ आगमन की घोषणा की गई तथा एक स्वागत समिति का गठन हुआ ।

२० नवम्बर,१९२० को जमींदारों के कर्मचारियों ने पुलिस की सहमति से जौनपुर के कोलह, बलाई का पुरवा, कमल का पुरवा, सुमेर का पुरवा तथा प्रतापगढ़ के कोटिश तथा मकुली गांवों के कुछ उन घरों को लूटा तथा स्त्रियों का अपमान किया जिनके पुरुष किसान आन्दोलन की गतिविधियों में भाग लेने के कारण या तो जेल में थे या अनुपस्थित थे । मदनमोहन मालवीय तथा कृष्णाकान्त मालवीय ने इन घटनाओं की न्यायिक जांच करने की सरकार से मांग की ।[१०]

वाराणसी के समाचार पत्र "आज" में २५ दिसम्बर १९२० को जौनपुर तथा प्रतापगढ़ के सीमावर्ती गांवों में जमींदारों के कर्मचारियों द्वारा की गई लूट की, बनारस सेवा समिति के सदस्यों द्वारा की गई जांच का विवरण प्रकाशित हुआ, जिससे जमींदारों के कर्मचारियों द्वारा किये गये अत्याचारों की पुष्टि हुई । जांच के विवरण से यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकार द्वारा जांच हेतु नियुक्त किये गये डिप्टी कलेक्टर ने जमींदारों का अनुचित पक्षपात किया था और जमींदारों ने किसानों को धमकी दी थी कि अगर वे अदालत में उनके विरुद्ध गवाही देंगे तो परिणाम और भी बुरा होगा ।

---

१०- इंडिपेंडेन्ट २८ नवम्बर,१९२०, ,पृ० ३

सुल्तानपुर जिले में किसान आन्दोलन का नेतृत्व बाबा रामलाल ने किया। यहां किसान सभाओं का आयोजन प्रायः होता रहा और किसानों के मामले सुलझाने के लिए पंचायतों का गठन व्यापक रूप से किया गया। पुरुषोत्तमदास टंडन, मक्खनलाल पान्डेय, गौरीशंकर मिश्र तथा बाबा राम चन्द्र ने समय समय पर यहां किसानों की सभाओं को सम्बोधित किया। किसानों की सक्रियता को समाप्त करने के लिए यहां के ताल्लुकेदारों ने किसान सभा के कार्यकर्ताओं के प्रति हिंसात्मक नीति अपनायी। अमेठी में बाबा रामलाल को जान से मार डालने का असफल प्रयत्न किया गया।[११]

फैजाबाद भी किसान आन्दोलन का एक प्रमुख केन्द्र था। फैजाबाद की टांडा तहसील में किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। यहां के जमींदार किसानों से विभिन्न प्रकार के नजराने लेते थे। दूसरे जिलों से आये धीरेन्द्र मजूमदार, देवकीनन्दन दीक्षित, प्रतापनारायण मिश्र आदि युवकों ने इस क्षेत्र में चरखे का व्यापक प्रचार किया और किसानों में चेतना ला दी। जानकी प्रसाद तथा गुरुदत्तराम जैसे अनेक स्थानीय लोगों ने उन्हें पर्याप्त सहयोग दिया। फैजाबाद नगर के केदार नाथ आर्य, लल्लनबाबू बाला प्रसाद तथा त्रिभुवनदत्त आदि अनेक सम्भ्रान्त नागरिकों ने इस क्षेत्र का दौरा किया और किसानों को चरखे के प्रयोग के साथ ताल्लुकेदारों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध संगठित होकर संघर्ष करने को प्रोत्साहित किया।

इन्हीं दिनों रायबरेली में एक किसान सभा का आयोजन हुआ जिसमें भाग लेने के लिए फैजाबाद के बहुत से किसानों ने प्रस्थान किया। किसान सभा में जमींदारों ने गोली चलवा दी, फलस्वरूप किसान नेताओं ने तार द्वारा अन्य स्थान के किसानों को वहां जाने से रोक दिया। उत्तेजित किसान फैजाबाद में ही तोड़फोड़ की कार्यवाही करने लगे। गोसाईगंज में रेलवे-पटरी पर लेटकर उन्होंने रेल चलना रोक दिया, तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमीर अली ने किसानों के साथ कठोर व्यवहार किया और उन्हें पिटवाया। इस घटना से इस क्षेत्र के किसानों में असन्तोष फैल गया।

---

११- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक (सुल्तानपुर) सूचना विभाग, पृ० ८।

बाबा रामचन्द्र यहां आये, उन्होंने कई किसान सभाओं को सम्बोधित करने की सलाह दी ।[12] धीरे धीरे किसान संगठित होने लगे । "जय जय सीताराम" की आवाज लगाकर जब वे एकत्र होते तो उन्हें नियंत्रित करना कठिन हो जाता ।

कई स्थानों पर जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित किसानों ने जमींदारों का सामान लूट लिया तथा उनके कर्मचारियों पर भी आक्रमण किये । सरकार ने सेना तैनात करके किसानों के दंगों का दमन किया । सरकार द्वारा दमन की प्रतिक्रिया निकटवर्ती जिलों के किसानों पर हुई । फैजाबाद जिले में किसानों की एक महती सभा अकबरपुर के पास गोन्डा में हुई जिसमें देशबन्धु चितरंजनदास, पुरुषोत्तमदास टंडन, जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने भाग लिया । दूसरी विशाल किसान सभा अयोध्या में सरयू के किनारे नये घाट के मैदान में हुई जिसमें पं० मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया ।[13]

किसान सभाओं के आयोजन तथा विशिष्ट नेताओं के आगमन से किसान आंदोलन को विशेष बल मिला । किसानों के हित के लिए गांवों में पंचायतों का गठन हुआ । फैजाबाद में ५२ गांवों के लिए संगठन करके एक बड़ी पंचायत का गठन किया गया, यह क्षेत्र बावनसिवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया । रघुनंदन सिंह, कालासिंह, रामअभिलाष, गुलाब मौर्य तथा कल्पनाथ सिंह इसके सरपंच नियुक्त हुये ।

२० दिसम्बर,१९२० को अयोध्या में अवध किसान सभा की प्रथम सभा का आयोजन हुआ जिसमें लगभग २० हजार किसान उपस्थित थे । सभा की अध्यक्षता गौरीशंकर मिश्र ने की । के० मु० जाफरी, देवीदत्त, भगवानदास, माताराम, महेन्द्रदेव वकील, परमेश्वरनाथ सहाय तथा बाबा राम चन्द्र ने भी इसमें भाग लिया । बाबा रामचन्द्र ने अपने भाषण में किसानों से बेदखली, नजराना तथा बेगार का विरोध करने को कहा । गौरीशंकर मिश्र ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि किसानों की परेशानी इसलिये है क्योंकि उन्होंने ताल्लुकेदारों के अत्याचारों को चुपचाप सहा है किन्तु इसका दोष

---

१२- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक (फैजाबाद) सूचना विभाग,उ० प्र०, पृ० ५० ।
१३- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

ताल्लुकेदारों पर भी नहीं है क्योंकि वे स्वयं सरकार के चंगुल में थे । किसानों व ताल्लुकेदारों के सम्बन्ध मधुर होने की उन्होंने कामना की ।[१४]

१२ जनवरी १९२१ को फैजाबाद में दंगे प्रारम्भ हुये ।[१५] एक बाजार सहित ३० गांवों से जमींदारों की सम्पत्ति किसानों ने लूट ली । जमींदारों की सम्पत्ति लूटने वाली भीड़ में अधिकांश निम्न जातियों के लोग तथा भूमिहीन श्रमिक थे । लूटपाट की घटनाओं के सम्बन्ध में ३४६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।[१६]

उपरोक्त घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा "मेरी कहानी" में किया है । उस समय चल रहे खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित थे अत: सभी राष्ट्रीय नेताओं ने इस कार्य की निन्दा की । जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि "जब मैंने यह सुना तो मैं बहुत बिगड़ा और दुर्घटना के एक या दो दिन के अंदर उस स्थान पर जा पहुंचा जो अकबरपुर ( फैजाबाद ) के पास ही था । मैंने उसी दिन एक सभा बुलाई और कुछ ही घंटों में चार पांच हजार लोग कई गांव से, कई दस दस मील की दूरी से वहां इकट्ठे हो गये । मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया और बताया कि किस तरह उन्होंने अपने आपको तथा हमारे काम को धक्का पहुंचाया, और शर्मिन्दगी दिलायी और कहा कि जिन जिन लोगों ने लूटपाट की है वे लोग सबके सामने अपना गुनाह कबूल करें । ( उन दिनों में गांधी जी की सत्याग्रह भावना से भरा हुआ था )। मैं उन लोगों से जो लूटपाट में शरीक थे, हाथ ऊंचा उठाने के लिए कहा और अचरज होता है कि पीसों पुलिस अफसरों के सामने कई दर्जन हाथ ऊपर उठ गये । इसके मानी थे यकीनन उन पर आफत आना ।

जब उनमें से बहुतेरे लोगों से मैंने एकान्त में बातचीत की और उन्होंने सीधे सादे ढंग से बताया कि किस तरह उन्हें गुमराह किया गया था तो मुझे उनकी हालत पर बड़ा दु:ख हुआ और इस बात पर अफसोस होने लगा कि मैंने नाहक ही इन सीधे भोले

---

१४- किसान रायट इन प्रतापगढ़ (फाइल) पुलिस विभाग, पृ० २८५,
आज २५-१२-२०, पृ० ७
१५- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यूनाइटेड प्राविन्स ( १९२१-२२१ पृ० ५ ।
१६- फैजाबाद के दंगे (आयुक्त का विवरण) पायनियर, ६-१०-२१, पृ० ६

लोगों को लम्बी लम्बी सजायें दिये जाने की हालत में ला दिया । लेकिन जिन लोगों को सजा भुगतनी पड़ी वे दो या तीन दर्जन से कम ही थे । सरकार के लिए इतना अच्छा मौका भला कहां खोने जैसा था ? उस जिले के किसान आन्दोलन को कुचलने के लिए इस अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाया गया । एक हज़ार से ऊपर गिरफ्तारियां हुईं और जिला जेल ठसाठस भर गया । कोई एक साल तक मुकदमे चलते रहे । कितने ही लोग तो मुकदमे के दौरान जेल में ही मर गये । दूसरे कितनों को लम्बी लम्बी सज़ायें दी गईं । मैं पिछले दिनों जब जेल में गया तो वहां उनमें से कुछ से मुलाकात हुई थी । क्या लड़के और क्या जवान सब अपनी जवानी जेल में काट रहे थे ।[१७]

१० फरवरी,१६२१ को फैजाबाद में गांधी जी का आगमन हुआ । गांधी जी ने एक विशाल जन सभा को सम्बोधित करते हुये किसानों के उपद्रव की चर्चा की और किसानों द्वारा किये गये हिंसात्मक कार्य पर खेद प्रकट किया । गांधी जी ने कहा कि ऐसे कार्य ईश्वर तथा मानव के प्रति पाप है । उन्होंने ज़मींदारों व किसानों में झगड़ा करवाने के समस्त प्रयत्नों की भर्त्सना की और किसानों को सलाह दी कि लड़ने के बजाय स्वयं कष्ट सहें क्योंकि हमें तो अपनी शक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली ज़मींदार(ब्रिटेन) से लड़ने के लिये संचित करनी है ।[१८]

सरकार ने किसान आन्दोलन की गंभीरता को अनुभव किया और किसान सम्बन्धी कानून पास करने में शीघ्रता की । इस आशय का एक अधिनियम संयुक्त प्रांतीय परिषद् में वित्त सदस्य सर लुडविक पोर्टर ने ४ अगस्त, १६२१ को प्रस्तुत किया जिसे वर्ष के अन्त तक कानून का रूप दे दिया गया ।[१६] इस अधिनियम को १६२१ का अवध मालगुज़ारी संशोधन अधिनियम कहा जाता है । इसके अंतर्गत अवध के किसानों को ज़मीन पर आजन्म अधिकार दे दिया गया । सरकार ने घोषणा की कि इस अधिनियम से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा ।[२०] किन्तु किसानों की स्थिति में इस अधिनियम

---

१७- जवाहर लाल नेहरू, "मेरी कहानी", पृ० ६८ ।
१८- लीडर, १२-२-२१, पृ० ३
१६- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यूनाइटेड प्राविन्सेज( १६२१-२२)पृ० १६
२०- वही , पृ० १५ ।

से कुछ भी सुधार नहीं हुआ ।[21] बेगार तथा नजरानों को रोकने के लिये इस अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं की गई । ताल्लुकेदारों को सरकार द्वारा विशेष सुविधायें दी जाती रहीं और किसानों के हितों की उपेक्षा की गई, इसलिए किसानों की कठिनाइयाँ पूर्ववत् ही रहीं ।

अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से किसानों को राहत न मिलने के कारण किसानों का असन्तोष समाप्त नहीं हुआ । इस क्षेत्र में किसान सभाओं का आयोजन प्रायः होता रहा और किसानों ने भविष्य में कांग्रेस द्वारा चलाये गये आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेकर सरकार तथा ताल्लुकेदारों के कुशासन के प्रति अपना विरोध प्रकट किया ।

## खिलाफत तथा असहयोग आन्दोलन

१९१९ में रौलेट बिल पास होने, पंजाब के अत्याचारों तथा जलियाँवाला बाग की दुखद घटना से देश में असन्तोष की भावना व्यापक रूप से व्याप्त हो गई । इसी समय खिलाफत आन्दोलन ने अंग्रेजों के विरुद्ध असन्तोष को और उग्र बना दिया । खिलाफत आन्दोलन का सम्बन्ध टर्की के सुल्तान से था जो मुसलमानों का धार्मिक प्रधान भी होता था । प्रथम विश्व युद्ध में टर्की इंग्लैंड के विरुद्ध था । भारत के मुसलमान अपने धर्म प्रधान के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करने में असमंजस की स्थिति में थे तो भारत के वाइसराय ने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया कि अरबिस्तान, मैसोपोटामिया तथा अदा के मुस्लिम तीर्थ स्थानों की स्वतन्त्रता की रक्षा की जावेगी । प्रथम विश्वयुद्ध जब टर्की की पराजय तथा मित्रराष्ट्रों की विजय के साथ समाप्त हुआ तो भारतीय मुसलमानों को शंका होने लगी । टर्की विरोधी तत्वों को प्रश्रय देकर टर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न करने के अंग्रेजों के प्रत्यक्ष प्रयत्नों से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों द्वारा टर्की के प्रति दुर्व्यवहार तथा मुस्लिम धार्मिक स्थानों की रक्षा हेतु दिये गये आश्वासनों के प्रति सन्देह

---

२१- जवाहर लाल नेहरू, "मेरी कहानी, पृ० ६८

करने लगे और इसी मनोवृत्ति ने खिलाफत आन्दोलन को जन्म दिया । गांधी जी हिन्दू और मुसलमानों में एकता स्थापित करके एक स्वर से सरकार का विरोध करना चाहते थे इसलिये उन्होंने खिलाफत आन्दोलन का समर्थन करने तथा मुसलमानों का पूरी तरह से साथ देने का निर्णय किया ।[२२] उन्होंने निश्चय किया कि १७ अक्टूबर,१९१९ को खिलाफत दिवस मनाया जाय ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस, आजमगढ़, जौनपुर जिलों में हड़तालें की गईं, व्यापार तथा यातायात तक बंद हो गया । बनारस, मिर्जापुर में सभाओं का आयोजन किया गया और ब्रिटिश सरकार की दमन नीति की कटु आलोचना की गयी ।[२३] २३ नवम्बर ,१९१९ को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगभग ५३ प्रतिनिधियों ने भाग लिया । अधिवेशन में गांधी जी को मुसलमानों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया गया तथा शांति उत्सवों, विदेशी वस्तुओं तथा संस्थाओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया ।[२४]

दिसम्बर १९१९ में अमृतसर में गांधी जी तथा कांग्रेसी नेताओं ने खिलाफत आन्दोलन के नेताओं से विचार विमर्श किया । २० फरवरी १९२० को कलकत्ता में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में आयोजित खिलाफत सम्मेलन ने असहयोग सम्मेलन पर एक प्रस्ताव पास किया और निर्णय किया कि खिलाफत प्रश्न को ब्रिटिश सरकार को समझाने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल लंदन भेजा जाय ।

२० फरवरी, १९२० को महात्मा गांधी वाराणसी आये । टाउन हाल के मैदान में एक विशाल जन सभा का आयोजन हुआ जिसमें मौलाना शौकत अली, मदन मोहन मालवीय, किशनलाल तथा मोतीलाल नेहरू ने भी भाग लिया । महात्मा गांधी ने खिलाफत के प्रश्न पर हिन्दू मुस्लिम एकता पर अपने विचार प्रकट करते हुये कहा कि दोनों जातियां अपने धर्म के आदेशों का पालन करते हुये भी एक दूसरे

---

२२- यंग इंडिया (१९१९-२२),पृ० १५२ ।
२३- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
२४- वही ।

के प्रति शुद्ध और सच्चा प्रेम भाव रख सकती है, उन्होंने हिन्दुओं से जोरदार अपील की कि वे खिलाफत आन्दोलन में मुसलमानों की मदद करें।[२५]

२१ फरवरी को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में छात्रों की एक सभा को सम्बोधित करते हुये गांधी जी ने कहा कि विद्यार्थियों के लिये राजनीति का ज्ञान लाभदायक है किन्तु उसमें सक्रिय भाग लेना उचित नहीं, उन्होंने मदन मोहन मालवीय का जीवन अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिये आदर्श बताया।[२६]

१० मार्च को गांधी जी ने अपनी एक घोषणा में असहयोग आन्दोलन छेड़ने की अपील की। १९ मार्च,१९२० को देश में "शोक दिवस" मनाने का निश्चय किया गया। १८ मार्च, १९२० को मौलवी महमूद अली व समीउल्ला ने गोरखपुर में, बद्री प्रसाद ने प्रतापगढ़ में, मुहम्मद फकीर ने आजमगढ़ में और युसुफ इमाम ने मिर्जापुर में जन सभाओं को सम्बोधित करते हुये ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना की और खिलाफत आन्दोलन का समर्थन करने की जनता से अपील की। १९ मार्च १९२० को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रायः हर जिले में हड़ताल रही और सभाओं का आयोजन किया गया। १९ मार्च को गोरखपुर में मुहम्मद फारुख की अध्यक्षता में विशाल जन सभा हुई जिसमें दशरथ नाथ द्विवेदी, शाकिर अली तथा अनवर अली ने खिलाफत आन्दोलन पर प्रकाश डाला।[२७]

२४-२५ अप्रैल,१९२० को शाहजहांपुर में खिलाफत सम्मेलन हुआ जिसमें कानपुर में हुये उलेमा सम्मेलन के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। २ मई,१९२० को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का एक खिलाफत सम्मेलन फैजाबाद में हुआ जिसमें अफगानिस्तान के अमीर को खिलाफत प्रश्न के प्रति सहानुभूति दिखाने तथा भारत के मुसलमानों को अपने देश में रहने की स्वीकृति देने हेतु धन्यवाद दिया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय मुसलमानों से प्रिंस आफ वेल्स के स्वागत का बहिष्कार करने तथा केन्द्रीय खिलाफत समिति से असहयोग को कार्यान्वित करने हेतु प्रस्ताव

---

२५- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।
२६- उत्तर प्रदेश में गांधी जी, राम नाथ सुमन,पृ० ६८
२७- प्रोसीडिंग्स आफ होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल पार्ट बी अप्रैल १९२०,पृ०११

पास किये गये ।[२८]

१५ मई, १६२० को सेवरे में टर्की शांति संधि की शर्तें प्रकाशित कर दी गई ये शर्तें बड़ी कड़ी थीं जिनसे मुसलमान क्षुब्ध हो उठे । १० अगस्त,१६२० को टर्की द्वारा उठाये गये आपत्तियाँ अस्वीकृत कर दिया गया और टर्की प्रतिनिधि मण्डल से संधि पत्र पर बलात् हस्ताक्षर करवाये गये । केन्द्रीय खिलाफत समिति की २८ मई को बम्बई में बैठक हुई, इसमें मुसलमानों की माँगों को उचित ठहराया गया और अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ करने के निर्णय की घोषणा की गयी । हिन्दुओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए एक बयान जारी किया गया जिसमें यह आश्वासन दिया गया कि भारत के मुसलमान भारत पर किसी भी मुसलमान देश के हमले का आखिरी दम तक मुकाबला करेंगे ।[२६]

२६ मई,१६२० को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक वाराणसी में हुई जिसमें असहयोग आन्दोलन पर विचार किया गया । ६ जून को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई,उसने असहयोग आन्दोलन को चार प्रकरणों में शुरू करने का निर्णय किया- प्रथम- उपाधियों का त्याग तथा सरकारी अवैतनिक पदों से त्याग पत्र देना, द्वितीय- पुलिस के अतिरिक्त अन्य सभी वैतनिक सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र देना, तृतीय - पुलिस तथा सैनिक सेवाओं से त्याग पत्र देना, चतुर्थ- कर देना बंद कर देना ।

१ अगस्त,१६२० को संयुक्त प्रांत में खिलाफत दिवस मनाया गया । गोरखपुर, मिर्जापुर तथा आजमगढ़ में खिलाफत आन्दोलन से सम्बन्धित पर्चे बाँटे गये जिसमें भारतीय मुसलमानों से इस्लाम के शत्रुओं का विरोध करने की अपील की गई । संयुक्त प्रांतीय खिलाफत समिति ने असहयोग आन्दोलन को सफल बनाने का दृढ़ निश्चय किया । असहयोग तथा खिलाफत आन्दोलन के प्रचार हेतु प्रत्येक जिलों में खिलाफत समितियों के गठन का निश्चय किया गया ।[३०]

---

२८- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
२६- हिस्ट्री आफ द नान क्वापरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट्स,पी०सी०बमफोर्ड,पृ०१५
३०- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

असहयोग आन्दोलन का प्रारम्भ १ अगस्त,१९२० को हुआ, संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने २२ अगस्त,१९२० को असहयोग सिद्धांत को अपनी स्वीकृति दे दी तथा एक कार्यक्रम निर्मित किया ।[३१] ४ सितम्बर, १९२० को कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की पुष्टि की गई ।गांधी जी के असहयोग का कार्यक्रम मनोवैज्ञानिक तथा राजनैतिक आधार पर अवलम्बित था । उपाधियों का त्याग निर्भयता का सूचक था तो सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार विदेशी सरकार को वैधानिक चुनौती थी । कालिजों का बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा को प्राथमिकता देने की एक सुपुष्ट योजना थी । असहयोग केवल राजनीतिक असंतोष का कारण नहीं था । वह राजनीतिक इसलिए था कि स्थूलत: भारत की पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ पर सूक्ष्मत: यह वह विचारधारा थी जिससे राष्ट्र के जागरण में सफलता मिले । असहयोग का बहिष्कार पक्ष इस मन्तव्य पर आधारित था कि जन सहयोग न मिलने पर सरकारी प्रशासन चलना असम्भव है । इसका उद्देश्य सरकार से जनता का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोग वापस लेना था । असहयोग दो उद्देश्यों से किया गया, प्रथम- सरकारी प्रशासन को निष्क्रिय बना देना, द्वितीय - ऐसे कार्य करना जिससे स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सहायता मिल सके । उद्देश्य प्राप्ति हेतु कांग्रेस ने अहिंसा को साधन बनाया जिसका आध्यात्मिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व है । रचनात्मक कार्यक्रमों में हिन्दू मुस्लिम एकता को महत्व दिया गया ।

१ अगस्त,१९२० को बरहज बाजार (गोरखपुर) में बाबा राघवदास.की अध्यक्षता में खिलाफत की एक विशाल सभा हुई जिसमें उन्होंने जनता से हिन्दू - मुस्लिम एकता बनाये रखते हुये गांधी जी के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की । २ अगस्त को बालगंगाधर तिलक की मृत्यु का समाचार पाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में शोक

---

३१- कार्यक्रम के रूप में समिति ने यह निश्चय किया कि उपाधियां त्याग दी जानी चाहिये, दीवानी तथा फौजदारी मामलों का निर्णय पंचों द्वारा होना चाहिये, राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिये । सरकारी सहायता तथा समारोहों का और प्रिंस आफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार करना चाहिये ।
(गुप्तचर विभाग के अभिलेख)

की लहर दौड़ गयी । सभाओं का आयोजन हुआ जिसमें महान राष्ट्रीय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी । गोरखपुर में बाजार बंद हो गये तथा स्वदेश प्रेस से शोक जुलूस निकाला गया जो बाद में शोक सभा में परिणित हो गया ।[३२]

तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर हरकोर्ट बटलर ने आन्दोलन के प्रारम्भ में ही दमन नीति के प्रयोग का निश्चय कर लिया, उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिये कि असहयोग आन्दोलन से जनता में सरकार के विरुद्ध फैलती भावनाओं को रोकने के लिए सरकार के समर्थकों की संख्या में वृद्धि करने हेतु हर सम्भव प्रयत्न करें । मुसलमानों को आन्दोलन से अलग रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाय । आन्दोलन कार्यों को रोकने तथा आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए अनेक नये कानून बनाये गये तथा जिला अधिकारियों को विशेषाधिकार दिये गये । सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार अनायास किसी को परेशान नहीं करेगी किन्तु कानून का उल्लंघन करने वालों को छोड़ा नहीं जायेगा ।[३३]

४ सितम्बर, १९२० को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । इस प्रस्ताव में खिलाफत के प्रश्न और पंजाब में हुये अत्याचारों को असहयोग की नीति अपनाने का प्रमुख कारण बताया गया और घोषणा की गई "इस कांग्रेस का मत है कि उपयुक्त खिलाफत और पंजाब के अत्याचारों के समाधान के बिना भारत को संतोष नहीं हो सकता और राष्ट्रीय सम्मान की सुरक्षा तथा भविष्य में इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का एक मात्र प्रभावशाली उपाय है- स्वराज्य की स्थापना । इसके साथ साथ कांग्रेस का यह भी मत है कि भारत की जनता के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित प्रगतिशील अहिंसामय असहयोग की नीति स्वीकार करने और अपनाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है जब तक कि अत्याचारों का समाधान और स्वराज्य की स्थापना नहीं हो जाती ।[३४]

---

३२- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (गोरखपुर) सूचना विभाग उ०प्र०,पृ० ७

३३- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

३४- डी०जी० तेंदुलकर "महात्मा", खण्ड २, पृ० १६ ।

२५-२७ नवम्बर,१९२० तक गांधी जी वाराणसी में मालवीय जी के साथ रहे । २६ नवम्बर,१९२० को विश्वविद्यालय के प्रांगण में विद्यार्थियों की एक सभा में उन्होंने कहा कि लोगों की यह धारणा कि मैं विद्यार्थियों को बहकाता हूं सर्वथा गलत है । आगे उन्होंने कहा "बिहार में लोगों को दोनों पहर भोजन नहीं मिलता, अधिकांश लोग सत्तू खाते हैं । जब भुनी हुई मक्का का गेहूं आटा, पानी और लाल मिर्चों के साथ गले के नीचे उतारते हुये मैंने लोगों को देखा तो मेरी आंखों से आग बरसने लगी....। यदि हमें आजादी से खाने को न मिले तो हममें भूखों मरकर आजाद होने की ताकत आनी चाहिये ....। मैं कहता हूं यह हुकूमत राक्षसी है इसलिये उसका त्याग करना हमारा धर्म है ....शांतिपूर्ण असहयोग करने की ताकत आपमें न आयी तो भारत नष्ट हो जायेगा ।

.....आज आप ऐसी शिक्षा पा रहे हैं जिससे बेड़ियां और अधिक मजबूत हो जायं ....देश में जहां किसानों को पूरा खाना नहीं मिलता, वहां स्त्रियां बदलने के दूसरे कपड़े न होने के कारण कई दिनों तक स्नान नहीं कर पातीं,वहीं आप लोगों को लिखने पढ़ने के लिए बड़े बड़े महल चाहिये ? .... देश के लिये अगर दर्द हो और मेरे अन्दर जो आग जल रही है वही आपके भीतर भी जल रही हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसा असहयोग कीजिये । यदि आप ऐसा करेंगे तो जो प्रतिज्ञा मैंने अन्यत्र की है इस पवित्र स्थान पर उसे दोहराता हूं कि हमें एक वर्ष में स्वराज्य मिल जायेगा ।"[३५] वाराणसी में गांधी जी की इस मर्मस्पर्शी अपील से अनेक छात्रों ने शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया इनमें लाल बहादुर शास्त्री,त्रिभुवन-नारायण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, अलगूराय शास्त्री तथा विभूति नारायण शर्मा प्रमुख हैं । आचार्य कृपलानी ने भी अध्यापन कार्य त्याग दिया ।

२६ नवम्बर,१९२० को ही एक दूसरी सभा वाराणसी के टाउन हाल में डा० भगवान दास की अध्यक्षता में हुई जिसमें महात्मा गांधी के अतिरिक्त मोतीलाल नेहरू, जवाहर लाल नेहरू,अबुल कलाम आज़ाद तथा चितरंजन दास ने भी भाग लिया । गांधी जी ने सभा को सम्बोधित करते हुये असहयोग कार्यक्रम पर बल दिया तथा सरकार के अत्याचारों की कटु आलोचना की ।

---

३५- रामनाथ सुमन "उ०प्र० में गांधी जी", पृ०७९-८०

२८ नवम्बर,१६२० को रघुपति सहाय "फिराक" ने डिप्टी कलैक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आन्दोलन में भाग लेने की घोषणा की । इस प्रकार की अनेक घटनायें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी हुई । गाजीपुर के दो वकील कमर अहमद तथा काजी महमूद ने वकालतें छोड़ दीं और अपनी सेवायें कांग्रेस को अर्पित कीं ।[३६] गोरखपुर में ७५ लड़कों ने मिशन हाई स्कूल का बहिष्कार किया । ५ दिसम्बर, १६२० को गोरखपुर में हुई सभा में रघुपति सहाय "फिराक" ने गोरखपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना पर बल दिया और विश्वास प्रकट किया कि गांधी जी के गोरखपुर आगमन तक उसकी स्थापना हो जायेगी ।

१२ दिसम्बर,१६२० को खिलाफत प्रतिनिधि मंडल के सदस्य मौलाना सैयद सुलेमान नदवी गोरखपुर आये । एक विशाल जन सभा को सम्बोधित करते हुये उन्होंने मुसलमानों से गांधी जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग देने की अपील की ।[३७]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में असहयोग आन्दोलन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार के समर्थकों ने "शान्ति सभा" तथा "अमन सभा" का आयोजन करने का निर्णय किया । प्रान्तीय सरकार द्वारा ऐसे संगठनों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया । अमन तथा शान्ति सभाओं में सरकार के समर्थक सरकार की नीतियों में आस्था प्रकट करते और असहयोग विरोधी प्रस्ताव पास करते । इन सभाओं में सरकारी अधिकारी प्राय: उपस्थित रहते । जनवरी १६२१ में गाजीपुर जिले में अनेक स्थानों पर शान्ति सभाओं का आयोजन किया गया जिनमें वक्ताओं ने गांधी जी के कार्यक्रम की कटु आलोचना की ।[३८]

फरवरी १६२१ में असहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में गांधी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा किया । ८ फरवरी, १६२१ को गांधी जी

---

३६- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

३७- वही ।

३८- दि पायनियर, ५ जनवरी, १६२१, पृ० ११

विद्यालय का बहिष्कार तथा चर्खे के प्रयोग पर बल दिया। ११ फरवरी को उन्होंने फैजाबाद के फतेहगंज मुहल्ले में एक राष्ट्रीय विद्यालय का "तिलक स्कूल" के नाम से उद्घाटन किया।[५०]

१९२१ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में असहयोग आन्दोलन का व्यापक प्रचार हो गया था। बहिष्कार के अन्तर्गत फैजाबाद में देवीदीन, रामसहाय तथा अनेक लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालय में अध्यापन करना स्वीकार किया। पं० शम्भुनाथ ने अपनी वकालत छोड़ दी। फैजाबाद के ही अनेक विद्यार्थियों ने स्कूलों का बहिष्कार किया। गवर्नमेंट स्कूल फैजाबाद के एक अध्यापक ने त्याग पत्र दे दिया। बस्ती जिले में सरकारी शिक्षण संस्थाओं का व्यापक पैमाने पर बहिष्कार किया गया। शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार के कारण वाराणसी की शिक्षण संस्थायें कुछ दिनों के लिए बन्द कर दी गई।[५१] कुछ उदारवादी नेताओं द्वारा शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार की निन्दा की गयी। उनके विचार से इससे छात्रों में अशांति का प्रादुर्भाव होगा किन्तु गांधी जी ने इसका उत्तर यह दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा दी जा रही शिक्षा भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है इसलिए विद्यार्थियों को उनका बहिष्कार करके राष्ट्रीय विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।[५२]

वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा देने हेतु स्थापित काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। विद्यापीठ के विद्यार्थियों के दल गांवों में जाकर ग्रामवासियों से ताड़ के पेड़ काटने तथा विलायती कपड़ों के बहिष्कार के लिए कहते। ग्रामीणों को इन विद्यार्थियों ने गांधी जी के अहिंसात्मक आन्दोलन के महत्व से अवगत कराया और घर घर जाकर चर्खे का प्रचार किया। हिन्दू-विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी मालवीय जी की इच्छा के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन में भाग लिया।[५३]

---

५०- दि लीडर, १३ फरवरी, १९२१, पृ० ३।
५१- प्रोसीडिंग्स आफ दि लेजिस्लेटिव कौंसिल आफ यू०पी० (२९मार्च, १९२१ पृ०४४८)
५२- माडर्न रिव्यू फरवरी, १९२१, पृ० २२४।
५३- 'आज', २ नवम्बर, १९२०, पृ० ६

संयुक्त प्रांत में सरकार ने १५ मार्च, १९२१ को अपनी एक विज्ञप्ति में प्रांत में व्याप्त अव्यवस्था का एक मात्र कारण असहयोग आन्दोलन बताया और अपनी पूर्व नियोजित दमन नीति को कार्यान्वित करना प्रारम्भ किया ।[५४] तत्कालीन गवर्नर हरकोर्ट बटलर ने असहयोग को राजद्रोह की संज्ञा दी । सरकार की दमन नीति की कठोरता से अवगत होने पर उदारवादियों ने भी सरकार की आलोचना की ।

मादक द्रव्यों के विक्रय स्थानों पर भी असहयोगियों द्वारा धरना दी जाने लगी । मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों से असहयोगी उनका सेवन बन्द करने की प्रार्थना करते । बनारस तथा आजमगढ़ में शराब की दुकानों पर सफलता पूर्वक धरना दिया गया । संयुक्त प्रांतीय सरकार को मादक द्रव्यों से होने वाली आय को असहयोग आन्दोलन से क्षति पहुंची ।[५५]

६ अप्रैल, १९२१ को संयुक्त प्रांत में सत्याग्रह दिवस सफलता पूर्वक मनाया गया । पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्राय: सभी जिलों में हड़ताल की गई तथा जनसभाओं का आयोजन हुआ ।[५६] १३ अप्रैल, १९२१ को जलियांवाला बाग की स्मृति में गोरखपुर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों व्यक्ति भी शामिल हुये । बाबा राघवदास को जुलूस का नेतृत्व करने के अपराध में एक वर्ष की कठिन कारावास की सजा दी गई । गोरखपुर में १३ अप्रैल, १९२१ को शम्भूलाल पटवारी को असहयोग का प्रचार करने के कारण ६ माह की सजा दी गई । बस्ती जिले में तो मुस्लिम नेताओं के आगमन मात्र से धारा १४४ लगा दी जाती । मौलाना सुभान अल्लाह बस्ती में जब खिलाफत आन्दोलन का प्रचार करने के लिये गये तो धारा १४४ लगा दी गई और उन्हें जन सभा सम्बोधित करने की आज्ञा नहीं दी गई । ऐसा ही व्यवहार २ मई, १९२१ को पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ भी किया गया जब वे गोरखपुर में त्रिमनगंज कैम्प के निवासियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार की जांच करने गये थे ।

---

५४- इंडियन एनुअल रजिस्टर (१९२१-२२), पृ० २१ ।
५५- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० (१९२१-२२), पृ० १७
५६- इंडियन एनुअल रजिस्टर (१९२१-२२) भाग-१, पृ० २२ ।

संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी जिला इकाइयों को विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करने का निर्देश दिया। अगस्त १९२१ में अनेक मुसलमान नेताओं ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मिर्जापुर, गाजीपुर तथा सुल्तानपुर का दौरा किया, अपने भाषणों में उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर बल दिया। वाराणसी में विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना दिया गया जिससे विदेशी वस्त्रों का विक्रय बन्द हो गया। बलिया के वस्त्र विक्रेताओं ने शपथ ली कि वे विदेशी वस्त्रों का विक्रय नहीं करेंगे।[५७] वाणिज्य सूचना विभाग द्वारा १९२१-२२ में प्रकाशित भारतीय व्यापार के सर्वेक्षण के विवरण में संयुक्त प्रांत में विदेशी वस्त्रों की खपत अत्यधिक कम होने का कारण असहयोग आन्दोलन बताया गया।[५८]

सितम्बर, १९२१ में जवाहर लाल नेहरू ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों का दौरा किया और आन्दोलनकारियों को प्रोत्साहित किया। १६ सितम्बर १९२१ को वे बलिया गये, उन्होंने जनसभाओं में भाषण दिया और जनता से विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार तथा चर्खे के प्रयोग की अपील की।[५९] १७ सितम्बर, १९२१ को वे देवरिया गये, वैसे ही वे रामपुर (कारखाना) गये, वहां धारा १४४ लगा दी गई, इसलिये नेहरू जी ने गोरखपुर के लिये प्रस्थान किया और मार्ग में उन्होंने जिकारपुर में एक जनसभा को सम्बोधित किया। उनके भाषण के दौरान ही पुलिस धारा १४४ की नोटिस लेकर पहुंच गयी। सभा के अंत में नेहरू जी को १७००) रु० भेंट किये गये तथा विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। गोरखपुर में सुभान अल्लाह की अध्यक्षता में हुई विशाल जनसभा को नेहरू जी ने सम्बोधित करते हुये सरकार की

---

५७- दि लीडर, १२ अगस्त, १९२१, पृ०५

५८- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।

५९- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक (देवरिया) सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ८

अनुचित दमन नीति की कटु आलोचना की । जवाहरलाल नेहरू को १६ दिसम्बर को रावत की भीटी (गोरखपुर) में जनसभा को सम्बोधित करना था किन्तु वहां पहुंचते ही धारा १४४ लगा दी गई, इसलिये वे वहां से तीन मील पैदल चल कर बस्ती जिले के मगहर स्थान पर गये, जहां गोरखपुर में लगायी गयी धारा १४४ का महत्व नहीं रह जाता था । मगहर में उन्होंने रघुपति सहाय "फिराक" की अध्यक्षता में हुई विशाल जनसभा को सम्बोधित किया । यहां विदेशी वस्त्रों की होली जलायी गयी तथा नेहरू जी के निर्देशन जिला कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष रघुपति सहाय "फिराक" बनाये गये । बस्ती जिले के बाद नेहरू जी फैजाबाद गये ।

असहयोग आन्दोलन के साथ खिलाफत आन्दोलन भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सफलता से चल रहा था । प्रांतीय खिलाफत कमेटी ने जिला खिलाफत समितियों को चंदा इकट्ठा करने, व्यापक पैमाने पर खिलाफत समितियों के गठन तथा खिलाफत कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये । ३ अक्टूबर, १६२१ को फैजाबाद में टांडा में खिलाफत सम्मेलन हुआ । खिलाफत आन्दोलनकारियों ने प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तथा जौनपुर में अनेक भाषण दिये और सरकार की कटु आलोचना की ।[५०] मुस्तफा कमाल की विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी । अंगोरा कोष के लिए धन एकत्र किया जाने लगा । आजमगढ़ और बनारस में अंगोरा फंड के लिए बहुत धन दिया ।

सरकार के प्रयत्नों से असहयोग आन्दोलन के विरोध में गठित देवरिया में किसान पीस कमेटी, गाजीपुर में क्रान्ति विरोधी संगठन, बलिया में शान्ति सभा तथा बस्ती में अमन सभा सक्रिय हो गयीं । २३ अक्टूबर को गोरखपुर के कमिश्नर की अध्यक्षता में बस्ती में अमन सभा की सभा हुई ।[५१] आजमगढ़ में जिलाधीश की अध्यक्षता में कई स्थानों पर अमन सभाओं का आयोजन हुआ जिसमें ताल्लुकेदारों, रईसों तथा सरकार के समर्थकों ने भाग लिया । १२ दिसम्बर को बलिया में सिकन्दरपुर

---

५०- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

५१- दि पायनियर २६ अक्टूबर,१६२२, पृ०८

में जे०सी०चैठी, विद्यापीठ की अध्यक्षता में शांति सभा का आयोजन किया गया।[52] गाजीपुर में भी नसरतपुर, जामीपुर, बीरपुर तथा नैगवार में क्रांति विरोधी संगठन की सभायें की गईं। असहयोग विरोधी संगठनों की सभाओं को विशेष सफलता नहीं मिली क्योंकि इसमें केवल ऐसे वर्ग ने भाग लिया जिसे सरकार से प्रत्यक्ष हित की संभावना थी।

भारत सरकार द्वारा यह घोषणा की गई कि प्रिंस आफ वेल्स, १९२१ के शीतकाल में भारत का भ्रमण करेंगे, सरकार का अनुमान था कि युवराज के आगमन से लोगों में राजभक्ति की भावना उत्पन्न होगी, जिसका प्रभाव देश में चल रहे आन्दोलन के प्रतिकूल होगा किन्तु ऐसा नहीं हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी बम्बई की बैठक में प्रिंस आफ वेल्स के बहिष्कार का निश्चय किया, संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी आगरा की बैठक में उसका अनुपालन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश से सारे देश में प्रिंस आफ वेल्स के भारत आगमन के दिन हड़ताल की गई।[53] बहिष्कार को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने स्वयंसेवक संघों की स्थापना की किन्तु संयुक्त प्रांतीय सरकार ने इन संघों को २२ नवम्बर, १९२१ को अवैध घोषित कर दिया।[54]

पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में १३ दिसम्बर, १९२१ को प्रिंस आफ वेल्स का आना निश्चित हुआ। प्रिंस आफ वेल्स के बहिष्कार हेतु १३ दिसम्बर को हड़ताल का आह्वान किया गया। आह्वान हेतु छपे पर्चे की सूचना विद्यापीठ को मिल जाने से पर्चे जब्त कर लिये गये किन्तु पुन: पर्चे छापे गये जिन्हें आचार्य कृपलानी तथा उनके गांधी आश्रम के सहयोगियों ने जनता में वितरित किये।[55] प्रिंस आफ वेल्स के आगमन के दिन वाराणसी में पूर्ण हड़ताल रही।[56] प्रिंस आफ वेल्स वापस जाओ के नारे

---

५२- दि लीडर, १८ दिसम्बर, १९२१।
५३- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।
५४- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० (१९२१-२२), पृ०५
५५- सम्पूर्णानन्द, कुछ स्मृतियां कुछ स्फुट विचार, पृ०४१
५६- दि लीडर, १६ दिसम्बर, १९२१, पृ०५

लगाये गये ।[57] काले झंडे दिखाने के अपराध में लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति-त्रिपाठी तथा त्रिभुवन नारायण सिंह सहित अनेक सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये । उत्तम चन्द्र गिडवानी, डा० भगवानदास, आचार्य कृपलानी तथा शिवनायक मिश्र को भी गिरफ्तार किया गया । वाराणसी के मजदूरों व छोटे दुकानदारों ने भी प्रदर्शन में भाग लिया । वाराणसी के प्रसिद्ध नेता मदन मोहन मालवीय ने प्रिंस आफ वेल्स के बहिष्कार का समर्थन नहीं किया, बल्कि १३ दिसम्बर, १९२१ को ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विशेष समावर्तन समारोह में प्रिंस आफ-वेल्स को डी० लिट्० की मान उपाधि प्रदान की ।[58]

दिसम्बर १९२१ तक असहयोग आन्दोलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में चरमसीमा पर पहुंच गया । १५ दिसम्बर, १९२१ को मिर्जापुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा० यू०एन० बनर्जी तथा अन्य सात व्यक्ति असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के अपराध में गिरफ्तार कर लिये गये । सुल्तानपुर के जिलाधीश ने जिला राजनीतिक सम्मेलन करने की स्वीकृति नहीं दी । शान्तीदास साधु तथा गैयास मुहम्मद को कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये बन्दी बना लिया गया । प्रतापगढ़ में मौलाना मसी अकरम शेरवानी तथा महेश शर्मा को १३ दिसम्बर को बन्दी बना लिया गया । गाजीपुर में गहमर, जमनिया, फतेहपुर बाजार में स्वामी सहजानन्द ने असहयोग के समर्थन में विशाल सभाओं को सम्बोधित किया । बलिया में रसरा, छपरा, सहतवार स्थानों पर जगन्नाथ सिंह और चन्द्रदेव सिंह ने जनसभाओं में भाषण दिया और जनता से स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने तथा कौरा कोष में धन देने की अपील की ।[59]

वाराणसी में २४ दिसम्बर को खिलाफत और कांग्रेस कमेटियों के कार्यालयों की तलाशी पुलिस द्वारा ली गई तथा जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री सम्पूर्णानन्द को अन्य ७८ स्वयंसेवकों के सहित गिरफ्तार कर लिया गया ।[60]

---

५७- टी०एन० सिंह (बनारस का वातावरण), (लेख) १९२१ के असहयोग आन्दोलन की झांकियां (प्रकाशन विभाग, भारत सरकार), पृ०१५० ।
५८- सीताराम चतुर्वेदी, पं० मदन मोहन मालवीय, पृ०६२
५९- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
६०- दि लीडर, २६ दिसम्बर, १९२१, पृ० ७ ।

वाराणसी में क्रिसमस के दिन ८० स्वयंसेवकों को आन्दोलन में भाग लेने के कारण बन्दी बना लिया गया । २८ दिसम्बर को कांग्रेस स्वयंसेवकों का जुलूस निकाला गया और काबुल के अब्दुल करीम खान सहित ६० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । चौक (वाराणसी) में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कांग्रेस के झंडे व पोस्टर जलाये गये । अपराधियों की सम्पत्ति को जुर्माने के बदले में ज़ब्त लिया गया ।[६१] बलिया में भी कांग्रेस कार्यालयों की तलाशी ली गई और उसका सामान पुलिस ने अपने अधिकार में ले लिया । स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बहुत कम रही । बस्ती जिले के कलवारी, डुमरियागंज, बिलिया तथा कैप्टनगंज में विशाल सभाओं का आयोजन किया गया जिसमें वक्ताओं ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की जनता से अपील की ।[६२]

१९२२ के प्रारम्भ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में असहयोग आन्दोलन की गति और तीव्र हो गयी । मिर्जापुर में भरूहया, चुनार, दुद्धी, कंतित में पुरुषोत्तम लाल तथा फारूक अहमद ने अनेक जन सभाओं में भाषण दे कर जनता से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की । १५ जनवरी को शाटा तथा बड़हलगंज (गोरखपुर) में श्रीमती शान्ती देवी ने जन सभाओं को सम्बोधित करते हुये पुलिस की दमन नीति की कटु आलोचना की और सरकारी कर्मचारियों से अत्याचारी सरकार की सेवा से त्याग पत्र देने की अपील की ।[६३] बस्ती जिले में पक्का बाजार, बरहया, डोमरियागंज, बांसी, लपौली तथा खलीलाबाद में विशाल जन सभाओं को भगवती प्रसाद, रामभवन, मौलवि अली हैदराबाद भारती, गौरीशंकर मिश्र ने सम्बोधित किया और जनता से मादक द्रव्यों की दुकानों पर धरना देने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की ।[६४] प्रतापगढ़ में १८ जनवरी, १९२२ को गडवारा, दलीपपुर, अमताली, ढकुआडीह, बिंसगढ़ तथा नवाबगंज की सभाओं का आयोजन अत्यन्त सफल रहा ।[६५]

---

६१- दि लीडर, ३० दिसम्बर, १९२१, पृ०७ ।
६२- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
६३- वही ।
६४- वही ।
६५- वही ।

२२ जनवरी,१९२२ को मानिकपुर (प्रतापगढ़) में एक जन सभा में देवदास गांधी ने जनता से हिन्दू मुस्लिम एकता बनाये रखने और अंगोरा कोष में धन देने की अपील की ।[६६]

संयुक्त प्रांत की विधान परिषद् में २४ जनवरी,१९२२ को सर लुडविक पोर्टर ने संयुक्त प्रांत में अपराधी कानून संशोधन अधिनियम की अवधि बढ़ाने के पक्ष में वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने संयुक्त प्रांत में असहयोग आन्दोलन की सक्रियता की चर्चा करते हुये पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया तथा फर्रुखाबाद जिलों का भी उल्लेख किया।[६७]

सरकार की कठोर दमन नीति के बाद भी असहयोग आन्दोलन की तीव्र गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । प्रतापगढ़ जिले में स्वयंसेवकों के जुलूस निकाले गये तथा शराब की दुकानों पर शान्तिपूर्ण धरना देना जारी रहा । २७ जनवरी को देवदास गांधी बलिया गये । स्टेशन पर ही उन्होंने स्वयंसेवकों को सम्बोधित करते हुये । स्वयंसेवकों की संख्या में वृद्धि करने तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रचार करने का आग्रह किया । देवदास गांधी ने जौनपुर में जनता से अदालतों तथा सरकारी विद्यालयों के बहिष्कार की अपील की ।[६८] २८-२९ जनवरी,१९२२ को अलीबन्धुओं की माता ने आजमगढ़ में मुहम्मदाबाद,कोपागंज तथा मऊ में विशाल सभाओं को सम्बोधित किया और जनता से हिन्दू मुस्लिम एकता बनाये रखने तथा अंगोरा कोष में धन देने की अपील की ।[६९]

अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के बाद गांधी जी ने बारदोली में पूर्ण असहयोग आंदोलन प्रारम्भ करने की तैयारी कर ली । इस आशय की सूचना उन्होंने वाइसराय को भेज दी किन्तु दुर्भाग्यवश ४ फरवरी,१९२२ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर भीषण दुर्घटना हो गयी[७०] जिसके कारण आन्दोलन को स्थगित कर देना पड़ा ।

---

६६- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
६७- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०, पृ० ७, जनरल समरी(१९२१-२२)।
६८- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
६९- वही ।
७०- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०,पृ० ८,जनरल समरी( १९२१-२२)

## चौरी चौरा काण्ड

गोरखपुर में कांग्रेस ने दो प्रमुख बाजारों सहजनवा और चौरी चौरा में विदेशी वस्त्रों तथा मादक द्रव्यों की दुकानों पर धरना देने का कार्यक्रम व्यापक पैमाने पर प्रारम्भ किया । दो माह तक सत्याग्रहियों ने दुकानों पर सफलता पूर्वक धरना दिया किन्तु बाद में पुलिस ने सत्याग्रहियों के साथ कठोर नीति अपनायी और उन्हें यातनायें दीं । चौरी चौरा के सत्याग्रह संचालक हरिहर प्रसाद पाण्डेय ने सत्याग्रह आन्दोलन के प्रान्तीय संचालक मोती लाल नेहरू को एक स्वयंसेवक द्वारा पत्र भेज कर स्थिति से अवगत कराया । मोती लाल नेहरू ने आदेश दिया कि बड़े बड़े जत्थों के स्थान पर छोटे छोटे जत्थे भेजे जायें तथा एक जत्था पिट जाने पर ही दूसरा जत्था भेजा जाय ।

चौरी चौरा में शनिवार को बाजार लगता था, दो शनिवारों तक छोटे छोटेजत्थे भेजे गये । ब्रह्मपुर के बलदेव प्रसाद द्विवेदी की सहायता से ब्रह्मपुर में सत्याग्रह कार्यालय खोला गया । ४ फरवरी,१९२२ को तीसरा शनिवार था । ब्रह्मपुर के कांग्रेस कार्यालय से कांग्रेस स्वयंसेवकों के कई जत्थे चौरी चौरा की ओर रवाना हुये, चौरी चौरा थाने के सामने पहले जत्थे के पहुंचते ही सिपाही,आर्म्ड गार्ड, घुड़सवार, चौकीदार उनके ऊपर टूट पड़े । लेकिन अत्याचारों के बीच भी पहला जत्था बढ़ता गया । तब तक बीच वाला जत्था भी पुलिस के सामने आ गया था जिस पर वह और तेजी से टूटे । मार इतनी तेज थी कि स्वयंसेवक खतरे की सीटी बजाने के लिए बाध्य हुये जिसे सुनकर आगे और पीछे के स्वयंसेवक दौड़कर वहां पहुंचे । इसी बीच पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कीं और गोलियों की आवाज और घायलों की कराह ने मिलजुल कर एक भयावह वातावरण की सृष्टि कर दी । गोलियां समाप्त होने पर पुलिस थाने में जाकर दरवाजा बन्द करके छिप गयी ।[७२]

---

७२- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (गोरखपुर),सूचना विभाग,उत्तर प्रदेश,पृ०१२

पुलिस के अचानक आक्रमण तथा घायलों की कराह से उपस्थित मार्मिक वातावरण से स्वयंसेवकों की सहन शक्ति का संतुलन समाप्त हो गया । किसी ने थाने में मिट्टी का तेल डाल कर आग लगा दी । २३ पुलिस वालों की जान गयी ।[७२] गांधी जी ने असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया ।

इस घटना के बाद पुलिस का दमन चक्र प्रारम्भ हुआ । पुलिस ने लोगों को लूटा देवगांव तथा उमांव ग्राम पुलिस- अत्याचार के विशेष शिकार हुये । चौरी चौरा क्षेत्र में पुलिस का आतन्क व्याप्त हो गया ।[७३] बाबा राघवदास ने कहा कि दुखद कांड अवश्य हुआ है किन्तु स्वतन्त्रता की भावना से अभिभूत जनता की सरकार की क्रूर नीति के विरुद्ध यह एक प्रतिक्रिया थी । इसके प्रतिशोध में सरकार निर्दोष जनता पर जो अमानवीय अत्याचार कर रही है वह सर्वथा अनुचित है ।[७४] चौरी चौरा कांड के अन्तर्गत २३२ व्यक्तियों के चालान हुये जिनमें से २२८ व्यक्ति सेशन के सुपुर्द किये गये । सेशन ने २२५ व्यक्तियों का निर्णय किया जिनमें से १७२ लोगों को फांसी की सजा दी गयी ।[७५] मुकदमे के दौरान ५ व्यक्तियों की जेल में मृत्यु हो गयी ।[७६]

बाबा राघवदास अभियुक्तों के परिवारों से मिले और उन्हें छुड़ाने के प्रयत्न में लग गये । सेशन के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गयी । बाबा राघवदास इलाहाबाद गये, कार्य की अधिकतावश मोतीलाल नेहरू तत्काल समय न दे सके किन्तु बाबा जी के निवेदन पर मदन मोहन मालवीय वकालत के लिए तैयार हो गये । ३० अप्रैल, १९२३ को उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ३८ व्यक्तियों को मुक्त

---

७२- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० (१९२१-२२), जनरल समरी, पृ० ७ ।
७३- यंग इंडिया ९ मार्च, १९२२, पृ० २८ ।
७४- बाबा राघवदास स्मृति ग्रंथ (सं० संजय कुमार, १९६३ ), पृ० २३२ ।
७५- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
७६- वही, (चौरी चौरा कांड के मुकदमे में जेल में दिवंगत लोगों के नाम), लक्ष्मी नारायण, रघुवीर, पुरन्दर, सहदेव, पांचू ।

[७७]
कर दिया । १९ व्यक्तियों को फांसी की तथा १४ व्यक्तियों को काले पानी की सजा, ३ व्यक्तियों को दो-दो वर्ष की सजा तथा शेष ९८ व्यक्तियों को ८,५,३ वर्षों की सजा दी गयी । १ जुलाई,१९२३ को वाइसराय ने चौरी चौरा कांड के अन्तर्गत फांसी पाये हुये १९ व्यक्तियों की दया की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। २ जुलाई, १९२३ को इन व्यक्तियों को फांसी दे दी गयी ।[७८]

चौरी चौरा कांड के घटना क्रम के सम्बन्ध में अनेक मत हैं । चौरी चौरा कांड में आजीवन कारावास का दण्ड पाने वाले द्वारिका प्रसाद पाण्डेय जिन्होंने चौरी चौरा में सत्याग्रह आन्दोलन का नेतृत्व भी किया था,का मत है कि संघर्ष का प्रारम्भ पुलिस ने किया, स्वयंसेवकों पर की गयी पुलिस की गोली वर्षा से २६ स्वयंसेवक मारे गये और सैकड़ों घायल हुये । पुलिस ने २३ स्वयंसेवकों की लाशें गायब कर दीं और मुकदमे के दौरान केवल ३ स्वयंसेवकों की मृत्यु को स्वीकार किया ।[७९] सरकारी विवरण तथा अन्य किसी सूत्र से द्वारिका प्रसाद पाण्डेय के मत की पुष्टि नहीं होती इसलिए इसे पूर्णतया सत्य नहीं कहा जा सकता ।

दूसरा मत चौरी चौरा काण्ड में एक मात्र बचे सिपाही सादिक अहमद का है जो थाने पर स्वयंसेवकों के आक्रमण के समय अपनी वर्दी उतार कर भाग गये थे । उनके अनुसार मुंडेरा बाजार में मादक द्रव्यों की दुकानों पर धरना सफलता पूर्वक दिया गया । थाना अध्यक्ष श्यामकर्ता तथा अन्य सिपाहियों के साथ वहां गये और एक स्वयंसेवक (भूतपूर्व सैनिक) को पीटा । ३ फरवरी को बाजार में अफवाह फैली कि ५ फरवरी को विशाल जन समूह यह विचार करेगा कि थानाध्यक्ष ने स्वयंसेवक को क्यों मारा ? थाना अध्यक्ष को इसकी सूचना मिलने पर उन्होंने

---

७७- चौरी चौरा कांड में फांसी पाये व्यक्तियों के नाम- सर्वश्री अब्दुल्ला, भगवान,विक्रम, दुध्ई, काली चरन, लाल मुहम्मद, लौटू, महादेव, लाल-बिहारी,नजरअली, रघुवीर,रामलगन, रूप, रुदरी,सहदेव, रामपति वाल्द विक्रम चमार,रामपति वाल्द मोहर अहीर,श्यामसुन्दर,सीताराम, इन्द्रजीत ।(गुप्तचर विभाग के अभिलेख)।

७८- वही ।

७९- उत्तर प्रदेश (मासिक पत्रिका),सूचना विभाग,उ०प्र० अक्टूबर,१९७२,पृ०२५।

मुख्यालय से सहायता मंगवाई जो ४ फरवरी को आ गयी । ५ फरवरी को चौकीदार हरपाल ने सूचना दी कि डुमरी गांव में स्वयंसेवक भारी मात्रा में एकत्र हो कर थाने की ओर आ रहे हैं । थाना अध्यक्ष ने चौकीदार को भेज कर सरदार हरचरन सिंह से सहायता मांगी । १ बजे दोपहर तक स्वयंसेवक झंडे सहित थाने तक आ गये और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाने लगे । थाना अध्यक्ष ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे कोई ऐसा काम न करें जिससे स्वयंसेवक उत्तेजित हों । भीड़ थाने के सामने आकर रुक गयी, जब थाना अध्यक्ष ने उन्हें हटने को कहा तो वे महात्मा गांधी की जय के नारे लगाने लगे । थाना अध्यक्ष ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे ५ मिनट में वहां से नहीं हट जाते तो वे गोली चलाने का आदेश देंगे,भीड़ फिर भी नहीं हटी तो थाना अध्यक्ष ने हवायी फायर का आदेश दिया किन्तु इससे कोई घायल नहीं हुआ । हवाई फायर करने पर भीड़ ने सिपाहियों पर कंकड़ फेंकने प्रारम्भ कर दिये तो थाना अध्यक्ष ने गोली चलाने का आदेश दे दिया । जब तक गोलियां चलीं, भीड़ गोली के दायरे से बाहर रही और कंकड़ फेंकती रही । गोली वर्षा रुकने पर भीड़ के नेता अन्य लोगों के साथ आगे बढ़े । वरिष्ठ पुलिस को नीचे गिरा दिया गया और उसे पैरों से कुचल दिया गया । सिपाहियों ने भागना प्रारम्भ कर दिया था, बयानकर्ता ने अपनी वर्दी उतार फेंकी और भाग कर निकटवर्ती थाना गौरी में जाकर इस कांड की सूचना दी ।*

सादिक अहमद के बयान में सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि उसने चौरी-चौरा कांड की तिथि ५ फरवरी,१९२२ बताई है जबकि सरकारी तथा कांग्रेस सूत्रों से पता चलता है कि यह घटना ४ फरवरी,१९२२ को हुई । सरकारी विवरणों में स्वयंसेवकों को दोषी बताते हुये मृतक स्वयंसेवकों की संख्या कम से कम २ बताई गई । देवदास गांधी ने भी अपने विवरण में पुलिस द्वारा गोली चलाने के पहले लाठी चार्ज करने का उल्लेख किया है,उसके बाद ही स्वयंसेवकों ने कंकड़ फेंके ।

---

*-- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

देवदास गांधी का मत है कि दोनों की ओर से यदि थोड़ी भी सतर्कता बरती जाए तो यह घटना टल सकती थी ।[८१]

श्री हृदय नाथ कुंजरू, मोहम्मद सुभान मल्लाह तथा चन्द्र कान्त मालवीय द्वारा की गई जांच के विवरण से पता चलता है कि मुंडेरा बाजार में स्वयंसेवकों ने थानाध्यक्ष द्वारा किये दुर्व्यवहार के विरोध में थाने के समक्ष प्रदर्शन करने का निश्चय किया गया । थाने के समक्ष प्रदर्शन करने वाली भीड़ में ३-४ हजार व्यक्ति थे । गोली चलाने के पूर्व भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया । थाने के पास केवल २ स्वयंसेवकों की लाशें पायी गईं । जांच के दौरान जांच कर्ताओं को जनता द्वारा बताया गया कि मृत स्वयंसेवकों की संख्या सरकारी विवरण में दी गई संख्या से अधिक थी । जांच कर्ताओं को इसके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं मिला किन्तु सम्भव हो सकता है कि पुलिस के भय से भीड़ मृतकों को उठा ले गयी हो और बहुत से घायल बाद में मर गये हों । चौरी चौरा कांड के बाद पुलिस द्वारा जनता पर किये गये अत्याचारों के अनेक प्रमाण जांच कर्ताओंको मिले ।[८२]

चौरी चौरा कांड के सम्बन्ध में अनेक विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि घटना दुखद अवश्य थी किन्तु पूर्व नियोजित नहीं थी । चौरी चौरा कांड स्वयंसेवकों की उत्तेजना का परिणाम था किन्तु स्वयंसेवकों को उत्तेजित करने का कार्य पुलिस वालों ने ही किया । पुलिस के लाठी चार्ज और हवाई फायर के पहले स्वयंसेवकों का उद्देश्य थाने पर आक्रमण करना या पुलिस वालों को जान से मारने का नहीं था, यदि पुलिस वालों ने उत्तेजित करने वाली कार्यवाही न करके बुद्धिमत्ता से काम लिया होता तो यह घटना टल सकती थी । पुलिस ने अपनी कार्यवाहियों से स्वयंसेवकों को उत्तेजित किया इसलिए चौरी चौरा घटना के लिए पुलिस,स्वयंसेवकों से अधिक उत्तरदायी है । चौरी चौरा कांड में मृत स्वयंसेवकों की संख्या सरकारी विवरण में दी गई संख्या से कहीं अधिक प्रतीत होती है । सरकारी विवरणों में मृत स्वयंसेवकों की

---

८१- गुप्तार सिन्हा के अभिलेख ।
८२- वही ।

कम से कम २ बताई गयी है जबकि घटना के प्रत्यक्ष दर्शी नारिका प्रसाद पाण्डेय का कहना है कि २६ स्वयंसेवक शहीद हुये । हृदयनाथ कुंजरू, चन्द्र कान्त मालवीय तथा सुभानउल्लाह द्वारा की गयी जांच में जांच कर्ताओं का मत है कि यद्यपि दो स्वयंसेवकों से अधिक की मृत्यु का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता किन्तु यह भी असम्भव नहीं कि लाशों को भीड़ पुलिस की भय से उठा ले गई हो और बहुत से घायल व्यक्ति बाद में मरे हों । चौरी चौरा कांड में दंड पाये अन्य व्यक्तियों के अनुसार पुलिस ने स्वयंसेवकों के अपराध को बढ़ा कर बताने के लिए मृत स्वयंसेवकों की संख्या बहुत घटा कर बताई और चौरी चौरा कांड के बाद हुई जांचों में पूर्णत: सही विवरण इसलिए नहीं ज्ञात हो सके क्योंकि इस क्षेत्र में पुलिस के आतंक से अधिकांश लोगों ने जांचकर्ताओं के सामने बयान नहीं दिये ।

चौरी चौरा कांड के बाद भारतीय राजनीति थोड़े समय के लिए नैराश्य-पूर्ण हो गई । आन्दोलन को समाप्त करने की मांग की जाने लगी । हकीम अजमल खां, डा० मुख्तार अहमद अंसारी तथा रफीक अहमद किदवई ने इस आशय के तार गांधी जी को दिये । कांग्रेस कार्यकारिणी ने ११ फरवरी को एक प्रस्ताव पास करके निषेधात्मक असहयोग आन्दोलन को बन्द करने की घोषणा की, साथ ही स्वयंसेवकों के प्रदर्शन और भाषण पद्धति पर प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय किया । कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना अपना प्रमुख कार्यक्रम बनाया और कांग्रेस के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके एक करोड़ करने, खद्दर और चर्खा का प्रचार करने, राष्ट्रीय स्कूलों का निर्माण करने, निम्न जातियों के लोगों के विकास हेतु प्रयत्न करने, मादक द्रव्यों के विक्रय को रोकने तथा पंचायती राज्य की स्थापना करने का प्रयास का निश्चय किया ।

चौरी चौरा कांड के पहले और भी हिंसात्मक घटनायें हो चुकी थीं किन्तु चौरी चौरा कांड को गांधी जी ने अन्तिम चेतावनी की संज्ञा दी ।** १० मार्च १९२२

---

**- "गत नवम्बर में बम्बई में मुझे मनुष्य के जंगली पन का साक्षात्कार हुआ किन्तु तब भी मुझे सीख नहीं मिली, अब चौरी चौरा ने मुझे शिक्षा दी । गोरखपुर से चेतावनी मिलने के बावजूद अगर हम आन्दोलन जारी रखते तो जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ता और सत्य तथा शान्ति की बदनामी होती । (सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, पृ०४४६)

क* गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये । हिन्दू और मुसलमान नेताओं की गिरफ्तारी और लौजान की सन्धि के बाद खिलाफत तथा असहयोग आन्दोलन दोनों का अंत हो गया ।

- समीक्षा -

खिलाफत का समर्थन महात्मा गांधी ने हिन्दू मुस्लिम एकता को स्थापित करने की भावना से किया था । कुछ समय तक ऐसा मालूम पड़ा कि हिन्दू मुस्लिम एकता स्थायी सिद्ध होगी किन्तु खिलाफत का प्रश्न स्वतः समाप्त हो जाने के बाद हिन्दू मुस्लिम एकता का पूर्व अनुमान काल्पनिक सिद्ध हुआ । कांग्रेस के सहयोग से खिलाफत की ओट में मुसलमान असाधारण रूप से संगठित हो गये और कालान्तर में यह शक्ति साम्प्रदायिक दंगों के रूप में प्रगट हुई, देश के अन्य भागों की तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी खिलाफत तथा असहयोग आन्दोलन के बाद हुये अनेक साम्प्रदायिक दंगों ने हिन्दू मुस्लिम एकता की वास्तविकता को प्रगट कर दिया ।इतनी असफलता के बाद भी एक महत्वपूर्ण परिणाम यह सामने आया कि अनेक मुसलमान कांग्रेस की नीतियों व संगठन शक्ति से प्रभावित हो कर कांग्रेस के सम्पर्क में आये और उन्होंने बाद में स्वतन्त्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया ।

असहयोग आन्दोलन न पूर्णतः सफल था और न पूर्णतः असफल । भौतिक दृष्टिकोण से असहयोग आन्दोलन को असफल कहा जा सकता है क्योंकि यह एक वर्ष स्वराज्य दिलाने,टर्की के खलीफा को अधिकार दिलाने तथा पंजाब के अत्याचारों का प्रतिशोध लेने में पूर्णतः असफल रहा । आन्दोलन को अचानक स्थगित कर देने से कोई स्पष्ट परिणाम न निकल सका ।[८४]

---

८४- यदि गांधी जी के द्वारा असहयोग आन्दोलन उस समय समाप्त नहीं कर दिया जाता जबकि यह शासन के लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय बन रहा था तो सम्भवतः सरकार भारतीय जनमत को सन्तुष्ट करने के लिए कोई कार्य करने को बाध्य हो जाती । बी०पी०मेनन,ट्रांसफर आफ पावर इन इंडिया,पृ०२६

असहयोग आन्दोलन भौतिक दृष्टि से असफल होने पर भी भारतीय स्वतन्त्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था । देश भक्ति और राष्ट्रीयता जो अभी तक वर्ग विशेष की धरोहर मानी जाती थी अब असहयोग आन्दोलन के प्रभाव से सर्व साधारण में व्याप्त हो गयी । असहयोग आन्दोलन से जनता को जेल जाने का भय समाप्त हो गया, संगठित होकर सरकार का विरोध करना अब एक साधारण बात हो गयी । विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को बल मिला ।

असहयोग आन्दोलन को स्थगित करने की घटना (चौरी चौरा कांड) पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही हुई, यद्यपि यह पुलिस की दमन नीति की प्रतिक्रिया के रूप में प्रगट हुई थी फिर भी गांधी जी के निर्णय को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने सहर्ष स्वीकार किया । यह चौरी चौरा कांड का ही परिणाम था कि बाद में स्वतन्त्रता प्राप्ति तक जनता सरकार की दमन नीति को सहन करती रही किन्तु हिंसा को नहीं अपनाया ।

---

## - तृतीय अध्याय -

## -स्वराज्य दल से सविनय अवज्ञा आन्दोलन तक-

चौरी चौरा कांड के पश्चात् असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया गया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान दिया। २५ मार्च, १६२२ को संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी प्रयाग की बैठक में गांधी जी के कार्यक्रम में विश्वास प्रकट करते हुये, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रचनात्मक कार्य की पुष्टि की। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस समितियों को ६ अप्रैल से १३ अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के निर्देश दिये। बस्ती, गोरखपुर, बनारस तथा आजमगढ़ में राष्ट्रीय सप्ताह उत्साह पूर्वक मनाया गया, बस्ती, मिर्जापुर में जुलूस निकाले गये और तिलक स्वराज्य कोष हेतु धन एकत्र किया गया।[1]

असहयोग आन्दोलन के पश्चात् भारतीय मानस में निराशा का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इस स्थिति का मूल्यांकन तथा भविष्य के मार्ग निर्धारण के लिए एक असहयोग समिति का गठन हुआ जिसने सारे देश के दौरे के बाद ३० अक्टूबर, १६२२ को अपना विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें इसका उल्लेख था कि देश आन्दोलन के लिए अभी तैयार नहीं है।[2] परिषदों में प्रवेश के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों का तीव्र मतभेद स्पष्ट हुआ। डा० अंसारी, राजगोपालाचार्य तथा कस्तूरी रंगाअय्यर परिषदों के बहिष्कार के पक्ष में थे जबकि मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खाँ तथा विट्ठल भाई पटेल परिषदों में प्रवेश करके सरकार का विरोध करने के समर्थक थे।

२० नवम्बर, १६२२ को कलकत्ता में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस की नीति में परिवर्तन चाहने वाले और अपरिवर्तनवादियों में बड़ा संघर्ष छिड़ गया। अंत में यह निश्चय हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का विचार त्याग देना चाहिये और कौंसिल प्रवेश के प्रश्न को अगली बैठक तक के लिये स्थगित रखना चाहिये। २६-३१ दिसम्बर, १६२२ को चितरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ। चितरंजनदास ने अपने अध्यक्षीय भाषण में

---

१- पुरातत्व विभाग के अभिलेख।

२- रिपोर्ट आफ दि सिविल डिसओबीडियन्स कमेटी, पृ० १५७

कौंसिल प्रवेश का जोरदार समर्थन किया । राजगोपालाचार्य ने कौंसिल में प्रवेश का विरोध किया । जब कौंसिल का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तो उसके विपक्ष में १७४८ मत पड़े और पक्ष में केवल ८९० मत पड़े । चितरंजन दास ने अधिवेशन के अन्दर ही कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के सभापतित्व से त्याग पत्र दे दिया । मोतीलाल नेहरू ने संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया । १ जनवरी,१९२३ को चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य दल की स्थापना की ।

मार्च १९२३ में संयुक्त प्रांत में नगरपालिका के होने वाले चुनाव में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी स्थानों पर कांग्रेसी उम्मीदवार खड़े करने का निश्चय किया ।पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला लेकिन गोरखपुर,गाजीपुर, आजमगढ़ में अधिक स्थान न मिल पाने के कारण बहुमत न मिल सका । इन चुनावों से कांग्रेस को प्रशासन का अनुभव मिला । इसी वर्ष जिला परिषद के भी चुनाव हुये जिसमें फैजाबाद तथा बनारस में कांग्रेस को काफी स्थान मिले किन्तु प्रतापगढ़, जौनपुर, बलिया, बस्ती और मिर्जापुर में कांग्रेस को असफलता मिली ।

कौंसिल प्रवेश पर कांग्रेस व स्वराज्यदल के मतभेदों को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किये गये । संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये ।[1] २७ फरवरी, १९२३ को इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें समझौते हेतु विचार विमर्श किया गया । १९२३ में ही कौंसिल हेतु होने वाले चुनावों के लिए स्वराज्यदलीय नेताओं ने चुनाव अभियान प्रारम्भ कर दिया । पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर तथा फैजाबाद जिलों का मोतीलाल नेहरू ने व्यापक दौरा किया और जनता से स्वराज्यदल के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील की ।[2] ६-७ दिसम्बर को चुनाव हुये ।[3] प्रांतीय कौंसिल के १०० निर्वाचित स्थानों में से स्वराज्यदल को ३६ स्थान प्राप्त हुये । पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वराज्य

---

१- प्रोसीडिंग्स फाम होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल पार्ट बी( १९२३), पृ० २५ ।
२- दि लीडर, १७-२-२३, पृ० ९ ।
३- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
४- आज, २१ दिसम्बर, १९२३, पृ० ३, इंडियन एनुअल रजिस्टर भाग-२, पृ० ७४ पर दल की संख्या ३९ दी गयी है ।

दल को विशेष सफलता न मिली क्योंकि इस क्षेत्र से केवल ७ स्वराज्यदलीय सदस्य निर्वाचित हुये । कौंसिल में स्वराज्य दल को यद्यपि बहुमत न मिल सका फिर भी अन्य दलों के सहयोग से कौंसिल में स्वराज्य दल का अच्छा प्रभाव रहा । स्वराज्यदल ने संयुक्त प्रांतीय कौंसिल में सरकार से सदैव असहयोग की नीति अपनायी । १०सितंबर, १९२४ को स्वराज्यदल ने राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराने के प्रस्ताव को पास कराकर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की ।

५ फरवरी,१९२४ को गांधी जी अस्वस्थ होने के कारण जेल से मुक्त कर दिये गये । जेल से आने पर महात्मा गांधी का मोतीलाल नेहरू में इन दोनों दलों में समझौता कराने के लिए अनेकबार विचार विमर्श हुआ किन्तु सफलता न मिली ।[७] गांधी जी ने अपरिवर्तनकारियों को परामर्श दिया कि वे स्वराज्य पार्टी के मार्ग में बाधक न बनते हुये कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में अपना ध्यान केन्द्रित करें ।

दिसम्बर १९२५ में कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने कानपुर वाले अधिवेशन में स्वराज्य दल के प्रभाव को देखते हुये इसे आत्मसात कर लिया ।[८] अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि स्वराज्य दल कौंसिल और सभाओं में सरकार से अपनी मांगों पर निर्णय देने का अनुरोध करे और यदि सरकार ऐसा न करे तो सरकारी कार्यवाहियों का तीव्र प्रतिरोध किया जाय । सरकार ने भारत को स्वशासन देने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया । ६-७ मार्च,१९२६ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कानपुर अधिवेशन में लिये गये निर्णय की पुष्टि की ।

८ मार्च,१९२६ को मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य दल के सदस्यों ने सरकारी नीतियों के विरोध में केंद्रीय सभा से बहिर्गमन किया । संयुक्त प्रान्तीय कौंसिल में भी ११ मार्च,१९२६ को गोविन्दवल्लभ पंत ने सरकार की अकर्मण्यता पर

---

७- डा०ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास,पृ०४८१

८- इंडियन क्वाटर्ली रजिस्टर, १९२६,पृ० २३

प्रकाश डाला और काँसिल से बहिर्गमन किया । बहिर्गमन के पक्ष पर स्वराज्यदल में मतभेद पैदा हो गया । अगला आम चुनाव नवम्बर १९२६ को होने वाला था । स्वराज्यदल के सदस्यों ने कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ा, उन्हें केवल २२ स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई.[९] किन्तु फिर भी स्वराज्यदल काँसिल का सबसे सुसंगठित दल था । स्वराज्यदल ने काँसिल में सरकारी नीतियों का तीव्र प्रतिरोध किया ।

स्वराज्यदल यद्यपि अपने मुख्य उद्देश्य बहिष्कार नीति तथा स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा किन्तु स्वराज्यदल ने असहयोग आन्दोलन के समाप्त हो जाने पर भारतीय जनमानस में व्याप्त निराशा की वातावरण में जनता में उत्साह का संचार किया । स्वराज्यदल ने संयुक्त प्रान्तीय काँसिल में सरकार से असहयोग करके राजनीतिक जागृति को बनाये रखा और समय समय पर सरकार की नीतियों की आलोचना करके सरकार के प्रति जनता के असंतोष को व्यक्त किया ।

१९२७ में संयुक्त प्रांत में राष्ट्रीय आन्दोलन की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी । खिलाफत प्रश्न के समाधान के पश्चात् हिन्दू मुस्लिम एकता में कटुता[१०] नहीं रह गई जिसके परिणामस्वरूप कई स्थानों पर हिन्दू मुस्लिम दंगे हुये जिससे सरकार विरोधी आन्दोलन धीमा पड़ गया । वैधानिक सुधारों की निरंतर मांग के कारण ब्रिटिश शासन द्वारा ८ नवम्बर,१९२७ को सर जान साइमन की अध्यक्षता में एक जांच समिति की नियुक्ति की घोषणा की गई, जिससे स्वतन्त्रता आन्दोलन गतिशील हुआ ।[११]

१९१९ के भारत अधिनियम की धारा ८४ के अनुसार १० वर्ष पश्चात् शासन प्रणाली की जांच हेतु एक आयोग की नियुक्ति होनी थी, इसके अन्तर्गत

---

९- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०,(१९२६-२७),पृ०६ ।
१०- वही, पृ० ७ ।
११- पी०पी०एस०रघुवंशी,इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड थाट,पृ०१९६ ।

आयोग की नियुक्ति १९२९ में होनी चाहिये थी किन्तु दो वर्ष पहले ही आयोग की नियुक्ति के कई कारण थे । प्रथम, ब्रिटिश सरकार भारत में व्याप्त साम्प्रदायिक उत्तेजना का लाभ उठाना चाहती थी, द्वितीय, अनुदार दल भारत के भविष्य को मजदूर दल के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे इसकी आशंका थी कि मजदूर दल उसके समान साम्राज्य हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा । आयोग की समय से पूर्व नियुक्ति जवाहर लाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस के निर्देशन में चल रहे युवा आन्दोलन के कारण भी हुई ।[१२]

साइमन कमीशन के सभी ७ सदस्य अंग्रेज थे, इसमें किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया । इसका कारण भारत सचिव ने भारत में व्याप्त राजनीतिक अनेकता तथा पारस्परिक मतभेद बताया । कमीशन में किसी भारतीय को सम्मिलित न किये जाने से सम्पूर्ण भारत में साइमन कमीशन के प्रति रोष प्रकट किया गया । उदारवादी दल ने तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनायी । ११ नवम्बर, १९२७ को तेजबहादुर सप्रू ने इलाहाबाद में साइमन कमीशन की कटु आलोचना करते हुये कहा कि "साइमन कमीशन में भारतीयों को स्थान न देकर सरकार ने भारतीयों का अपमान किया है और उससे बड़ी बात यह है कि भारतीयों को अपने संविधान निर्माण से भी वंचित किया है ।[१३] संयुक्त प्रांतीय लिबरल दल ने अपनी सभा में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पास किया । २८ नवम्बर, १९२७ को अलीगढ़ में प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन ने कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्वराज्य संविधान के निर्माण की मांग की ।[१४] साइमन कमीशन के बहिष्कार और समर्थन को लेकर लीग दो भागों में विभक्त हो गई, जिन्ना का दल बहिष्कार के पक्ष में था और शफी का दल कमीशन सहयोग के पक्ष में था ।

---

१२- ए०बी०कीथ, ए कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० २६५ ।
१३- दि लीडर, १४ दिसम्बर, १९२७, पृ० ११ ।
१४- इंडियन क्वार्टर्ली रजिस्टर (१९२७), भाग-२, पृ०३४० ।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी मद्रास की बैठक में कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया ।[१५] संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस अध्यक्ष, गोविन्दवल्लभ-पंत ने सम्पूर्ण प्रांत में कमीशन बहिष्कार हेतु अभियान प्रारम्भ किया । पूर्वी उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध किया गया । १५ जनवरी को वाराणसी में डा० एम०ए० अंसारी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सभा हुई जिसमें साइमन कमीशन की कटु आलोचना की गई और कमीशन के बहिष्कार तथा कमीशन के भारत आगमन की तिथि ३ फरवरी को सारे भारत में हड़ताल करने का निश्चय किया गया । २५ जनवरी,१९२८ को गाजीपुर के टाउन हाल में श्री प्रकाश की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें साइमन कमीशन की कटु आलोचना की गई । बलिया और आजमगढ़ की बार एसोसियेशन ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया । गौरीशंकर मिश्र ने साइमन कमीशन बहिष्कार हेतु गोरखपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर और बस्ती में जनसभाओं को सम्बोधित किया ।[१६] मिर्जापुर की जिला परिषद् में साइमन कमीशन के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया । १ फरवरी,१९२८ को प्रतापगढ़ में सरदार नर्मदा सिंह ने कमीशन के विरोध में वकीलों और व्यापारियों की सभा को सम्बोधित किया और हड़ताल को सफल बनाने की अपील की ।[१७]

साइमन कमीशन निश्चित योजनानुसार ३ फरवरी,१९२८ को बम्बई आया। उस दिन कांग्रेस के आह्वान पर सम्पूर्ण संयुक्त प्रांत में हड़ताल की गई । बनारस में तेज वर्षा के होने पर भी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों ने कमीशन के विरोध में जुलूस निकाला । सभी शिक्षण संस्थायें, 'आज' समाचार पत्र कार्यालय, जिला परिषद् और नगर पालिका हड़ताल के समर्थन में बन्द रहे । शाम को डा० भगवानदास की अध्यक्षता में विशाल जन सभा हुई जिसमें डा० ऐनीबेसेन्ट,

१५- इंडियन क्वाटर्ली रजिस्टर (१९२७),भाग-२,पृ० ३५७ ।
१६- दि लीडर,२८ जनवरी,१९२८, पृ० ११ ।
१७- वही, पृ० ९, (३-२-२८)।

इकबाल नारायण गुर्टू, शिव प्रसाद गुप्त, सम्पूर्णानन्द तथा श्रीप्रकाश आदि विशिष्ट नेताओं ने भी भाग लिया । नेताओं ने साइमन कमीशन की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही में जनता से सहयोग न देने की अपील की । प्रतापगढ़, मिर्जापुर, गोरखपुर,[१८] बस्ती, बलिया, जौनपुर तथा सुल्तानपुर में भी हड़ताल का सफल आयोजन किया गया ।

प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषद् में २२ फरवरी,१९२८ को स्वराज्यदल के सदस्यों ने बहिष्कार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । २५ फरवरी,१९२८ को यह प्रस्ताव ५५ के विरुद्ध ५६ मतों से स्वीकृत हुआ ।

१४ दिसम्बर को वाराणसी के टाउन हाल में सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें कमीशन का सफल बहिष्कार करने के लिए सब दलों की एकता की आवश्यकता पर बल दिया गया । शिव प्रसाद गुप्त ने कमीशन के बहिष्कार का अनुमोदन करते हुये इस प्रश्न पर हिन्दू और मुसलमानों के पूर्ण मतैक्य की जोरदार पैरवी की ।

कलकत्ता जाते समय साइमन कमीशन १९ फरवरी,१९२८ को बनारस पहुंचा। उस दिन शिवरात्रि का त्यौहार था, भारी संख्या में लोग विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे । अधिकारियों का अनुमान था कि त्यौहार होने के कारण लोग धार्मिक कृत्यों में व्यस्त रहेंगे, साइमन कमीशन के विरोध करने की ओर उनका ध्यान नहीं जायेगा किन्तु सरकारी टेलीफोन टेप हो जाने के कारण बहिष्कार समिति के लोगों को इसकी सूचना मिल गई । भारी संख्या में लोग साइमन कमीशन विरोधी नारे लगाते हुये स्टेशन पहुंचे,अधिकारियों ने कमीशन को एक स्टेशन पहले ही रोक लिया। वहाँ से इन्हें बौद्ध स्थान दिखाने सारनाथ ले जाया गया । बनारस के घाट दिखाने हेतु साइमन कमीशन को जब बनारस के महाराजा की निजी नाव "मोरपंखी" से ले जाया गया तो सम्पूर्णानन्द के नेतृत्व में कांग्रेस के स्वयंसेवक भी वहीं पहुंच गये जहाँ साइमन कमीशन था । स्वयंसेवकों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाये और काले झंडों

---

१८- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

का प्रदर्शन किया।[१९] साइमन कमीशन को जब अधिकारी गण कार में ले गये तो जनता ने उनकी मोटरों को घेर लिया और कमीशन विरोधी नारे लगाने लगी। अधिकारी गण घबड़ा गये, यदि विश्वनाथ सिंह और अन्य कांग्रेसी बीच में न आते तो अमंगलकारी घटना घट सकती थी, बड़ी कठिनाई से साइमन कमीशन स्टेशन तक पहुंच पाया।[२०] इस प्रकार बनारस में साइमन कमीशन का बहिष्कार पूर्णतया सफल रहा।

इस बहिष्कार आन्दोलन में भारतीयों की विदेशी सरकार के प्रति असंतोष की भावप्रवृत्ति को प्रकाशित कर दिया जिससे राष्ट्रीय आन्दोलन में नई शक्ति आ गई। भारत-मन्त्री बर्केनहेड ने साइमन कमीशन में भारतीयों को न रख कर भारतीय नेताओं को ऐसा संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की चुनौती दी जिससे भारत के सभी राजनीतिक दल सहमत हों। भारत-मन्त्री का विचार था कि भारत में जातीय और धार्मिक आधार पर ऐसे मतभेद विद्यमान हैं कि उनके द्वारा सम्मिलित रूप से एक विधान का निर्माण करना असंभव है। भारत-मन्त्री की चुनौती को स्वीकार करके उनकी धारणा निर्मूल सिद्ध करने के लिए एक सर्वदल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व सम्मति द्वारा स्वीकृत विधान निर्मित करने का निश्चय किया गया।

२८ फरवरी, १९२८ को डा० एम०ए० अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, सभी दल इस बात पर सहमत हो गये कि पूर्ण उत्तरदायी शासन को आधार मान कर ही भारत की वैधानिक समस्या पर विचार किया जाना चाहिये। सर्वदल सम्मेलन की अगली बैठक १९ मई, १९२८ को बम्बई में डा० अंसारी की अध्यक्षता में हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि भारतीय विधान के सिद्धांतों का प्रारूप तैयार करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति

१९- आज, २० फरवरी, १९२८, पृ० ३।
२०- सम्पूर्णानन्द, कुछ स्मृतियाँ कुछ स्फुट विचार, पृ० ८१-८२।

नियुक्त की जाय, इस समिति का उद्देश्य संवैधानिक उद्देश्य को निश्चित करना, हिन्दू मुस्लिम और सिक्खों के भावी संवैधानिक भागों का निर्णय करना तथा भावी संविधान की रूप रेखा प्रस्तुत करना था ।[21] समिति ने अपना विवरण १५ अगस्त,१९२८ को प्रस्तुत कर दिया,[22] समिति ने अपने प्रतिवेदन में औपनिवेशिक स्वराज्य को ही भारत का उद्देश्य घोषित किया जिसमें प्रभुता सम्पन्न विधान सभा की व्यवस्था थी ।[23] नेहरू समिति ने विभिन्न दलों के मध्य पूर्ण सहमति बनाये रखना भी आवश्यक समझा और औपनिवेशिक स्वराज्य ही एक ऐसा लक्ष्य था जिस पर अधिकांश राजनीतिक दल सहमत थे । संविधान में मनुष्य के १९ प्रकार के मौलिक अधिकारों का भी उल्लेख किया गया । समिति के विवरण में साम्प्रदायिक निर्वाचन का अन्त कर उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को स्थान दिया गया लेकिन इसके साथ ही अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे गये ।[24]

२८-३१ अगस्त,१९२८ को सर्वदलीय सम्मेलन डा० अंसारी की अध्यक्षता में हुआ । सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की भूरि भूरि प्रशंसा की और कुछ परिवर्तनों के साथ समिति के विवरण को स्वीकार कर लिया । सभी हिन्दू दलों व समाचार पत्रों में इसकी प्रशंसा की किन्तु मुसलमानों ने इसका विरोध किया । मौलाना शौकतअली ने संयुक्त प्रान्तीय मुस्लिम सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को इस्लाम विरोधी बताया । ३ सितम्बर,१९२८ को वाराणसी में डा० ऐनीबेसेन्ट और डा० भगवानदास ने एक सभा में नेहरू रिपोर्ट के विवरणों पर विचार विमर्श किया । ५ सितम्बर को हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्यापकों और छात्रों की सभा को सम्बोधित करते हुये डा० ऐनीबेसेन्ट ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया, श्रीप्रकाश तथा शिव प्रसाद गुप्त

---

२१- डा० बी०डी०शुक्ल,ए हिस्ट्री आफ दि इंडियन लिबरल पार्टी,पृ०२०० ।
२२- दि पाइनियर, १६ अगस्त,१९२८, पृ० १ ।
२३- आज, १८ अगस्त,१९२८, पृ० ३ ।
२४- नेहरू कमेटी रिपोर्ट, पृ० ३१ ।

ने भी नेहरू रिपोर्ट की प्रशंसा की ।[25] मिर्जापुर में शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में एक विशाल जन सभा का आयोजन किया गया जिसमें नेहरू रिपोर्ट की प्रशंसा की गई । गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर तथा प्रतापगढ़ में भी नेहरू रिपोर्ट को व्यापक समर्थन मिला ।[26]

संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने २५ नवम्बर, १९२८ को जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई बैठक में नेहरू रिपोर्ट के प्रति आस्था प्रकट की । दिसम्बर १९२८ में कलकत्ता में हुये कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की सराहना की गई और भविष्य की योजना के रूप में रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । मादक द्रव्यों की बिक्री का विरोध, स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्त्री शिक्षा तथा अछूतोद्धार कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के प्रमुख अंग थे । संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्तावों पर सहमति प्रकट की और अपनी जिला समितियों से रचनात्मक कार्यों पर जोर देने का आग्रह किया गया ।[27]

प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश से जिला कांग्रेस समितियों ने कांग्रेस के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके कांग्रेस के संगठन को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की । पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रायः हर जिले में १० मार्च, १९२९ को जुलूस निकाले गये, सभाओं का आयोजन किया गया और जनता से कांग्रेस के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई । गोरखपुर में रमाकान्त, रामधारी तथा शिवमंगल गांधी ने पडरौना तथा गौरा में जन सभाओं को सम्बोधित करते हुये विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की अपील की और शीघ्र ही गांधी जी के गोरखपुर आगमन की घोषणा की ।[28] १८ मार्च, १९२९ को सुल्तानपुर में कांग्रेस स्वयंसेवकों का विशाल जुलूस निकाला गया

---

२५. गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
२६. 'आज' १५ दिसम्बर, १९२८, पृ० ७ ।
२७. दि लीडर, २५ नवम्बर, १९२८, पृ० ५ ।
२८. गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

और शहर के मध्य एक खद्दर भंडार की स्थापना की गई ।[२९] २७ मार्च,१९२९ को कालाकांकर (प्रतापगढ़) में लक्ष्मी नारायण तथा कुलदीप अस्थाना ने एक सभा को सम्बोधित किया, बाद में श्रीशरण सिंह द्वारा विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई । श्रीशरण सिंह ने कहा कि इन कपड़ों की राख मेनचेस्टर के मिल मालिकों के चेतावनी है ।[३०] श्रीप्रकाश ने बनारस में अहिल्या घाट तथा जौनपुर के टाउन हाल में सभाओं को सम्बोधित किया और कहा कि यह सरकार भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखती है और उनका शोषण कर रही है इसलिए उसके साथ सहयोग करना पाप है ।[३१]

२२ मई, १९२९ को बाबा राघवदास तथा सम्पूर्णानन्द ने बलिया का दौरा किया और रसड़ा में एक जन सभा में भाषण दिया । विष्णु पाण्डेय ने कहा कि ३२ करोड़ भारतीयों के लिए यह शर्म की बात है कि वे मुट्ठी भर अंग्रेजों द्वारा शासित हो रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के गौरवमयं इतिहास की चर्चा करते हुये जनता से गांधी जी के कार्यक्रम को अपनाने की अपील की ।[३२] गोरखपुर में बाबा राघवदास के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार अत्यधिक सफल रहा । बाबा राघवदास तथा जगमोहन-सिंह ने गोरखपुर के पिपराइच, सलेमपुर,कसरौली,बरहज,करिया आदि गांवों में विशाल जन सभाओं का आयोजन करके कांग्रेस के कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया ।

१० जुलाई,१९२९ को जवाहर लाल नेहरू ने प्रतापगढ़ के खादी हाल में एक सभा में कहा कि जनता को संगठित हो कर कांग्रेस का साथ देना चाहिये क्योंकि कांग्रेस के कार्यक्रमों की सफलता में ही उनकी कठिनाइयों का अंत निहित है । प्रतापगढ़ में ही शिवनाथ पाण्डेय, लाल मुनीश सिंह,श्याम सुन्दर शुक्ल (जिला मुख्य पुलिस अधिकारी) ने मानपुर,बेला,कौशलगंज बाजार तथा लालगंज में सभाओं

२९- दि लीडर,२० मार्च, १९२९, पृ०७ ।
३०- वही, ३१ मार्च,१९२९, पृ० ९ ।
३१- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
३२- वही, ।

को सम्बोधित किया और विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस को सहयोग देने की जनता से अपील की ।[33] ३ अगस्त,१९२९ को मिर्ज़ापुर में जवाहर लाल नेहरू ने एक जन सभा में भाषण देते हुये कहा कि विदेशी उत्पादन की बिक्री से हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है और जब तक स्वराज्य नहीं मिल जाता इसका अंत सम्भव नहीं है । ४ अगस्त को मिर्ज़ापुर में अनेक जन सभाओं में भगत सिंह तथा उनके साथियों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई । ५ अगस्त को वाराणसी में डा० सम्पूर्णानंद ने भगतसिंह तथा उनके साथियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि इन क्रांति-कारियों की तरह हमारे नवयुवकों को अपना जीवन स्वतन्त्रता के लिए बलिदान करना पड़ेगा ।[34]

विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा खद्दर का प्रचार करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने अन्य विशिष्ट नेताओं के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का दौरा किया । २४ सितम्बर १९२९ को महात्मा गांधी वाराणसी आये और काशी विद्यापीठ में दीक्षांत भाषण दिया, इसके पश्चात् उन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की एक सभा को सम्बोधित किया जिसमें उन्होंने चर्खा तथा खादी का प्रयोग करने तथा छुआछूत दूर करने पर बल दिया । इस सभा में उन्हें ११७०६ रुपये भेंट किये गये ।[35] ९ अक्टूबर, १९२९ को गांधी जी फैजाबाद आये, उनके साथ आचार्य कृपलानी तथा [illegible] जी भी थे । टांडा में गांधी जी ने जनता से खद्दर के प्रयोग की अपील की । टांडा में गांधी जी को ८२०० रु० की थैली भेंट की गई । इसके बाद गांधी जी ने अकबरपुर तथा मोतीबाग (फैजाबाद ) में सभाओं को सम्बोधित किया । आचार्य नरेन्द्रदेव ने फैजाबाद के नागरिकों की ओर से गांधी जी को २९९१ रु० की थैली भेंट की ।[36]

---

३३- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

३४- वही ।

३५- आज,३० सितम्बर,१९२९,पृ० ४ ।

३६- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

२ अक्टूबर, १६२६ को गांधी जी ने जौनपुर में एक सभा को सम्बोधित किया, सभा के अन्त में गुरुशरणलाल ने गांधी जी को दो हजार रु० की थैली भेंट की। गांधी जी ने राज मण्डल में एक स्त्री सभा को भी सम्बोधित किया और कांग्रेस के कोष के लिए स्त्रियों से कुछ आभूषण एकत्र किये। २ अक्टूबर, १६२६ को ही शाम को गांधी जी ने गाजीपुर में एक विशाल जन सभा में भाषण दिया, सभा के अन्त में उन्हें २५०० रुपये भेंट किये गये।

३ अक्टूबर, १६२६ को महात्मा गांधी आजमगढ़ गये उनके साथ कस्तूरबा गांधी, आचार्य कृपलानी तथा श्रीप्रकाश भी थे। शाम को गांधी जी ने विशाल जन सभा को सम्बोधित किया जिसमें उन्होंने हरिजनों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने, मद्यनिषेध, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने तथा हिन्दू मुसलमानों में एकता बनाये रखने की अपील की। सभा के अन्त में ५००० रुपये गांधी जी को भेंट किये गये। ४ अक्टूबर को आजमगढ़ में गांधी जी ने एक खादी विद्यालय का उद्घाटन किया और फिर दोहरी घाट होते हुये गोरखपुर चले गये।[३७]

४ अक्टूबर, १६२६ को गांधी जी ने बरहलगंज, कौड़ीराम, घुघली तथा पडरौना की जन सभाओं में भाषण दिया, इन जन सभाओं में उन्हें लगभग ७००० रुपये भेंट किये गये। उसी दिन गोरखपुर के परेड मैदान में गांधी जी ने एक सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि हमें प्रत्येक अवस्था में अहिंसा का पालन करना चाहिये जिससे कहीं भी चौरी चौरा कांड की पुनरावृत्ति न हो, इसके अतिरिक्त उन्होंने जनता को आगामी जनवरी में आन्दोलन हेतु तैयार रहने के लिए संकेत किया। ५ अक्टूबर को उन्होंने महराजगंज तथा बरहज बाजार में जन सभाओं को सम्बोधित किया, बाबा राघवदास तथा आचार्य कृपलानी भी उनके साथ थे। बरहज में गांधी जी को परमहंस पाठशाला में १५०० रुपये भेंट किये गये। इसके बाद गांधी जी बसन्तपुर तथा देवरिया

---

३७- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (आजमगढ़), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० क

गये और जन सभाओं में भाषण दिया, उन्होंने जनता को कांग्रेस के आगामी आन्दोलन हेतु तैयार रहने के लिए सचेत किया ।[38]

८ अक्टूबर को गांधी जी बस्ती गये, उनके साथ सरदार नर्मदा प्रसाद सिंह, आचार्य कृपलानी तथा जवाहर लाल नेहरू भी थे । पंडित नेहरू ने बस्ती के एक सभा में कहा कि किसानों को सरकार ताल्लुकेदार,साहूकार तथा वकीलों ने हर प्रकार से सताया है । स्वराज्य का अर्थ केवल विदेशी शासन को हटाने से पूरा नहीं हो जाता, हमें ऐसे तत्वों को नष्ट करना है जो अपने ही देश में भारतीयों का शोषण कर रहे हैं । गांधी जी ने अपने भाषण में कांग्रेस के कार्यक्रम पर बल दिया । उन्हें ५००० रुपये की थैली भेंट की गई ।[39]

१४ नवम्बर,१९२९ को महात्मा गांधी काला-कांकर गये, उनके साथ आचार्य कृपलानी तथा देवदास गांधी भी थे । यहां रानियों के बहुमूल्य वस्त्रों की होली जलाई गई, कपड़ों के ढेर में आग लगाने के लिए गांधी जी के हाथ में जो मशाल दी गई थी उसकी मूठ चांदी की थी जिसे बाद में ५०० रुपये में नीलाम कर दिया गया । इसके अतिरिक्त गांधी जी को ५५०० रुपये भेंट किये गये । कालाकांकर में ही एक सभा को सम्बोधित करते हुये गांधी जी ने कहा....मुझे आप सबको और राजा साहब को भी एक जैसे कपड़े पहने हुये उन्हें आपके बीच स्वच्छन्दता से मिलते जुलते देख बड़ी प्रसन्नता होती है । .... मुझे व्यक्तिगत रूप से तो खुशी भी हुई कि यहां जमींदार व राजा लोग नौकरों सरीखे काम भी खुशी से करते देखे जा सकते हैं । मुझे यहां देख कर और भी खुशी होती है कि राजा साहब खुद अपनी रिआया के बीच एक जीते जागते बहादुर नेता हैं ।[40] १५ नवम्बर को महात्मा गांधी

---

३८- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
३९- वही ।
४०- भारत, २-१२-२९, पृ० ३, गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

भदरी गये, जहां उन्हें २,००० रूपये भेंट किये गये । शाम को महात्मा गांधी ने बेला (प्रतापगढ़) में विशाल जन सभा में भाषण दिया और जनता से हिन्दू मुस्लिम एकता बनाये रखने की अपील की । सभा के अन्त में उन्हें ३१८५ रूपये भेंट किये गये ।[९१]

१५ नवम्बर,१९२९ को महात्मा गांधी ने सुल्तानपुर में एक स्त्री सभा को सम्बोधित किया और कांग्रेस कोष हेतु कुछ आभूषण एकत्र किये । विक्टोरिया मंजिल में एक जन सभा को सम्बोधित करते हुये उन्होंने जनता से कांग्रेस कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील की, सभा के अन्त में उन्हें ३४१६ रूपये भेंट किये गये । १९ नवम्बर, १९२९ को महात्मा गांधी मिर्जापुर गये जहां उन्होंने एक विशाल जन सभा में जनता से कांग्रेस का सदस्य बनने तथा १९३० के कांग्रेस के कार्यक्रम हेतु तैयार रहने की अपील की, सभा के अन्त में उन्हें ६०५४ रूपये की थैली भेंट की गई । इसके बाद गांधी जी ने चुनार में एक जन सभा को सम्बोधित किया ।[९२] पूर्वी उत्तर प्रदेश का महात्मा गांधी का दौरा पूर्णतः सफल रहा ।

संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के कार्यक्रम के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां भी गतिशील रहीं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी उसका केन्द्र था । क्रांतिकारियों के प्रति सरकार द्वारा अपनायी गई कठोर नीति के कारण जनता में सरकार के प्रति असन्तोष में और वृद्धि हुई । अक्टूबर १९२९ को भारत के वाइसराय लार्डइरविन ने इंग्लैंड से वापस आने पर अपना एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने घोषित किया कि मुझे ब्रिटिश सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर देने का अधिकार मिला है कि १९१७ की घोषणा में यह बात अन्तर्निहित है कि भारत को अन्त में औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जायेगा । उन्होंने यह भी कहा कि साइमन कमीशन का विवरण प्रकाशित होने के बाद ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही एक गोलमेज सम्मेलन बुलायेगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार से मिलें और भारत

---

९१- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

९२- वही ।

केलिए नवीन संविधान के सिद्धांतों पर विचार करेंगे । उदारवादी इस घोषणा से बहुत संतुष्ट हुये किन्तु कांग्रेस का नवयुवक वर्ग इस घोषणा से सहमत नहीं था और इसी कारण जवाहर लाल नेहरू तथा सुभाष-चन्द्रबोस ने कांग्रेस कार्य समिति से त्याग पत्र दे दिया । कांग्रेस का यह युवक वर्ग भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य चाहता था । संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने १० नवम्बर,१९२९ को अपनी इलाहाबाद की बैठक में लार्ड इरविन की घोषणा से अपनी असहमति तथा जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार की निन्दा के प्रस्ताव पास किये ।[९३]

२३ दिसम्बर,१९२९ को महात्मा गांधी, मोती लाल, तेजबहादुर सप्रू,वल्लभ-भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ वाइसराय से मिले । वे जानना चाहते थे कि क्या सरकार गोलमेज परिषद् भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर नवीन संविधान का निर्माण करने के लिए बुला रही है ? किन्तु वाइसराय ने कोई आश्वासन नहीं दिया, इस प्रकार वाइसराय के साथ कांग्रेस नेताओं की भेंट निरर्थक रही ।

निराशा और क्षोभ के वातावरण में दिसम्बर १९२९ को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । अधिवेशन में ३१ दिसम्बर की रात्रि को १२ बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहरा कर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया । प्रस्ताव के महत्वपूर्ण भाग में कहा गया था कि "यह कांग्रेस घोषित करती है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निरर्थक है । कांग्रेस के विधान की पहली धारा में स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है । नेहरू कमेटी की रिपोर्ट वापस ली जाती है तथा यह कांग्रेस अपने सदस्यों और राष्ट्रीय आन्दोलन में लगे हुये व्यक्तियों से अनुरोध करती है कि वे अपना सारा ध्यान देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति में लगायें । वे आगामी चुनाव में भाग न लें तथा विधानमण्डलों और सरकारी समितियों से त्यागपत्र दे दें । यह कांग्रेस अधिवेशन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अधिकार देता है कि जब उचित समझे अविनय अवज्ञा आन्दोलन जिसमें करों का न देना भी शामिल है, आरम्भ करे ।[९४]

---

९३- आज,१२ नवम्बर,१९२९, पृ०४ ।
९४- डा० पट्टाभिसीतारामय्या, कांग्रेस का इतिहास, पृ०[illegible] ।

## - सविनय अवज्ञा आन्दोलन -

१९३० के प्रारम्भ में देश में चारों ओर अत्यधिक राजनीतिक उत्तेजना का वातावरण था और इस बात के चिन्ह विद्यमान थे कि यदि महात्मा गांधी अहिंसात्मक आन्दोलन का श्रीगणेश न करते तो दयनीय आर्थिक दशा और कठोर नौकरशाही के कारण भारत में हिंसात्मक क्रांति का सूत्र-पात हो जाता । गांधी जी इस बात से अवगत थे इसलिए उन्होंने स्थिति में सुधार करने या स्थिति को नियंत्रण में करने के प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये ।

कांग्रेस कार्य समिति द्वारा २ जनवरी,१९३० की बैठक में प्रति वर्ष २६ जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई । १९ जनवरी, १९३० को संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी कानपुर की बैठक में प्रांत की जनता से कांग्रेस के आन्दोलन में अधिक उत्साह और साहस से भाग लेने की अपील की । प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में २६ जनवरी,१९३० को उत्साहपूर्ण वातावरण में पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया । वाराणसी में क्रांतिकारियों द्वारा बम से सम्बन्धित विरोधी नीति का घोषणा पत्र वितरित किया गया । २६ जनवरी को आजमगढ़ में एक बड़ा जुलूस निकाला गया और सब्जीमंडी में सीताराम अस्थाना के सभापतित्व में एक विशाल सभा की गई, वक्ताओं ने देश की राजनीतिक परिस्थिति की समीक्षा करते हुये पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जनता के सामने रखा । स्वतन्त्रता के प्रतिज्ञा पत्र पर बहुत लोगों ने हस्ताक्षर किये ।[५५] फैजाबाद में सरकारी प्रतिबंध के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता बलदेव श्रीवास्तव विशाल तिरंगा झंडा लेकर जौले अयोध्या में घूमे ।[५६]

कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक १४-१६ फरवरी,१९३० तक साबरमती में हुई । कार्यकारिणी ने स्थिति का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया और एक

५५- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
५६- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (फैजाबाद), सूचना विभाग,उ०प्र०,पृ० ८ ।

प्रस्ताव पास कर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने के सम्पूर्ण अधिकार दे दिये । कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के निर्णय का स्वागत संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने २६ फरवरी,१६३० को इलाहाबाद में एक प्रस्ताव पास करके किया । इसके साथ ही आर्थिक विकास सम्बन्धी कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों को भी स्वीकार करने की घोषणा की गई ।[४७] महात्मा गांधी आन्दोलन के लिए किसी ऐसे क्षेत्र को चुनना चाहते थे जिसमें सारे देशवासियों की रुचि शामिल हो । गांधी जी ने नमक कानून को सबसे पहले तोड़ने का निश्चय किया क्योंकि नमक जैसी जीवन के लिए आवश्यक वस्तु पर सरकार का एकाधिकार था और नमक पर कर भी अधिक था । नमक कानून तोड़ने के लिए नमक बनाने के उद्देश्य से समुद्र तट पर अवस्थित डांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान करने के पहले गांधी जी ने अपनी ११ शर्तें प्रकाशित कीं और अपने एक पत्र में वाइसराय को वह शर्तें लिख भेजीं जिन पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित किया जा सकता था । सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

महात्मा गांधी ने सरकार से समझौता करने का एक और प्रयास, एक अंग्रेज रेजीनल्ड रेनाल्ड्स के माध्यम से वाइसराय को पत्र भेज कर किया । वाइसराय ने महात्मा गांधी के पत्र के उत्तर में केवल यह लिखा कि मुझे दुख है कि गांधी जी वह रास्ता अपनाने जा रहे हैं जिसमें कानून व सार्वजनिक शांति भंग होना अनिवार्य है ।[४८] महात्मा गांधी ने इसके उत्तर में यह कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी पर मुझे पत्थर मिला । ब्रिटिश राज्य केवल शक्ति पहचानता है और इसीलिए मुझे वाइसराय के उत्तर से आश्चर्य नहीं हुआ है । हमारे राष्ट्र के भाग्य में तो जेल की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है, समस्त भारतवर्ष एक विशाल कारागार है । मैं इस कानून को नहीं मानता और उद्गार प्रकट करने में असहाय राष्ट्र हृदय को मसलने वाली इस लादी गई शान्ति की शोकमय एकरसता को भंग करना अपना पुनीत कर्तव्य मानता हूं ।[४९]

---

४७- दि पायनियर, २८ फरवरी,१६३०,पृ० ७ ।
४८- वही,पृ०१, ६ मार्च,१६३० ।
४९- डा० पट्टाभिसीतारामैया,कांग्रेस का इतिहास,पृ० ३५८ ।

शासन की हठधर्मी के कारण महात्मा गांधी आन्दोलन प्रारम्भ करने को विवश हो गये। १२ मार्च,१९३० को महात्मा गांधी ने अपने ७९ कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से डांडी समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। महात्मा गांधी ५ अप्रैल,१९३० को डांडी पहुंचे तथा ६ अप्रैल को जलियांवाला बाग नरमेध के अविस्मरणीय दिन उन्होंने डांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उलंघन कर सत्याग्रह का श्रीगणेश किया और घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति जो नमक कानून उलंघन के दंड को सहने के लिए तैयार हो जब और जहां चाहे नमक बना सकता है।

भारत सरकार से प्रांतीय सरकार को सत्याग्रह आन्दोलन का दमन करने के लिए विशेष निर्देश प्राप्त हुये। प्रत्येक जिले से प्रांत के मुख्यालय को तथा प्रांत के मुख्यालय से भारत सरकार को आन्दोलन की प्रगति के विवरण भेजे जाते रहे। नमक कानून का उलंघन करने वालों हेतु कठोर दंड निर्धारित किया गया तथा सत्याग्रहियों के नायक को बंदी बनाने के लिए जिलाधिकारियों को विशेषाधिकार दिये गये।[५०]

१२ मार्च,१९३० को पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़,फैजाबाद तथा मिर्जापुर जिलों में कांग्रेस के जुलूस निकाले गये तथा सभायें की गईं। वाराणसी में कांग्रेस स्वयंसेवकों तथा युवलीग के कार्यकर्ताओं का सम्मिलित जुलूस निकाला गया। जौनपुर में रामेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया और टाउन हाल के पास एक सभा हुई जिसमें आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए महात्मा गांधी को बधाई दी गई।[५१]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम वाराणसी में नमक कानून का उलंघन किया गया। सम्पूर्णानन्द वाराणसी के प्रथम नायक चुने गये। ६ अप्रैल, १९३० को काशी विद्यापीठ के समीप औनिया नामक स्थान पर नमक बनाया गया। ३-४ दिन बाद पुलिस ने धावा बोल दिया। स्वयंसेवकों द्वारा निर्मित नमक को छीनने हेतु पुलिस बलप्रयोग

---

५०- पुरालेख विभाग के अभिलेख।
५१- वही।

करती और स्वयंसेवक नमक की रक्षा करते । ऐसे में अत्यन्त रोमांचकारी वातावरण उपस्थित हो जाता । पुलिस के बल प्रयोग से कई स्वयंसेवक घायल हो गये । १२ अप्रैल को चन्दौली तहसील के फेसुड़ा ग्राम में नमक बनाया गया । नमक छीनने में पुलिस और स्वयंसेवकों का संघर्ष हुआ, घटनास्थल पर सम्पूर्णानन्द, चन्द्रिका शर्मा तथा श्रीप्रकाश गिरफ्तार कर लिये गये । गोरखपुर में बाबा राघवदास ने बरहज आश्रम से पडरौना तक पद यात्रा की और बसन्तपुर में हजारों व्यक्तियों के मध्य नमक बनाया ।[52] बलिया में चित्तू पाण्डेय, रसड़ा तहसील के बेलौंहा गांव में सरकार विरोधी व्याख्यान देने के कारण गिरफ्तार कर लिये गये । बलिया में हजारों व्यक्तियों ने नमक बनाया । रेवती में नमक बनाते समय हरिवंश सिंह, गोरख सिंह तथा सुखदेव सिंह बन्दी बना लिये गये ।[53] उत्तर प्रदेश में सर्व प्रथम रायबरेली में नमक बनाया गया था, इसमें प्रतापगढ़ का जत्था लेकर कालाकांकर के कुंवर सुरेश सिंह सम्मिलित हुये थे ।

१३ अप्रैल, १९३० को गोरखपुर में द्वितीय तहसील अधिवेशन गणेश शंकर विद्यार्थी की अध्यक्षता में हुआ । बाबा राघवदास ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समर्थन में कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिन्हें अधिवेशन में स्वीकृति दे दी । १४ अप्रैल को ही जवाहर लाल नेहरू गिरफ्तार कर लिये गये । पूर्वी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, बलिया, मिर्जापुर तथा जौनपुर जिलों में नेहरू जी की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल की गयी और जुलूस निकाले गये ।[54]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के उत्तेजनापूर्ण वातावरण में संयुक्त प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, १८-२१ अप्रैल, १९३० को कानपुर में हुआ जिसमें यह निश्चित किया गया कि यदि नमक कानून समाप्त कर दिया जायेगा तो भी स्वतन्त्रता न मिलने तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन जारी रहेगा ।[55] जिला कांग्रेस संगठनों को मद्यनिषेध तथा विदेशी

---

५२- बाबा राघवदास स्मृति ग्रंथ, सं० अजय कुमार, १९५८, पृ० २२१ ।
५३- राम बचनलाल पाठक, बलिया में सत्याग्रह संग्राम, पृ० ४ ।
५४- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
५५- इण्डियन एनुअल रजिस्टर भाग -१ (१९३०), पृ० ३७४ ।

वस्त्र बहिष्कार हेतु निर्देश दिये गये। प्रांतीय कांग्रेस कार्यकारिणी ने १६ अप्रैल को कानपुर में एक कार्यक्रम प्रकाशित करके सत्याग्रह का प्रसार करने की अपील की।[५६]

संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सहयोग न देने की अपील की। लीग के अनुसार यदि मुसलमानों ने इस आन्दोलन में सहयोग दिया तो भविष्य में उन्हें हिन्दू महासभा के अधीन होना पड़ेगा।[५७] जामियत-उल-उलेमा संगठन ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने इस आन्दोलन में सक्रिय सहयोग दिया। मिर्जापुर के बैरिस्टर यूसुफ इमाम ने मुसलमानों से मुस्लिम लीग के बहकावे में न आने की अपील की।

संयुक्त प्रांतीय सरकार ने आन्दोलन का दमन करने के लिए कठोर नीति अपनायी। मिर्जापुर में नमक बनाते समय स्वयंसेवकों पर लाठी वर्षा की गई। मिर्जापुर के ही पचपनी गांव में एक सभा को अवैध घोषित करके सत्याग्रहियों को बुरी तरह से पीटा गया। वाराणसी में पुलिस द्वारा स्वयंसेवकों से नमक की कड़ाही छीनने में कई स्वयंसेवक घायल हो गये। वाराणसी में ही बुल्ला शिविर में पुलिस की बर्बरता से अनेक स्वयंसेवक सांघातिक रूप से घायल हो गये। जनता ने पुलिस को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया।[५८]

२३ अप्रैल,१९३० को वाराणसी के टाउन हाल में एक सभा हुई जिसमें आचार्य-कृपलानी, डा० भगवानदास तथा आचार्य नरेन्द्र देव ने मुसलमानों से आन्दोलन में सहयोग देने की अपील की। गोरखपुर में कसिया, पडरौना, विष्णुपुरा, रामकोला तथा बरहज में बाबा राघवदास ने विशाल जन सभाओं को सम्बोधित किया और जनता से अधिक से अधिक संख्या में नमक कानून का उल्लंघन करने की अपील की।[५९] पैपुरा बाजार में कई मन नमक बनाया गया।[६०]

---

५६- आज, २६ अप्रैल,१९३०,पृ० ७।
५७- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०, (१९२९-३०),पृ० ६।
५८- सत्याग्रह समाचार (दैनिक),सं० बैजनाथ कपूर,२२ अप्रैल,१९३०,पृ० २।
५९- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।
६०- सत्याग्रह समाचार (दैनिक),सं० बैजनाथ कपूर,२३ अप्रैल,१९३०,पृ० २।

वाराणसी जिले के सत्याग्रह आन्दोलन के नायक श्रीप्रकाश २५ अप्रैल,१९३० को गिरफ्तार कर लिये गये ।[६१] डा० भगवानदास को महात्मा गांधी ने श्रीप्रकाश के गिरफ्तार होने पर पत्र द्वारा बधाई भेजी ।[६२] गाजीपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परशुराम राय सहित अनेक कांग्रेस स्वयंसेवकों को नमक कानून का उलंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया । ५ मई,१९३० को गांधी जी गिरफ्तार कर लिये गये । गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में हड़ताल की गई तथा सरकार के विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया ।[६३]

बस्ती जिले में कांग्रेस कार्यालय पर नमक सत्याग्रह किया गया और उसके नायक बलेश्वर ब्रह्मचारी बनाये गये । हजारों लोगों की उपस्थिति में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ता गोकुल राम तथा रजा मोहम्मद खां से कड़ाही और नमक छीनने का असफल प्रयत्न किया । रामबली आचार्य के नेतृत्व में एक जत्था हरैया,कप्तान तथा कैप्टनगंज में नमक बनाने के लिए गया । डोमरिया गंज के थाना अध्यक्ष ने उनके साथ कठोर व्यवहार किया । अमन सभा के कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों की सहमति से कांग्रेस स्वयंसेवकों की सामूहिक पिटाई की । यह समाचार पाकर शिव प्रसाद गुप्त,आचार्य नरेन्द्र देव तथा पुरुषोत्तमदास टंडन बस्ती आये । सरकारी अधिकारियों ने उन्हें जिला छोड़ देने का आदेश दिया किन्तु उन्होंने आदेश का उलंघन किया जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ।

आजमगढ़ में सविनय अवज्ञा आन्दोलन सफलता पूर्वक चल रहा था । वहां के जिलाधीश श्री मेहता कांग्रेस के स्वयंसेवकों से सहानुभूति रखते थे इसलिए उन्होंने सरकारी आज्ञा का उलंघन करके आन्दोलन की गतिविधियों के सम्बन्ध में किसी को गिरफ्तार करने के आदेश नहीं दिये । श्री मेहता के स्थान पर प्रांतीय शासन ने कुन्दन सिंह को

---

६१- दि पायनियर,२७ अप्रैल,१९३०, पृ०३ ।

६२- ...श्रीप्रकाश के कैद होने पर आपका तार पाकर हर्ष हुआ,जेल या फांसी का फंदा सही जगह इस राज्य में देश भक्तों के लिए उपयुक्त जगहें हो सकती हैं । आशा है कि आप तथा कुटुम्ब के अन्य व्यक्ति इस अल्पकाल के वियोग से दुखी न होंगे (सत्याग्रह समाचार (दैनिक) सम्पादक बैजनाथ कपूर,४ मई,१९३०,पृ०३ ।

६३- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

जिलाधीश नियुक्त किया जिन्होंने सरकारी दमन नीति के अनुसार जिले में आन्दोलन को दबाने की चेष्टा की ।[६४]

५ मई,१९३० को बलिया के सुपर अमरा ग्राम में हजारों व्यक्तियों ने नमक बनाया । ६ मई को गाँधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में चौक में विशाल जन सभा हुई जिसमें विंध्यवासिनी प्रसाद ने वकालत छोड़ने की घोषणा की । ६ मई को नगवा बाजार में रामदेव पाठक के नेतृत्व में नमक बनाया गया । १४ मई को बलिया कांग्रेस कमेटी ने मादक द्रव्यों की दुकानों पर धरना देने तथा कांग्रेस संगठन हेतु धन एकत्र करने की योजना बनाई । बलिया में शराब की दुकानों पर दिया गया धरना अत्यन्त सफल रहा ।[६५]

१० मई,१९३० को मिर्जापुर में बैरिस्टर यूसुफ इमाम गिरफ्तार कर लिये गये, यहाँ के टाउन हाल में हजारों व्यक्तियों ने नमक बनाया ।[६६] श्रीमती सरोजिनी नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में २३ मई,१९३० को वाराणसी में स्त्रियों ने जुलूस निकाला और टाउन हाल के मैदान में हुई सभा में भाग लिया । सभा को आचार्य नरेन्द्र देव, डा० भगवानदास,कृष्णाचन्द्र शर्मा आदि विशिष्ट नेताओं ने सम्बोधित किया और श्रीमती नायडू को बधाई दी ।[६७] कमलापति त्रिपाठी ने वाराणसी में टाउन हाल, दशाश्वमेध, कमालपुर तथा कमालपुर में जन सभाओं में भाषण दिया और जनता से कांग्रेस के कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील की ।

१९३० के मई- जुलाई मास में सरकार ने देश में समाचार पत्रों का दमन करने के लिए एक प्रेस अधिनियम पास किया क्योंकि सरकार के मत में समाचार पत्र अविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रचार करने में अत्यधिक योगदान दे रहे थे । वाराणसी के दैनिक "आज "को सरकार द्वारा चेतावनी दी गई कि उसमें सम्पादकीय वक्तव्य न प्रकाशित किये जायं । समाचार पत्रों के प्रकाशकों से कानून की अवज्ञा करने पर

---

६४- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (आजमगढ़), सूचना विभाग,उ०प्र०,पृ० ८ ।
६५- राम [illegible] पाठक, बलिया में सत्याग्रह संग्राम, पृ० ७ ।
६६- सत्याग्रह समाचार (दैनिक),सम्पादक बैजनाथ कपूर, १२ मई, १९३०, पृ० १ ।
६७- दि लीडर, २५ मई, १९३०, पृ० ६ ।

प्रतिभूति की माँग की गई । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेसी तथा कांग्रेस समर्थक समाचार पत्रों से प्रेस अधिनियम के विरोध में समाचार पत्रों का प्रकाशन बन्द कर देने का आग्रह किया । वाराणसी के दैनिक "आज" का प्रकाशन ११ मई, १६३० से २६ अक्टूबर, १६३० तक बन्द कर दिया गया था । आज का प्रकाशन बन्द होने पर कांग्रेस कमेटी ने साइक्लोस्टाइल पर "रणभेरी" का प्रकाशन प्रारम्भ किया । इसके अतिरिक्त "रणचन्डी", "चंडिका", ज्वालामुखी" तथा "रैडफ्लैग" पत्र भी निकाले गये । अयोध्या का राष्ट्रीय साप्ताहिक "अवध केसरी", ज्ञानपुर (वाराणसी) का "ग्रामवासी" तथा मिर्जापुर का "मतवाला" का प्रकाशन भी बन्द कर दिया गया ।[६८] गाजीपुर का "गाजीपुर समाचार" तथा फैजाबाद के "देश मित्र" और "किसान" ही ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने सरकारी नीति का समर्थन किया और उनका प्रकाशन जारी रहा ।[६६]

सुल्तानपुर में अमेठी के प्रसिद्ध आर्य समाज नेता स्वामी नारायण देव के नेतृत्व में बाबा राम लाल, राम नन्द, रमाकांत सिंह तथा मज्जू कुर्मी ने १० जून, १६३० को मीनाकुण्ड में नमक बनाया और गिरफ्तार हुये । विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देने की योजना बनाई गई और धरना देने हेतु स्वयंसेवक भेजे गये । जिन विक्रेताओं ने विदेशी वस्त्रों की गांठ बांध कर कांग्रेस की सील मौहर लगवा ली उ दुकानों पर धरना नहीं दिया गया । केशु कसीरखा ने विदेशी वस्त्र का विक्रय बंद करने से मना कर दिया तो श्रीमती हेमराजी देवी तथा अन्य स्वयंसेवक उस समय लारी के सामने लेट गये जब केशु कसीरखा लारी पर कपड़ा लाद कर ग्राहकों के घर घर कपड़ा भिजवा रहे थे । हेमराजी देवी सहित सभी स्वयंसेवक गिरफ्तार कर लिये गये । श्रीमती हेमराजी देवी इस जिले की पहली महिला थीं जिन्होंने परदा प्रथा का त्याग कर पुरुषों के साथ आन्दोलन में भाग लिया ।[७०]

---

६८- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (फैजाबाद), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ड ।
६६- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० (१६३०-१६३१), पृ० ६८ ।
७०- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक ( सुल्तानपुर ), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० च ।

संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी १६ जुलाई, १९३० को अपनी बैठक में विद्यार्थियों से कांग्रेस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग देने की अपील की। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विद्यार्थियों ने कांग्रेस की हर प्रकार से सहायता की। वाराणसी में काशी विद्यापीठ तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों ने सराहनीय कार्य किया। आजमगढ़ में वेस्ली स्कूल पर झंडा फहराने के आरोप में ११० लड़के स्कूल से निकाल दिये गये। स्कूलों पर धरना दिया गया। एक दिन स्कूल के सहायक मैनेजर, पादरी रसेल स्कूल के फाटक पर धरना देने वाले विद्यार्थियों को अपनी साइकिल से कुचलते हुये अंदर चले गये। इससे नागरिकों में क्षोभ व्याप्त हो गया। कुछ दिनों बाद समझौता हुआ जिसके अनुसार विद्यालय पर पुनः तिरंगा झंडा लगाया जाने लगा। विद्यालय से निकाले गये विद्यार्थी पुनः ले लिये गये। इस घटना में प्रमुख भाग लेने वाले छात्रों में सर्वश्री सच्चिदानन्द पाण्डेय, श्रीराम राय, केशव प्रसाद तथा कपिलदेव राय आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।[७१]

१४ जुलाई, १९३० को एसोसियेटेड प्रेस आफ अमेरिका के विशेष सम्वाददाता ए०एफ० रेरियस वाराणसी में मदन मोहन मालवीय तथा डा० भगवानदास से मिले, उन्होंने मत व्यक्त किया कि इस आन्दोलन ने सरकार के प्रशासन को अत्यधिक प्रभावित किया है, देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन की प्रगति पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया।[७२]

संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने १० अगस्त, १९३० को प्रयाग में अपनी बैठक में १५ सितम्बर से पूर्व अखिल बहिष्कार सप्ताह मनाने व कौंसिल चुनाव के विरुद्ध आन्दोलन करने का प्रस्ताव पास किया। ११ अगस्त को वाराणसी में राजनीतिक बन्दी दिवस मनाया गया, इस दिन हड़ताल की गई और छात्रों को विशिष्ट नेताओं ने सम्बोधित किया। १४ अगस्त को मिर्जापुर में तिलक दिवस मनाया गया।

---

७१- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (आजमगढ़), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ७ ।

७२- दि लीडर, १७ जुलाई, १९३०, पृ० १३ ।

१४ अगस्त को ही मिर्जापुर में, बम्बई में हुई मदन मोहन मालवीय की गिरफ्तारी के विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया ।[७३] गाजीपुर तथा जौनपुर में भी जन सभाओं में वक्ताओं ने मालवीय जी की गिरफ्तारी के लिए सरकार की कटु आलोचना की ।[७४]

सितम्बर मास में जयकर-सप्रू वार्ता असफल हो गई । पूर्वी उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूर्ववत चलता रहा ।

३ सितम्बर,१९३० को बलिया में धारा १४४ लगा दी गई । कांग्रेस स्वयंसेवकों का जुलूस जब मिसरीपुर की मस्जिद के पास पहुंचा तो उसे रोक दिया गया, जिसके कारण सत्याग्रही वहीं बैठ गये । पुलिस का प्रश्रय पाये बदमाशों ने जब शान्ति पूर्वक बैठे सत्याग्रहियों पर कंकड़ फेंके तो भीड़ अनियंत्रित हो गई, जिलाधीश ने गोली चलाने की आज्ञा दे दी जिससे अनेक स्वयंसेवक घायल हुये । इस घटना के बाद बलिया में श्रीमती उमा नेहरू तथा कृष्णाकान्त मालवीय आये, जनता ने उन्हें शान्तिपूर्ण ढंग से आन्दोलन चलाने का वचन दिया ।[७५] २८ सितम्बर,१९३० को गोरखपुर में श्रीमती कमला नेहरू ने एक सभा को सम्बोधित किया, उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्त्रियों को पुरुषों के साथ आन्दोलन में भाग लेने की अपील की ।[७६]

१९३०-३१ में विश्वव्यापी मंदी के कारण वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट आई । किसान अपनी सारी फसल बेच कर भी मालगुजारी चुकाने में असमर्थ थे । किसानों की कठिनाइयों को देखते हुये संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने इलाहाबाद की अपनी बैठक में लाहौर कांग्रेस के प्रस्तावों का अनुमोदन करते हुये कर-बन्दी आन्दोलन चलाने के आशय

---

७३- दि लीडर, १६ अगस्त,१९३०, पृ० ६ ।

७४- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

७५- रामदयाल पाठक, बलिया में सत्याग्रह संग्राम,पृ० ६ ।

७६- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

का एक प्रस्ताव पास किया ।[७७] जून १९३० को कांग्रेस कार्यकारिणी ने इलाहाबाद में एक प्रस्ताव पास करके संयुक्त प्रांत में कर-बंदी आन्दोलन प्रारम्भ करने की छूट दे दी ।[७८] अक्टूबर १९३० में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस ने किसानों के कष्टों को देखते हुये आन्दोलन को चलाने की दिशा में पहल किया ।[७९] कर-बंदी आन्दोलन के राजनीतिक और आर्थिक, दो पक्ष थे किन्तु आन्दोलन के आर्थिक पक्ष का ही किसानों पर अधिक प्रभाव पड़ा । कर-बन्दी आन्दोलन का किसानों ने हृदय से समर्थन किया ।[८०]

संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त प्रांत के किसानों से एक अपील की जिसमें कहा गया कि लगान बन्दी का तात्पर्य जमींदारों द्वारा ब्रिटिश सरकार को मालगुजारी देना बन्द करना तथा किसानों द्वारा लगान का पचास प्रतिशत बन्द करना है परन्तु यदि जमींदार सरकार को मालगुजारी दे दे तो कृषकों को चाहिये कि वे लगान देना बिल्कुल बन्द कर दें ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगान बन्दी आन्दोलन का प्रारम्भ प्रतापगढ़ से हुआ । १८ अक्टूबर,१९३० को जवाहर लाल नेहरू ने प्रतापगढ़ में सघुरही गांव में किसानों को ५० प्रतिशत लगान बचाव के रूप में देने की सलाह दी, उन्होंने यह भी कहा कि यदि जमींदार इतना न लें या पूरी लगान लेना चाहें तो उन्हें कुछ भी न दिया जाय । ६ नवम्बर,१९३० को गोरखपुर के महराजगंज के किसानों ने जमींदार के कर्मचारियों की पिटाई इसलिए कर दी क्योंकि वे बारह आने प्रति बीघे से अधिक लगान नहीं देना चाहते थे और जमींदार के कर्मचारी उससे अधिक लगान वसूलना चाहते थे । बाबा राघवदास तथा रामधारी पाण्डेय ने वहां के किसानों की सभा को सम्बोधित किया और उनसे केवल ५० प्रतिशत लगान जमींदारों को देने की सलाह दी ।

---

७७- दि पायनियर, २८ फरवरी,१९३०, पृ० ७ ।
७८- डी०जी० तेंदुलकर, महात्मा, भाग-३, पृ० ३३ ।
७९- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०(१९२९-३०),पृ० ७ ।
८०- आज, १३ जून, १९३१, पृ० २ ।

गोरखपुर में श्री रामकोला, देवरिया, सलेमपुर, बरहज तथा पीपीगंज में बाबा राघवदास ने किसानों से कर बन्दी आन्दोलन शांतिपूर्वक जारी रखने की अपील की । सुल्तानपुर जिले में कांग्रेस स्वयंसेवकों ने गांव गांव में जाकर किसानों को केवल आधा लगान देने की सलाह दी ।[८१]

आजमगढ़ जिले में घोसी तहसील में अधिकारियों की सतर्कता के बाद भी कांग्रेस स्वयंसेवकों ने लगान बन्दी आन्दोलन से सम्बन्धित साहित्य किसानों में वितरित किया । १६ फरवरी, १६३१ को प्रतापगढ़ में पट्टी तहसील के कहला ग्राम में एक किसान नेता के आह्वान पर विशाल जन सभा का आयोजन हुआ । सभा की कार्यवाही पहले राष्ट्रीय गीत से प्रारम्भ की गई ही थी कि पुलिस अधिकारियों ने आकर सभा को अवैध घोषित कर दिया और कुछ व्यक्तियों को घटनास्थल पर गिरफ्तार करना चाहा । पुलिस की इस अनुचित कार्यवाही का कुछ लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने भीड़ पर गोली वर्षा कर दी जिसके परिणाम-स्वरूप ३ व्यक्ति घटनास्थल पर शहीद हो गये ।[८२] प्रतापगढ़ तथा निकटवर्ती जिलों के किसानों में इस घटना से रोष व्याप्त हो गया किन्तु पुरुषोत्तमदास टंडन ने आकर स्थिति को संभाल लिया । जवाहर लाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय तथा शीतला सहाय ने भी कहला ग्राम का दौरा किया और किसानों को सांत्वना दी । कहला क्षेत्र में पुलिस का आतंक कम करने के उद्देश्य से कालाकांकर के राजा अवधेश प्रताप सिंह ने वहाँ एक सप्ताह का शिविर किया जिससे किसानों में व्याप्त निराशा कम हुई । संयुक्त प्रांत के गवर्नर मालकम हेली ने लगान में छूट देने से अस्वीकार कर दिया और ताल्लुकेदारों को कठोरता से लगान वसूलने के आदेश दिये । कालाकांकर तथा भदरी के राजाओं ने अपनी प्रजा को लगान में आधी छूट देकर आदर्श उपस्थित किया । कालाकांकर के राजा द्वारा ३८हजार रु० लगान के न जमा कर पाने के कारण प्रतापगढ़ के जिलाधीश

---

८१- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

८२- कहला (प्रतापगढ़) के गोली कांड में मृतकों के नाम- सर्वश्री कालिका प्रसाद, रामदास कुर्मी तथा मथुरा यादव, स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (प्रतापगढ़), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ५। (गुप्तचर विभाग के अभिलेखों में केवल दो व्यक्तियों के मरने का उल्लेख है ।)

ने उनकी दो मोटरें, एक लारी, एक मोटर बोट, कुछ घोड़े तथा अन्य सम्पत्ति सरकारी अधिकार में लेने के आदेश दिये।[८३] अगस्त १९३१ में वाराणसी में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें पुरुषोत्तमदास टंडन, उमा नेहरू, आचार्य नरेन्द्र देव, पं० सुन्दर लाल, श्रीप्रकाश तथा मंजूरअली सोख्ता ने भाग लिया, बैठक में लगान बन्दी आन्दोलन पर विचार किया गया। सरकार ने नवम्बर १९३१ में मालगुजारी में कुछ छूट दी किन्तु वह अपर्याप्त थी।[८४] १९३२ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़ तथा गाजीपुर में कर बन्दी आन्दोलन की गतिविधियां जारी रहीं और इसके अन्तर्गत सरकार ने बहुत से किसानों को गिरफ्तार किया।

संयुक्त प्रांत में सविनय अवज्ञा आन्दोलन सफलतापूर्वक गतिमान था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन पर तत्कालीन वाइसराय लार्ड इरविन की दो प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। वे अपनी शक्ति पर आन्दोलन का दमन करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने नये नये अध्यादेशों की स्वीकृति दी, दूसरी ओर वे किसी सम्मानजनक समझौते के लिए भी प्रयत्नशील थे। जयकर-सप्रू वार्ता असफल होने पर गत्यावरोध पूर्वस्थिति में बना रहा और कांग्रेस प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन १२ नवम्बर, १९३० को लन्दन में प्रारम्भ हुआ। उस दिन भारत में सम्मेलन का विरोध प्रकट करने के लिए जुलूस निकाले गये और आम हड़ताल की गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर तथा जौनपुर में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विरोध में सभाओं का आयोजन किया गया।[८५]

प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद सर तेजबहादुर सप्रू और जयकर ने अपने मध्यस्थता प्रयत्न फिर प्रारम्भ कर दिये। इन मध्यस्थता प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी और लार्ड इरविन में विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ। गांधी-इरविन की बातचीत के परिणाम स्वरूप ५ मार्च, १९३१ को एक समझौता हुआ जो[८६]

---

८३- वर्तमान, २० मार्च, १९३१, पृ० ५, आज, २० मार्च, १९३१, पृ० ४।
८४- कुल मिलाकर १०९५१)रु० की छूट दी गई थी, दि पाइनियर, १८-११-१९३१, पृ०५।
८५- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।
८६- दि पायनियर, ७ मार्च, १९३१, पृ० १।

गांधी इरविन समझौते के नाम से विख्यात है। गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को बन्द करने की घोषणा की और सरकार ने राजनीतिक बन्दियों को मुक्त करने का आश्वासन दिया तथा कांग्रेस संगठनों पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया। ५ मार्च, १९३१ को गांधी जी ने प्रतिनिधि सम्मेलन में घोषणा की कि कांग्रेस अपने पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी।[८७]

१० अप्रैल, १९३१ को लार्ड इरविन के स्थान पर लार्ड विलिंगटन भारत के वायसराय नियुक्त हुये। वे आन्दोलन को दमन करने का विचार रखते थे। कांग्रेस समझौते की शर्तों का पालन करती रही किन्तु सरकार की दमन नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दमन की स्थिति को देखते हुये कांग्रेस कार्यकारिणी ने १३ अगस्त, १९३१ को प्रतिरोध के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग न लेने की घोषणा की।[८८] १६ अगस्त, १९३१ को गांधी जी ने एक आपत्तिजनक पत्र प्रकाशित किया जिसमें सरकार द्वारा समझौते की शर्तों का पालन न करने का उल्लेख था। अन्त में स्थिति का निराकरण किया गया और गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया।

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ७ सितम्बर, १९३१ को प्रारम्भ हो गया। गोलमेज समिति की अल्पसंख्यक निकायिक समिति में साम्प्रदायिक प्रश्न पर विभिन्न दलों के मत-भेद स्पष्ट हो गये। भारत के राजनीतिक दल किसी ऐसे समझौते पर न पहुंच सके जो ब्रिटिश सरकार को मान्य होता। लार्ड मैकडानल्ड ने अल्पसंख्यकों के विषय में इस शर्त पर अपना निर्णय देना स्वीकार किया कि सभी दल उसे स्वीकार कर लें। साम्प्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सका और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। २८ दिसम्बर, १९३१ को जब महात्मा गांधी भारत वापस आये तो उन्हें भारत के वायसराय की दमन नीति से अवगत होने पर बहुत दुख हुआ। गांधी जी ने वायसराय से विचार विमर्श करना चाहा किन्तु वायसराय ने उसे स्वीकार नहीं किया। सरकार की असहयोग नीति को देखते हुये कांग्रेस ने ४ जनवरी, १९३२ को पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया।

---

८७— आज, ७ मार्च, १९३१, पृ० ३।

८८— दि लीडर, १५ अगस्त, १९३१, पृ० ५।

४ जनवरी,१९३२ को महात्मा गाँधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार कर लिये गये और कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित करते हुये सभी प्रकार के प्रदर्शनों एवं प्रचार साहित्य तथा उसके प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। संयुक्त प्रांत में सरकार ने जिलाधीशों को कांग्रेस के जुलूस तथा सभाओं को रोकने हेतु विशेष आदेश दिये। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्राय: हर जिले में गाँधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाले गये और सभायें की गईं।

५ जनवरी,१९३२ को वाराणसी में गाँधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल की गई और एक जुलूस दशाश्वमेध घाट से निकाला गया। जब जुलूस टाउनहाल के मैदान में पहुंचा तो उसे तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया, शान्तिपूर्ण जुलूस पर लाठी वर्षा से लोगों में उत्तेजना फैल गई और कुछ लोगों ने पुलिस पर कंकड़ फेंके। पुलिस ने १४ चक्र गोलियां चलाईं जिससे ३ व्यक्ति मारे गये।[८९] बलिया में गाँधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में की जा रही सभा पर लाठी वर्षा की गई और विन्ध्यवासिनी प्रसाद सहित सभी वक्ताओं को बन्दी बना लिया गया।[९०] आजमगढ़ में जिला अधिकारियों द्वारा लगायी गई धारा १४४ का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उल्लंघन करके विशाल जन सभा का आयोजन किया, पुलिस ने जनता पर लाठी वर्षा की और सीताराम अस्थाना सहित अन्य वक्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। फैजाबाद में निकाले गये जुलूस पर कोतवाली के समीप लाठी वर्षा की गई और बाबूलेनाचार्य तथा मसीह उल्लाह को बन्दी बना लिया गया।[९१]

देवरिया में गौरी बाजार में १२ जनवरी,१९३२ को पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय को नष्ट कर दिया और झंडा उखाड़ ले गई।[९२] बस्ती में पुरानी बस्ती तथा

---

८९- टाउनहाल मैदान में पुलिस की गोली वर्षा से मारे गये व्यक्तियों के नाम- चौबे श्याम मनोहर आर्य, रामनन्दन, टैमर (इनकी मृत्यु ६ दिन बाद अस्पताल में हुई), गुप्तचर विभाग के अभिलेख, दि लीडर, ७ जनवरी,१९३२,पृ० ६।

९०- दि लीडर, ८ जनवरी,१९३२, पृ० ११।

९१- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (फैजाबाद), सूचना विभाग,उ०प्र०, पृ० ४।

९२- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (देवरिया), सूचना विभाग,उ०प्र०, पृ० २१।

२ अप्रैल, १९३२ को वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्वदेशी लीग की शाखा की स्थापना की गई जिसका कार्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करके कांग्रेस के कार्यक्रम को सफल बनाना था। मदन मोहन मालवीय ने शाखा के उद्घाटन समारोह में कहा कि विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से इंग्लैंड के पूंजी-पतियों को बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से हमारे देश में व्याप्त निर्धनता घटेगी। अन्त में मालवीय जी ने कहा कि सरकार कितनी भी दमन नीति अपनाये कांग्रेस का अन्त करना उसके वश की बात नहीं है।[97] ८ अप्रैल,१९३२ को वाराणसी के दैनिक "आज" के कार्यालय की तलाशी ली गई किन्तु कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं बरामद हुई।

मई १९३२ में कालाकांकर (प्रतापगढ़) के राजा अवधेश प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ जिले का व्यापक दौरा करके जनता से सामाजिक स्थिति को सुधारने, खद्दर का प्रयोग करने तथा पंचायतों के गठन करने की अपील की। लाल सुरेश सिंह ने कालाकांकर से "कुमार" नामक एक पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया जिसका उद्देश्य बच्चों में राजनीतिक जागृति लाना था।[98]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए गोरखपुर, बलिया, बस्ती, गाजीपुर तथा आजमगढ़ में लोकगीतों की रचना की गई जिनमें कांग्रेस के कार्यक्रम व नीतियों की व्याख्या की गई।[99] ये गीत सभाओं के प्रारम्भ

---

९७- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।
९८- वही।
९९- (१) "गंगा मइया के बढ़ै मोर व सीताराम मनावैली हो"।
 (२) "हमरे चरखा क साथ लागै चरखा हम चलाइब हो राम"।
 (३) "गांव में हमरे कांग्रेस के कमेटी उड़वा झंडा गड़ल बाटे"।
 (४) "खादी के बाइल बनाना बलम जेलखाना पकड़ि गये"।
 (५) "गांधी बाबा सरकार के हैरान कइले बा"।
 (६) "सौरजवा के कारन होइबै फकीर,
 सारी विदेशी मोरी मनहीं न भावै
 खद्दर को बांधै मोरा सगरे शरीर"।

(कांग्रेस कार्यकर्ता ठाकुर त्रिपाठी (स्थान- बरहज, जि०-देवरिया), की डायरी)

में तथा कांग्रेस के कार्यक्रमों में गाये जाते, धीरे धीरे इनका प्रचलन घर घर में हो गया । इन लोक गीतों के माध्यम से कांग्रेस की नीतियाँ व कार्यक्रम का प्रचार जन साधारण में बड़ी सुगमता से हो गया । सुरजिया (स्वराज्य) नाटक तथा सुदेसिया (स्वदेशी) नाटक की भी रचना की गई जिसे बड़ी लोकप्रियता मिली ।

१६ अगस्त,१६३२ को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री रेम्जे मैकडानल्ड ने अछूतों और पीड़ित वर्ग के लोगों को अलग प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की । इस निर्णय के साथ यह भी घोषित कर दिया गया कि यदि सरकार को यह विश्वास हो जायेगा कि विभिन्न सम्प्रदायों को एक वैकल्पिक योजना स्वीकार है तो वह ब्रिटिश संसद से सिफारिश करेगी कि साम्प्रदायिक बंटवारा में रखी गई योजना के बदले में नई योजना स्वीकार कर ली जाय ।[१००] इसके विरोध में १८ अगस्त को गांधी जी ने घोषणा की कि यदि पीड़ित वर्ग का अलग प्रतिनिधित्व न समाप्त कर दिया गया तो वे आमरण अनशन करेंगे । २० सितम्बर,१६३२ को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने अनशन शुरू कर दिया । महात्मा गांधी के अनशन से भारतीय नेता चिंतित हो गये । मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न से अनेक हिन्दू नेता पहले बम्बई लेकिन बाद में पूना में एकत्र हुये, इन नेताओं के चार दिन के विचार विमर्श के पश्चात् २४ सितम्बर,१६३२ को एक हल निकल आया जिसे बाद में सभी दलों और महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया । २६ सितम्बर,१६३२ को महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया । २४ सितम्बर को हुआ समझौता पूना समझौता के नाम से विख्यात है । इस समझौते के अन्तर्गत अछूतों के स्थान सुरक्षित किये गये । संयुक्त प्रांत में उनकी संख्या २० निश्चित की गई ।[१०१] ब्रिटिश सरकार ने भी इस समझौते को बाद में स्वीकार कर लिया ।

२६ अक्टूबर, १६३२ को वाराणसी के दैनिक "आज" के कार्यालय की तलाशी पुलिस द्वारा ली गई, पुलिस को वहाँ कांग्रेस का साहित्य छापे जाने का संदेह था

---

१००- डा० राजेन्द्रप्रसाद, खंडित भारत, पृ० १२६ ।
१०१- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०(१६३१-३२), पृ० ६ ।

किन्तु कोई आपत्तिजनक चीज़ उपलब्ध नहीं हुई ।[१०२] ४ नवम्बर, १९३२ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कैदी दिवस मनाया गया । ८ दिसम्बर,१९३२ को वाराणसी में विद्यार्थियों की एक सभा में स्वदेशी वस्तुओं के समर्थन में बोलते हुये मदन मोहन-मालवीय ने कहा कि विदेशी सरकार हमारे देश में अपने देश के वस्तुओं की बिक्री करके स्वयं धनवान हो रही है । हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी का यही एक कारण है । अपने देश को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए हमें स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की शपथ लेनी चाहिये ।[१०३]

२७ दिसम्बर, १९३२ को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का विस्तार करने का निश्चय किया ।[१०४] ४ जनवरी, १९३३ को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांधी दिवस के उपलक्ष में हड़तालें की गईं और सभाओं का आयोजन किया गया । २६ जनवरी, १९३३ को पुलिस की विरोधी कार्यवाहियों के बाद भी स्वतन्त्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया ।

मार्च १९३३ में ब्रिटिश सरकार ने एक "श्वेत पत्र" का प्रकाशन किया जिसमें भारत के भावी संविधान के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किये गये । ये प्रस्ताव इतने प्रतिगामी थे कि भारत के प्रत्येक प्रगतिशील लोकमत के लिए सर्वथा अस्वीकार थे ।[१०५] भारत के प्रत्येक जनमत ने इन प्रस्तावों की कटु आलोचना की । २२ मार्च, १९३३ को वाराणसी में मदन मोहन मालवीय के निवास स्थान पर गोविन्द वल्लभ पंत, रफी अहमद किदवई तथा देवदास गांधी ने श्वेत पत्र के प्रति कांग्रेस की नीति पर विचार विमर्श किया ।[१०६] संयुक्त प्रांतीय सरकार ने ३१ मार्च, १९३३ को कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने हेतु जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । वाराणसी, आजमगढ़

---

१०२- दि लीडर, २ नवम्बर, १९३२, पृ० ६ ।
१०३- दि पायनियर, १० दिसम्बर, १९३२, पृ० ५ ।
१०४- प्रोसीडिंग्स आफ दि होम डिपार्टमेंट, पोलिटिकल पार्ट-बी, जनवरी १९३३, पृ० १८।१ ।
१०५- डी० आई० चिन्तामणि, इंडियन पोलिटिक्स सिन्स म्यूटिनी, पृ० १८५ ।
१०६- दि पायनियर, २३ मार्च, १९३३, पृ० ५ ।

गोरखपुर तथा फैजाबाद स्टेशनों पर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने जा रहे बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में लोग कलकत्ता पहुंच गये ।

संयुक्त प्रांत में मार्च १९३३ तक सविनय अवज्ञा आन्दोलन की गति मन्द हो गई । गांधी जी ने अछूतोद्धार की ओर विशेषरूप से ध्यान दिया । ८ मई को गांधी जी ने अछूतोद्धार करने के लिए २१ दिनों का व्रत रखा, सरकार ने २९ मई, १९३३ को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया । जेल से बाहर आने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को ६ सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और सरकार को आमंत्रण दिया कि राजनीतिक कैदियों को मुक्त करके सरकार देश में शान्ति स्थापित करने के लिए उस अवसर का लाभ उठाये किन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया । विट्ठल भाई पटेल तथा सुभाषचन्द्र बोस ने गांधी जी के इस कार्य की निन्दा की । उनके मत में महात्मा गांधी ने ऐसा करके सविनय अवज्ञा आन्दोलन की असफलता स्वीकार की है।[१०७]

गांधी जी द्वारा की गई अछूतोद्धार की अपील से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अछूतोद्धार के लिए बहुत प्रयत्न किये गये । वाराणसी, बस्ती तथा आजमगढ़ में छुआ-छूत के विरोध में जुलूस निकाले गये और सभायें की गईं ।[१०८] अनेक स्थानों पर पूजा के पश्चात् लोगों ने हरिजनों के हाथ से प्रसाद स्वीकार किया और हरिजनों को गले लगाया । हरिजनों के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल दिये गये । अनेक जिलों में सभाओं में हरिजनों तथा कुलीन वर्ग के लोगों ने एक साथ भोजन किया ।[१०९]

जेल से छूटने पर कांग्रेस नेताओं की जुलाई १९३३ में पूना में एक अनौपचारिक सभा हुई । इसमें सविनय अवज्ञा आन्दोलन को जारी रखने या समाप्त करने के प्रश्न पर बहुत मतभेद प्रकट हुआ । पूना सम्मेलन ने गांधी जी को अधिकार दिया कि वे वाइसराय से भेंट करके समझौते का कोई मार्ग निकालें किन्तु वाइसराय ने गांधी जी

---

१०७- पट्टाभि-सीतारामय्या, कांग्रेस का इतिहास, पृ० ५५४ ।
१०८- दि पायनियर, २४ मई, १९३३, पृ०५ ।
१०९- पुलिस विभाग के अभिलेख ।

से भेंट करना अस्वीकार कर दिया जब तक कि सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द न कर दिया जाय। वाइसराय का यह व्यवहार भारत का राष्ट्रीय अपमान था। संघर्ष जारी रखने के लिए स्पष्ट चुनौती थी किन्तु स्थिति यह थी कि जन आन्दोलन अब और अधिक समय तक जारी नहीं रखा जा सकता था।[110] इस स्थिति में महात्मा गांधी ने सार्वजनिक सत्याग्रह को बन्द करके व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन का उपाय ग्रहण किया। महात्मा गांधी को १ अगस्त, १९३३ को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्ण हड़ताल की गई। वाराणसी में मदन मोहन मालवीय ने स्वयं जाकर सेंट्रल हिन्दू हाई स्कूल को बन्द करवाया, शाम को उन्होंने एक सभा को सम्बोधित करते हुये सरकार के कृत्यों की कटु आलोचना की।[111]

गांधी जी की सलाह से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने १८-१९ मई, १९३४ को पटना अधिवेशन में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन को समाप्त करने की घोषणा की तथा व्यवस्थापिका सभा और परिषद् के चुनावों में भाग लेने का निश्चय किया। संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने १२ जून, १९३४ को लखनऊ में, पटना अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय का पालन करने का निश्चय किया।[112]

## समीक्षा

स्वराज्य दल यद्यपि अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा किन्तु उसने असहयोग आन्दोलन के बाद राजनीतिक जागृति को बनाये रखने की चेष्टा की और सरकार की कार्यवाहियों में असहयोग करके सरकार को जनअसंतोष से अवगत कराया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में साइमन कमीशन का बहिष्कार पूर्णतः सफल रहा तथा नेहरू रिपोर्ट को व्यापक समर्थन मिला जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नीतियों की लोकप्रियता का परिचायक था।

---

११०- डा० ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास, पृ० ५९६।
१११- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।
११२- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० (१९३४-३५), पृ० ७।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगान बन्दी आन्दोलन तीव्र गति से चला । कछला (प्रतापगढ़) के गोली कांड ने सरकार की किसानों के प्रति दमन नीति को स्पष्ट कर दिया । इस क्षेत्र के कुछ राजाओं व ताल्लुकेदारों ने किसानों की सहायता करके एक आदर्श उपस्थित किया जिससे परिणामस्वरूप ताल्लुकेदारों तथा किसानों के सम्बन्धों में सुधार हुआ और वे उतने कटु नहीं रह गये जितने कि १९२० के किसान आन्दोलन के समय थे ।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अन्तर्गत कांग्रेस के कार्यक्रमों में पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता ने विशेष अभिरुचि प्रकट की । पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकार की नीतियों का विरोध जनता ने जुलूसों और सभाओं के माध्यम से व्यक्त किया । प्रांतीय सरकार के कठोर आदेशों के बाद भी मादक द्रव्यों की दुकानों पर धरना देना काफी अंशों तक सफल रहा और प्रांतीय सरकार की मादक द्रव्यों से होने वाली आय में काफी कमी हो गई ।[११३] गांधी- इरविन समझौते की यद्यपि व्यापक आलोचना की गई किन्तु सरकार ने वार्ता के लिए सहमत होकर कांग्रेस को भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दे दी । समानता के स्तर पर हुई बातचीत से स्पष्ट हो गया कि इंग्लैंड के द्वारा भारत पर गांधी जी की इच्छा के बिना या उसके विरुद्ध शासन नहीं किया जा सकता ।[११४]

पूना समझौता के अन्तर्गत गांधी जी के अनशन से अछूतों की स्थिति को सुधारने की दिशा में बहुत सफलता मिली । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुलीन वर्ग के लोगों ने हरिजनों के साथ समानता का व्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया, हरिजनों को मंदिरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश का अधिकार मिला और उन पर किये जाने वाले अत्याचारों में कमी हुई ।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यक्रम व नीतियों को जनता तक पहुंचाने में काफी अंशों तक सफल रहा ।

---

११३- एस०एम०बेनियर, इंडिया स्ट्रगल फार फ्रीडम, पृ० २१७ ।

११४- फिशर, महात्मा गांधी, पृ० ३०२ ।

## चतुर्थ अध्याय

## राजनीतिक शिथिलता से व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन तक (१९३४-४१)

सविनय अवज्ञा आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात् संयुक्त प्रांतीय राजनीतिक वातावरण में निराशा व्याप्त हो गई। कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों की ओर अपना ध्यान पुनः आकृष्ट किया। कांग्रेस के नेताओं में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के कारण मतभेद प्रकट होने लगा। कांग्रेस का एक वर्ग सामाजिक सुधार की आवश्यकता अनुभव करता था तो दूसरा वर्ग स्वराज्य दल के पुनर्संगठन पर बल दे रहा था और तीसरा वर्ग आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता देने के पक्ष में था। असंतोष की यह भावना ३१ मार्च, १९३४ को दिल्ली में डा० मुख्तार अहमद अंसारी के सभापतित्व में हुये कांग्रेस अधिवेशन में अखिल भारतीय स्वराज्य पार्टी के पुनर्जीवन के रूप में व्यक्त हुई।[1] स्वराज्य दल का पुनर्गठन व्यक्तिगत सत्याग्रह में अनास्था रखने वालों को नया रचनात्मक कार्यक्रम देने तथा व्यवस्थापिका परिषदों में श्वेत पत्र के संविधान का विरोध करने के कारण किया गया।

२-३ मई, १९३४ को रांची (बिहार) में कांग्रेस की बैठक में स्वराज्य दल के पुनर्गठन का समर्थन किया गया और श्वेतपत्र पर आधारित संवैधानिक सुधारों का विरोध किया गया।[2] १८ मई को पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रांची सम्मेलन के निर्णय का अनुमोदन किया और व्यवस्थापिका सभा का चुनाव लड़ने तथा उम्मीदवारों का चयन करने हेतु एक संसदीय समिति का गठन किया।[3] तत्कालीन स्थिति पर विचार करके भारत सरकार ने ६ जून, १९३४ को कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा की। संयुक्त प्रांतीय सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार के निर्णय का पालन करते हुये ११ जून, १९३४ को संयुक्त प्रांत में कांग्रेस संगठनों पर लगे प्रतिबन्ध को उठा लिया।[4]

---

१- इंडियन एनुअल रजिस्टर, १९३४, भाग-१, पृ० २५३।
२- वही।
३- आज, २१ मई, १९३४, पृ० ४।
४- दि लीडर, १३ जून, १९३४, पृ० ३।

साम्प्रदायिक निर्णय पर कांग्रेस ने जो उदासीनता प्रदर्शित की उससे क्षुब्ध होकर मदन मोहन मालवीय तथा एम०एस०अणे ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से त्याग पत्र दे दिया।[५] कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी दमन नीति के विरुद्ध निर्वाचन में भाग लेने श्वेत पत्र को समाप्त करने तथा साम्प्रदायिक निर्णय का विरोध करने का उल्लेख किया था।[६] अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने २७ जुलाई, १९३४ को मदन मोहन मालवीय तथा एम०एस०अणे के त्याग पत्र पर विचार किया। कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद मालवीय जी ने राष्ट्रीय दल की स्थापना की, उन्होंने घोषित किया कि हमारे विचार से जो मत राष्ट्रीय एवं विश्वासपूर्ण है उस पर देश तथा व्यवस्थापिका सभा में विचार करने का प्रयत्न होना चाहिये। साम्प्रदायिक निर्णय तथा श्वेत पत्र के विरुद्ध उदारवादी दल ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया।[७] कांग्रेस द्वारा साम्प्रदायिक निर्णय का समर्थन न करने के कारण मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की आलोचना की। संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में निर्वाचन के प्रश्न को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। रफी अहमद किदवई के दल ने निर्वाचन के प्रति विरोध प्रकट किया। कांग्रेस में बढ़ती हुई राजनीतिक मतभेद की परिस्थितियों में गांधी जी ने कांग्रेस से अलग होने का निश्चय किया। १७ सितम्बर, १९३४ को वर्धा में महात्मा गांधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह अफवाह सच थी कि मैं कांग्रेस से अपना स्थूल सम्बन्ध विच्छेद करने की बात सोच रहा हूँ।[८] गांधी जी की इस घोषणा से कांग्रेस पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई। शासन के रूप में कांग्रेस ने अब रचनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित किया और कांग्रेस जन इच्छा को स्वतन्त्रता आन्दोलन में लाने का प्रयत्न करने लगी।[९]

---

५. दि पायनियर, ७ जुलाई, १९३४, पृ० १।
६. दि लीडर, १८ जून, १९३४, पृ० ११।
७. इंडियन एनुअल रजिस्टर, (१९३४), भाग-२, पृ० २८।
८. पट्टाभिसीतारामय्या, कांग्रेस का इतिहास, पृ० ५५७।
९. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०(१९३४-३५), पृ० २।

भारत में शासन सुधार के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा १९३५ में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे "भारतीय शासन अधिनियम १९३५ "कहा जाता है । इस अधिनियम के सबसे प्रमुख ३ लक्षण थे; प्रथम - ब्रिटिश प्रांतों और स्वेच्छा से सम्मिलित होने वाली देशी रियासतों को मिला कर अखिल भारतीय संघ के निर्माण की संरचना, द्वितीय- प्रांतीय स्वायत्तता, तृतीय - केन्द्र में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना । ब्रिटिश सरकार यह नहीं चाहती थी कि वास्तव में भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया जाए, इसीलिए इस अधिनियम में संरक्षणों और आरक्षणों की इस प्रकार से व्यवस्था की गई कि अंतिम रूप से नियंत्रणकारी शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास ही रहे ।

कांग्रेस में इस बात पर मतभेद थे कि इस अधिनियम के आधार पर चुनाव में भाग लिया जाय या नहीं किन्तु बाद में यह विचार करके कि चुनाव में भाग लेना देश के लिए कुछ हितकर हो सकता है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया । संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जून १९३५ को लखनऊ में हुई अपनी बैठक में यह निश्चित किया कि कांग्रेस संविधान के अनुसार होने वाले चुनाव में भाग लेगी किन्तु इसके सदस्य स्थान नहीं ग्रहण करेंगे ।[10] संयुक्त प्रांतीय उदारवादी दल ने २० अप्रैल, १९३५ को गोरखपुर में अपनी एक बैठक में नये संवैधानिक विकास पर अनास्था व्यक्त की किन्तु बाद में उदारवादी दल ने व्यावहारिक राजनीति से संन्यास ले लिया और अब उसका उद्देश्य केवल रचनात्मक कार्यों तक सीमित हो गया ।[11] प्रांतीय उदारवादी दल ने फर्रुखाबाद में १३ अप्रैल को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें रचनात्मक कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया ।

१९३५-३६ में जवाहर लाल नेहरू ने चुनाव के सम्बन्ध में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का व्यापक दौरा किया । गोरखपुर में बाबा राघवदास के सहयोग से जवाहर लाल नेहरू ने अनेक विशाल जन सभाओं को सम्बोधित किया । पं० नेहरू चुनाव प्रचार अभियान के अन्तर्गत फैजाबाद, आजमगढ़, बलिया तथा प्रतापगढ़ भी गये । पूर्वी-

---

१०- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० (१९३४-३५), पृ० ४ ।
११- डा० बी०डी०शुक्ल "ए हिस्ट्री आफ दि इंडियन लिबरल पार्टी", पृ० ३४३ ।

उत्तर प्रदेश में किसानों ने कांग्रेस को अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और कांग्रेस के नेताओं ने किसानों को जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त कराने का विश्वास दिलाया । कांग्रेस के आचार्य नरेन्द्र देव, रफी अहमद किदवई, सम्पूर्णानन्द, श्रीप्रकाश, कमलापति त्रिपाठी आदि नेताओं ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में विशाल जन सभाओं का आयोजन करके जनता से कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील की और कांग्रेस के घोषणा पत्र से जनता को अवगत कराया । कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में देश पर लदे हुये अनेकों अधिनियमों को जो देश की आत्मा का गला घोंट रहे थे को रद्द करवाने तथा कारागार में बन्द राजनीतिक कैदियों को मुक्त कराने हेतु प्रयत्न करने का आश्वासन दिया । इसके अतिरिक्त मद्यनिषेध, लगान में कमी, श्रमिकों के कार्य अवधि में कमी जैसे अनेक रचनात्मक कार्यों का भी घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया ।[१२]

संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग व कांग्रेस का चुनाव अभियान परस्पर सहयोगवादी था । मुस्लिम लीग ने अपना ध्यान केवल अपने पूर्व रक्षित स्थानों पर ही केन्द्रित रखा । संयुक्त प्रांत में ७-८ फरवरी, १९३७ को व्यवस्थापिका सभा तथा १७-१८ फरवरी, १९३७ को व्यवस्थापिका परिषद् के चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में हुये । संयुक्त प्रांत की जनता ने मतदान में उत्साहपूर्वक भाग लिया । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी हुये । संयुक्त प्रांत व्यवस्थापिका सभा के २२८ स्थानों हेतु कांग्रेस ने १४८ स्थानों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये जिनमें से १३३ प्रत्याशी विजयी घोषित हुये । पूर्वी उत्तर प्रदेश से संयुक्त प्रांत व्यवस्थापिका सभा हेतु ४२ सदस्य चुने गये ।[१३] संयुक्त प्रांत व्यवस्थापिका परिषद् के ५२ स्थानों हेतु कांग्रेस ने २० स्थानों पर अपने प्रत्याशी खड़े किये जिनमें से ८ प्रत्याशियों को सफलता मिली । पूर्वी उत्तर प्रदेश से संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद् हेतु

---

१२. गोविन्द सहाय, यू०पी० कांग्रेस सरकार के अब तक के कार्य, पृ० ४ ।

१३. पूर्वी उत्तर प्रदेश से संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा हेतु निर्वाचित सदस्यों के नाम- सर्वश्री सम्पूर्णानन्द, आचार्य नरेन्द्र देव, भगत नारायण उपाध्याय,

१२ सदस्य निर्वाचित हुये ।[१४]

अब कांग्रेस के सामने पद ग्रहण करने का प्रश्न उपस्थित हुआ । मंत्रिमण्डल बनाने या न बनाने के प्रश्न को लेकर कांग्रेस में मतभेद हो गया । दक्षिणपंथी पद ग्रहण करने के पक्ष में थे और वाम पंथी पद ग्रहण करने का विरोध करते थे । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी पद ग्रहण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार विमर्श किया । महात्मा गांधी ने सलाह दी कि यदि कांग्रेस बहुमत प्राप्त प्रांतों में मंत्रि-मण्डल बनाने का निश्चय करती है तो उसे ब्रिटिश सरकार से गवर्नरों के विशेषाधि-कारों को न प्रयोग करने तथा कांग्रेस मंत्रियों को जनता की सेवा करने का पूर्ण अवसर देने का आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिये । इस सलाह को समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया । संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने भी ७ मार्च,१९३७ को पद ग्रहण के प्रश्न पर विचार किया जिसमें पद ग्रहण करने का प्रस्ताव ७८ के विरुद्ध ४६ मतों से अस्वीकृत हो गया ।[१५]

---

कमलापति त्रिपाठी,विजयानन्दगणपति राय,शारदानन्द प्रसाद सिंह, वीरपाल सिंह,केशवदेव मालवीय,परशुराम राय, चन्द्रदेव त्रिपाठी,राधामोहन राय,सूर्य नारायण, भीखालाल गौतम,सिंहासन सिंह,विश्वनाथ मुकर्जी, रामधारी, प्रयागध्वज सिंह,छिब्बनलाल सक्सेना,काशीप्रसाद राय,सीताराम, विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी,रामचरित्र,सीताराम अस्थाना,राधाकान्त मालवीय, अलगूराय शास्त्री, जगदम्बा देवी, कृष्णनाथ कौल,रामनारायण सिंह, जंगबहादुरसिंह, सुन्दरलाल गुप्त,हरिश्चन्द्र,गोविन्द मालवीय,मोहम्मद इकराम खाँ,मौ० निसारुल्ला,मौ०हाफिज,मौ० हसन,मोहम्मद ताहर, गुलाम भंडारी,मौ० फारूक,बशीरुल हसन हाशमी,मौ०आदिल अब्बासी, अब्दुल हकीम, मौ० इस्हाक खाँ, बशीरुद्दीन,मौ० मेंहदी,अकबरअली खाँ, शेख जमीरुद्दीन अहमद,विन्ध्यवासिनी प्रसाद,डा० चौधम,इनायत अहमद खाँ, लक्ष्मी देवी ।(गोविन्द सहाय,यू०पी०सरकार के अब तक के कार्य,पृ० १३।

२४ मार्च, १९३७ को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हैनरी हेग ने बहुमत प्राप्त कांग्रेस दल के नेता गोविन्द बल्लभ पंत को मंत्रिमंडल बनाने के विषय में विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया । गवर्नर द्वारा मंत्रिमंडल बनाने से पूर्व कांग्रेस की उपर्युक्त शर्तों को मानने से अस्वीकार करने पर गोविन्द बल्लभ पंत ने मंत्रिमंडल बनाने में असमर्थता प्रकट की ।[१६] कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बनाने से अस्वीकार कर देने पर गवर्नर ने अल्प मत को सरकार बनाने का अवसर देने के उद्देश्य से छतारी के नवाब मोहम्मद अहमद सईद खां को मंत्रिमंडल बनाने हेतु आमंत्रित किया ।[१७] संयुक्त प्रांत में छतारी के नवाब की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बनी । गवर्नर ने अल्पमत सरकार के पराजित हो जाने के भय से दोनों सदनों की बैठक नहीं बुलाई । मंत्रिमंडल के असंवैधानिक होने के कारण सभी दलों ने इसका विरोध किया ।

संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हैनरी हेग ने मई १९३७ के अन्त में नैनीताल में अपने एक भाषण में यह स्पष्ट किया कि प्रांतीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों को पूर्ण सहयोग दिया जायेगा और यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होगी तो गवर्नर और मंत्री आपस में विचार करके उसका समाधान कर लेंगे ।[१८] वाइसराय ने २२ जून, १९३७ को भारत के नाम अपने एक संदेश में यह व्यक्त किया कि मंत्रिमंडलों के गठन हेतु कांग्रेस द्वारा रखी गई शर्तें आवश्यक नहीं हैं । उन्होंने विश्वास दिलाया कि गवर्नर मंत्रिमंडलों से मतभेद

---

१४- पूर्वी उत्तर प्रदेश से संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद् हेतु निर्वाचित सदस्यों के नाम - सर्वश्री चन्द्रभाल, केदारनाथ खेतान, भगवती प्रसाद, माधव प्रसाद खन्ना, डा० रामचन्द्र सिंह, रमाकांत मालवीय, राजेन्द्र सिंह, मो० शफी, नवरंग बहादुर सिंह, मजहर हुसैन, मो० निसारुल्ला, मोहम्मद फारूक । ( गोविन्द सहाय, यू०पी० कांग्रेस सरकार के अब तक के कार्य, पृ० २७)

१५- आज, ९ मार्च, १९३७, पृ० ४ ।

१६- दि लीडर, ३० मार्च, १९३७, पृ० १ ।

१७- इंडियन एनुअल रजिस्टर ( १९३७), भाग-२, पृ० २४२ ।

१८- आज, २९ मई, १९३७, पृ० ३ ।

नहीं उत्पन्न होने देंगे और मंत्रिमंडल चाहे किसी दल का हो, गवर्नर उसे अपना पूर्ण सहयोग देंगे।[19] वाइसराय के आश्वासन पर जुलाई के प्रथम सप्ताह में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने विचार किया और निर्णय लिया कि नये संविधान का विरोध करते हुये रचनात्मक कार्यों के लिए पद ग्रहण किया जाय।[20]

इस प्रकार वाइसराय और गवर्नर से आश्वासन प्राप्त कर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की सलाह से संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाने का निश्चय किया गया। जुलाई में कांग्रेस दल के नेता गोविन्द बल्लभ पंत गवर्नर से मिले और मंत्रिमंडल निर्माण की ओर ध्यान दिया। लीग ने चुनाव के पूर्व समझौते के अनुसार मंत्रिमंडल में अपने हिस्से की मांग की। मुस्लिम लीग ने अपने दल के सदस्यों के लिए मंत्रिमंडल में दो स्थानों की मांग की। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को मंत्रिमंडल में सम्मिलित करने के लिए कुछ शर्तें रखीं जिन्हें मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता न हो सका और मुस्लिम लीग कांग्रेस मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं हुई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता न हो पाने के कारण इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हुये।

१७ जुलाई, १९३७ को संयुक्त प्रान्त में गोविन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की। कांग्रेसी मंत्रिमंडल में ६ मंत्री तथा १२ संसदीय मंत्री थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुहम्मद सुलेमान अंसारी तथा चंद्रभाल संसदीय मंत्री बनाये गये। पूर्वी उत्तर प्रदेश से ही निर्वाचित सम्पूर्णानन्द कुछ समय बाद प्यारे लाल शर्मा के स्थान पर शिक्षामंत्री बनाये गये।[21]

संयुक्त प्रांत में पंत मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण करने के बाद अपने घोषणा पत्र में निर्धारित नीति का पालन करना प्रारम्भ किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराने का उल्लेख था इसलिए मंत्रिमंडल ने सर्वप्रथम इस ओर प्रयत्न प्रारम्भ किये। कुछ राजनीतिक बंदी अक्टूबर १९३७ में मुक्त कर दिये गये और

---

१९- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० (१९३६-३७), पृ० ४।
२०- दि लीडर, १० जुलाई, १९३७, पृ० ८।
२१- प्रोसीडिंग्स आफ यू०पी० लेजिस्लेटिव असेंबली, १९३८, भाग-४, पृ० ३५।

शेष को मुक्त करने पर मंत्रिमंडल तथा गवर्नर के मध्य विवाद उपस्थित हो गया । १५ फरवरी,१६३८ को जब गवर्नर ने राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के प्रश्न पर मंत्रिमंडल की सलाह मानने से अस्वीकार कर दिया तो मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया ।[22] १६-२१ फरवरी, १६३८ को हरीपुरा कांग्रेस अधिवेशन में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने की सराहना की गई और एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें गवर्नर से कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा राजनीतिक बंदियों के सम्बन्ध में दी गई सलाह को मान लेने का आग्रह किया गया । हरीपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद २३ फरवरी, १६३८ को गोविन्द वल्लभ पंत गवर्नर से मिले,विचार विमर्श के पश्चात् गवर्नर ने राजनीतिक बंदियों के सम्बन्ध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की मांग स्वीकार कर ली । २५ फरवरी, १६३८ को गवर्नर तथा गोविन्द वल्लभ पंत की एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित हुई जिसमें इसका उल्लेख किया गया कि उन लोगों का समझौता हो गया है इसलिए मंत्रिमंडल अपना त्याग पत्र वापस लेता है ।[23]

कांग्रेस ने पुनः कार्यभार ग्रहण करते ही रचनात्मक कार्यों को कार्यान्वित करना प्रारम्भ किया । प्रेस अधिनियम के अन्तर्गत समाचार पत्रों से मांगी गई जमानतें वापस कर दी गई और समाचार पत्रों की ब्लैक लिस्ट समाप्त कर दी गई । अल्प संख्यकों को सरकारी सेवा में विशेष स्थान दिया गया । वर्धा शिक्षा प्रणाली के अनुसार अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल खोले गये । प्रौढ़ शिक्षा के लिए कदम उठाये गये,इस योजना के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश में ३३५ स्कूल खोले गये ।[24] स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनायें बनाई गईं । सितम्बर १६३८ में वाराणसी में स्त्रियों के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई । हरिजनों की शिक्षा के प्रबन्ध के लिए एक हरिजन शिक्षा समिति बनाई गई और हरिजनों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किया गया । उन्हें पुस्तकों की सहायता दी गई तथा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का प्रबन्ध किया गया । हरिजनों को

---

२२- इंडियन एनुअल रजिस्टर, १६३८, भाग -२, पृ० ६६ ।

२३- लीडर, २७ फरवरी, १६३८, पृ० ४ ।

२४- गोविन्द सहाय,यू०पी० कांग्रेस सरकार के अब तक के कार्य, पृ० ६५ ।

कार्य सिखाने के लिए प्राविधिक संस्थायें खोली गई । पूर्वी उत्तर प्रदेश में १३०५ वाचनालय तथा २५३ पुस्तकालय भी खोले गये ।[25] ग्रामसुधार योजना के अन्तर्गत गोरखपुर में सिंचाई के लिए अनेक तालाब खुदवाये गये । किसानों की सुविधा के लिए कांग्रेस सरकार ने १९३० में दी गई लगान की छूट को बढ़ा कर ८ करोड़ कर दिया । पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ग्रस्त जिलों को लगान में विशेष छूट दी गयी । कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए मौरूसी अधिकार, बीर, पर्ती, लगान आदि पर नये कानून बनाये जिससे किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ ।

२७-३१ दिसम्बर,१९३८ को अयोध्या (फैजाबाद) में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ जिसमें लाल बहादुर शास्त्री,श्रीप्रकाश, रफ़ीअहमद किदवई, गोविन्द वल्लभ पंत, पुरुषोत्तमदास टंडन,कमलापति त्रिपाठी,राममनोहर लोहिया, पं० परमानन्द,योगेश चटर्जी तथा मन्मथनाथ गुप्त आदि विशिष्ट नेताओं ने भाग लिया । अधिवेशन में कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया और प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया गया ।

प्रांतीय कांग्रेस सरकार को साम्प्रदायिक मतभेदों का भी सामना करना पड़ा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुये जिन्हें रोकने के लिए कांग्रेस सरकार ने उचित प्रबन्ध किया । १९३७ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के लिए समझौता न हो सकने के बाद से मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के प्रति स्थायी विरोध की नीति अपनाई । मुस्लिम लीग ने यह प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि सत्तारूढ़ होते ही कांग्रेस दल ने स्पष्ट कर दिया है कि हिन्दुस्तान केवल हिन्दुओं के लिए है । मार्च १९३८ में संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग ने हिन्दुओं के अत्याचारों की जाँच के लिए पीरपुर के राजा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की । समिति ने हिन्दुओं के अत्याचारों का असत्य विवरण प्रस्तुत किया और मुसलमानों को सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रता देने तथा देश की सरकार में उचित प्रतिनिधित्व निश्चित करने की सिफारिश की । समिति के विवरण के आधार पर

---

२५- गोविन्द सहाय,यू०पी०कांग्रेस सरकार के अब तक के कार्य,पृ० ७० ।

मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडल की कटु आलोचना करनी प्रारम्भ कर दी । १९३९ में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने संघीय न्यायालय के मुख्य - न्यायाधीश से मुस्लिम लीग द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच का प्रस्ताव किया तो जिन्ना ने उसे अस्वीकार कर दिया । मौलाना अबुलकलाम आज़ाद ने मुस्लिम लीग द्वारा लगाये गये आरोपों को निराधार बताया ।[26] संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हैरी-हैग ने भी यह मत व्यक्त किया कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के मंत्री साम्प्रदायिक मामलों में निष्पक्ष थे ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने पर इंग्लैंड ने जर्मनी तथा उसके सहायक राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । इसी दिन भारत के वाइसराय ने भारत को भी युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की । भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के परामर्श के बिना भारत की ओर से भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देना भारत का घोर अपमान था । युद्ध के वस्तुतः छिड़ जाने के पहले ही कांग्रेस ने भारत पर किसी युद्ध को लादने तथा उसके साधनों को भारतीय जनता की स्वीकृति के बिना किसी युद्ध में लगाने के प्रयत्नों का विरोध करने का प्रस्ताव पास कर लिया था । इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुये कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने १५ सितम्बर, १९३९ को घोषणा की कि भारत के लिए युद्ध और शान्ति की समस्याओं का निर्णय भारतीय जनता द्वारा होना चाहिये । भारतीय जनता साम्राज्यवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी सम्पत्ति और साधनों के प्रयोग की अनुमति नहीं देगी । उदारवादियों ने कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन किया किन्तु मुस्लिम लीग ने संविधान में पर्याप्त अधिकार मिलने की शर्त पर सरकार को सहयोग देने की इच्छा प्रकट की । २३ अक्टूबर, १९३९ को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पास करके सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र देने की सिफारिश की ।[27]

३० अक्टूबर, १९३९ को संयुक्त प्रांत में पंत मंत्रिमंडल ने अपना त्याग-पत्र गवर्नर के पास भेज दिया जिसे गवर्नर ने ३ नवम्बर, १९३९ को स्वीकार करते हुये

---

२६- अबुलकलाम आज़ाद, इंडिया विन्स फ्रीडम, पृ० १३८ ।
२७- दि आवाज़िनियर, ४ अक्टूबर, १९३९, पृ० १ ।

भारत शासन विधान की धारा ९३ के अनुसार प्रांत का शासन अपने हाथ में ले लिया।[२८]
कांग्रेस मंत्रिमंडलों के पद त्याग से उत्पन्न स्थिति का जिन्ना ने पूर्ण लाभ उठाने
की चेष्टा की । मुस्लिम लीग के निर्देशानुसार संयुक्त प्रांत में जिलों की मुस्लिम लीग
की इकाइयों ने २२ दिसम्बर, १९३९ को "मुक्ति दिवस" मनाया । मुस्लिम लीग ने
सभाओं का आयोजन करके कांग्रेस शासन से मुक्ति मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की ।
मुस्लिम लीग की इस नवीन नीति के दूरगामी परिणाम भविष्य में देश विभाजन के
कारण बने ।

## व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन

१९४० के मध्य विश्वयुद्ध में इंग्लैंड की स्थिति कमजोर हो गई और इंग्लैंड
में नेतृत्व परिवर्तन भी हो गया । भारत में कांग्रेस का एक वर्ग जिसमें सुभाषचन्द्र बोस
और अबुलकलाम आज़ाद थे, धामूलिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने के पक्ष
में था किन्तु महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया । मार्च १९४० में रामगढ़
अधिवेशन में कांग्रेस ने यह स्पष्ट घोषित कर दिया कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार
को युद्ध में सहायता देकर अपनी पराधीनता की अवधि में वृद्धि करना नहीं है । किन्तु
बाद में युद्ध की स्थिति को देखते हुये कांग्रेस के एक बहुत बड़े वर्ग में इंग्लैंड के प्रति
सहानुभूति उत्पन्न हो गई । १ जून, १९४० को महात्मा गांधी ने घोषणा की कि
हम इंग्लैंड के विनाश से अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं करना चाहते ।

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने ७ जुलाई, १९४० को पारित अपने पूना
प्रस्ताव में भारत को युद्धोपरांत पूर्ण स्वाधीनता देने तथा तात्कालिक कदम के रूप
में राष्ट्रीय सरकार की नियुक्ति करने की शर्तों पर सरकार को पूर्ण सहयोग देने का
निश्चय किया । इसके उत्तर में ८ अगस्त, १९४० को वाइसराय ने एक वक्तव्य दिया
जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है । अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि
कुछ भारतीयों को अपनी परिषद् में लेकर एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जायेगी,

---

२८- आज, ६ नवम्बर, १९३९, पृ० ४ ।

साथ ही यह घोषित किया गया कि युद्ध के पश्चात् भारतीयों को अपना विधान बनाने दिया जायेगा ।[29] सरकार द्वारा पूना प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस द्वारा सहयोग करने की आशायें समाप्त हो गयीं ।

भारत प्रस्ताव, जवाहर लाल नेहरू और राजगोपालाचारी जैसे नेताओं के क्रियाकलापों के लिए जो भारत की प्रतिरक्षा में सक्रिय सहयोग देना चाहते थे, एक तीव्र आघात था । अतः कांग्रेस ने पुनः महात्मा गांधी को मार्ग दर्शन के लिए आमंत्रित किया । महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे लेकिन इसके साथ ही वे ब्रिटिश सरकार के सम्मुख उत्पन्न संकट की स्थिति से अनुचित लाभ उठाने के पक्ष में नहीं थे, अतः उन्होंने सामूहिक कार्यवाही के स्थान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ किया ।

व्यक्तिगत सत्याग्रह केवल प्रतीकात्मक विरोध था और इसका उद्देश्य नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति मात्र था । इस सत्याग्रह में अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया था और सामूहिक कार्यवाही को प्रत्येक रूप से निषिद्ध कर दिया गया । गांधी जी ने प्रस्तावित किया कि अहिंसा में प्रशिक्षित स्त्री पुरुषों को व्यक्तिगत रूप में भारत को युद्ध में शामिल करने का विरोध करना चाहिये और उन्हें द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वयं को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिये।[30]

११ अक्टूबर, १९४० को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने महात्मा गांधी को मन चाहे ढंग से आन्दोलन शुरू करने की छूट दे दी । गांधी जी के विश्वस्त अनुयायी विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया । व्यक्तिगत आन्दोलन की दिशा में सर्वप्रथम पवनार १७ अक्टूबर, १९४० को संत विनोबा भावे ने यह भाषण देकर किया कि धन या जन से ब्रिटेन के युद्ध प्रयत्न में सहायता देना गलत है ।[31]

---

29- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०(१९४०), पृ० ५ ।

30- दि लीडर, १९ अक्टूबर, १९४०, पृ०३ ।

31- पट्टाभिसीतारमैया, कांग्रेस का इतिहास, भाग- २, पृ० २०१ ।

१९४० को आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रघुनाथ राय को दुबारी नामक स्थान में बन्दी बना लिया गया और आजमगढ़ के ही सत्याग्रह संचालक डा० शिवरतन-लाल को एक वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया ।[35] १६ सितम्बर, १९४० को प्रतापगढ़ में भदरी के राजा बजरंग बहादुर सिंह को बाबा गंज में सत्याग्रह हेतु जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया । मिर्जापुर में विधायक विश्वनाथ प्रसाद को सत्याग्रह करने के अपराध में एक वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया ।[36] ८ जनवरी, १९४१ को प्रतापगढ़ में सैनिक भर्ती कार्यालय के समक्ष युद्ध विरोधी नारे लगाने के कारण झिंगुरी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया । प्रतापगढ़ में ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुनीश्वरदत्त उपाध्याय को सांगीपुर में भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बना लिया गया । मिर्जापुर में महादेव प्रसाद शुक्ल तथा रामदुलारी देवी को सत्याग्रह करने के आरोप में गिरफ्तार करके दंडित किया गया ।

संयुक्त प्रांत के गवर्नर मौरिस हैलेट ने १३ जनवरी, १९४१ को बलिया की सैनिक परिषद् में युद्ध के समर्थन में भाषण दिया ।[37] वाराणसी में ईश्वरचन्द्र सिंह, कामता-प्रसाद विद्यार्थी, श्रीप्रकाश, महावीर सिंह, कमलापति त्रिपाठी तथा [illegible] भारत के रक्षा कानून के अन्तर्गत बन्दी बना लिये गये । २६ जनवरी, १९४१ को मिर्जापुर में मुंशी शिवकिशोर लाल तथा [illegible] दीक्षित सत्याग्रह करने के आरोप में गिरफ्तार करके दंडित किये गये ।[38]

फरवरी १९४१ में आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर तथा वाराणसी में सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण हजारों व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।[39] २६ मई, १९४१ को फैजाबाद जिले के कांग्रेस कार्यालय तथा सदर भंडारों की तलाशी ली गई किन्तु कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई ।[40]

---

३५- दि लीडर, १८ सितम्बर, १९४०, पृ० १२ ।
३६- वही, २१ सितम्बर, १९४०, पृ० १२ ।
३७- वही, १३ जनवरी, १९४१, पृ० २ ।
३८- गृह विभाग के अभिलेख ।
३९- वही ।
४०- वही ।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आचार्य कृपलानी ने १७ जून, १९४१ को महात्मा गांधी की संरक्षता में सत्याग्रहियों को कार्य करने का आदेश जारी किया । उनके निर्देशानुसार संयुक्त प्रांत में आन्दोलन जारी रहा लेकिन आन्दोलन की प्रगति मंद हो गयी । विश्वयुद्ध की तत्कालिक स्थिति और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के आग्रह के कारण ३ दिसम्बर, १९४१ को सरकार ने सामान्य अपराध के सत्याग्रह बन्दियों को रिहा करने के आदेश दिये । सत्याग्रहियों को मुक्त किया जाने लगा । दिसम्बर १९४१ में पं० नेहरू तथा मौलाना अबुलकलाम आजाद को रिहा कर दिया गया । गांधी जी सत्याग्रहियों की मुक्ति से प्रसन्न नहीं थे । वे सत्याग्रह जारी रखने के पक्ष में थे लेकिन उन्होंने यह बात कांग्रेस कार्य समिति की इच्छा पर छोड़ दी । अन्तर्राष्ट्रीय गंभीर स्थिति तथा भारत की सुरक्षा को ध्यान में रख कर दिसम्बर १९४१ के अंतिम सप्ताह में बारदोली में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अपनी बैठक में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन को समाप्त करने का निर्णय किया ।

<u>समीक्षा</u>

१९३४-३५ की राजनीतिक शिथिलता के पश्चात् भारत शासन अधिनियम १९३५ के अन्तर्गत संयुक्त प्रांत में निर्वाचन सम्पन्न हुये । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों की भारी बहुमत से हुई विजय ने इस क्षेत्र पर कांग्रेस के प्रभाव को स्पष्ट कर दिया।

प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का सफल प्रयास करके जनता में कांग्रेस के विश्वास को दृढ़ किया । कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में किये गये सुधारों से जनता को विशेष राहत मिली । साम्प्रदायिक समस्या का समाधान करने के लिए अनेक प्रयास किये गये किन्तु दुर्भाग्यवश इस जटिल समस्या का हल नहीं निकल सका और कांग्रेस की अदूरदर्शिता से मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन मिला ।[४१]

कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण करने से कांग्रेसियों को लोक प्रशासन का व्यवहारिक ज्ञान हुआ, इस दृष्टि से १९३७-३९ के काल का विशेष महत्व है ।

४१- अबुलकलाम आजाद, इंडिया विन्स फ्रीडम, पृ० १६१ ।

१९४०-४१ का सत्याग्रह आन्दोलन भी नैसर्गिक रूप से सविनय अवज्ञा आन्दोलन की तरह असफल रहा । महात्मा गांधी ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रख कर आंदोलन को समाप्त कर दिया । कुछ लोगों का मत है कि आन्दोलन समाप्त कर देना महात्मा गांधी की भूल थी जिसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही एक नवीन आन्दोलन की आवश्यकता अनुभव किया जाने लगी किन्तु महात्मा गांधी ने आन्दोलन समाप्त करके अपनी महानता का परिचय दिया था क्योंकि वे किसी की दयनीय स्थिति से लाभ नहीं उठाना चाहते थे । पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनता ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया, इस क्षेत्र में प्रत्येक जिले से हजारों सत्याग्रही आन्दोलन में भाग लेने के कारण दंडित किये गये । सरकार को युद्ध हेतु जन और धन के रूप में दी जाने वाली सहायता में भारी कटौती करने के उद्देश्य से व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन काफी अंशों तक सफल रहा ।

---

## पंचम अध्याय

## भारत छोड़ो आन्दोलन और उसका दमन (१९४२-४४)

१९४२ के प्रारम्भ में विश्व युद्ध का प्रसार पूर्व की ओर होने लगा और भारत पर जापान के आक्रमण की आशंका उत्पन्न हो गयी। ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों के असंतोष को देख कर अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटिश सरकार पर भारतीय गतिरोध को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। बर्लिन से सुभाष चन्द्र बोस द्वारा की जा रही घोषणाओं ने ब्रिटिश सरकार को चिंतित कर दिया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ मित्रतापूर्ण समझौता करने की आवश्यकता अनुभव की। ११ मार्च, १९४२ को ब्रिटिश प्रधान-मंत्री चर्चिल ने ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक शिष्ट-मण्डल भारत भेजने की घोषणा की।

क्रिप्स मिशन २३ मार्च, १९४२ को दिल्ली आया। भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के पश्चात्, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव ३० मार्च, १९४२ को प्रकाशित हुये। इन प्रस्तावों में एक अन्तरिम और एक दीर्घकालीन समझौता रखा गया था। इनमें भारत का राजनीतिक लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य बताया गया था; भारत सभी बातों में उन सभी उपनिवेशों के समान स्तर पर होगा जो सम्राट के प्रति भक्ति रखते हैं और भारत का संविधान युद्ध के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जायेगा। इस सभा में रियासतों के भाग लेने की भी व्यवस्था की जायेगी। इस सभा द्वारा अंतिम रूप से निर्मित संविधान ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा किन्तु ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत को अधिकार होगा कि वह संविधान को अस्वीकार कर दे। ऐसे प्रांत के लिए यह भी ऐच्छिक होगा कि वह भारतीय उपनिवेश में समाविष्ट हो जाय।

क्रिप्स प्रस्तावों में संविधान सभा के चुनाव की विधि और स्वरूप की रूपरेखा भी दी गयी थी। इसके साथ यह भी उल्लेख किया गया था कि नया संविधान बनने तक ब्रिटिश सरकार भारत की रक्षा के लिए उत्तरदायी होगी।

क्रिप्स प्रस्तावों में संविधान सभा के निर्माण का वचन देकर कांग्रेस को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया गया था और साथ ही यह व्यवस्था रख कर कि कोई भी प्रांत नये संविधान को अस्वीकार करने और ब्रिटिश सरकार की सहमति से अपने लिए नया संविधान बनाने के लिए स्वतंत्र होगा, मुस्लिम लीग को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया था[1]।

क्रिप्स मिशन के साथ विभिन्न दलों के नेताओं ने विचार विमर्श किया किन्तु कोई हल नहीं निकल सका। भारतीय रक्षा का प्रश्न समझौते के मार्ग में अनुल्लंघ्य बाधा बन गया। कांग्रेस अनुभव कर रही थी कि यदि उसे युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना है तो भारत की रक्षा का दायित्व उसके अपने हाथों में रहना चाहिये। कांग्रेस के प्रति अविश्वास के कारण ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को यह भार सौंपने को तैयार न हुई। इसके परिणामस्वरूप क्रिप्स मिशन असफल हुआ[2] और १३ अप्रैल, १९४२ को इंग्लैंड वापस चला गया। क्रिप्स मिशन भारत के किसी भी राजनीतिक दल का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने में असफल रहा। कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की विवशता का लाभ नहीं उठाया[3]। क्रिप्स मिशन की असफलता से भारत में निराशा का वातावरण उत्पन्न हो गया। भारतीय जनता में इस विश्वास को बल मिला कि क्रिप्स मिशन से सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलाप एक राजनीतिक धूर्तता थी जिसका उद्देश्य मित्र राष्ट्रों को संतुष्ट करना और पूर्व अनुमानित असफलता का उत्तरदायित्व भारतीय जनता पर डाल देना था। निराशा के इस वातावरण में मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग ने और बढ़ती हुई सांप्रदायिक कटुता ने राजनीतिक स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया।

समझौते के प्रयासों की लगातार विफलता, सरकार का साम्प्रदायिक मतभेद पर जोर देना तथा लीग के अश्लील प्रलापों को देख कर महात्मा गांधी को अप्रैल १९४२ में "हरिजन" पत्र के माध्यम से घोषणा करनी पड़ी कि "भारत के लिए चाहे जो परिणाम हों, उसकी ( भारत की ) और ब्रिटेन की सुरक्षा इसीमें है कि अंग्रेज

---

१. डा० ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास, पृ० ५४० ।
२. आज, १२ अप्रैल, १९४२, पृ० ४ ।
३. अम्बा प्रसाद, दि इंडियन रिवोल्ट ऑफ १९४२, पृ० ६७ ।

समय रहते अनुशासित रूप से भारत को छोड़ कर चले जायें।[4] यह वक्तव्य आगामी भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रारूप बना।

२६ अप्रैल, १९४२ को इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि कांग्रेस किसी ऐसी स्थिति को किसी भी स्थिति में स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के दास के रूप में कार्य करना पड़े।[5] महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के अनुशासित रूप से भारत छोड़ कर चले जाने का जो सुझाव रखा था वह जनता के मन में घर कर गया और १४ जुलाई, १९४२ को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने वर्धा में प्रस्ताव पास किया कि यदि अंग्रेजों ने भारत से चले जाने की मांग स्वीकार न की तो कांग्रेस को अनिच्छापूर्वक बाध्य होकर अपने नियंत्रण में विद्यमान समस्त अहिंसात्मक शक्ति को काम में लाना पड़ेगा और महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशव्यापी संघर्ष छेड़ना पड़ेगा।[6] वर्धा प्रस्ताव के निश्चय के अनुसार ७-८ अगस्त, १९४२ को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात् "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि यह कांग्रेस समिति कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के १४ जुलाई, १९४२ के प्रस्ताव का समर्थन करती है तथा उसका यह विश्वास है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत, भारत के लिए और मित्र-राष्ट्रों के आदर्शों की पूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है।[7] महात्मा गांधी ने "भारत छोड़ो प्रस्ताव" पारित करते हुये कहा कि आन्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व वे वाइसराय से समझौते हेतु विचार विमर्श करेंगे किन्तु सरकार ने महात्मा गांधी को विचार विमर्श करने का अवसर ही नहीं दिया। ९ अगस्त, १९४२ को महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी विशिष्ट नेता बन्दी बना लिये गये। बम्बई में कांग्रेस नेताओं की आकस्मिक गिरफ्तारी से सारे देश में असंतोष व्याप्त हो गया और इस घटना के बाद से ही भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। महात्मा गांधी के १० फरवरी, १९४३ से २ मार्च, १९४३ तक के अनशन से भारत छोड़ो आन्दोलन समाप्त हो गया किन्तु

---

४- हरिजन, २६ अप्रैल, १९४२, पृ० २३।
५- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।
६- कांग्रेस रिस्पान्सिबिलिटी फार दि डिस्टरबैंसेज (१९४२-४३), पृ० ५१।
७- पट्टाभिसीतारामय्या, कांग्रेस का इतिहास, भाग-२, पृ० ३४८।

जनता के सक्रिय सहयोग से यह जन आन्दोलन १९४४ तक किसी न किसी रूप में चलता रहा ।

बम्बई में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार ने सम्पूर्ण संयुक्त प्रांत को आश्चर्य चकित कर दिया । संयुक्त प्रांत में सरकार के विरुद्ध जनता के विरोध ने उग्र रूप धारण कर लिया ।[8] ९ अगस्त को ही संयुक्त प्रांत में कांग्रेस संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया और समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया ।[9] जन आन्दोलन का दमन करने के लिए सरकार ने अध्यादेशों एवं भारत रक्षा कानून की शरण ली जिससे समस्त प्रांत में अर्द्ध फौजी शासन स्थापित हो गया ।[10] संयुक्त प्रांत के पूर्वी भाग में भारत छोड़ो आन्दोलन ने उग्रतम रूप धारण कर लिया । इस क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता, यातायात के साधनों और सड़कों का अभाव तथा विद्यार्थियों की सक्रियता ने आन्दोलन को तीव्रतम बनाने में सहयोग दिया ।[11] तत्कालीन संयुक्त प्रांत के गवर्नर हैलेट के आदेश से भारत छोड़ो आन्दोलन का दमन करने के लिए कठोर दमन नीति अपनायी गई । संयुक्त प्रांतीय सरकार के अतिरिक्त सचिव मैकरॉस ने अगस्त १९४२ में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया-

" सरकार यह स्वीकार करती है कि एक बहुत ही असाधारण संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी है और इसके लिए समुचित व्यवस्था व सार्वजनिक शान्ति पुनः स्थापित करने के लिए कुछ अध्यादेश जारी किये गये हैं जो समयाभाव के कारण अब तक जिलाधिकारियों की सेवा में नहीं पहुंच पाये हैं किन्तु इसी बीच इन अध्यादेशों का प्रयोग किया जा सकता है ।

इसी अध्यादेश द्वारा यह स्वीकृति दे दी है कि ऐसे सब क्षेत्रों, नगरों या बस्तियों पर सामूहिक जुर्माने लगाये जायें जहाँ उपद्रव किया गया हो या सहायता की गई हो । जिलाधिकारी के आदेश से कोई अधिकृत प्राप्त न्यायाधीश द्वारा इस तरह के जुर्माने लगाये जा सकते हैं और इन जुर्मानों को किसी भी तरह

---

८. आज, १० अगस्त, १९४२, पृ० १ ।
९. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी० (१९४२), पृ० ९ ।
१०. गोविन्द सहाय, सन् ४२ का विद्रोह, पृ० ४ ।
११. अम्बा प्रसाद, दि इंडियन रिवोल्ट आफ १९४२, पृ० ७७ ।

वसूल किया जा सकता है । इन अध्यादेशों का आशय यह है कि तरह तरह की हानि व शरारत को रोकने के लिए उसका उत्तरदायित्व व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उस स्थान के निवासियों पर डाला जाय, चाहे उसे किसी ने भी किया हो । वे इस प्रकार की शरारत को आसानी से रोक सकते हैं और यदि नहीं रोकते तो उन पर सामूहिक रूप से जुर्माना लगाया जा सकता है ।

दूसरे अध्यादेश में कड़ा कर सजायें दिये जाने के बारे में आदेश हैं जिसमें किसी भी पूर्ण शक्ति प्राप्त न्यायाधीश की अदालत में कोड़े मारने की सजा व ७ साल की सजा भी जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है, शामिल है । सम्बन्धित जिलाधीश इन पूर्ण शक्ति प्राप्त न्यायाधीशों को विशेष न्यायाधीश बना सकता है । विचाराधीन मुकदमों में किसी भी पुराने अध्यादेश के मुकाबले इन नये अध्यादेशों को अब काम में लाना चाहिये ।

यह अच्छी प्रकार से समझ लिया जाना चाहिये कि सेना व पुलिस दलों के प्रभारी अधिकारियों को विध्वंस, शरारत या उपद्रव में गड़बड़ी करने वाले किसी भी उपद्रवी जन समूह या मनुष्यों पर गोली चलाने का अधिकार ही नहीं बल्कि आदेश भी दिया जाता है कि उनके गोली चलाने का उद्देश्य लोगों को जान से मार डालना होगा, मार डालने या घायल करने के उद्देश्य के बिना ही गोली चलाना आपत्तिजनक है और उसका पूर्णरूप से निषेध है ।

गवर्नर महोदय ने मुझे अधिकृत किया है कि मैं उनकी आज्ञा से यह आदेश जारी करूं और ऐसा भी उचित समझूं दूसरों को अधिकार सौंपूं । इन आदेशों के अन्तर्गत की गयी किसी कार्यवाही का उत्तरदायित्व मैं ग्रहण करता हूं । वर्तमान गड़बड़ी का अन्त करना बहुत जरूरी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी निष्क्रियता से तो सभी कार्यवाही, भले ही उसके लिए बहुत कड़े उपाय क्यों न काम में लाने पड़ें, न्यायसंगत समझी जायेगी[12] । फैलोज द्वारा जारी किया गया यह आदेश सरकार की कठोर दमन नीति को स्पष्ट करता है ।

---

१२. कार्यवाही विधान सभा उत्तर प्रदेश (१९४७), भाग ४३, पृ० ३८२ ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भारत छोड़ो आन्दोलन की प्रगति का विवरण निम्नांकित है -

<u>बलिया</u> - बलिया में भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रारम्भ बम्बई में कांग्रेस नेताओं कि गिरफ्तारी के विरोध में १० अगस्त को की गयी हड़ताल से हुआ । इससे पूर्व जिले के अधिकांश प्रतिष्ठित नेता बन्दी बना लिये गये थे । ११ अगस्त को विद्यार्थियों द्वारा निकाले गये जुलूस पर पुलिस ने लाठी वर्षा की और कुछ व्यक्तियों को बंदी बनाया । १२ अगस्त को सारे जिले में तार काटना, रेलवे लाइन उखाड़ना तथा पुल तोड़ना प्रारम्भ हो गया । १३ अगस्त को चितबड़ा स्टेशन पर कपिल सिंह तथा पारसनाथ मिश्र के नेतृत्व में जनता ने गोरखपुर[13] से आयी मालगाड़ी पर लदी अनाज लूट ली तथा रेलवे लाइन को उखाड़ दिया ।

१५ अगस्त को ३ बजे दिन में सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर १० हजार लोगों ने हमला किया । पटरी, तार तथा सिगनल तोड़ डाले और स्टेशन का सारा सामान इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी । इसी भीड़ ने बकुलहा स्टेशन तक के तारों को काटा और पटरियों को उखाड़ा । १६ अगस्त को जनता ने रसड़ा के पुलिस स्टेशन तथा तहसील पर हमला किया । सरकारी बीज गोदाम लूटते समय तहसीलदार ने गोली चलवा दी जिससे ३ व्यक्ति मारे गये और अनेक घायल हुये ।[14] गाजीपुर से लौटते हुये ८ सिपाहियों की बन्दूकें फेफना ग्राम में जनता ने छीन लीं, जब निहत्थे सिपाही बलिया पहुंचे तो अधिकारियों ने सशस्त्र पुलिस के जत्थे फेफना भेजे, उन्होंने वहाँ गोली वर्षा की जिससे एक व्यक्ति मारा गया ।

१७ अगस्त को १२ बजे दिन में २५ हजार व्यक्तियों ने बैरिया थाने को घेर लिया, थानेदार द्वारा करायी गई गोली वर्षा से १९ व्यक्ति मारे गये । रात में हुयी तेज वर्षा का लाभ उठा कर सिपाही और थानेदार भाग गये, थाने पर जनता का अधिकार हो गया । इसी दिन सहतवार का थाना, रेलवे स्टेशन तथा डाकखाना जनता द्वारा जला दिया गया । हल्दी और मनियर के डाकखाने भी जनता द्वारा जला दिये गये । १८ अगस्त को सायं ४ बजे १० हजार व्यक्तियों की एक भीड़ ने

---

१३- देवनाथ उपाध्याय, बलिया में क्रांति व दमन, पृ० ५५ ।

१४- दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० १२६ ।

रेवती की पुलिस चौकी में आग लगा दी और सरकारी बीज गोदाम को अपने अधिकार में ले लिया । बीज गोदाम का प्रबन्ध एक कांग्रेसी को सौंपा गया और निर्णय किया गया कि गोदाम में रखा बीज बोने के समय किसानों में वितरित किया जायेगा ।[१५] १८ अगस्त को ही कोटवा, नारायणपुर, बांसडीह के थानों पर जनता ने अधिकार कर लिया, बांसडीह तहसील पर सरकारी अभिलेखों को जलाया गया । तहसील के पुराने अधिकारियों को ३ माह का वेतन देकर निकाल दिया गया और उनके स्थान पर नये कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी ।[१६]

जिले में प्रत्येक केन्द्र से प्राप्त आगजनी और लूट के समाचारों से जिलाधिकारी चिंतित हो गये । जिलाधीश ने वाराणसी से सशस्त्र सहायता मंगायी किन्तु यातायात के मार्ग अवरुद्ध होने के कारण सहायता न मिल सकी । १९ अगस्त तक बलिया के अधिकांश रेलवे स्टेशनों तथा थानों को ध्वस्त कर दिया गया था और बलिया का अधिकांश भाग सरकारी प्रशासन से मुक्त हो गया । १९ अगस्त को ही १० हजार व्यक्तियों की विशाल भीड़ ने जिला जेल को घेर लिया और जिलाधीश से बन्दी नेताओं को मुक्त करने की मांग की । सरकार ने अनियंत्रित स्थिति को देखते हुये बन्दी नेताओं को मुक्त कर दिया । जेल से बाहर आने पर चित्तू पाण्डेय तथा राधामोहन सिंह ने भीड़ को शान्त रहने की सलाह दी । टाउन हाल की सार्वजनिक सभा में बलिया की आजादी की घोषणा की गयी । कुछ व्यक्तियों ने सरकारी अधिकारियों के बंगले लूट लिये किन्तु किसी को दंडित नहीं किया । २० अगस्त को हनुमानगंज की कोठी पर एक विशाल जन सभा हुई जिसमें बलिया में एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना और चित्तू पाण्डेय को उसका अध्यक्ष बनाये जाने की घोषणा की गयी । राष्ट्रीय सरकार में विश्वास प्रकट करने के लिए जनता ने राष्ट्रीय सरकार को शासन संचालन हेतु हजारों रुपये दिये । बलिया पुलिस लाइन में बन्दी ब्रिटिश तथा भारतीय अधिकारियों की रक्षा का भार

---

१५- दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० १५९ ।
१६- गोविन्द सहाय, सन् ४२ का विद्रोह, पृ० २२१ ।

राष्ट्रीय सरकार ने अपने ऊपर लिया । राष्ट्रीय सरकार ने एक जांच समिति की नियुक्ति की और लोगों से लूट की सम्पत्ति वापस करने की अपील की । बहुत से लोगों ने अपराध स्वीकार करके लूट की सम्पत्ति वापस कर दी । इस सरकार के अत्यल्प शासनकाल में अनेक पुराने मुकदमों का भी निर्णय किया गया ।[१७]

बलिया में जन शासन को समाप्त करने तथा भारत छोड़ो आन्दोलन का दमन करने के लिए २२-२३ अगस्त, १९४२ को मार्शस्मिथ और नेदरसोल के नेतृत्व में सेना का आगमन हुआ । सर्व प्रथम आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार छात्रों की निर्दयतापूर्वक पिटायी की गई । गुप्तचर विभाग द्वारा दी गयी कांग्रेसियों की सूची के आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवारों को आतंकित किया गया और उनकी सम्पत्ति लूट ली गयी । बलिया के निकट कुलपुरा गांव में अकारण गोली चलायी गई जिससे चंडी प्रसाद नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी । बांसडीह में लोगों की सामूहिक पिटायी की गयी, रामकृष्ण और नागेश्वर सिंह को इतना पीटा गया कि एक सप्ताह में ही उनकी मृत्यु हो गयी । सहतवार में कांग्रेस कार्यकर्ता जमुनाराय का मकान जला दिया गया और इन्द्रदेव प्रसाद की सारी सम्पत्ति सैनिक लूट ले गये ।[१८]

२३ अगस्त को नरही,लक्ष्मणपुर,मरवली तथा बसन्तपुर में सैनिकों ने लूटपाट की । २४ अगस्त को चैरौवा गांव में सैनिकों द्वारा की गयी गोली वर्षा से मंगला-सिंह, खरबियार,श्रीमती जमुनामाली. तथा शिवशंकर सिंह मारे गये ।[१९] २६ अगस्त को मार्शस्मिथ तथा नेदरसोल की उपस्थिति में सैनिकों ने रेवती का बाजार लूटा, सैनिकों से आतंकित जनता खेतों में जाकर छिप गयी । २७ अगस्त को सिकन्दरपुर में वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति जमुनाराय को अकारण गोली मार दी गयी और मण्डल कांग्रेस अध्यक्ष रामनगीना राय के घर में आग लगा दी गयी ।

सैनिकों द्वारा लूटपाट के बाद सामूहिक जुर्मानों का दौर प्रारम्भ हुआ । लगभग ७ लाख रुपये बांसडीह तहसील पर तथा ६ लाख रुपये बलिया और रसड़ा तहसीलों पर जुर्माना लगाया गया । भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने वालों को

---

१७- दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० ६० ।
१८- बैजनाथ उपाध्याय, बलिया में क्रांति व दमन, पृ० १६३ ।
१९- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक(वाराणसी डिवीजन),सू०वि०,उ०प्र०, पृ० २०४ ।

अदालत से कठोर कारावास का दंड दिया गया । अनेक अभियुक्तों को आजीवन कारावास का दंड भी दिया गया । शिवराम पाण्डेय तथा मुरलीधर ने अनेक अभियुक्तों की पैरवी की, अधिकारियों ने उन्हें मना किया किन्तु न मानने पर उन्हें भी धारा १२६ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस की आतंकवादी नीति से क्षुब्ध होकर पुरुषोत्तम सेठ, डिप्टी कलेक्टर ने त्याग पत्र दे दिया । ८ जनवरी, १९४३ को बलिया में गवर्नमेंट कालेज का कार्यालय जला दिया गया, कुछ दिनों बाद मैस्टन कालेज का कार्यालय भी जलाया गया । इस सम्बन्ध में सूर्यबली-यादव, मुस्तफा अंसारी तथा प्रताप पाधी पर मुकदमा चला कर प्रत्येक को दो-दो वर्ष के कारावास का दंड दिया गया । २५ जनवरी, १९४३ को प्रांत के गवर्नर हैलेट बलिया आये । पुलिस के कड़े पहरे और सतर्कता के बाद भी दो स्थानों पर लाइन के तार काट डाले गये तथा श्यामनारायण सिंह ने अद्भुत साहस का परिचय देकर पुलिस की उपस्थिति में बलिया स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहरा दिया जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया ।[20]

<u>आजमगढ़</u> - ६ अगस्त, १९४२ को आजमगढ़ के जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की तलाशी ली गयी और सीताराम अस्थाना, संतोषानन्द तथा सच्चिदानन्द पाठे सहित अनेक विशिष्ट नेताओं को बन्दी बना लिया गया ।[21] १० अगस्त को शिबली-कालेज को छोड़ कर अन्य सभी कालेज के विद्यार्थियों ने हड़ताल की, इस दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जारी रही । १२ अगस्त को काशीविद्यापीठ के चन्द्रशेखर अस्थाना ने यहाँ ऐसे पर्चे वितरित किये जिसमें स्पष्ट रूप से करो या मरो के सिद्धांत पर तोड़फोड़ वाले काम करके समस्त शासनतंत्र को निष्क्रिय बना देने के निर्देश थे । १२ अगस्त, १९४२ को ही ६ बजे रात्रि में श्रीकृष्ण पाठशाला के छात्रावास में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया जिसमें अलगू सिंह, शिवराम राय, जटाधर लाल शास्त्री तथा रामाधार आदि लोग उपस्थित थे । सम्मेलन में पूरे जिले

२०- वैद्यनाथ उपाध्याय, बलिया में क्रांति व दमन, पृ० १८८ ।

२१- आर०एन०मिश्र, कांग्रेस रेजिस्टेन्स इन आजमगढ़, पृ० ४ ।

में एक साथ थाना तथा तहसीलों पर अधिकार करने, डाकखाना जलाने तथा पटरी उखाड़ने का निर्णय किया गया । इस आशय से छात्रों के अनेक दस्ते तोड़फोड़ करने के औजार सहित जिले के अनेक भागों में भेजे गये ।[22]

१४ अगस्त को मऊ स्टेशन पर काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों के नियंत्रण में एक रेल आयी । स्थानीय लोगों ने काशी से आये विद्यार्थियों का स्वागत किया । विद्यार्थियों सहित एक विशाल जन समूह अस्पताल के मैदान में गया जहाँ राधारमण-अग्रवाल के सभापतित्व में एक सभा हुई जिसमें नोटीफाइड एरिया के कार्यालय को जलाने तथा मऊ के थाने पर अधिकार करने का प्रस्ताव पास किया गया । उस दिन भीड़ ने नोटीफाइड एरिया के कार्यालय को जलाया ।[23] १५ अगस्त को निकाले गये जुलूस पर पुलिस ने गोली वर्षा कर दी जिससे दुखीराम नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी । १५ अगस्त को ही महादेव देसाई की मृत्यु का समाचार मिलने पर आज़मगढ़ में शोक जुलूस निकाला गया । उसी दिन घोसी तहसील के फतेहपुर, दुबारी तथा सीपीपुर मण्डलों से एकत्रित विशाल जन समूह रामपुर तथा फतेहपुर के डाकखानों को जलाते हुये मधुबन थाने पहुँचा । मंगलदेव शास्त्री, सुन्दर पाण्डेय तथा रामकृष्ण चौबे ने थानाध्यक्ष से आत्मसमर्पण करने को कहा जिसे उसने अस्वीकार कर दिया । जब भीड़ थाने के फाटक की ओर बढ़ी तो थानाध्यक्ष के आदेश से गोली वर्षा प्रारम्भ कर दी गयी । दो घंटे तक लगातार की गयी गोली वर्षा में ३४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सैकड़ों घायल हुये ।[24]

१६ अगस्त को एक जन समूह ने [illegible] रियासत पर आक्रमण करके रियासत की सम्पत्ति को लूट कर कार्यालय में आग लगा दी । उसी दिन दोहरीघाट के डाकखाने तथा डाक बंगले को क्षति पहुँचायी गयी । १७ अगस्त को कोपा मण्डल में इन्दारा स्टेशन का सामान और अभिलेख भीड़ द्वारा जला दिया गया । यहाँ सैनिकों की गोली वर्षा से एक व्यक्ति तथा एक बच्चे की मृत्यु हो गयी । उसी दिन

22- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (आज़मगढ़) सूचना विभाग, उ०प्र०, [illegible] ।
23- आर०एच० निबलेट, कांग्रेस रिबेलियन इन आज़मगढ़, पृ० ६ ।
24- मन्मथनाथ गुप्त, भारत में सशस्त्र क्रांति का रोमांचकारी इतिहास, पृ० ७२-७३ ।

तेजबहादुर सिंह के नेतृत्व में तरवा थाना तथा डाकघर जलाया गया । १८ अगस्त को रात्रि में बड़े गांव का पुल तोड़ने का प्रयास किया गया । १६ अगस्त को सठियावं स्टेशन के मालगोदाम पर जनता ने धावा बोल कर उसे लूट लिया । चिरैयाकोट मण्डल में १६ अगस्त को ही जहानागंज मण्डल की ओर से ३ पुलिया तोड़ी गयीं। आलमपुर तथा समीरपुर स्टेशनों पर रेलवे लाइन उखाड़ दी गयीं । इसीदिन बोकहरा का डाकखाना जलाया गया ।अजमतगढ़ के डाकखाने को भी इसी दिन जलाया गया और सगड़ी के पास के गांवों के निकट टेलीफोन के तार काटे गये । २१ अगस्त को पल्थी का डाकखाना लूट लिया गया तथा दोदारगंज थाने पर आक्रमण किया गया।[25] २३ अगस्त को कारोलिया में रामचरित्र सिंह के नेतृत्व में हो रही सभा में सेना ने विघ्न डाली, जब सभा तितरबितर होने लगी तो सेना ने गोली वर्षा कर दी जिससे बैजनाथ पाण्डेय नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी । इसी दिन आजमगढ़ में पुलिस कप्तान का कार्यालय जलाने की चेष्टा की गयी और कुछ बम भी फेंके गये । २६ अगस्त को सरैया में हो रही एक सभा में विघ्न डालने के लिए आयी दो लारी सैनिकों को जनता ने घेर लिया, सैनिकों द्वारा यह कहने पर कि यदि जनता हट जाय तो वे बिना कुछ किये आजमगढ़ वापस चले जावेंगे, जनता ने उनका कहना मान लिया किन्तु थोड़ी दूर जाकर सैनिकों ने गोली वर्षा प्रारम्भ कर दी जिससे ८ व्यक्ति मारे गये और अनेक घायल हुये ।[26]

आजमगढ़ में भारत छोड़ो आन्दोलन का दमन करने के लिए हार्डी के नेतृत्व में सेना की कई टुकड़ियां आयीं । २७ अगस्त को हार्डी ने मऊ कस्बे में लोगों को सामूहिक रूप से पिटवाया । रामनगर तथा काफा में सैनिकों ने स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया ।[27] २६ अगस्त को मधुबन में सैनिकों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मकान जला दिये और उनके परिवारों को अपमानित किया । गिरफ्तार लोगों को थाने में अमानुषिक यातनायें दी गयीं । थमिला ग्राम को अलगूराय शास्त्री का

---

२५- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (आजमगढ़), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ब ।
२६- वही, पृ० ब ।
२७- दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० १६१ ।

निवास स्थान होने के कारण विशेष दंड दिया गया, कस्तूरराय शास्त्री के संयुक्त परिवार का मकान जला दिया गया और इस गांव पर ५ हजार रुपये का सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया ।[28] १ सितम्बर, १९४२ को सरसा में सामूहिक जुर्माना लेने के लिए सेना आने की अफवाह फैल गयी जिससे हजारों व्यक्ति इसका विरोध करने के लिए एकत्र हो गये । सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंच गयी और भीड़ से तितर-बितर हो जाने को कहा, भीड़ ने पुलिस की बात न मान कर वहां से हटना अस्वीकार कर दिया और पुलिस का विरोध किया । वहां पुलिस द्वारा की गयी गोली वर्षा से ४ व्यक्ति मारे गये और अनेक घायल हो गये । १ सितम्बर को ही आजमगढ़ में संयुक्त प्रांत के गवर्नर आये ।[29]

४ सितम्बर, १९४२ को आजमगढ़ में पुलिस उपमहानिरीक्षक ने सामूहिक जुर्माना वसूल करने के लिए कठोरतम नीति अपनाने की सलाह दी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मकान जलाने को आवश्यक एवं वैध बताया । ६ सितम्बर को पुलिस अधिकारी सेना सहित दोहरीघाट के निकट एक हरिजन आश्रम में पहुंचे और वहां के सभी कार्यकर्ताओं को बन्दी बनाने के बाद आश्रम के कार्यालय, पुस्तकालय, गौशाला तथा छात्रावास में आग लगा दी । उल्लेखनीय है कि इस हरिजन आश्रम के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आन्दोलन में कोई भाग नहीं लिया था और वहां कुछ प्रबन्धकों को छोड़ कर केवल १४ वर्ष की आयु तक के बच्चे रहते थे ।[30]

आजमगढ़ में ४०० व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये तथा २२१ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया । मधुबन, [illegible], [illegible] तथा [illegible], जहाँ के लोगों को कठोर दंड दिया गया । सामूहिक जुर्माने के रूप में इस जिले से १०३६५५२६ रुपये वसूल किये गये तथा २०५ मकानों में आग लगायी गयी ।[31]

आजमगढ़ में पुलिस के अत्याचारों से जनता आतंकित अवश्य हो गयी थी किन्तु सरकारी कार्यालयों को जलाने तथा ध्वंसात्मक कार्यवाही छिटपुट रूप से होती रही ।

---

२८- आर०एच०निबलेट, कांग्रेस रिबेलियन इन आजमगढ़, पृ० ६४ ।
२९- वही, पृ० ७६ ।
३०- वही, पृ० ७७ ।
३१- गोविन्द सहाय, सन् ४२ का विद्रोह, पृ० २२१ ।

१ नवम्बर, १९४२ को कुछ फरार व्यक्तियों ने सुरहट रेलवे स्टेशन को जला दिया और रेलवे लाइन के तार काट दिये । इस घटना के प्रतिशोध में सिंयाकोट, मुहम्मदाबाद तथा मऊ थाने की पुलिस ने जनता पर अमानुषिक अत्याचार किये ।[32] आजमगढ़ में सेना की उपस्थिति के बावजूद २६ जनवरी, १९४३ को आजमगढ़ के जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान के निवास स्थान पर बम फेंके गये । फरवरी १९४३ में फूलपुर रेलवे स्टेशन जला दिया गया ।[33] आजमगढ़ में अनेक कांडों में सजा पाये अभियुक्त १९४५ में मुक्त किये गये तथा अनेक फरार व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की अपील के बाद स्वयं को गिरफ्तार कराया ।

<u>गोरखपुर</u> - ९-१० अगस्त को गोरखपुर के अनेक विशिष्ट नेताओं को बंदी बना लिया गया । बम्बई में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी तथा जिले में स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में गोरखपुर में हड़ताल की गयी और जुलूस निकाले गये। ९ अगस्त को ही गोपालपुरा के राजपरिवार के कृष्णानारायण चन्द्र को पुलिस ने बन्दी बना लिया और उनकी सम्पत्ति लूट ली । पुलिस कृष्णानारायण चन्द्र के ग्यारह माह के पुत्र को भी उठा ले गयी जिसकी दो दिन बाद मृत्यु हो गयी ।[34] गोला कस्बे में एक विशाल जुलूस निकाला गया, बाद में वहाँ के थाना और डाकघर में आग लगा दी गयी । उनवल ग्राम के निकट एक पुल नष्ट कर दिया गया ।

१५ अगस्त को मदरसा बाजार में चन्द्रिका सिंह के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया । जुलूस जब सराय के पास सेना को जाने वाली सड़क पर आया तो पुलिस ने जुलूस भंग करने को कहा, स्थिति की गंभीरता को अनुभव करते हुये भी जुलूस आगे बढ़ता गया । विश्वनाथ तिवारी तथा जगन्नाथ मल जुलूस के आगे बढ़ कर जोरों से नारे लगा रहे थे, तभी गोली चली और वे दोनों घटना-स्थल पर ही मारे गये । पुलिस ने दुकानें लूट लीं और गांधी आश्रम को ध्वस्त कर दिया ।[35]

---

३२- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (आजमगढ़), सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, पृ० क ।
३३- आर०एच० निब्लेट, कांग्रेस रिबेलियन इन आजमगढ़, पृ० ५३ ।
३४- दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० १२८ ।
३५- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक ( देवरिया ), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० २६ ।

१६ अगस्त, १९४२ को शिब्बनलाल सक्सेना गुप्त रूप से बम्बई से गोरखपुर पहुँचे। उन्होंने युवकों का संगठन तैयार करके रेलवे पुल तोड़ने, पटरी उखाड़ने तथा थाना जलाने आदि की योजना तैयार की। बिहार, वाराणसी तथा इलाहाबाद से लौटने वाले इस जिले के छात्रों ने इस योजना में सहयोग दिया। ध्वंसात्मक कार्यवाही के लिए भाटपाररानी, बुलीपार, सलेमपुर, बरहज बाजार, गौरीबाजार, नुनखार, हाटा, रुद्रपुर, सुरली, देवरी तथा छितौनी को चुना गया था। इसका अभिप्राय यह था कि प्रशासन को निष्क्रिय बना दिया जाय और जिले में स्वतन्त्र सरकार की स्थापना की जाय।[३६]

२१ अगस्त, १९४२ को रात्रि में ५०० व्यक्तियों ने कसिया रोड पर बने कठकुइयाँ पुल को तोड़ना प्रारम्भ किया और ५ घंटे के परिश्रम के बाद पुल को बेकार कर दिया। २२ अगस्त, १९४२ को सवेरे जब जिले के ध्वंसात्मक कार्यों की समीक्षा की गयी तो पता लगा कि जिले के अधिकांश सड़कों के पुल तोड़े जा चुके हैं। २२ अगस्त को गोरखपुर के जिलाधीश मास को ध्वंसात्मक कार्यवाहियों का पता लग गया। शिब्बनलाल सक्सेना की गिरफ्तारी के लिए ५ हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया।[३७]

२२ अगस्त को पूर्वी बसन्तपुर के पास अयोध्या प्रसाद तथा रामवृक्ष के नेतृत्व में जनसमूह ने चौकीदारों तथा पटवारियों को गिरफ्तार कर लिया। जनसमूह जिस गाँव में पहुँचता वहीं नया शासन और नयी पंचायत कायम हो जाती। छोटी गंडक और सलुआ के मध्य अधिकांश स्थानों पर एक दिन के लिए स्वतन्त्रता का वातावरण उपस्थित हो गया।[३८]

२३ अगस्त, १९४२ को दोहरिया में जयरामसिंह तथा कमलासिंह २५ हजार लोगों की विशाल जन सभा को सम्बोधित कर रहे थे, पुलिस ने आकर सभा भंग करने को कहा किन्तु ऐसा करने से मना करने पर पुलिस ने गोली वर्षा प्रारम्भ कर दी।

---

३६- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (देवरिया), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० २४।
३७- मन्मथनाथ गुप्त, भारत में सशस्त्र क्रांति का रोमांचकारी इतिहास, पृ० ७४।
३८- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (देवरिया), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० २५।

पुलिस की गोली वर्षा से ११ व्यक्ति मारे गये और सैकड़ों घायल हुये । बाद में दोहरिया, पाली, कुसरी, मधनापुर आदि गाँवों को पुलिस ने लूट लिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगा दी ।[39]

कनरथी में हुये गोली कांड में रामलगन तथा रामानन्द शहीद हुये । गोरखपुर में सरकार का दमन चक्र जब प्रारम्भ हुआ तो पूरे जिले में आतंक का वातावरण उपस्थित हो गया । सोनमा गांव के रामबली मिश्र की पत्नी के साथ सैनिकों ने कटु व्यवहार किया और उस गांव का पुस्तकालय जला दिया गया । टाँडी गांव में मथुरा के मकानों को लूटा गया और स्त्रियों के साथ सैनिकों ने कटु व्यवहार किया । उल्लेखनीय है कि यहाँ एक व्यक्ति भी कांग्रेसी नहीं था । करथा बाजार में बहुतों पर लोगों की सामूहिक पिटायी की गयी ।[40]

देवरिया तहसील के मालीबारी गांव में सैनिकों द्वारा की गयी गोली वर्षा से २ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और अनेक घायल हुये । देवगांव में सैनिकों द्वारा की गयी गोली वर्षा से मखमनियां तथा रामलगन की मृत्यु हो गयी, यहाँ रमाकांत मिश्र के घर से सैनिकों ने ५० हजार की सम्पत्ति लूट ली ।[41] कुसुम्ही स्टेशन के निकट सिसई ग्राम में जनता ने जब अनुचित सामूहिक जुर्माना देने से मना किया और तहसीलदार द्वारा लोगों को अपमानित किये जाने का विरोध किया तो गांव के १७ मकानों में आग लगा दी गयी । यहाँ कसूरी सैनिकों ने स्त्रियों के साथ कटु व्यवहार किया और उन्हें अमानुषिक यातनायें दीं ।

२६ अगस्त को बढनी में कैप्टन मूर के नेतृत्व में सैनिकों ने गोली वर्षा की जिससे ३ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । यहाँ के ग्रामवासियों के घरों में सैनिकों ने लूटपाट की और सैकड़ों मन अनाज तथा हजारों रुपये लूट कर ले गये । भाटपारा गांव में भी पुलिस ने लूटपाट की, यहाँ पुलिस द्वारा चलायी गयी गोली से २ व्यक्ति मारे गये । भागलपारी गांव में पुलिस द्वारा लोगों की सामूहिक पिटायी की गयी ।

---

३९. स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (गोरखपुर), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० २६ ।
४०. दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० १२६ ।
४१. वही, पृ० १३० ।

रेलवे लाइन के निकट के गांवों पर सामूहिक जुर्माना किया गया और उसे निर्दयता-पूर्वक वसूल किया गया ।[४२]

जिले के कुछ प्रमुख नेताओं ने अपने को गिरफ्तार न कराकर नाना प्रकार का कष्ट सहते हुये आन्दोलन को आगे बढ़ाया, उनमें बाबा राघवदास प्रमुख थे । बाबा राघवदास ने फरार हालत में देश की यात्रा की । अगस्त १९४३ में भारत छोड़ो आन्दोलन की वर्षगांठ मनाने का अत्यन्त साहसपूर्ण आयोजन करने का कार्य बाबा राघवदास के अदम्य साहस के कारण सम्पन्न हुआ । मद्रास में १० लाख के पेट्रोल के गोदाम जला दिये जाने के बाद जनता पर अत्याचार किये गये तो बाबा राघवदास जनता को सांत्वना देने के लिए वहां गये । अहमदाबाद में तीन महीने तक चलने वाली मजदूरों की सफल हड़ताल में उन्होंने मजदूरों की सहायता की । २६ जनवरी, १९४४ को दिल्ली के वाइसराय-भवन के सामने स्वतन्त्रता दिवस का संदेश देने वाले पर्चों पर बाबा राघवदास का नाम अंकित था । इस बीच बाबा राघवदास की मृत्यु का झूठा समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया, बाद में वास्तविकता से अवगत होने पर सरकार द्वारा बाबा राघवदास को गोली मार देने का आदेश दिया गया किन्तु इन सब आदेशों के बावजूद भी पुलिस उन्हें बन्दी बनाने में ही सफल न हो सकी । मई १९४४ में महात्मा गांधी जेल से मुक्त किये गये तभी उन्हें बाबा राघवदास के बारे में सूचना मिली तो उन्होंने बाबा राघवदास को अपने पास बुलाया । १२ जुलाई, १९४४ को महात्मा गांधी ने फरार देश भक्तों को आत्म-समर्पण करने की सलाह दी, बाबा राघवदास ने महात्मा गांधी की सलाह का अनुसरण करते हुये ७ अगस्त, १९४४ को लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर स्वयं को गिरफ्तार करा लिया ।[४३]

<u>वाराणसी</u> – यहां ९ अगस्त को बम्बई में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में की गयी हड़ताल से भारत छोड़ो आन्दोलन की शुरुआत हुयी । हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा निकाला गया जुलूस सारे नगर का भ्रमण करने के

---

४२- दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० ११९ ।
४३- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (गोरखपुर), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० २८ ।

पश्चात् दशाश्वमेध घाट पर समाप्त हो गया । ११ अगस्त को दिन में लगभग १ बजे कमिश्नर कोठी के पास तार के खंभे गिराये गये । इसी दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस कचहरी गया और वहाँ की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराया गया । १२ अगस्त को नगर तथा जिले में अनेक स्थानों पर आन्दोलनकारियों ने रेल की पटरियाँ उखाड़ीं और सरकारी इमारतों को ध्वस्त किया । नगर में बेनिया, छावनी रेलवे स्टेशन तथा दीनापुर में हरिश्चन्द्र घाट के पास पुलिस ने आन्दोलनकारियों पर गोलियाँ चलायीं । हरिश्चन्द्र घाट पर पुलिस की गोली से आहत ३ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी ।[९४] बेनिया में भी पुलिस द्वारा की गयी गोली-वर्षा से ३ व्यक्ति शहीद हो गये ।

१३ अगस्त को एक जुलूस दशाश्वमेध घाट से होते हुये टाउनहाल पहुँचा । मजिस्ट्रेट ने जुलूस को भंग करने के लिए लाठी वर्षा करने की आज्ञा दी जिससे जुलूस के संचालक विश्वेश्वरी पाठक तथा रमाकान्त सहित अनेक व्यक्ति घायल हुये । पुलिस द्वारा की गयी लाठी वर्षा से लोगों में रोष व्याप्त हो गया । जुलूस के अधिकांश व्यक्ति अच्छे सत्याग्रही की तरह वहीं बैठ गये । पुलिस ने पत्थर फेंकना प्रारम्भ किया, कुछ समय तक जनता शान्त रही कुछ बाद में उसने भी पत्थर फेंके । इससे पुलिस ने गोली वर्षा कर दी जिससे कई व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और बहुत से घायल हुये ।[९५]

वाराणसी में भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र हिन्दू विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ था । वहाँ के छात्र-छात्राओं तथा अध्यापकों ने आन्दोलन का जिले में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में भी व्यापक प्रचार किया । प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा, डा० के०एन०मेहरोत्रा तथा [illegible] ने भारत छोड़ो आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान किया ।[९६]

१४ अगस्त को धानापुर (चन्दौली) में कामता प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में एक जुलूस थाने पर झंडा फहराने के उद्देश्य से गया । जनता और पुलिस में संघर्ष

---

९४- स्वतन्त्रता संग्राम (आर्य कार्यालय (वाराणसी) द्वारा प्रकाशित), १९७२, पृ०२०।
९५- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (वाराणसी), १९६५, पृ० ७८ ।
९६- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ पुलिस ( १९४२-४३ ), पृ० ११ ।

हो गया । संघर्ष में एक थानेदार और दो सिपाही मारे गये । पुलिस की गोली- वर्षा से मथुरासिंह, रघुनाथसिंह तथा हीरासिंह घटनास्थल पर ही शहीद हो गये। इस गोली कांड के सम्बन्ध में १६० व्यक्तियों पर राजद्रोह का मुकदमा चला जिसमें ३ व्यक्तियों को फांसी एक व्यक्ति को काला पानी तथा बहुतों को लम्बी सजायें दी गयीं ।[५७]

१७ अगस्त तक आन्दोलनकारियों ने जिले के अधिकांश रेलवे स्टेशनों और थानों को ध्वस्त कर दिया । रुकाड़िया स्टेशन के पास एक सरकारी इमारत को आन्दोलनकारियों ने नष्ट कर दिया । वाराणसी- इलाहाबाद रेलवे लाइन पर हरदत्तपुर स्टेशन का सामान नष्ट कर दिया गया और तार काट डाले गये । वाराणसी तथा राजा तालाब स्टेशन के मध्य मालापुर स्टेशन का सामान आन्दोलन- कारियों द्वारा जला दिया गया ।[५८]

चोलापुर में पुलिस ने क्रूर अमानवीयता का परिचय दिया । यहाँ एक जुलूस पर पुलिस द्वारा की गयी गोली वर्षा से रामनरेश उपाध्याय, निरकुर, श्रीराम, बोधी नोनियां तथा पंचमराम घटनास्थल पर ही शहीद हो गये ।[५९] २८ अगस्त को बेहूवन राजा में कमलानारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में निकाले गये जुलूस पर पुलिस ने गोली वर्षा कर दी जिससे १६ व्यक्ति सांघातिक रूप से घायल हो गये । कांग्रेस के आन्दोलनों के प्रति समर्थन का भाव रखने के कारण वाराणसी का दैनिक "आज" हमेशा की तरह इस आन्दोलन में भी सरकार की कठोर दमन नीति का शिकार हुआ । आन्दोलन के प्रारम्भ में ही "आज" के सम्पादक कमलापति त्रिपाठी को इलाहाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया । भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जब "आज" का प्रकाशन स्थगित कर दिया गया तो "रणभेरी" का पुनः प्रकाशन किया जाने लगा । "रणभेरी" के प्रकाशन का श्रेय विष्णुराव पराड़कर तथा उनके सहयोगियों को था । कमरपाठिया में गुप्त प्रेस पर छापा मार कर पुलिस ने कुछ लोगों को बन्दी बना लिया । "रणभेरी" प्रेस के पकड़े जाने पर पुनः प्रयास सभी

---

५७- स्वतन्त्रता संग्राम ("आज" कार्यालय(वाराणसी)द्वारा प्रकाशित),१९७४,
पृ० २०७ ।

५८- वही ।

५९- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक(वाराणसी डिवीजन),सूचना विभाग,उ०प्र०,पृ०४५५।

ने लहरी प्रेस से "रणभेरी" को प्रकाशित किया ।[५०]

वाराणसी में भारत छोड़ो आन्दोलन का दमन करने के लिए अधिकारियों ने अत्यन्त कठोर दमन नीति का अनुसरण किया । गांवों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों में आग लगा दी गयी और उनकी सम्पत्ति को पुलिस ने अपने अधिकार में कर लिया । मणिकर्णिका घाट पर शव जलाने हेतु आये लोगों को बन्दी बना लिया गया और कहीं कहीं तो जलती चिताओं से शव निकाल कर फेंक दिये गये ।[५१] हिन्दू विश्वविद्यालय के ११७ छात्रों को भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के आरोप में विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया जिसमें ६० विद्यार्थियों को शहर छोड़ देने का आदेश दिया गया । विश्वविद्यालय के छात्रावासों को पुलिस ने खाली करा लिया और उन पर सैनिकों व पुलिस अधिकारियों का अधिकार हो गया । मदन मोहन-मालवीय तथा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति डा० राधाकृष्णन् के निवास स्थानों पर घेरा डाल दिया गया । हिन्दू विश्वविद्यालय ने एक सैनिक छावनी का रूप ले लिया ।[५२] १९ मई, १९४३ को जालगंज में रामाधार के मकान पर पुलिस ने छापा मार कर डा० स्वामीनाथ सिंह, मोती बी०ए० तथा अन्य व्यक्तियों को बन्दी बना लिया, उन पर कुछ दिनों पहले उसी मकान में सुन्दर बाबू, श्रीमती अरुणा-आसफअली, बाबा राघवदास तथा चन्द्रशेखर अस्थाना की उपस्थिति में हुई एक गुप्त सभा में भाग लेने का आरोप था ।[५३]

पुलिस द्वारा अनेक स्थानों पर आन्दोलनकारियों की सामूहिक पिटायी की गयी । जिले में ५ स्थानों पर सैनिकों द्वारा स्त्रियों के साथ बलात्कार किया गया, स्त्रियों के साथ कटु व्यवहार करना सैनिकों व पुलिस के लिए साधारण बात हो गयी थी ।[५४] भारत छोड़ो आन्दोलन के अन्तर्गत इस जिले में ३१० व्यक्ति नजरबन्द किये गये, ११७ लोगों को जिला छोड़ देने का आदेश दिया गया, ४४३ व्यक्तियों को कारावास की सजा दी गयी तथा ७७ व्यक्तियों को पुलिस द्वारा

---

५०- स्वतन्त्रता संग्राम("आज" कार्यालय(वाराणसी) द्वारा प्रकाशित)१९७२,पृ०२१८

५१- दीनानाथ व्यास,भारत सन् ४२ का महान विप्लव,पृ० १४५ ।

५२- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर(वाराणसी),१९६५, पृ० ७४ ।

५३- राजेश्वर सहाय त्रिपाठी,कारागार जीवन के ग्यारह मास,पृ० ५२ ।

५४- सम्पूर्णानन्द,कुछ स्मृतियां कुछ स्फुट विचार,पृ० १४८ ।

अनेक स्थानों पर की गयी गोली वर्षा से मृत्यु हो गयी ।[५५]

<u>बस्ती</u> - बम्बई में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार प्राप्त होते ही बस्ती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की और जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रचार करने के लिए योजना बनायी । १० अगस्त को बस्ती जिले में अनेक विशिष्ट नेता बन्दी बना लिये गये, स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में सारे नगर में हड़ताल की गयी । बस्ती जिला कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस ने अधिकार कर लिया । ११ अगस्त को नगर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया । पुलिस ने इस जुलूस को भंग करने के लिए लाठी वर्षा की जिससे अनेक व्यक्ति घायल हुये । गौर तथा बाल्टरगंज रेलवे स्टेशनों में जन समूह ने आग लगा दी । खलीलाबाद तथा मकदूमपुर में तार काटे गये । वाराणसी के क्वींस कालेज के छात्र गिरिजाशंकर मिश्र तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के [illegible] तथा यमराज ने इस जिले में आन्दोलन का प्रचार करने में विशेष योगदान दिया ।[५६]

बस्ती शहर में राणाप्रताप आश्रम भारत छोड़ो आन्दोलन के अन्तर्गत छात्र-गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बना । पुलिस द्वारा जब यह आश्रम बन्द कर दिया गया तो यहाँ के नवयुवकों ने गाँवों में फैल कर आन्दोलन का प्रचार किया । किन्तू सिंह, भगवान सिंह, शारदारी पाण्डेय, राजवंश गुप्त, विश्वामित्र तथा महेशज्योतिषी आदि नवयुवकों ने इस जिले में रेल की पटरी उखाड़ने तथा तार काटने का कार्य सफलतापूर्वक किया । तहसीलों पर अधिकार करने की योजना पुलिस की सतर्कता के कारण सफल न हो सकी ।[५७]

इस जिले में पुलिस ने आन्दोलन का दमन इतनी क्रूरता से किया कि लोगों में आतंक व्याप्त हो गया । डोमरियागंज, हर्रैया तथा गौर में सिपाहियों ने लोगों की सामूहिक पिटायी की । राष्ट्रीय सेवा दल, मनवान के श्री प्रसाद तिवारी तथा [illegible] मण्डल के महावीर प्रसाद को इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गयी । बाल्टरगंज मण्डल के पचौरिया, मरौली तथा बैलवारा गाँव में सैनिकों ने आन्दोलनकारियों

---

५५- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (वाराणसी), १९६५, पृ० ७० ।
५६- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (बस्ती), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ४ ।
५७- वही ।

के घरों में आग लगा दी । दुबारा, बरहिया, रामीपुर तथा सरसाहा गाँवों में सैनिकों ने ग्रामवासियों के घरों को लूटा । इस क्षेत्र में बहुत से व्यक्ति गिरफ्तार किये गये किन्तु उनमें से सूरज प्रसाद तिवारी बच कर भाग निकले, बाद में वे नेपाल सीमा पर पुलिस से सशस्त्र संघर्ष करते हुये शहीद हो गये ।[५८] खलीलाबाद के मेंहदावल गाँव में पुलिस ने जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री लालता प्रसाद का मकान जला दिया । पारसा स्टेशन के निकटवर्ती गाँवों में सैनिकों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सम्पत्ति लूट ली और उनके जानवर नीलाम कर दिये । मगहर का खादी आश्रम सैनिकों ने अपने अधिकार में लेकर उसमें आग लगा दी । तुलसुन सिंह, अक्षयसिंह तथा तेजबहादुर सिंह ने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और काफी समय तक फरार रहे किन्तु बाद में पकड़े जाने पर इन्हें २०-२० साल की सजा हुयी । महेश्वर सिंह तथा कमल सिंह को आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण १०-१० वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया । इस जिले में १५३ व्यक्ति नजर बन्द किये गये तथा ४६ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया । सामूहिक जुर्माने के रूप में इस जिले से २६ हजार रुपये वसूल किये गये ।[५९]

<u>फैजाबाद</u> - यहाँ ९ अगस्त को श्री उमाशंकर, वासुदेवाचार्य ब्रह्मचारी, सज्जन जी, महेश कृष्ण वैश्ली आदि विशिष्ट नेता गिरफ्तार कर लिये गये । कुछ भूमिगत आन्दोलन कारियों ने एक लाख पर्चे ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया जिसमें जनता से ध्वंसात्मक कार्यवाही करके सरकारी प्रशासन को निष्क्रिय बना देने का उल्लेख था । जिलास्तर के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में विद्यार्थियों ने १० अगस्त को हड़ताल करायी और विशाल जुलूस निकाला ।[६०] उसी दिन जिलाधीश ने जिले के समस्त विद्यालयों को बन्द कर देने के आदेश दिये ।

२३ अगस्त को राजे-सुल्तानपुर में वसुधा सिंह के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया जो बाद में सभा में परिवर्तित हो गया । पुलिस ने आकर सभा को अवैध घोषित करते हुये उसे भंग करने को कहा तथा वक्ताओं को बन्दी बनाने का

---

५८- गोविन्द सहाय, सन् ४२ का विद्रोह, पृ० २४८ ।
५९- दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० १४२ ।
६०- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक( फैजाबाद), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० क।

प्रयास किया। जब थानेदार ने पिस्तौल निकाल कर सत्याग्रहियों को धमकी दी तो भूपालसिंह ने थानेदार को पकड़ लिया। सभा की कार्यवाही रुक गयी और यह अफवाह फैली कि भूपालसिंह मार डाले गये। जनता ने थानेदार और सिपाहियों को इतना पीटा कि थानेदार और एक सिपाही की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। एक घायल सिपाही ने इस घटना की सूचना थाने में आकर दी। २४अगस्त को पुलिस ने रायें-सुल्तानपुर के निकटवर्ती गांवों में लूटपाट की और लोगों की सामूहिक पिटाई की। पुलिस द्वारा दी गयी अमानुषिक यातनाओं के कारण विंध्येश्वरी नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। रायें-सुल्तानपुर कांड में ५७ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया किन्तु उनमें से ११ व्यक्ति फरार हो गये। भूपालसिंह को फांसी की सजा दी गयी किन्तु बाद में वह आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित कर दी गयी।[६१]

२८ अगस्त को टांडा के दक्षिण में और मसाढ़ी तथा जलालपुर स्टेशनों के मध्य रेलों की पटरियां उखाड़ी गयीं तथा तार काटे गये। भारा, गौरा-मुहम्मदपुर, बाजारगांव और अलीपुर में टेलीफोन के तार काट कर संचार व्यवस्था को भंग कर दिया गया। मेलवायी और मालीपुर के मध्य रेल की पटरियां उखाड़ी गयीं, वहां पर रेल की पटरी उखाड़ कर और उसे कंधों पर लाद कर बहु नदी में फेंकने का प्रयास करते समय बरिया ग्राम के सूरजसिंह अपने साथियों सहित गिरफ्तार कर लिये गये।[६२]

फैजाबाद में भारत छोड़ो आन्दोलन के शिथिल हो जाने पर भी तोड़फोड़ के छिटपुट प्रयास होते रहे। १९४४ में स्वतन्त्रता दिवस तथा राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के प्रयास में बहुत से कार्यकर्ता बन्दी बनाये गये।[६३] पुनः १९४४ में फरार देशभक्तों को आत्मसमर्पण कर देने की गांधी जी की अपील के पश्चात् इस जिले के अनेक आन्दोलनकारियों ने स्वयं को गिरफ्तार करा दिया।

६१- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (फैजाबाद) सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ८।
६२- डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (फैजाबाद), १९६०, पृ० ७२।
६३- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (फैजाबाद), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ८।

गाजीपुर – यहाँ पर ९ अगस्त से ११ अगस्त तक बम्बई में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अहिंसात्मक प्रदर्शन होते रहे । यहाँ के जिला-स्तर के नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् युवक वर्ग ने इस जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन का नेतृत्व किया । निकटवर्ती जिलों से तोड़फोड़ के समाचार आने पर यहाँ भी जनता ने सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों को ध्वस्त करना प्रारम्भ कर दिया । वाराणसी के हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों के आगमन से इस जिले में आन्दोलन का प्रसार होने में बड़ी सहायता मिली । गाजीपुर की जनता ने रेलगाड़ियों को अपने नियंत्रण में ले लिया । युवकों ने संगठित होकर राजवाड़ी तथा जौनपुर के मध्य के स्टेशनों को नष्ट कर दिया । नन्दगंज स्टेशन पर जनता व सैनिकों में संघर्ष हो गया, जिसमें सैनिकों द्वारा की गयी गोली वर्षा से लगभग ८० व्यक्ति हताहत हुये ।[६४] जमानियां तथा सादात स्टेशन पर की गयी गोली वर्षा से दो व्यक्ति मारे गये ।

१५ अगस्त को गाजीपुर में कचहरी की इमारत पर झंडा फहराने के लिए गये एक जनसमूह पर पुलिस द्वारा लाठी वर्षा की गयी । सैदपुर की तहसील में जनता ने प्रवेश करके तिरंगा झंडा फहरा दिया, वहाँ के अधिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया । सैदपुर के परगनाधीश [illegible] भंडारी ने जनता पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिया जिसके कारण हैलेट ने उनकी पदावनति करके उन्हें तहसीलदार बना दिया ।[६५]

१८ अगस्त को शिवपूजन राय के नेतृत्व में १० हजार लोगों के जनसमूह ने अहिंसात्मक ढंग से मुहम्मदाबाद तहसील पर अधिकार करने का प्रयत्न किया । यहाँ पर जनसमूह पर पुलिस द्वारा की गयी गोली वर्षा से शिवपूजन राय, रामलाल, डोमन अहीर, यमुना राय, नारायण राय, वशिष्ठनारायण, राजाराम राय, वंश-नारायण तथा राजेश्वर नारायण राय की मृत्यु घटनास्थल पर हो गयी । वंशनारायण राय तथा रामबदन की मृत्यु घायलावस्था में अस्पताल में हो गयी ।

---

६४- दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान् विप्लव, पृ० १६४ ।

६५- विधान सभा कार्यवाही (१४ फरवरी, १९४७), भाग-२७, पृ० १८८-८९ ।

मुहम्मदाबाद तहसील में हुये गोली कांड में मारे गये व्यक्तियों की लाशें अधिकारियों ने नदी में फेंकवा दीं । दूसरे दिन उत्तेजित जनता के भय से तहसील तथा थाने के अधिकारी भाग गये, तहसील और थाने पर जनता का अधिकार हो गया ।[६६]
१४ अगस्त को शेरपुर गांव की जनता ने [illegible] के हवाई अड्डे पर हमला किया। पुलिस और जनता के मध्य हुये संघर्ष में जनता के नेता यमुना गिरि घायलावस्था में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये । गांव में सूचना पाते ही जनता ने इस घटना का बदला लेने का निश्चय किया । शेरपुर तथा हरिपुर के निवासियों ने अगले दिन हवाई अड्डे की ओर प्रस्थान किया किन्तु[६७] हवाई अड्डे के कर्मचारी भाग गये थे । जनता ने हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया ।

गाजीपुर में १९-२१ अगस्त तक ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया । २२ अगस्त को जिले में नेदरसोल तथा हार्डी के नेतृत्व में सैनिकों का आगमन हुआ । सैनिकों के अत्याचारों से सारे जिले में आतंक का साम्राज्य स्थापित हो गया । वाराणसी-गाजीपुर मार्ग के सभी गांवों में सैनिकों ने लूटपाट की । रामपुर गांव को सैनिकों ने वीरान कर दिया । [illegible] के हवाई अड्डे की घटना का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से सैनिकों ने शेरपुर कला गांव में जनता पर गोली वर्षा की जिससे २ व्यक्ति घटनास्थल पर मर गये । सैनिकों ने इस गांव से लाखों रुपये लूटा और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया[६८] । राधिकादेवी की मृत्यु सैनिकों द्वारा कुंए में फेंक देने के कारण हो गयी ।

१ सितम्बर को बलूची सैनिकों ने गहमर गांव में गोली वर्षा की जिससे दो व्यक्ति मारे गये । राजाराम सिंह की कोठी को डाइनामाइट से उड़ा दिया गया। [illegible], सादात तथा नन्दगंज में सैनिकों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों की सामूहिक पिटायी की और स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया । सैदपुर में वाराणसी के दैनिक "आज"[६९] के सम्वाददाता को सैनिकों ने बुरी तरह पीटा और बाद में जेल में बन्द कर दिया । सादपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता मथुरा प्रसाद का

---

६६- दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० १६५ ।
६७- वही, पृ० १६७ ।
६८- मन्मथनाथ गुप्त, भारत में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा का रोमांचकारी इति०, पृ०६
६९- दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० १६६ ।

मकान पुलिस ने लूटने के बाद जला दिया । नवाबगंज के कांग्रेस कार्यकर्ता के मकान से पुलिस ने १५ हजार रुपये की सम्पत्ति लूट ली और उनके परिवार वालों के साथ अभद्र व्यवहार किया ।[७०]

इस जिलेमें भारत छोड़ो आन्दोलन के अन्तर्गत ३ हजार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा १०० व्यक्तियों को नजर-बन्द किया गया । २० स्थानों पर की गयी गोली वर्षा से १४७ व्यक्तियों की मृत्यु हुयी और ३२६ व्यक्ति घायल हुये । जनता की ३२ लाख रुपये की सम्पत्ति पुलिस और सैनिकों द्वारा नष्ट कर दी गयी । इस जिले से ३२६९६०६ रुपये सामूहिक जुर्माना के रूप में वसूल किये गये ।[७१]

<u>जौनपुर</u> - १० अगस्त को जौनपुर में, बम्बई में कांग्रेस नेताओं की हुयी गिरफ्तारी का समाचार फैलते ही जनता उत्तेजित हो गयी । शहर में पूर्ण हड़ताल रखी गयी और जुलूस निकाला गया । नगर में आन्दोलन के प्रारम्भ होते ही हरगोविन्द सिंह, हीरालाल, बैकुण्ठनाथ तथा रामलखनसिंह आदि विशिष्ट नेता बन्दी बना लिये गये। नवयुवकों के नेतृत्व में इस जिले में ध्वंसात्मक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयीं । नगर में पुलिस के अत्यधिक सतर्क रहने के कारण नवयुवकों द्वारा बनायी गयीं ध्वंसात्मक कार्यवाहियों की योजना पुलिस को पता चल गयी जिससे अनेक नवयुवक बन्दी बना लिये गये ।[७२] १३ अगस्त को ही मछली-शहर और बादशाहपुर के बीच का पुल तोड़ते समय पुलिस ने आन्दोलनकारियों पर गोली वर्षा की जिससे विजय बहादुर नामक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी ।[७३]

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों ने मार्ग अवरुद्ध करने के लिए पेड़ों को काट कर सड़क के मध्य डाल दिया और पुलों को नष्ट कर दिया । सिंगरामऊ तथा करनपुर में तोड़फोड़ की कार्यवाही करने के लिए एक संगठन बनाया गया । धनियामऊ का पुल तोड़ने का आन्दोलनकारियों का प्रयास सफल रहा किन्तु जनता और पुलिस के मध्य हुये संघर्ष में पुलिस द्वारा की गयी गोली वर्षा से जमींदारसिंह,

---

७०- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक(वाराणसी डिवीजन), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ६५।
७१- गोविन्द सहाय, सन् ४२ का विद्रोह, पृ० २३० ।
७२- वही, पृ० २४७ ।
७३- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक(वाराणसी डिवीजन), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ०१२४ ।

रामाधार सिंह तथा रामनिहोरे सहित अनेक आन्दोलनकारी घटनास्थल पर शहीद हो गये, इस घटना में चार विद्यार्थियों की भी मृत्यु हुयी ।[७४] धनियांमऊ गोली कांड के पश्चात्, धनियांमऊ के निकटवर्ती गांवों में पुलिस ने ग्रामवासियों को अमानुषिक यातनायें दीं । एक गांव में लूटपाट करते हुये एक चौकीदार को जब रामानन्द और रघुराई नामक व्यक्ति पकड़ कर थाने ले गये तो उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया और २३ अगस्त, १९४२ को उन्हें पेड़ से बांध कर गोली मार दी गयी।[७५]

सुजानगंज के थाने पर थानेदार और चौकीदार को जनता ने कैद कर लिया और थाने की इमारत पर तिरंगा झंडा फहरा दिया । वहां के थानेदार पं०सुन्दर-लाल ने आत्महत्या कर ली । सुजानगंज के थाने पर अधिकार करने का श्रेय अम्बिकासिंह, रामनारायण मिश्र, हरिहर प्रसाद सिंह, गिरिजा शंकर सिंह तथा राम प्रताप सिंह को था ।[७६] मछलीशहर तहसील भवन पर झंडा फहराने का प्रयास करते समय थानेदार बहादुरअली द्वारा चलायी गयी गोली से रामदुलार सिंह तथा माता प्रसाद शुक्ल की मृत्यु हो गयी ।[७७] रौशीग्राम के जगरूप राय की मछली शहर के थानेदार द्वारा इतनी पिटायी की गयी कि ३ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गयी ।[७८] डंगौरा पुल को तोड़ते समय आन्दोलनकारियों पर पुलिस द्वारा चलायी गयी गोली से साधु लाल कुर्मी सांघातिक रूप से घायल हो गये और बाद में प्रतापगढ़ के अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी ।[७९]

नवयुवकों ने इस जिले में आज़ाद सरकार की स्थापना की । आज़ाद सरकार के अन्तर्गत गुप्तचर विभाग द्वारा पुलिस की योजनाओं की सूचना एकत्र की जाती थी । अनेक पटवारी तथा चौकीदारों ने नौकरी से त्याग पत्र देकर आज़ाद सरकार के अंतर्गत कार्य करना स्वीकार किया । नवयुवकों ने प्रत्येक गांवों में सुरक्षा चौकियां स्थापित कीं जिनमें स्वैच्छिक सैनिकों की नियुक्ति की गयी । सरकारी कार्यालयों से लूटे गये

---

७४- राजेश्वर सहाय त्रिपाठी,फरार जीवन के ग्यारह मास, पृ० ७ ।
७५- स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक(वाराणसी डिवीज़न),सूचना विभाग,उ०प्र०,पृ० १७८।
७६- राजेश्वर सहाय त्रिपाठी,फरार जीवन के ग्यारह मास, पृ० ८ ।
७७- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक(वाराणसी डिवीज़न ),सूचना विभाग,उ०प्र०,पृ० ८५
७८- वही, पृ० १०६ ।
७९- वही, पृ० १४२ ।

धन से इनका प्रबन्ध किया जाता था । आज़ाद सरकार[85] इस प्रकार की व्यवस्था करके कई माह तक सरकार का विरोध करती रही ।

जौनपुर जिले में बंधवा, डाभगांव तथा जलालपुर में जनता ने पुलिस की कार्यवाहियों का तीव्र प्रतिरोध किया । यहाँ के अम्बिकासिंह, राजाराम मिश्र तथा सराकिंगार के कृत्य अत्यंत शौर्यपूर्ण हैं ।

इस जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन के अन्तर्गत १३२० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । सराका ग्राम के भगवानदास तथा बखनाखी ग्राम के महादेव सिंह को आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के अपराध में २५ नवम्बर, १९४३ को फांसी दी गयी ।[86] इस जिले से १९५९१८८ रुपये सामूहिक जुर्माना के रूप में वसूल किये गये[87] ।

<u>प्रतापगढ़</u> – भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रारम्भ में ही यहां जिले के अनेक विशिष्ट नेता बन्दी बना लिये गये । स्थानीय नेताओं तथा बम्बई में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रतापगढ़ में १०-११ अगस्त को हड़ताल की गयी जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया । इस जिले में पट्टी तहसील की जनता ने आंदोलन में अत्यंत सक्रिय भाग लिया । जिले में अनेक डाकखाने जनता द्वारा लूट लिये गये । रानीगंज थाना के युवक नेता राजनाथ सिंह ने अपने चाचा लल्ला सिंह के नेतृत्व में गौरा में रेल लुटवा दी जिससे इस लाइन पर कुछ समय के लिए रेलों का चलना बंद हो गया । गौरा में रेल लूटने की घटना के अन्तर्गत बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये और उन्हें लम्बी सजायें दी गयीं । युवक नेता उमापति ने विश्वनाथगंज के पास एक मालगाड़ी को लूट लिया । विश्वनाथगंज में भी रेल को रोक कर सामान लूट लेने की कार्यवाही की गयी । पट्टी थाने पर रामअधीर चौरसिया तथा हरिहर प्रसाद के नेतृत्व में ५ हजार व्यक्तियों के जन समूह ने आक्रमण[88] किया । इस सम्बन्ध में बहुत लोग बन्दी बनाये गये और दंडित किये गये ।

---

८५- गोविन्द सहाय, सन् ४२ का विद्रोह, पृ० २५६ ।
८६- कार्यवाही विधान सभा (१९४८), भाग-३६, पृ० २१ ।
८७- गोविन्द सहाय, सन् ४२ का विद्रोह, पृ० २५७ ।
८८- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

इस जिले में १२ अगस्त, १९४२ को संयुक्त प्रांत के गवर्नर हैलेट ने भाषण देते हुये भारतीयों द्वारा इंग्लैंड की युद्ध में सहायता न किये जाने को अनुचित बताया और भारतीयों के इस व्यवहार पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया ।[८४]

इस जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए पुलिस ने कठोर दमन नीति अपनायी । कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों पर छापा मारा गया और उनके परिवार वालों को गोली मार देने की धमकी देकर पुलिस ने फरार व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की । आन्दोलनकारियों के घर जला दिये गये और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी । ८ अक्टूबर, १९४२ को पुलिस की यातनाओं से त्रस्त होकर, राय अम्बिका सिंह के नेतृत्व में प्रतापगढ़- जौनपुर सीमा पर स्थित बंधवा बाजार में सुखपाल सिंह, रामकमल सिंह तथा रघुराज नामक ३ सिपाहियों को नीम में लटका कर भालों से मार डाला गया।[८५] इस घटना के बाद[८६] पुलिस ने अम्बिका सिंह के धोखे में मगनू नाम के दूसरे व्यक्ति को मार डाला । पुलिस के अनेक प्रयत्नों के बाद भी अम्बिका सिंह प्रतापगढ़ में पकड़े नहीं जा सके, उनकी गिरफ्तारी बम्बई में हुयी । बंधवा बाजार में सिपाहियों को मार डालने की घटना के अन्तर्गत अम्बिका सिंह, राजनारायण मिश्र, भगवती प्रसाद, पारस नाथ (नेपाल) को फांसी की सजा हुयी किन्तु कांग्रेस सरकार बनने पर वे सब छूट गये ।[८७] इस जिले से १२७५० रुपये सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया ।

<u>सुल्तानपुर</u> - यहां पर १० अगस्त को ही जिले के अनेक विशिष्ट नेता गिरफ्तार कर लिये गये जिसके विरोध में विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल का आयोजन किया गया । जिले के अनेक नेताओं के भूमिगत हो जाने पर इस जिले में नवयुवकों ने आन्दोलन का नेतृत्व किया । आन्दोलनकारियों ने अनेक स्थानों पर तार काटे और रेल की पटरियां उखाड़ दीं, इस दृष्टि से कैमरार गांव का नाम उल्लेखनीय है जिसे इस अपराध में

---

८४- दि पायनियर, १६ अगस्त, १९४२, पृ० ७ ।
८५- राजेश्वर सहाय त्रिपाठी, फरार जीवन के ग्यारह मास, पृ० २६ ।
८६- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक(प्रतापगढ़), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ब ।
८७- गोविन्द सहाय, सन् ४२ का विद्रोह, पृ० २८७ ।

सामूहिक जुर्माना देना पड़ा ।[८८]

सुल्तानपुर में श्रीपुर गांव में राम कुमार गुप्त द्वारा क्रांतिकारी पत्र का गुप्त प्रकाशन किया गया जिसे उन्होंने सुल्तानपुर में तथा निकटवर्ती जिलों में वितरित किया ।[८९] "क्रांतिकारी" के प्रकाशन और वितरण में शान्ती देवी उपाध्याय तथा लल्लू बाबू ने विशेष सहयोग दिया । अमहट हवाई अड्डे की सुरक्षा हेतु वहां सेना की बहुत सी गाड़ियां खड़ी थीं और पर्याप्त मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी एकत्र थी, आन्दोलनकारियों ने सुनियोजित योजना तैयार करके सेना की गाड़ियों तथा विस्फोटक सामग्री को बारूद से उड़ा दिया, जिलाधिकारियों को यह पता न चल सका कि यह कार्य किसने किया ।[९०] सहाबागंज में आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार करने के प्रयास में पुलिस और आन्दोलनकारियों के मध्य गोलियां चलीं, पुलिस आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार करने में सफल न हो सकी । जिले की मुसाफिर-खाना तथा अमेठी तहसीलों में आन्दोलनकारियों द्वारा गुरिल्ला दलों का संगठन किया गया । इनका कार्य रेल की पटरियां उखाड़ना तथा सरकारी इमारतों को ध्वस्त करना था । यहां के आन्दोलनकारियों ने नागपुर तथा जबलपुर से अपने विशेष व्यक्तियों को भेज कर बम मंगवाये जिनका प्रयोग उन्होंने पुलों को तोड़ने के लिए किया ।[९१]

सुल्तानपुर में भारत छोड़ो आन्दोलन में जौनपुर तथा प्रतापगढ़ के लोगों ने भी विशेष योगदान दिया । प्रतापगढ़ निवासी राघेश्वर सहाय त्रिपाठी ने सुल्तानपुर में आन्दोलनकारियों को संगठित करने का सराहनीय कार्य किया । इस जिले में पुलिस द्वारा आन्दोलनकारियों और फरार व्यक्तियों के परिवारों को तरह-तरह से परेशान किया गया ।[९२] आन्दोलनकारियों की सम्पत्ति लूट ली गयी और उनके जानवर नीलाम कर दिये गये । इस जिले में तोड़फोड़ की छिटपुट घटनायें १९४४ तक होती रहीं ।

---

८८- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (सुल्तानपुर) सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ८ ।
८९- राघेश्वर सहाय त्रिपाठी, फरार जीवन के ग्यारह मास, पृ० २६ ।
९०- वही, पृ० २८ ।
९१- वही, पृ० ४२ ।
९२- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (सुल्तानपुर), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ५ ।

<u>मिर्जापुर</u> — यहाँ भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रारम्भ में ही युसुफ इमाम, महेश-दुबे, रामलखन सिंह, भास्करानन्द, "ग्रामवासी" साप्ताहिक के सम्पादक कृष्णमोहन-मिश्र तथा "अंगार" के सम्पादक लक्ष्मीकांत मिश्र आदि विशिष्ट लोगों को बन्दी बना लिया गया। शहर में लोगों ने स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किये। १३ अगस्त को अहरौरा बाजार में पुलिस द्वारा की गयी गोली वर्षा से श्यामलाल केसरवानी तथा भागा प्रसाद विश्वकर्मा घटनास्थल पर मारे गये।[६३]

१७ अगस्त को आन्दोलनकारियों द्वारा पहाड़ा रेलवे स्टेशन में आग लगा दी गयी किन्तु आग लगाते समय १८ वर्षीय आन्दोलनकारी नरेशचन्द्र सिन्हा की मृत्यु हो गयी। पहाड़ा रेलवे स्टेशन अग्निकांड के सम्बन्ध में पुलिस ने बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया। बेलखन ग्राम के मुकुन्दा अहीर ने पहाड़ा स्टेशन अग्निकांड में पुलिस का गवाह बनने से इनकार कर दिया और चलती हुई गाड़ी से कूद कर आत्म-हत्या कर ली।[६४]

इस जिले के आन्दोलन में काशी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों ने सक्रिय सहयोग दिया। नारायणपुर तथा कैलहट रेलवे स्टेशनों को जलाने के अपराध में सरदार इंदर सिंह, काशीनाथ सिंह, कश्मीरी सिंह, सरदार प्रताप सिंह, मदनबीर सिंह, राजतिलक, रोशनसिंह तथा हरबंश सिंह सहित अन्य तीन विद्यार्थियों को दंडित किया गया। होशियारपुर (पंजाब) के विद्यार्थी कश्मीरी सिंह जिन्हें नारायणपुर तथा कैलहट रेलवे स्टेशनों को जलाने के अपराध में दंडित किया गया था, की जेल में मृत्यु हो गयी। चन्दनसिंह गढ़वाली को सशस्त्र क्रांति का गठन करने वाले आन्दोलनकारियों का नेतृत्व करने के अपराध में दंडित किया गया।[६५]

२४ अगस्त को ममता में पुलिस द्वारा की गयी गोली वर्षा से मंगलाप्रसाद-सिंह, मार्कण्डेय सिंह, आदित्य सिंह, कबीलदाराम और कुन्दलाल सांघातिक रूप से घायल हो गये। इस जिले में सैनिकों तथा पुलिस द्वारा अनेक गांवों में कांग्रेस कार्य-

---

६३- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (वाराणसी डिवीजन), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ०३७३।

६४- वही, पृ० ३७५।

६५- वही, पृ० ३७८।

कर्णधारों के घर जला दिये गये और स्त्रियों के साथ कठोर व्यवहार किया गया । उस जिले से १०१६० रुपये सामूहिक जुर्माना वसूल किया गया ।[९६]

## समीक्षा

भारत छोड़ो आन्दोलन यद्यपि अपने मूल लक्ष्य भारत से विदेशी शासन की समाप्ति को तात्कालिक रूप से प्राप्त नहीं कर सका लेकिन इस आन्दोलन ने जनता में ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिसके कारण ब्रिटेन के लिए भारत पर और लम्बे समय तक शासन कर सकना सम्भव नहीं रहा ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आन्दोलन ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि प्रांतीय सरकार को सेना की सहायता लेनी पड़ी । बलिया तथा गाजीपुर में तो अंग्रेजी शासन कुछ दिनों तक के लिए समाप्त हो गया था । बलिया में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गयी । बलिया में भारत छोड़ो आन्दोलन में जनता के उत्कृष्ट योगदान की कांग्रेस नेताओं ने सराहना की ।[९७] इस आन्दोलन के मध्य जो हिंसात्मक घटनायें हुयीं उसके लिए जनता या कांग्रेस दोषी नहीं थी । नेतृत्वहीन जनता द्वारा की गयी हिंसात्मक घटनाओं का उत्तरदायित्व सरकार पर था जिसने दूरगामी परिणामों का विचार के बिना नेताओं को बन्दी बना लिया ।[९८]

---

९६- गोविन्द सहाय, सन् ४२ का विद्रोह, पृ० २४७ ।

९७- बलिया ने राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में एक अध्याय अपने खून से लिखा है । भारतवर्ष यहाँ के उत्साही व वीर युवकों को कभी विस्मृत नहीं कर सकता, यहाँ की जनता ने अगस्त सन् ४२ के भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में जो कुछ किया है उसके लिए मैं उन्हें राष्ट्र की ओर से बधाई देता हूँ । बलिया के प्रत्येक नर-नारी को गर्व होना चाहिये कि उन्होंने संसार के एक प्रबल ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी की जंजीर तोड़ कर कम से कम कुछ दिनों के लिए अपना राज्य कायम किया था ।" जवाहर लाल नेहरू
(दीनानाथ व्यास, अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, पृ० १४४ )

९८- डा० ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास, पृ० ६३५ ।

भारत सरकार ने भारत छोड़ो आन्दोलन के अन्तर्गत हुयी हिंसात्मक घटनाओं का उत्तरदायित्व कांग्रेस पर डालने के लिए १३ फरवरी, १९४३ को "१९४२-४३ में उपद्रवों के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व "नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें उपद्रवों के लिए महात्मा गांधी तथा कांग्रेस को दोषी ठहराया गया। सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिये गये विवरण एकपक्षीय तथा असत्य है।[९९]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकार के प्रशासन को निष्क्रिय बना देने में भारत छोड़ो आन्दोलन पूर्णत: सफल रहा।

---

९९- कृष्णा प्रसाद, दि इंडियन रिवोल्ट आफ १९४२, पृ० १२३।

## अष्टम अध्याय

## स्वतन्त्रता संघर्ष की अंतिम अवस्था और स्वतन्त्रता प्राप्ति

सरकार की पाशविक हिंसा का विरोध तथा आत्मशुद्धि के लिए महात्मा गांधी ने जेल में १० फरवरी, १९४३ को २१ दिनों का उपवास प्रारम्भ किया। महात्मा गांधी का स्वास्थ्य पहले से ही ठीक न था इसलिए कुछ दिनों में ही उनकी स्थिति चिन्ताजनक होने लगी। सरकार ने उन्हें रिहा करने या समझौते की बातचीत करने से तब तक अस्वीकार कर दिया, जब तक कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव की नीति को न छोड़ दे। सरकार की इस नीति के विरोध में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद् से मोदी, सरकार तथा अणे ने त्याग पत्र दे दिया। महात्मा गांधी का उपवास २१ दिनों बाद समाप्त हो गया। ये २१ दिन भारत के लिए अत्यधिक व्याकुलता के दिन थे किन्तु मुस्लिम लीग और उसके नेताओं पर इस घटना का कोई प्रभाव न पड़ा, वे इसको पूर्णतया हिन्दुओं की चिन्ता का विषय समझते रहे।[1]

अक्टूबर १९४३ में लार्ड लिनलिथगो के स्थान पर लार्ड वैवेल भारत के वाइसराय नियुक्त हुये। लार्ड वैवेल ने १७ फरवरी, १९४४ को केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद् में अपने भाषण में भारत की प्राकृतिक एकता को स्वीकार करके जनता में यह आशा जाग्रत कर दी कि किसी भी स्थिति में अंग्रेज भारत विभाजन का पक्ष न लेगा। लार्ड वैवेल ने कहा कि आप भूगोल नहीं बदल सकते, सुरक्षा तथा अनेक आन्तरिक तथा बाह्य समस्याओं की दृष्टि से भारत एक प्राकृतिक इकाई है।[2]

कांग्रेस छोड़ देने के बाद से राजगोपालाचारी मुस्लिम लीग के साथ समझौते के कार्य में व्यस्त हो गये थे। उसके लिए राजगोपालाचारी ने जो सूत्र तैयार किया था उसे महात्मा गांधी की स्वीकृति मिल गयी थी। ६ मई, १९४४ को महात्मा गांधी बिना किसी शर्त के रिहा कर दिये गये। केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद् में अर्द्ध-

---

१- डान, १९ फरवरी, १९४३, पृ० ५।
२- इंडियन एनुअल रजिस्टर (१९४४), भाग-१, पृ० १९४२।

विधेयक का विरोध करने में तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहयोग से समझौते की नई आशायें जाग्रत हो गयीं। मई में महात्मा गांधी की रिहाई के पहले से ही राजगोपालाचारी जिन्ना से अपनी योजनाओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। महात्मा गांधी के रिहा होते ही राजगोपालाचारी ने उनके सामने अपनी योजना प्रस्तुत की। सितम्बर १९४४ के पूरे महीने भर गांधी-राजगोपालाचारी तथा जिन्ना में समझौते की बातचीत चलती रहीं। समझौते के प्रस्ताव संक्षेप में निम्नलिखित थे -(१) मुस्लिम लीग भारतीयों की स्वतन्त्रता की मांग स्वीकार करते और अस्थायी अन्तरिम सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करे, (२) युद्ध के बाद एक कमीशन नियुक्त किया जाय जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पूर्व में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेशों का सीमा निर्धारण करे, इन प्रदेशों के अलग होने के प्रश्न के निर्णय के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर जनमत लिया जाये; (३) इन प्रदेशों के अलग किये जाने की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य तथा यातायात की सुरक्षा के लिए पारस्परिक समझौता किया जाये; (४) यह शर्तें तभी लागू होंगी जब ब्रिटेन पूरी शक्ति हस्तांतरित कर दे।

समझौते की यह वार्ता भी असफल रही। जिन्ना पूरे ६ मुस्लिम प्रांतों को अलग किये जाने तथा जनमत संग्रह को मुसलमानों तक ही सीमित करना चाहते थे। रक्षा आदि समान हितों की बातों में उन्हें समान नियंत्रण स्वीकार न था।[3] जिन्ना ने राजगोपालाचारी योजना को कटे, छंटे तथा दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कह कर अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः इस समय महात्मा गांधी द्वारा जिन्ना के साथ समझौते की बातचीत करने से जिन्ना की हठधर्मी में वृद्धि ही हुई। इससे भारतीय राजनीति में उन्हें बहुत अधिक महत्व प्राप्त हो गया जो भविष्य में भारतीय हितों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ।[4]

जेल से मुक्त होने के बाद संयुक्त प्रांत के कांग्रेस नेताओं की एक बैठक १९-२०

---

३- डा० ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास, पृ० ४३६ ।

४- अबुलकलाम आजाद, इंडिया विन्स फ्रीडम, पृ० ९२ ।

नवम्बर, १९४४ को इलाहाबाद में हुई जिसमें रचनात्मक कार्यों के अपनाये जाने पर बल दिया गया,[5] यद्यपि अभी भी भारत छोड़ो प्रस्ताव पर अमल करना कांग्रेस का लक्ष्य था। ३ दिसम्बर, १९४४ को तेजबहादुर सप्रू की अध्यक्षता में गठित निर्दलीय कमेटी का सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ जिसमें १९३५ के विधान की धारा ९३ के अन्तर्गत हो रहे प्रांतीय शासन की आलोचना की गयी।[6] इसके साथ ही कमेटी ने सम्मेलन में पाकिस्तान योजना का विरोध इस आधार पर किया कि इससे देश की शान्ति को आघात पहुँचेगा।[7]

मार्च १९४५ में लार्ड वैवेल परामर्श हेतु इंग्लैंड गये। जून १९४५ में लार्ड वैवेल के भारत लौटने पर भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ ही भारत की संवैधानिक समस्या पर वक्तव्य प्रकाशित हुये। लार्ड वैवेल ने प्रस्ताव रखे कि वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद् को उसमें हिन्दुओं और मुसलमानों में समानता के आधार पर पूर्णतया भारतीय बना दिया जाय, केवल रक्षा मन्त्री का पद भारतीयों के हाथ में न रहेगा। लार्ड वैवेल ने आशा व्यक्त की कि केन्द्र में सहयोग स्थापित हो जाने पर प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की पुन: स्थापना हो सकेगी और परामर्शदात्री स्थापना समितियां समाप्त की जा सकेंगी। लार्ड वैवेल ने आगे कहा कि ये प्रस्ताव किसी प्रकार भी भारत के लिए भावी स्थायी संविधान पर प्रभाव न डालेंगे। लार्ड वैवेल ने अपनी योजना को स्पष्ट करते हुये कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को रिहा करने की घोषणा की और कांग्रेस कार्यकारिणी समिति पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया। लार्ड वैवेल ने शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। २२ जून, १९४५ को बम्बई में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक बैठक में शिमला सम्मेलन में भाग लेने का निश्चय किया।

२५ जून, १९४५ को शिमला सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। सम्मेलन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सिक्ख, केन्द्रीय विधान सभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित

५- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०(१९४४), पृ० ३।
६- आज, ५ दिसम्बर,१९४४, पृ० १।
७- दि लीडर, ९ अप्रैल, १९४५, पृ० १।

व्यक्तियों ने भाग लिया । नवीन परिषद् में सभी सम्प्रदायों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रश्न पर सभी दल एक मत थे किन्तु साम्प्रदायिक मतभेद के कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता न हो सका । मौलाना अबुलकलाम आजाद ने कांग्रेस की ओर से कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की जो सूची प्रस्तुत की उसमें तीन मुस्लिम लीग के सदस्यों के साथ दो राष्ट्रीय मुसलमानों को भी सम्मिलित किया । जिन्ना ने इसे अस्वीकार करते हुये कहा कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है । वे चाहते थे कि कांग्रेस कार्यकारिणी परिषद् के पाँचों मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के ही सदस्य होने चाहिये और कांग्रेसी मुसलमानों को उसमें स्थान नहीं प्राप्त होना चाहिये । कांग्रेस ने जिन्ना की इस बात को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसे स्वीकार करने का अर्थ होता कि कांग्रेस एक हिन्दू संस्था है जो केवल हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती है ।[८] इस प्रकार जिन्ना की हठधर्मी के कारण शिमला समझौता असफल हो गया । १४ जुलाई, १९४५ को जब वाइसराय ने सम्मेलन की असफलता की घोषणा की तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में निराशा का नहीं वरन् जिन्ना के हठपूर्ण व्यवहार के प्रति रोष का वातावरण अधिक व्याप्त हुआ ।[९] प्रत्यक्ष रूप से सम्मेलन की असफलता के लिए मुस्लिम लीग और उसके प्रतिनिधि ही दोषी थे ।[१०] शिमला समझौता में मुस्लिम लीग के असहयोग की संयुक्त प्रांत में कटु आलोचना की गयी । रफी अहमद किदवई ने शिमला सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा लिए गये निर्णय की सराहना की ।

शिमला सम्मेलन की असफलता से समझौते के प्रयासों का अन्त नहीं हुआ । जुलाई १९४५ में इंग्लैंड में हुये आम चुनाव में मजदूर दल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई । मजदूर दल की सरकार ने लार्ड वैवेल को भारतीय समस्या पर विचार करने के लिए लंदन बुलाया । इस परामर्श के पश्चात् लार्ड वैवेल ने भारत आने पर

---

८- दि पायनियर, ९ जुलाई, १९४५, पृ० १ ।
९- सीताराम शर्मा "पर्वतीय", स्वतन्त्रता की पूर्व संध्या, पृ० १०० ।
१०- माडर्न रिव्यू, अगस्त १९४५, पृ० ८७ ।

१९ सितम्बर, १९४५ को एक घोषणा की । इसी दिन ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली ने भी इंग्लैंड में इसीप्रकार की घोषणा की । प्रधान मन्त्री तथा वाइसराय की घोषणाओं में यह कहा गया कि १९४५-४६ के शीतकाल में वे निर्वाचन होंगे जो विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिये गये थे, केन्द्र और प्रांतों में व्यवस्थापिका सभाओं का पुनर्निर्माण होगा । सरकार ने आशा व्यक्त की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रांतीय मंत्रिमंडलों के संचालन का उत्तरदायित्व निभायेंगे । सरकार ने यह भी निश्चय कर लिया कि भारत के लिए भारतीयों द्वारा शीघ्राति-शीघ्र एक संविधान का निर्माण किया जायेगा तथा निर्वाचन के बाद ही भारतीय राजनीतिज्ञ क्रिप्स योजना अथवा उसके स्थान पर अन्य किसी वैकल्पिक योजना पर विचार करेंगे । २३ सितम्बर, १९४५ को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वाइसराय की घोषणा पर विचार विमर्श किया और एक प्रस्ताव पास करके कांग्रेस द्वारा आगामी चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया ।[11] अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णयानुसार संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने ९ अक्टूबर, १९४५ को अपनी लखनऊ की बैठक में चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया ।[12] कांग्रेस ने अपना चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसमें भारतीय स्वतन्त्रता के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की गयी ।[13] चुनाव अभियान के अन्तर्गत कांग्रेस के विशिष्ट नेताओं ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा किया और जन सभाओं को सम्बोधित करते हुये जनता से कांग्रेस को विजयी बनाने की अपील की ।

इस समय आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर सैनिक कानून के अन्तर्गत चलाये जा रहे राजद्रोह के मुकदमे ने राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया । आजाद हिन्द फौज के जिन [illegible]कारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था उनमें शाहनवाज, पी०के०सहगल तथा गुरुबख्श सिंह ढिल्लों प्रमुख थे । कांग्रेस ने इन

---

११- आज, २४ सितम्बर,१९४५, पृ० ४ ।

१२- दि पायनियर, ८ अक्टूबर, १९४५, पृ० ३ ।

१३- दि लीडर, १२ दिसम्बर, १९४५, पृ० १ ।

अधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रबन्ध किया । सारे भारत में इन अधिकारियों के रिहाई की मांग की जाने लगी । संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने ६ अक्टूबर, १९४५ को इन अधिकारियों की रिहाई का प्रस्ताव पास किया । आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की सहानुभूति में पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, प्रतापगढ़ तथा आजमगढ़ जिलों में जुलूस निकाले गये और शान्तिपूर्ण सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने सरकार द्वारा आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर चलाये जा रहे मुकदमे की कटु आलोचना करते हुये अधिकारियों को अविलम्ब रिहा कर देने की मांग की ।[१७] वाराणसी में १ नवम्बर, १९४५ को आजाद हिन्द फौज के समर्थन में जुलूस निकाला गया और आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा कोष में धन दिया गया ।[१८] सैनिक न्यायालय ने इन ३ अधिकारियों को आजन्म कारावास का दंड दिया किन्तु ब्रिटिश सरकार जनमत के विरोध के भय से इस निर्णय को क्रियान्वित करने का साहस नहीं कर सकी और वाइसराय ने अपनी विशेष शक्तियों के अन्तर्गत इन अधिकारियों को क्षमादान दे दिया । आजाद हिन्द फौज के अधिकारियों पर चलाये गये मुकदमे ने कांग्रेस की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया ।[१९]

१९४५-४६ की शीतऋतु में सैनिक सेनाओं में भी विद्रोह फैल गया । यह प्रवृत्ति कलकत्ता के निकट दमदम, भारत के दूसरे हवाई अड्डों और मध्य पूर्व में स्थित वायु सेना में उत्पन्न हुई । इसके पश्चात् भारतीय वायु सेना के अनेक सैनिकों द्वारा भूख हड़ताल की गयी और इसी समय भारत की स्थल सेना में भी अनुशासनहीनता की घटनायें हुईं । १८ फरवरी, १९४६ को जल सेना द्वारा भी स्पष्ट विरोध कर देने से असंतोष की स्थिति विस्फोटक हो गयी । स्थिति ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि सरकार को ब्रिटिश सेना बुलानी पड़ी । कांग्रेस या मुस्लिम

---

१७- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

१८- आज, ३ जनवरी, १९४६, पृ० ४ ।

१९- दुर्गादास, भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात्, पृ० २२५ ।

लीग द्वारा विद्रोह का समर्थन नहीं किया गया किन्तु अन्त में कुछ कांग्रेसी नेताओं के हस्तक्षेप से ही स्थिति शांत हुई । इन उपद्रवों ने ब्रिटिश सम्मान को आघात ही नहीं पहुँचाया वरन् ब्रिटिश सरकार को इस बात से अवगत करा दिया कि अब वे भारत को अधिक समय तक पराधीन नहीं बनाये रख सकेंगे ।[17]

१९४६ में निश्चित समय पर व्यवस्थापिका सभा हेतु चुनाव सम्पन्न हुये । संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के कुल सदस्यों की संख्या २२८ थी जिसमें ६६ मुस्लिम तथा १५४ हिन्दू सीटें थीं ।[18] कांग्रेस सभी हिन्दू सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल रही जबकि लीग को ६६ स्थानों में से ५४ स्थान ही मिल सके । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त हुई । इस निर्वाचन में यह सिद्ध हो गया कि मुसलमानों पर मुस्लिम लीग का सर्वाधिक प्रभाव है । कांग्रेस की विजय ने मुस्लिम लीग के नेताओं के इस कथन को सत्य प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस हिन्दुओं की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है । अबुलकलाम आजाद ने एक बार फिर प्रांतीय राजनीति में हस्तक्षेप करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस का संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाने का प्रयास किया किन्तु चौधरी खलीकुज्जमा की हठधर्मी ने उनके प्रयास को विफल कर दिया ।[19] १ अप्रैल, १९४६ को संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ ।[20] कांग्रेस सरकार ने पद ग्रहण करते ही संयुक्त प्रांत में राष्ट्रीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया और राजनीतिक बंदियों को मुक्त करने के आदेश दिये । राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर कांग्रेस सरकार तथा गवर्नर में मतभेद हो गया किन्तु बाद में नैनीताल में हुई कांग्रेस नेता गोविन्द-वल्लभ पंत तथा संयुक्त प्रांत के गवर्नर के विचार विमर्श से दोनों में एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिये गये और फरार व्यक्तियों को बन्दी बनाने के आदेश रद्द कर दिये गये ।

---

१७- आज, ७ अप्रैल, १९४६, पृ० ४ ।
१८- दि पायनियर, १४ मार्च, १९४६, पृ० १ ।
१९- वही, २१ मार्च, १९४६, पृ० ८ ।
२०- वही, २ अप्रैल, १९४६, पृ० १ ।

१९ फरवरी, १९४६ को ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री लार्ड पैथिक लारेंस ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत में स्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन करने, संविधान सभा की स्थापना तथा भारत के प्रमुख दलों की सहायता से कार्यकारिणी परिषद् के निर्माण में सहायता करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भेजेगी। १५ मार्च, १९४६ को ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने भारतीय समस्या के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें भारतीयों के आत्म निर्णय के अधिकार और स्वयं अपने संविधान के निर्माण के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यद्यपि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जायेगी किन्तु अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक वर्ग के आगे निषेधाधिकार नहीं दिया जायेगा। २४ मार्च, १९४६ को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष स्वयं भारत-मंत्री लार्ड पैथिक लारेंस थे और इसके अन्य दो सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स तथा ए०वी०अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया और उनके साथ अनेक सम्मेलन किये। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के राजनीतिक उद्देश्यों की भिन्नता ने इनमें किसी प्रकार का समझौता असम्भव बना दिया। १६ मई,१९४६ को कैबिनेट मिशन ने अपना निर्णय घोषित किया। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं[21] -

(१) भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें सम्मिलित होंगी जो वैदेशिक सम्बन्धों, रक्षा और यातायात का कार्य चलायेंगी और इसके आवश्यक कर लगाने का भी अधिकार होगा।

(२) किसी ऐसे प्रश्न का निर्णय जिसमें कोई प्रधान साम्प्रदायिक समस्या उठायी गयी हो, यूनियन की व्यवस्थापिका में उपस्थित प्रतिनिधियों के बहुमत तथा दोनों प्रधान सम्प्रदायों के मतों एवं सभी उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा।

(३) संघ के विषयों के अतिरिक्त सभी विषय और शेषाधिकार प्रांतों को प्राप्त होंगे।

---

२१- डा० ईश्वरी प्रसाद, अर्वाचीन भारत का इतिहास, पृ० ४४८-४५० ।

(४) प्रांतों को स्वतन्त्रता होगी कि वे कार्यकारिणी एवं व्यवस्थापिका शक्ति अपने वर्ग बना लें और इस प्रकार का प्रत्येक वर्ग सर्वसामान्य समझे जाने वाले विषयों का चुनाव कर सकेगा । निम्न ३ वर्ग बन सकेंगे - (अ) मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा; (ब) पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध, (स) बंगाल और आसाम ।

(५) संविधान सभा में ब्रिटिश-भारत के २९६ सदस्य होंगे । ब्रिटिश-भारत के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के निम्न सदन के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के ढंग पर करेंगे । रियासतों के सदस्यों का चुनाव परामर्श द्वारा निर्धारित होगा ।

(६) संविधान सभा ३ भागों में बांटी जायेगी- (अ) मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा तथा मुख्य आयुक्तों के ३ प्रांतों के १८७ सदस्य; (ब) पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बिलोचिस्तान के ३५ सदस्य; (स) बंगाल और आसाम के ७० सदस्य ।

(७) एक अंतरिम सरकार स्थापित की जायेगी जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्य होंगे ।

(८) संविधान सभा इंग्लैंड के साथ संधि करेगी ।

(९) संविधान के लागू हो जाने के बाद कोई भी प्रांत अपनी व्यवस्थापिका सभा के मत से उस वर्ग से अलग होने के लिए स्वतन्त्र होगा जिसमें उसे रखा गया है।

(१०) ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर ब्रिटिश शासन न तो रियासतों पर अपना प्रभुत्व रख सकेगा और न भारत में अपनी उत्तराधिकारी सरकार को सौंप सकेगा ।

कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों की तरह तरह की आलोचना की गयी फिर भी सभी दलों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया ।[२२] कांग्रेस ने मुसलमानों की पाकिस्ता

---

२२- एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट आफ यू०पी०(१९४६), पृ० १ ।

बनाने का स्पष्ट अधिकार स्वीकार कर लिया । कैबिनेट मिशन की योजना द्विविध थी- एक तो दीर्घकालिक योजना जिसका सम्बन्ध संविधान सभा से था और दूसरी अल्पकालिक योजना जिसमें वाइसराय की मंत्रिपरिषद् के पुनर्संगठन पर विचार किया गया था ।

जुलाई १९४६ में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार चुनाव हुये । चुनाव ने कांग्रेस की अत्यधिक लोकप्रियता और मान्यता सिद्ध कर दी । २९२ सदस्यों में से कांग्रेस पक्ष के २११सदस्य चुने गये । मुस्लिम लीग केवल ७३ स्थानों पर सफलता प्राप्त कर सकी । मुस्लिम लीग को, कांग्रेस को मिली अत्यधिक सफलता से घोर निराशा हुयी । मुहम्मदअली जिन्ना ने २९ जुलाई, १९४६ को बम्बई में कैबिनेट मिशन योजना अस्वीकार करते हुये पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए "प्रत्यक्ष कार्यवाही "करने का प्रस्ताव पास किया और इसको प्रारम्भ करने के लिए १६अगस्त का दिन निश्चित किया ।

कांग्रेस द्वारा कैबिनेट मिशन की दीर्घकालीन और अल्पकालीन योजनायें स्वीकार करने तथा मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार करने के बाद वाइसराय ने एक अस्थायी सरकार के निर्माण में सहयोग करने के लिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को आमंत्रित किया । जिन्ना ने यह आमंत्रण अस्वीकार कर दिया और वे "प्रत्यक्ष कार्यवाही " की तैयारी करने लगे । ऐसी स्थिति में १२ अगस्त, १९४६ को वाइसराय ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू को सरकार के निर्माण हेतु आमंत्रित किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया । मुस्लिम लीग को वाइसराय द्वारा कांग्रेस को सरकार निर्माण हेतु आमंत्रित करने से घोर निराशा हुई ।[२३] जवाहर लाल नेहरू ने अन्तरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया किन्तु वे जिन्ना की हठधर्मी के कारण सफल न हो सके । अन्त में जवाहर-लाल नेहरू ने १२ नामों की एक सूची प्रस्तुत की जिसमें इनके अतिरिक्त राजेन्द्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, आसफअली, शरत्चन्द्र बोस, जानमथाई, बलदेव सिंह, अलीजहीर,

---

२३- आज, १४ अगस्त, १९४६, पृ० १ ।

वल्लभभाई पटेल, जगजीवनराम, सी०एच०भाभा तथा शफात अहमद खाँ थे ।[24]
वाइसराय ने इस सूची को स्वीकार कर लिया और अंतरिम सरकार बन गयी ।[25]

संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के नेताओं ने "प्रत्यक्ष कार्यवाही" को सफल बनाने के लिए प्रांत का व्यापक दौरा किया और जनता में साम्प्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित किया । मुस्लिम लीग की योजनानुसार १६ अगस्त, १९४६ को सम्पूर्ण प्रांत में "प्रत्यक्ष कार्यवाही" दिवस मनाया गया । वाराणसी में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गये जुलूस ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया और स्थिति अनियंत्रित हो गयी । गाजीपुर के सिकार नगर में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, बलपूर्वक दुकानें बंद करायीं और कुछ सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट करदी ।[26] बलिया में निकाले गये जुलूस ने टाउन हाल के फाटक को तोड़ कर उसकी सम्पत्ति नष्ट कर दी और एक पुस्तकालय के भवन से तिरंगा झंडा उतार कर मुस्लिम लीग का झंडा फहरा दिया ।[27] मिर्जापुर में भी टाउन हाल के पार्क में प्रत्यक्ष कार्यवाही के समर्थन में हुई सभा ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिलाधिकारियों तथा पुलिस द्वारा तत्काल घटना स्थल पर पहुंच जाने से स्थिति नियंत्रण में लायी जा सकी ।[28] संयुक्त प्रांतीय सरकार ने जिलाधिकारियों को मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही उत्तेजनात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए विशेष आदेश दिये गये ।

कांग्रेस द्वारा केन्द्र में गठित अन्तरिम सरकार के सदस्यों ने २ सितम्बर को पद ग्रहण कर लिया और अंतरिम सरकार सुचारू रूप से कार्य करने लगी । अन्तरिम सरकार में मुस्लिम लीग को प्रवेश कराने के प्रयत्न अब भी जारी थे । ६ सितम्बर, १९४६ को जिन्ना ने सारी योजना पर नये सिरे से विचार किये जाने का प्रस्ताव रखा । लार्ड वेवेल ने बड़ी उत्सुकता से इस सुयोग को ग्रहण किया और जिन्ना के

---

२४- दुर्गादास, भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात्, पृ० २४२ ।
२५- दि लीडर, १६ अगस्त, १९४६, पृ० १ ।
२६- आज, २३ अगस्त, १९४६, पृ० ४ ।
२७- वही ।
२८- दि पायनियर, १७ अगस्त, १९४६, पृ० ७ ।

साथ अनेक बार वार्तालाप किया जिसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग ने अन्तरिम सरकार में भाग लेने का निश्चय किया ।[29] मुस्लिम लीग के ५ सदस्य नवाबजादा लियाकतअली, आई०आई० चुंदरीगर, अब्दुलरब नश्तर, गजनफर अली तथा जोगेन्द्रनाथ मण्डल अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुये ।[30] कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में अंतरिम सरकार के सम्बन्ध में शीघ्र मतभेद उत्पन्न हो गये । अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस तथा वाइसराय से असहयोग करने की नीति अपनायी । मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने के वाइसराय के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया । ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री ने मुस्लिम लीग के असहयोग के कारण उत्पन्न गति-रोध को दूर करने के लिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए लंदन बुलाया किन्तु यह प्रयास भी असफल रहा ।[31] ६ दिसम्बर, १९४६ को ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए "वर्गीय पद्धति" की मुस्लिम लीग के अनुसार व्याख्या कर दी किन्तु फिर भी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार के अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं किया ।

मुस्लिम लीग द्वारा उत्पन्न किये गये गतिरोध की स्थिति में ब्रिटिश प्रधान मंत्री लार्ड एटली ने २० फरवरी, १९४७ को ऐतिहासिक महत्व की घोषणा करते हुये कहा कि सम्राट की सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि वह उत्तरदायित्व का सम्पूर्ण भार उनके हाथों में सौंप दे जिनको भारत के सभी दलों द्वारा निर्मित संविधान स्वीकार हो । अतः सम्राट की सरकार यह स्पष्ट करती है कि वह जून १९४८ तक समस्त उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथों में सौंप देगी और लंदन से भारत में संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान लागू करने की सिफारिश करेगी। यदि जून १९४८ तक इस तरह का संविधान पूर्णरूप से सभी लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली सभा द्वारा नहीं बनाया गया तो ब्रिटिश सरकार को यह विचार

---

२९. लीलाधर शर्मा "पर्वतीय", स्वतन्त्रता की पूर्व संध्या, पृ० १७७ ।

३०. आज, २८ अक्टूबर, १९४६, पृ० १ ।

३१. वही, ८ दिसम्बर, १९४६, पृ० १ ।

करना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय सरकार की सत्ता किसको दी जाय और क्या यह नई केन्द्रीय सरकार को या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों को या किसी और उचित तरीके से भारतीय जनता के सर्वोच्च हित के लिए दी जाय।[32] इसके साथ ही यह घोषणा भी की गयी कि लार्ड वैवेल को भारत से वापस बुला लिया जायेगा और उनके स्थान पर लार्ड माउंटबैटन को नियुक्त किया जायेगा, जो भारत के अंतिम वाइसराय होंगे।

ब्रिटिश प्रधान मंत्री की घोषणा भारतीय जनमत द्वारा स्वीकार की गयी किन्तु यह स्वीकृति उत्साहहीन थी क्योंकि भारतीय नेता इतनी शीघ्र सत्ता सम्भालने को तैयार नहीं थे और यह घोषणा कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय एकता को बनाये रखने के निर्णय के भी विपरीत थी। सर्व सम्मति से कोई संविधान तैयार न कर सकने की स्थिति में प्रांतीय सरकारों को शासन सत्ता सौंप देने के निर्णय से मुस्लिम लीग का उत्साहवर्धन हुआ।

२३ मार्च, १९४७ को लार्ड माउंटबैटन ने भारत के वाइसराय के पद का कार्यभार ग्रहण किया। लार्ड माउंटबैटन ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय किया कि वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय समस्या का एक मात्र समाधान भारत विभाजन को स्वीकार कर लेना है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा फैलाई गयी अराजकता के कारण गृह-युद्ध के भय से भारतीय समस्या के इस दुर्भाग्यपूर्ण समाधान को स्वीकार कर लिया। तत्कालीन परिस्थितियों का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद लार्ड माउंटबैटन १८ मई, १९४७ को ब्रिटिश सरकार से परामर्श करने हेतु इंग्लैंड गये, और वापस आने पर उन्होंने ३ जून, १९४७ को एक योजना प्रस्तावित की जिसे माउंटबैटन योजना कहते हैं।[33] माउंटबैटन

---

३२- आज, २२ फरवरी, १९४७, पृ० १।

३३- वही, ११ जून, १९४७, पृ० ३।

योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं -

ब्रिटिश सरकार ने अपना मत व्यक्त किया कि वह भारत का शासन शीघ्र ही ऐसी सरकार को सौंप देगी जिसका निर्माण जनता की इच्छानुसार हुआ हो। योजना के अन्तर्गत भारतीय समस्या के समाधान के क्रम में पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार किया गया किन्तु मुस्लिम लीग की माँग के अनुसार सम्पूर्ण बंगाल, पंजाब और आसाम पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं किये गये। पंजाब का कुछ भाग, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल का कुछ भाग, बिलोचिस्तान, सिंध और आसाम में सिलहट का जिला जिसमें मुसलमानों का बहुमत था पाकिस्तान में सम्मिलित किये गये। इन प्रांतों में इस प्रश्न पर कि इनका संविधान वर्तमान संविधान सभा द्वारा बनाया जाय या नई संविधान सभा द्वारा, जनता की इच्छा जानने के लिए यह निश्चित किया गया कि सिंध और बिलोचिस्तान की प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं यौरोपीय सदस्यों को अलग कर अपने अपने प्रांत के लिए इस बात का निश्चय करेंगी कि वह किस संविधान सभा में सम्मिलित होगा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिलहट के जिले में जनमत संग्रह किया जायेगा तथा बंगाल और पंजाब की प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की दो भागों में अलग अलग बैठक होगी जिसमें हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रतिनिधि निश्चय करेंगे कि वे किस संविधान सभा में सम्मिलित होंगे।

यह योजना तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे अच्छा समझौता थी। सभी दलों ने इसे स्वीकार कर लिया, यद्यपि ऐसा करने में खिन्न सभी को हुई किन्तु प्रसन्नता किसी को भी नहीं। संयुक्त प्रांत में देश के विभाजन पर दुःख प्रकट किया गया। पुरुषोत्तमदास टंडन ने देश के विभाजन का विरोध करते हुये कहा कि इतना भारी मूल्य चुकाने से अच्छा होगा कि हम कुछ दिनों के लिए और ब्रिटिश शासन को सहन कर लें।[३१] किन्तु महासभा, संयुक्त प्रांतीय हिन्दू प्रतिनिधि परिषद्, समाजवादी दल तथा फारवर्ड ब्लाक ने भी देश विभाजन की आलोचना की।

---

३१- दुर्गादास, भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात्, पृ० २६० ।

माउंटबैटन योजना के प्रस्ताव भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक के रूप में ४ जुलाई, १९४७ को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किये गये जिन्हें १८ जुलाई, १९४७ को ब्रिटिश संसद ने अपनी स्वीकृति दे दी ।[३५] १५ अगस्त, १९४७ को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम के अनुसार भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतन्त्र अधिराज्य अस्तित्व में आये । यद्यपि विभाजन की अपार-वेदना से सारा राष्ट्र दु:खी था और लाखों निवासियों के विस्थापित होने तथा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का दु:ख भी सर्वव्यापी था फिर भी भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास की इस अन्तिम घटना ने भारतीयों में अपार प्रसन्नता का संचार कर दिया ।[३६] १५ अगस्त, १९४७ को सम्पूर्ण देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपलक्ष में खुशियां मनायी गयीं । १५ अगस्त, १९४७ को ही श्रीमती सरोजिनी नायडू ने स्वतन्त्र भारत में संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण की । इस अवसर पर प्रांत के नागरिकों को सम्बोधित करते हुये गोविन्द वल्लभ पंत ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में जनता के योगदान का उल्लेख किया और सभी सम्प्रदाय के लोगों को सुरक्षा, समान अधिकार तथा न्याय देने का आश्वासन दिया ।[३७]

## समीक्षा

१९३७-४७ का काल विशेषकर संवैधानिक प्रगति का काल था । इस काल की समस्त राजनीतिक घटनाओं का केन्द्र भारत सरकार तथा विभिन्न दलों की केन्द्रीय शक्तियां थीं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस काल की एक मात्र मुख्य घटना १९४६ में हुये निर्वाचन में कांग्रेस की मिली शानदार विजय थी । पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्रांतीय मुस्लिम लीग ने साम्प्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देने की भरसक चेष्टा की किन्तु वह आंशिक रूप में ही सफल हो सकी । इस क्षेत्र की अधिकांश जनता ने देश विभाजन का व्यापक विरोध किया।

३५- दि पायनियर, २० जुलाई, १९४७, पृ० १ ।
३६- लीलाधर शर्मा "पर्वतीय", स्वतन्त्रता की पूर्व संध्या, पृ० १९२ ।
३७- आज, १७ अगस्त, १९४७, पृ० १ ।

## सप्तम अध्याय

## क्रांतिकारी गतिविधियां

ब्रिटिश शासन की दमननीति और अन्तर्राष्ट्रीय घटना के परिणामस्वरूप बीसवीं सदी के प्रारम्भ में भारत में जो अभूतपूर्व राष्ट्रीय जागृति की लहर आयी वह दो भागों में विभक्त हो गयी । प्रथम- उग्रवादी राष्ट्रवाद की धारा, जिसके समर्थक निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना चाहते थे किन्तु यह संघर्ष शान्तिपूर्ण होना था, द्वितीय- नवयुवकों का एक ऐसा वर्ग भी था जिनका उग्रवादियों के शान्तिपूर्ण संघर्ष में विश्वास नहीं था । वे सरकार का सशस्त्र विरोध करके देश को स्वतन्त्र कराना चाहते थे । ब्रिटिश सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को आतंकवादी कहा किन्तु इस वर्ग के लोगों को क्रांति-कारी कहना उपयुक्त होगा क्योंकि इनका उद्देश्य आतंक या लूटपाट नहीं वरन् एक वास्तविक क्रांति को जन्म देना था जिससे विदेशी शासन का अंत करके एक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बंगाल विभाजन के पूर्व भी अनेक क्रांतिकारी संगठन कार्य कर रहे थे किन्तु सरकार के विरोध में किसी षड्यंत्र की योजना नहीं बनायी गयी थी । इन क्रांतिकारी संगठनों का कार्य नवयुवकों में सरकार के विरुद्ध असन्तोष को प्रोत्साहन देना था । १९०४ में वाराणसी के कम्पनी बाग में सखाराम गणेश देउस्कर ने बाबूराव विष्णु पराड़कर को पिस्तौल और गीता देकर क्रांतिकारी दल की दीक्षा दी ।[1] बंगाल में बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहे क्रांतिकारी आन्दोलन का पूर्वी उत्तर प्रदेश पर व्यापक प्रभाव पड़ा । पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में बंगालियों की संख्या अधिक होने के कारण यहां के बंगाली नवयुवक बंगाल के क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आये । १९०८ में वाराणसी

---

१- यह रहस्योद्घाटन १९५३ में माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन के नागपुर अधिवेशन में बाबूराव विष्णु पराड़कर की उपस्थिति में किया था । ( उत्तर प्रदेश( मासिक पत्रिका), सूचना विभाग, उ०प्र०, सितम्बर, १९७२, पृ० १९ )।

में शचीन्द्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की । बंगाल में जब अनुशीलन समिति को अवैध घोषित कर दिया गया तो शचीन्द्र नाथ सान्याल ने वाराणसी में स्थापित अनुशीलन समिति का नाम बदल कर "यंग मैन्स-एसोसियेशन" रख दिया । "बनारस षड्यंत्र कांड" का मुकदमा जिस अदालत में चला उसके कमिश्नर के अनुसार उक्त समिति का उद्देश्य विद्रोह का प्रचार करना था । समिति में "राजनीतिक हत्या" के समर्थक गीता के उपदेश पढ़े जाते थे तथा वार्षिक काली पूजा के अवसर पर सफेद कुम्हड़े की बलि दी जाती थी जो अंग्रेजों की प्रतीक थी ।[2]

१९११ में यंग मैन्स एसोसियेशन के सदस्यों ने "स्वाधीन भारत" तथा "हमारा उद्देश्य" नामक पर्चे वाराणसी के बंगाली मुहल्लों में वितरित किये । २१ फरवरी, १९१३ में शचीन्द्र नाथ सान्याल के निवास स्थान पर एक गुप्त सभा की गयी जिसमें कहा गया कि भारतीयों को म्लेच्छों (अंग्रेजों) के देश से आयी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिये । इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा शासित होना पाप है । इस सभा में शचीन्द्र नाथ सान्याल के अतिरिक्त चुन्नीलाल [illegible], रवीन्द्र नाथ सान्याल तथा विनायक राव कापले ने भी भाग लिया । अप्रैल १९१३ में यंग मैन्स एसोसियेशन के सदस्यों ने दशाश्वमेध घाट की सड़क पर एक स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली, जहां नित्य शाम को क्रांतिकारी विचारधारा के नवयुवक आपस में विचार विमर्श करते थे ।[3] सितम्बर-अक्टूबर १९१३ में शचीन्द्र नाथ सान्याल तथा उनके क्रांतिकारी सहयोगियों द्वारा गांवों में विद्रोहात्मक पर्चे बांटे गये जिसमें मुख्य रूप से अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने तथा देश की सामाजिक स्थिति को सुधारने का उल्लेख किया गया था ।[4]

प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के निर्देशन में उत्तर भारत में सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनायी गयी । इस कार्य से शचीन्द्र नाथ सान्याल

---

२- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
३- वही ।
४- वही ।

अनेक बार पंजाब के क्रांतिकारियों से विचार विमर्श करने गये । वाराणसी में शचीन्द्र नाथ सान्याल अपने अन्य क्रांतिकारी सहयोगियों के साथ फौज की बैरकों में विद्रोह का प्रचार करने के लिए गये । रासबिहारी बोस वाराणसी में बागेश्वर प्रेस के पीछे मिश्र पोखरा में रह कर क्रांतिकारियों को संगठित करने का कार्य कर रहे थे ।[5] १८ नवम्बर, १९१४ को रासबिहारी बोस अपने मकान में एक बम का निरीक्षण करते समय घायल हो गये, इसके बाद वे मणीन्द्र चन्द्र बापुली के साथ रहने लगे । गुप्तचर विभाग तथा पुलिस अधिकारियों की दृष्टि से बचने के लिए वे शीघ्र ही मकान बदल कर हरिश्चन्द्र घाट के निकट रहने लगे । उत्तर भारत में विद्रोह करने की तिथि पहले २१ फरवरी, १९१५ को निश्चित की गयी किन्तु बाद में बदल कर १९ फरवरी कर दी गयी । कृपाल सिंह नाम के एक क्रांति-कारी द्वारा विश्वासघात करके पुलिस को विद्रोह की सूचना देने के कारण विद्रोह न हो सका ।[6] विनायक गणेश पिंगले मेरठ छावनी में जमादार नादिरखान द्वारा विश्वासघात किये जाने के कारण विस्फोटक सामग्री सहित गिरफ्तार कर लिए गये ।[7] विनायक गणेश पिंगले को १७ नवम्बर, १९१५ को लाहौर में फांसी दे दी गयी । विद्रोह में भाग लेने वाले अन्य क्रांतिकारियों को भी दंडित किया गया ।

विद्रोह असफल हो जाने के बाद भी रासबिहारी बोस वाराणसी में रहे किन्तु पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी । २६ जून, १९१५ को वाराणसी में शचीन्द्र नाथ सान्याल को गिरफ्तार कर लिया गया । उनके मकान से एक रिवाल्वर, एक बंदूक, एक राइफल, विस्फोटक सामग्री, '[illegible]' समाचार पत्र की प्रतावलियां तथा क्रांतिकारियों के चित्र बरामद किये गये ।

---

५. गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
६. शचीन्द्र नाथ सान्याल, बन्दी जीवन, पृ० १०७ ।
७. हू इज हू आफ इंडियन मार्टायर्स ( प्रधान सं० पी०एन०चोपड़ा ), भाग-२ पृ० २७७ ।
८. गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

शचीन्द्र नाथ सान्याल और उनके सहयोगियों पर "बनारस षड्यंत्र कांड" के नाम से मुकदमा चलाया गया। बनारस षड्यंत्र कांड के अन्तर्गत जिन १५ लोगों को दंडित किया गया उनमें से ३ व्यक्तियों की मृत्यु जेल में हो गयी, एक व्यक्ति पागल हो गया और एक फरार व्यक्ति विनायक राव कापले (क्रांतिकारी दल का परित्यागी) की हत्या सुशील चन्द्र लाहिड़ी द्वारा २१ फरवरी, १९१८ को कर दी गयी। सुशील चन्द्र लाहिड़ी को विनायक राव कापले की हत्या करने के अपराध में १८ अक्टूबर, १९१८ को फांसी दे दी गयी।[9] १४ फरवरी, १९१६ को शचीन्द्र नाथ सान्याल को काले पानी की सजा दी गयी। १८ अगस्त, १९१६ को वे अंडमान भेजे गये। २० फरवरी, १९२० को शचीन्द्र नाथ सान्याल, इंग्लैंड के सम्राट द्वारा दी गयी आम माफी से मुक्त कर दिये गये।

१९२० में शचीन्द्र नाथ सान्याल जेल से छूटने पर वाराणसी आये और वहां वे मदन मोहन मालवीय तथा डा० [illegible] प्रसाद से मिले।[10] वाराणसी से वे गोरखपुर गये उसके पश्चात् आचार्य नरेन्द्र देव तथा मि० [illegible] से मिलने के लिए वे फैजाबाद भी गये।[11] क्रांतिकारियों को जेल से मुक्त कराने के उद्देश्य से वे जवाहर लाल नेहरू से भी विचार विमर्श करने गये किन्तु कोई हल नहीं निकल सका।

१९२० में महात्मा गांधी द्वारा प्रारम्भ किये गये असहयोग आन्दोलन के समय क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियां स्थगित कर दी थीं किन्तु आन्दोलन के स्थगित होने पर उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः प्रारम्भ कर दीं। १९२१-२३ के मध्य शचीन्द्र नाथ सान्याल क्रांतिकारियों के संगठित करने में लगे हुये थे। १९२३ तक वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़ तथा गोरखपुर में शचीन्द्र नाथ सान्याल के क्रांतिकारी संगठन की शाखायें स्थापित की गयीं। १९२३ में दिल्ली में हुये कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के पश्चात् शचीन्द्र-नाथ सान्याल ने अपने संगठन का नाम हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा।[13]

९- यू० पी० वाक इंडियन मार्टायर्स (प्रधान सं० पी०एन० चोपड़ा) भाग-२, पृ० १६०।
१०- शचीन्द्र नाथ सान्याल, बन्दी जीवन, पृ० २२३।
११- वही, पृ० २२२।
१२- गुप्तचर विभाग के अभिलेख।
१३- शचीन्द्र नाथ सान्याल, बन्दी जीवन, पृ० २२७।

१९२३-२४ के मध्य बंगाल से आये योगेश चन्द्र चटर्जी ने वाराणसी में रह कर क्रांतिकारी संगठन को उत्तर भारत के अन्य नगरों में फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया ।[१४]

१९२४ में सारे देश में "रिवोल्यूशनरी" नामक पर्चा बांटा गया, इस पर्चे के लेखक शचीन्द्र नाथ सान्याल थे ।[१५] "रिवोल्यूशनरी" नामक क्रांतिकारी पर्चे में कहा गया था कि विदेशी सरकार से मुक्ति पाने के लिए विद्रोह करना आवश्यक है । भारतीय क्रांतिकारी दल का मुख्य उद्देश्य भारत में विदेशी शासन का अंत करके लोक-तंत्रीय शासन की स्थापना करना है । इस पर्चे में इस बात का उल्लेख था कि भारतीय क्रांतिकारी दल कुछ मामलों में कांग्रेस के साथ सहयोग कर सकता है किन्तु क्रांतिकारी दल वैधानिक आन्दोलन में विश्वास नहीं रखता है । पर्चे के अन्त में क्रांतिकारियों को सरकार द्वारा आतंकवादी और निरंकुशवादी कहे जाने पर विरोध प्रकट किया गया था ।[१६] वाराणसी के लक्सा मुहल्ले से इन पर्चों को सारे उत्तर भारत में भेजने का कार्य चन्द्रशेखर आजाद, राजेन्द्र लाहिड़ी तथा मन्मथनाथ गुप्त आदि क्रांतिकारियों ने किया ।[१७] अत्यन्त संगठित रूप से इन पर्चों के सफलता-पूर्वक वितरण ने सरकार को आश्चर्यचकित कर दिया । देश में बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता की भावना को इस पर्चे की राष्ट्रीयता ने प्रभावित किया । सारे भारत में एक ही दिन इस पर्चे का वितरण करके क्रांतिकारियों ने देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहा था कि देश में एक सुसंगठित क्रांतिकारी दल स्थापित हो चुका है ।

उत्तर भारत के क्रांतिकारी हथियारों की व्यवस्था करने के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से राजनीतिक डकैती डालते थे । २४ मई, १९२५ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के द्वारिकापुर गांव में क्रांतिकारियों द्वारा डकैती डाली गयी ।[१८]

---

१४- एच०डब्लू०हेल, पोलिटिकल ट्रबुल इन इंडिया(१९१७-३७),पृ० ९६ ।
१५- मन्मथनाथ गुप्त, चन्द्रशेखर आजाद, पृ० ५६ ।
१६- एच०डब्लू० हेल,पोलिटिकल ट्रबुल इन इंडिया(१९१७-३७),पृ० २०० ।
१७- मन्मथनाथ गुप्त, चन्द्रशेखर आजाद, पृ० ५७ ।
१८- एच०डब्लू० हेल,पोलिटिकल ट्रबुल इन इंडिया(१९१७-३७),पृ० १२४ ।

जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, चन्द्रशेखर आजाद तथा शचीन्द्र-नाथ बख्शी सम्मिलित थे। यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा तीव्र प्रतिरोध करने पर क्रांतिकारियों को विवश होकर गोली चलानी पड़ी जिससे एक व्यक्ति मारा गया।

वाराणसी केन्द्र से समय समय पर क्रांतिकारी पर्चों को वितरण किया जाता रहा। १९२५ में क्रांतिकारी पर्चे बाँटने के अपराध में रवीन्द्र मोहन कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें इस अपराध में एक वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया।[१९]

"काकोरी रेल डकैती कांड" ९ अगस्त, १९२५ को हुआ जिसमें क्रांतिकारियों ने रेल में जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया। सरकार ने इसे पूर्व नियोजित राजद्रोह माना[२०] ताकि अभियुक्तों को कठोर दंड दिया जा सके। "काकोरी रेल डकैती कांड" के अन्तर्गत जो क्रांतिकारी बन्दी बनाये गये उन पर काकोरी रेल डकैती कांड के अतिरिक्त बमरौली, बिचपुरी तथा द्वारिकापुर(प्रतापगढ़) के डकैती कांडों में भी सम्मिलित होने का आरोप लगाया गया। "काकोरी रेल डकैती कांड" में वाराणसी केन्द्र के राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी को फाँसी, शचीन्द्र नाथ सान्याल और शचीन्द्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास तथा मन्मथनाथ गुप्त, सुरेश चन्द्र भट्टाचार्य, भूपेन्द्र नाथ सान्याल तथा रामनाथ पाण्डेय को क्रमशः १४,१०,५,३ वर्षों के कठोर कारावास का दंड दिया गया। चन्द्रशेखर आजाद अंत तक फरार रहे।[२१] "काकोरी रेल डकैती कांड" में फाँसी की सजा पाये राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी को १७दिसम्बर, १९२७ को गोंडा में तथा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकउल्ला को क्रमशः गोरखपुर तथा फैजाबाद में १९ दिसम्बर, १९२७ को फाँसी दे दी गयी।[२२]

१३ जनवरी, १९२८ को वाराणसी में गुप्तचर विभाग के उप पुलिस अधीक्षक जे०एन० बनर्जी, जिन्होंने काकोरी रेल डकैती कांड की गुप्त जाँच की थी, को

---

१९- कालीचरण घोष, दि रोल आफ आनर, पृ० ३८६।
२०- वही।
२१- एच० डब्लू० हेल, पोलिटिकल ट्रबुल इन इंडिया(१९१७-३७)पृ० १८७।
२२- मन्मथनाथ गुप्त, क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृ० २२४-२२८।

फणीन्द्र नाथ बनर्जी द्वारा हत्या कर दी गयी । फणीन्द्र नाथ बनर्जी को बन्दी बना लिया गया किन्तु घटनास्थल पर उनकेपास से पिस्तौल न बरामद हो पाने के कारण उन्हें १० वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया । फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल में अधिकारियों द्वारा किये गये अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अनशन करते हुये, अनशन के ६६वें दिन फणीन्द्र नाथ बनर्जी की २० जून, १९३४ को मृत्यु हो गयी ।[२३]

१९२८ में जब साइमन कमीशन बम्बई आने वाला था तो उस पर आक्रमण करने की योजना वाराणसी के क्रांतिकारियों द्वारा बनायी गयी । कमीशन के सदस्यों की विशेष रेल को बम से उड़ाने के उद्देश्य से मार्कण्डेय सिंह तथा हरेन्द्र-भट्टाचार्य बम्बई के लिए रवाना हुये, किन्तु मार्ग में मनमाड स्टेशन पर रेल में ही बम विस्फोट हो गया जिससे मार्कण्डेय सिंह की मृत्यु हो गयी और कुछ अन्य यात्री सांघातिक रूप से घायल हो गये । हरेन्द्र भट्टाचार्य को घायलावस्था में पुलिस ने बन्दी बना लिया । हरेन्द्र भट्टाचार्य के बयान के आधार पर मनमोहन गुप्त भी गिरफ्तार कर लिए गये । हरेन्द्र भट्टाचार्य और मनमोहन गुप्त पर "मनमाड बम कांड" के नाम से मुकदमा चला जिसमें दोनों को ७-७ वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया ।[२४]

२० अक्टूबर, १९२८ को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध निकाले गये, जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला लाजपतराय पर पुलिस द्वारा लाठियाँ बरसायी गयीं जिसके कारण से सांघातिक रूप से घायल हो गये और कुछ दिनों पश्चात् उनकी मृत्यु हो गयी । इस घटना के लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारी सान्डर्स की क्रांतिकारियों ने १७ दिसम्बर, १९२८ को हत्या करके राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया । "सान्डर्स हत्या कांड" में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों में वाराणसी केन्द्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद भी थे ।[२५]

---

२३- हू इज हू आफ इंडियन मार्टीयर्स(डा० पी०एन०चोपड़ा),भाग-२, पृ० २५ ।
२४- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (वाराणसी डिवीजन),सूचना विभाग,उ०प्र०, पृ० ६२१ ।
२५- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।

केन्द्रीय असेम्बली में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने ८ अप्रैल, १९२९ को बम फेंका और स्वयं को गिरफ्तार करा लिया जिससे वे अदालत में बयान देकर हिन्दुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के उद्देश्य और कार्यक्रम पर प्रकाश डाल सकें। इस घटना के पश्चात् क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ परिवर्तन हुआ क्योंकि इस समय तक अधिकांश क्रांतिकारी नेता पुलिस द्वारा बन्दी बनाये जा चुके थे।

२६ जनवरी, १९३० को वाराणसी में "फिलासफी आफ बम" नामक क्रांतिकारी पर्चे का वितरण किया गया।[२६] "बनारस यूथ लीग" के कार्यालय की तलाशी पुलिस द्वारा ली गयी और लीग के सदस्यों के घर पर छापे मारे गये किन्तु पुलिस को कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद करने में सफलता न मिली।[२७] "फिलासफी आफ बम" नामक क्रांतिकारी पर्चे के वितरण के अपराध में केदार नाथ गुप्त और विद्यारण्य, दो नवयुवकों को बन्दी बनाया गया। वाराणसी के जिलाधीश ने इन दोनों नवयुवकों को चार-चार महीने के कठोर कारावास की सजा दी।[२८]

१९३०-३१ के मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में बम विस्फोट हुये। ८ सितम्बर, १९३० को वाराणसी में दुर्गाकुंड पुलिस चौकी के निकट एक बम विस्फोट हुआ जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गयी। ८ अक्टूबर, १९३० को बलिया के एक मिडिल स्कूल में बम विस्फोट हुआ। १२ दिसम्बर, १९३० को वाराणसी के चौक पुलिस स्टेशन में बम विस्फोट हुआ। १२ जनवरी, १९३१ को वाराणसी के कुछ नवयुवकों ने रेलगाड़ी लूटने का प्रयत्न किया।[२९] सामान लूट कर भागते समय पीछा करने वालों पर उन्होंने बम फेंक दिया। इस घटना के सम्बन्ध में ५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उन्हें दंडित किया गया।[३०] ६ फरवरी, १९३१ को वाराणसी में कोतवाली के पास एक बम पड़ा मिला। उसी दिन एक

---

२६- स्वतन्त्रता संग्राम (आज,कार्यालय(वाराणसी)द्वारा प्रकाशित) १९७२,पृ० ५६।
२७- दि पायनियर,७ फरवरी, १९३०,पृ० १२।
२८- वही, १ मार्च, १९३०, पृ० ६।
२९- एच०डब्लू०हेल, पोलिटिकल ट्रबुल इन इंडिया(१९१७-३७), पृ० ७०।
३०- वही।

मुंसिफ के निवास स्थान बेबहाते में भी बम विस्फोट हुआ । इस वर्ष वाराणसी में और भी अनेक स्थानों पर बम विस्फोट हुये । मुख्य क्रांतिकारियों के जेल में होने के बाद भी स्थानीय क्रांतिकारी नवयुवकों ने निरंतर बम विस्फोट करके पुलिस और जिला प्रशासन को क्रांतिकारियों की सक्रियता का आभास दिलाया ।

२७ फरवरी, १९३१ को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद पुलिस से संघर्ष करते हुये वीरगति को प्राप्त हुये ।[३१] २३ मार्च, १९३१ को भगतसिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दे दी गयी । इन दो घटनाओं से क्रांतिकारी आन्दोलन की गतिशीलता को भारी आघात पहुंचा और क्रांतिकारी दल प्रभावशाली रूप से कार्य करने की स्थिति में न रहा । पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों ने छिट-पुट कार्यवाहियाँ करके क्रांतिकारी आन्दोलन को गतिशील बनाये रखने का प्रयत्न किया । पुलिस ने जेल जाने से बचे हुये क्रांतिकारियों को बन्दी बनाने की भरसक चेष्टा की ।

६ फरवरी, १९३२ को आजमगढ़ में नगर के मध्य एक बम विस्फोट हुआ जिससे ६ व्यक्ति सांघातिक रूप से घायल हो गये । घायल होने वालों में ३ पुलिस कर्मचारी भी थे । इस बम कांड के अन्तर्गत नन्दकुमार तथा देवव्रत नामक दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उन पर मुकदमा चला कर उन्हें दंडित किया गया ।[३२] १ अप्रैल, १९३२ को वाराणसी में डफरिन पुल के खम्भों से ईंट निकालते हुये ५ व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ।[३३] नगर में ३ मई, १९३२ को अनेक स्थानों पर बम विस्फोट हुये, पुलिस ने संदिग्ध स्थानों पर छापा मार कर बहुत से विस्फोटक पदार्थ बरामद किये ।[३४]

जनवरी १९३३ में प्रभात चक्रवर्ती नामक एक क्रांतिकारी को कलकत्ता में बन्दी बनाया गया । उनके पास से बरामद गुप्त लिपि में लिखे एक कागज से संयुक्त प्रांत

---

३१- हूज हू आफ इंडियन मार्टायर्स (सं० पी०एन०चोपड़ा), भाग-२, पृ० १५ ।
३२- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
३३- वही ।
३४- वही ।

से वाराणसी, इलाहाबाद, बुलन्दशहर तथा शाहजहाँपुर जिलों में एक सक्रिय क्रांतिकारी संगठन का पता चला । इस क्रांतिकारी संगठन का कार्य क्रांतिकारी विचारों का प्रचार तथा क्रांतिकारियों को संगठित करना था । इस संगठन के संयुक्त प्रांतीय संगठनकर्ता सीताराम डे इसके प्रभारी थे । २१ नवम्बर, १९३३ को सीताराम डे को वाराणसी में गिरफ्तार कर लिया गया ।[३५] वाराणसी में इस संगठन का केन्द्र हिन्दू विश्वविद्यालय था । विश्वविद्यालय के छात्रावासों में विभिन्न प्रांतों के क्रांतिकारी प्राय: आया जाया करते थे । २५ दिसम्बर, १९३३ को बलिया में एक डकैती कांड हुआ जिसमें स्थानीय क्रांतिकारी नवयुवकों ने सक्रिय भाग लिया ।[३६]

जनवरी १९३४ को सीताराम डे और प्रभात चक्रवर्ती से सम्बन्धित क्रांतिकारी संगठन के वाराणसी क्षेत्र के नेता सुधीर अधिकारी को इलाहाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया । उनके पास से बरामद कागजात के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में इस संगठन से सम्बन्धित व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।[३७]

√११ जनवरी, १९३४ को पुलिस ने बलिया से प्रेषित एक तार के आधार पर वाराणसी छावनी के पास बांदा के देवराज सिंह को गिरफ्तार किया । उनके पास से एक रिवाल्वर, ७५ कारतूस तथा गुप्त लिपि में लिखी एक डायरी बरामद हुयी ।[३८] देवराज सिंह के पास से बरामद गुप्त लिपि में लिखी डायरी के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी तथा आजमगढ़ जिलों के बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । पुलिस अथक परिश्रम करने के बाद भी बन्दी व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए पुष्ट प्रमाण न जुटा सकी, इसलिए अनेक व्यक्ति रिहा कर दिये गये । कुछ व्यक्तियों को बन्दी बनाये रखा गया और उन पर "बलिया षड्यंत्र कांड" के नाम से शस्त्र कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया । बलिया के गोकुलनाथ को इस षड्यंत्र कांड

---

३५- एच०डब्लू० हेल, पोलिटिकल ट्रबुल इन इंडिया (१९१७-३७), पृ० ७८ ।
३६- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
३७- वही ।
३८- एच०डब्लू० हेल, पोलिटिकल ट्रबुल इन इंडिया (१९१७-३७), पृ० ७८ ।

का मुख्य अभियुक्त घोषित किया गया । इस कांड के अन्तर्गत गोकुललाल के अतिरिक्त अन्य ५ व्यक्तियों को एक वर्ष से चार वर्ष तक की सजायें दी गयीं । उल्लेखनीय है कि इस कांड में सजा पाये व्यक्तियों में आजमगढ़ का एक, १२० वर्षीय वृद्ध भी था जिसे क्रांतिकारियों के लिए हथियार बनाने के आरोप में ५ वर्ष की सजा दी गयी ।[३९]

१९३६-३८ के मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी गति-विधियां छिटपुट रूप से होती रहीं । वाराणसी में स्थानीय क्रांतिकारियों द्वारा समय समय पर क्रांतिकारी विचारधारा के पर्चों का वितरण किया गया[४०] किन्तु पुलिस की सतर्कता के कारण पर्चों के वितरण में पूर्ण सफलता न मिली । पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में क्रांतिकारियों ने मजदूर संघों के माध्यम से क्रांतिकारी साहित्य का वितरण किया ।[४१] इन्हीं दिनों "पिपरीडीह रेल डकैती कांड" हुआ जिसमें क्रांतिकारी विचारधारा के नवयुवकों ने सक्रिय भाग लिया, इस कांड के अन्तर्गत गोरखपुर तथा निकटवर्ती जिलों के बहुत से लोगों को बन्दी बनाया गया और उन्हें सजायें दीं गयीं ।

१९३९ में फर्रुखाबाद में क्रांतिकारी गतिविधियों को बल मिला । फर्रुखाबाद के ब्रजनन्दन ब्रह्मचारी का वाराणसी केन्द्र के क्रांतिकारियों से घनिष्ठ सम्बन्ध था । २५ अगस्त, १९३९ को वहां फतेहगढ़ हिन्दू छात्रावास में पुलिस ने छापा मार कर जगदीश चन्द्र शुक्ल और बद्रीनारायण मिश्र को रिवाल्वर सहित गिरफ्तार किया । ये नवयुवक बिहार में एक षड्यंत्र करने की योजना को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से फर्रुखाबाद आये थे । यहां के क्रांतिकारियों ने धन और अस्त्र के अभाव को दूर करने के उद्देश्य से राजनीतिक डकैतियां भी डालीं । वाराणसी में लंका डाकखाना को क्रांतिकारियों ने लूट लिया, इसमें फर्रुखाबाद के क्रांतिकारियों ने सक्रिय भाग लिया । २२ मई, १९४० को "लंका डाकखाना कांड" के अन्तर्गत फर्रुखाबाद के श्यामलाल सिंह तथा कैलाश पाण्डेय को वाराणसी में गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु कुछ ही दिनों

---

३९- मन्मथनाथ गुप्त, भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृ० ३२२ ।
४०- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
४१- वही ।

में वे एक डाकू की सहायता से जेल से भाग गये । इसी वर्ष फर्रुखाबाद में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के अपराध में ब्रजनन्दन ब्रह्मचारी, सुरेन्द्र गुप्ता तथा रामतेज सिंह सहित अनेक व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।[52] २९ मार्च, १९४१ को फर्रुखाबाद के प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामलाल सिंह को पुलिस ने अन्धगंज- शाहजहांपुर रेल डकैती के सम्बन्ध में रिवाल्वर तथा विस्फोटक सामग्री सहित लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया ।

१९४२ में कांग्रेस द्वारा प्रारम्भ किये गये भारत छोड़ो आन्दोलन के अन्तर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने ध्वंसात्मक कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया और तोड़ फोड़ की कार्यवाही को सफलतापूर्वक सम्पन्न करके प्रशासन को निष्क्रिय बना देने में सहायता की । सुल्तानपुर में मुसाफिरखाना तथा अमेठी तहसीलों में क्रांतिकारियों ने सशस्त्र गुरिल्ला दलों का संगठन किया जिसका उद्देश्य ध्वंसात्मक कार्यवाही को सफल बनाना था । यहाँ रेलों की पटरियाँ तथा पुलों को उड़ाने के लिए बमों का भी प्रयोग किया गया ।[53] मिर्जापुर तथा आजमगढ़ जिलों में भी क्रांतिकारियों ने तोड़-फोड़ करने के लिए शस्त्रों तथा विस्फोटक सामग्री का प्रयोग किया ।[54] गोरखपुर में पुलिस ने परम्पुर गांव में ध्वंसात्मक कार्यवाही करने के लिए एकत्रित बम, विस्फोटक सामग्री तथा तोड़फोड़ करने का सामान बरामद किया और इस सम्बन्ध में २० व्यक्तियों को गिरफ्तार किया । इन्हीं व्यक्तियों पर "गोरखपुर षड्यंत्र कांड" के नाम से मुकदमा चलाया गया जिसमें शिवप्रसाद- सक्सेना, रमापति सिंह, बलवन्त सिंह, रामसुरत सिंह, गंगा प्रसाद, रमाशंकर- पाण्डेय तथा डा० शिवरतनलाल सहित अनेक लोगों को दंडित किया गया ।[55]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में १९४२ के बाद भी क्रांतिकारी गतिविधियां छिटपुट रूप से होती रहीं और इनके अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों को दंडित भी किया गया, किन्तु ये घटनायें विशेष महत्व की नहीं थीं ।

---

५२- स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (फैजाबाद), सूचना विभाग, उ०प्र०, पृ० ८ ।
५३- राजेश्वर सहाय त्रिपाठी, फरार जीवन के ग्यारह मास, पृ० ४२ ।
५४- गुप्तचर विभाग के अभिलेख ।
५५- मन्मथनाथ गुप्त, भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास, पृ० ३६१ ।

## समीक्षा

पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में इस क्षेत्र में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों का विशेष महत्व है । उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी केन्द्र को है । यह उल्लेखनीय तथ्य है कि इस क्षेत्र की जनता ने क्रांतिकारी गतिविधियों और कांग्रेस द्वारा स्वतन्त्रता हेतु किये गये प्रयासों में समानरूप से सहयोग दिया । वाराणसी केन्द्र से चन्द्रशेखर आजाद, शचीन्द्रनाथ सान्याल तथा राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी जैसे अनेक विशिष्ट क्रांतिकारी नेता सम्बन्धित थे । यह इस क्षेत्र में क्रांतिकारियों की सक्रियता और उनके बलिदानों से जनता में उत्पन्न अदम्य उत्साह और निर्भीकता का ही प्रभाव था कि १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में यहाँ की जनता ने सरकार की कठोर दमन नीति के बावजूद सक्रिय भाग लिया और सरकारी प्रशासन को निष्क्रिय बना दिया ।

---

## सिंहावलोकन

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में पूर्वी उत्तर प्रदेश के योगदान का विशिष्ट महत्व है । निर्धनता और बेरोजगारी से पीड़ित होते हुये भी इस क्षेत्र की जनता ने स्वतन्त्रता हेतु किये गये सभी प्रयासों में सक्रिय भाग लिया । यहाँ पर स्वतन्त्रता आन्दोलन ने आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक पहलुओं को भी प्रभावित किया जिसके परिणाम स्वरूप समाज के प्रत्येक वर्ग में जागृति आ गयी । पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में कुछ ऐसी विशेषतायें थीं जिन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रभावित किया और स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विशिष्ट महत्व को स्पष्ट किया ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास की सर्वप्रथम विशेषता यह थी कि इस क्षेत्र का वाराणसी जिला उत्तर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र था । वाराणसी में शचीन्द्र नाथ सान्याल ने १९०८ में अनुशीलन समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को संगठित करना था । उत्तर भारत में यह अपने प्रकार की प्रथम संस्था थी । शचीन्द्रनाथ सान्याल, रास-बिहारी बोस, चन्द्रशेखर आजाद, राजेन्द्र लाहिड़ी, शिवराम राजगुरु तथा शचीन्द्रनाथ बख्शी जैसे अनेक प्रसिद्ध क्रांतिकारियों का वाराणसी केन्द्र से प्रत्यक्ष सम्बन्ध था । इसके अतिरिक्त पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तथा बंगाल के अनेक क्रांतिकारी भी इस केन्द्र से सम्बन्धित थे । शचीन्द्रनाथ सान्याल द्वारा लिखित "रिवाल्यूशनरी" जैसे अनेक क्रांतिकारी पर्चों का वितरण वाराणसी केन्द्र के क्रांतिकारियों द्वारा कईयों बार उत्तर भारत में सफलतापूर्वक किया गया । उत्तर भारत में वाराणसी केन्द्र से ही सर्वाधिक क्रांतिकारियों को दंडित किया गया । इस केन्द्र के क्रांतिकारियों ने देश के अन्य प्रांतों में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया और दंडित किये गये ।

इस क्षेत्र की दूसरी विशेषता किसान आन्दोलन थी । यहाँ के जमींदार

और ताल्लुकेदार किसानों को अकारण जमीनों से बेदखल कर देते थे और उनसे नजराना इत्यादि लेते थे । जमींदारों व ताल्लुकेदारों के अत्याचारों से पीड़ित किसानों ने बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में संगठित होकर किसान आन्दोलन प्रारम्भ किया । यद्यपि किसान आन्दोलन का प्रसार अवध के अनेक जिलों में हो गया था किन्तु इसके प्रमुख केन्द्र प्रतापगढ़, फैजाबाद, सुल्तानपुर तथा जौनपुर जिले थे । किसान आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य किसानों को जमींदारों व ताल्लुकेदारों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाना था । जमींदारों व ताल्लुकेदारों द्वारा किसान आन्दोलन के प्रति कठोर नीति अपनाने के कारण अनेक स्थानों पर किसानों द्वारा जमींदारों की सम्पत्ति लूट ली गयी । जवाहर लाल नेहरू तथा मदनमोहन मालवीय ने किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की तथा अनेक किसान सभाओं को सम्बोधित किया । सरकार ने इस आन्दोलन को रोकने का प्रयास किया किंतु असफल रही। सरकार ने किसान आन्दोलन से उत्पन्न हुई स्थिति की गंभीरता को अनुभव करके शीघ्र ही एक अधिनियम पास किया जिसके अन्तर्गत किसानों को जमीनों पर आजन्म अधिकार दिया गया । किसान आन्दोलन संयुक्त प्रांत में अपने प्रकार का विलक्षण आन्दोलन था । यह प्रथम अवसर था जब किसानों ने जमींदारों की कुव्यवस्था के विरोध में संगठित होकर आन्दोलन किया ।

इस क्षेत्र में स्वतन्त्रता आन्दोलन की तीसरी विशेषता "चौरी चौरा कांड" थी । ४ फरवरी, १६२२ को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान में पुलिस द्वारा स्वयंसेवकों पर की गयी गोली वर्षा से उत्तेजित होकर स्वयंसेवकों ने थाने में आग लगा दी जिससे २२ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । इस घटना से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया । महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा असहयोग आन्दोलन पूर्णतः अहिंसात्मक था, यदि चौरी चौरा कांड जैसी हिंसात्मक घटना के बाद भी यह आन्दोलन स्थगित न कर दिया जाता तो देश में हिंसात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता और सरकार इसका दमन करने के लिए कठोर दमन नीति अपनाती जिससे अपार

के उत्साह को आघात पहुंचा । कांग्रेस के आगामी आन्दोलनों में हिंसा न पनपने देने के लिए तथा जनता को अहिंसा के महत्व से अवगत कराने के लिए महात्मा गांधी ने चौरी-चौरा कांड के कारण असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया । यद्यपि देश व्यापी असहयोग आन्दोलन को अकस्मात स्थगित कर देने के निर्णय ने जनता को किंकर्तव्यविमूढ़ कर दिया किन्तु इसके दूरगामी परिणाम अच्छे हुये और इस दृष्टि से चौरी-चौरा कांड का राष्ट्रीय महत्व है ।

१९२८-४२ का काल पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यक्रम के प्रसार और जनता द्वारा कांग्रेस को पूर्ण सहयोग देने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण था । १९२८ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में साइमन कमीशन का सफल बहिष्कार किया गया । १९२९ में महात्मा गांधी ने अन्य विशिष्ट कांग्रेसी नेताओं के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का दौरा किया जिसमें उन्होंने अनेक जन सभाओं को सम्बोधित करके जनता से कांग्रेस के कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की । महात्मा गांधी के इस क्षेत्र में आगमन से राष्ट्रीय विचारों को बल मिला और जनता में कांग्रेस के प्रति आस्था दृढ़ हुई । इस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आन्दोलन, कांग्रेस के कार्यक्रम व नीतियों के प्रति जनता का विश्वास प्राप्त करने तथा मादक द्रव्यों से सरकार को होने वाली आय में कटौती करने के उद्देश्य की दृष्टि से पूर्णत: सफल रहा । १९३७ में हुये आम निर्वाचन में इस क्षेत्र में कांग्रेस को आशातीत सफलता मिली जो जनता में कांग्रेस की नीतियों व कार्यक्रम की लोकप्रियता की परिचायक थी । १९३७-३९ में कांग्रेस सरकार द्वारा इस क्षेत्र में व्यापक सुधार किये गये जिससे जनता में कांग्रेसियों की प्रशासनिक क्षमता के प्रति विश्वास सुदृढ़ हुआ । १९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में इस क्षेत्र की जनता ने " न एक पाई न एक भाई " का नारा लगा कर इस क्षेत्र से ब्रिटेन को युद्ध हेतु दी जाने वाली सहायता में भारी कटौती करने में सफलता प्राप्त की ।

१९४२ में कांग्रेस द्वारा प्रारम्भ किये गये भारत छोड़ो आन्दोलन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में ध्वंसात्मक कार्यवाहियों को इतने व्यापक पैमाने पर किया गया कि

इस क्षेत्र में सरकारी प्रशासन निष्क्रिय हो गया । बलिया और गाजीपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गयी जिसे जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त था । इस क्षेत्र में आन्दोलन की उग्रता को देख कर प्रांतीय सरकार ने सेना की सहायता ली और आन्दोलन का दमन करने के लिए कठोर दमन नीति अपनायी । इस आन्दोलन में यहाँ की जनता के शौर्यपूर्ण कार्यों की राष्ट्रीय नेताओं द्वारा सराहना की गयी । संयुक्त प्रांत में सरकार का इतना व्यापक प्रतिरोध जनता द्वारा कभी नहीं किया गया था इसलिए इस आन्दोलन से सरकार इस तथ्य से अवगत हो गयी कि अब भारतीयों पर बलपूर्वक शासन करना संभव नहीं है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए यह एक गौरवपूर्ण विशेषता थी कि मदन मोहन मालवीय, डा० मुख्तार अहमद अंसारी, डा० भगवानदास, आचार्य नरेन्द्र देव, शिव प्रसाद गुप्त, डा० सम्पूर्णानन्द तथा श्रीप्रकाश जैसे अनेक विशिष्ट नेता इस क्षेत्र के निवासी थे । श्रीमती ऐनीबेसेन्ट ने कुछ समय तक वाराणसी जिले में रह कर महत्त्वपूर्ण कार्य किये जिससे राष्ट्रीय विचारों को बल मिला । आचार्य कृपलानी तथा बाबा राघवदास ने इस क्षेत्र का निवासी न होते हुये भी यहाँ के स्वतन्त्रता आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में विद्यार्थियों ने अत्यन्त सक्रिय भाग लिया । इस क्षेत्र में असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत छात्रों ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं का व्यापक पैमाने पर बहिष्कार किया । वाराणसी में सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करने वालों में लाल बहादुर शास्त्री भी थे जिन्हें बाद में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई । प्रसिद्ध क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद ने १४ वर्ष की अवस्था में, जब वे वाराणसी के संस्कृत कालेज के विद्यार्थी थे, असहयोग आन्दोलन में भाग लिया जिसके लिए उन्हें दंडित किया गया । इस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में मादक द्रव्यों तथा विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देने के कार्यक्रम को सफल बनाने का अधिकांश श्रेय विद्यार्थियों को ही है । भारत छोड़ो आन्दोलन

में काशी विद्यापीठ तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में जाकर ध्वंसात्मक कार्यवाहियों की व्यापक योजनायें तैयार कीं और उन्हें कार्यान्वित कराके जनता के मनोबल को बढ़ाया ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन की उपरोक्त विशेषतायें भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में इस क्षेत्र के विशिष्ट योगदान को स्पष्ट करती है ।

---

डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ( प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया ), कम्पाइल्ड एंड एडीटेड बाई एच०आर०नेविल, इलाहाबाद, १९०४–१९०९ ।

दि उत्तर प्रदेश गजेटियर्स ( वाराणसी, फैजाबाद ) स्टेट एडीटर, ई०बी०जोशी, १९६०, १९६५, इलाहाबाद ।

रिपोर्ट आन दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि पुलिस आफ यू०पी०( १९२२–४० ), इलाहाबाद ।

किसान रायट इन प्रतापगढ़ (फाइल) पुलिस डिपार्टमेंट ।

( गुप्तचर विभाग के अभिलेख )

मैंने अपने शोध विषय के सम्बन्ध में गुप्तचर विभाग की अनेक पत्रावलियों का अवलोकन किया है । गुप्तचर विभाग की आज्ञानुसार मैंने इस शोध प्रबन्ध में गुप्तचर-विभाग की पत्रावलियों का नाम तथा अवतरण संख्या को न लिख कर केवल "गुप्तचर-विभाग के अभिलेख" का उल्लेख किया है ।

( समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं )

(अ)- दैनिक समाचार पत्र

आज, ७ सितम्बर, १९२०–१९४७ ।

दि लीडर, १९२०–१९४७ ।

दि पायनियर, १९२०–१९४७ ।

इंडिपेन्डेन्ट

भविष्य

सत्याग्रह समाचार, पं० वैजनाथ कपूर, इलाहाबाद, १९३०–३१ ।

बैसेन्ट, ऐनी : हाउ इंडिया रौट फार फ्रीडम, १९१५ ।

चिन्तामणि, सी०वाई० : इंडियन पोलिटिक्स सिंस म्यूटिनी, १९३७ ।

चौधरी, खलीकुज्जमा : पाथ वे टु पाकिस्तान, बम्बई, १९६१ ।

चटोपाध्याय, एच०पी० : दि सिपाय म्युटिनी, १९५७ ।

देसाई, ए०आर० : सोशल बैक ग्राउन्ड आफ इंडियन नेशनलिज्म, १९४८ ।

फिशर, लुइस : गांधी, हिज लाइफ एंड मैसेज फार दि वर्ल्ड, दि न्यू अमेरिकन लाइब्रेरी, १९५४ ।

घोष, पी० सी० : इंडियन नेशनल कांग्रेस, १८९२-१९०९, कलकत्ता, १९६० ।

घोष, के०सी० : दि रोल आफ आनर, कलकत्ता, १९६५ ।

हेल, एच० डब्लू : पोलिटिकल ट्रबुल इन इंडिया ( १९१७-३७), इलाहाबाद, १९७४ ।

कीथ, ए० बी० : ए कॉन्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री आफ इंडिया ।

कैथियर, एस०एस० : इंडियाज स्ट्रगिल फार फ्रीडम ।

लाल बहादुर : दि मुस्लिम लीग, इट्स हिस्ट्री, एक्टीविटीज एंड एचीवमेंट्स आगरा, १९५४ ।

मुखर्जी, एच०पी० : ए फेज आफ दि इंडियन स्ट्रगिल, १९४७ ।

मेनन, वी०पी० : दि ट्रांसफर आफ पावर इन इंडिया, बम्बई, १९५७ ।

निब्लेट, आर० एच० : दि कांग्रेस रिबेलियन इन आजमगढ़, इलाहाबाद, १९५७ ।

नारायण, जयप्रकाश : टुवर्ड्स स्ट्रगिल, १९४६ ।

प्रसाद, अम्बा : दि इंडियन रिवोल्ट आफ १९४२, दिल्ली, १९५८ ।

उपाध्याय, बैजनाथ : बलिया में क्रांति व दमन, इलाहाबाद, १९४६।

कृपलानी, आचार्य : अहिंसक क्रांति, इलाहाबाद, १९५० ।

गुप्त, मन्मथनाथ : चन्द्रशेखर आजाद, दिल्ली, १९७२ ।

गुप्त, मन्मथनाथ : भारत में सशस्त्र क्रांति की चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास, प्रयाग, १९४८ ।

गुप्त, मन्मथनाथ : भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास, दिल्ली, १९६० ।

चतुर्वेदी, सीताराम : पं० मदन मोहन मालवीय, दिल्ली, १९६७ ।

घोष, एस०बी० : लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली, १९६६।

ताराचन्द (डा०) : भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास, भाग- १-२, दिल्ली, १९६५-१९६७ ।

त्रिपाठी, कमलापति : कांग्रेस के इतिहास में बनारस का योगदान, वाराणसी, १९८५ ।

त्रिपाठी, रामेश्वर सहाय : फरार जीवन के ग्यारह मास, इलाहाबाद, १९६५ ।

दुर्गादास : भारत कर्जन से नेहरू और उसके पश्चात्, बम्बई, १९७१ ।

देवगिरिकर, टी० आर० : गोपाल कृष्ण गोखले, दिल्ली, १९६७ ।

दत्त, कालीकिंकर : आधुनिक भारत में पुनर्जागरण, राष्ट्रीयता एवं सामाजिक परिवर्तन, १९६६ ।

नेहरू, जवाहर लाल : मेरी कहानी (आत्म कथा), दिल्ली, १९७१ ।

नेहरू, जवाहर लाल : विश्व इतिहास की एक झलक, दिल्ली, १९७०।

नन्दा, बी०आर० : महात्मा गाँधी, दिल्ली, १९६६ ।

नरेन्द्र देव, आचार्य : राष्ट्रीयता और समाजवाद, वाराणसी, १९४९।

"पर्वतीय", लीलाधर शर्मा : स्वतन्त्रता की पूर्व संध्या, लखनऊ, १९७२।

पाठक, राम [illegible] : बलिया में सत्याग्रह संग्राम, बलिया, सं० १९८८।

प्रसाद, राजेन्द्र (डा० ) : खंडित भारत, काशी, १९४६।

पट्टाभिसीतारमैय्या, (डा०) : कांग्रेस का इतिहास, तीन खण्ड, १९५१।

प्रसाद, ईश्वरी (डा०) : अर्वाचीन भारत का इतिहास, इलाहाबाद, १९७०।

यशपाल : सिंहावलोकन, लखनऊ, १९५१।

रामगोपाल : भारतीय राजनीति विक्टोरिया से नेहरू तक, (१८५८–१९४७), वाराणसी, १९५४।

वर्मा, कन्हैया लाल : राजनीतिक भारत ( १९५०–५१ ), वाराणसी, १९५१।

व्यास, दीनानाथ : अगस्त सन् ४२ का महान विप्लव, आगरा, सम्वत् २००३।

सहाय, गोविन्द : यू०पी० कांग्रेस सरकार के अब तक के कार्य, लखनऊ, १९३९।

सहाय, गोविन्द : सन् ४२ का विद्रोह, इंदौर, १९४६।

सिंह, गुरुमुख निहाल : भारत का वैधानिक एवं राष्ट्रीय विकास, दिल्ली, १९५४।

सम्पूर्णानन्द (डा०) : कुछ स्मृतियां, कुछ स्फुट विचार, वाराणसी, सम्वत् २०१८।

"सुमन", रामनाथ : उत्तर प्रदेश में गांधी जी, सूचना विभाग, उ०प्र०, लखनऊ, १९६९।

सान्याल, शचीन्द्रनाथ : बन्दी जीवन, दिल्ली, १९६३।

स्वतन्त्रता संग्राम, ("आज" कार्यालय "वाराणसी" द्वारा प्रस्तुत), १९७२।

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय : विभिन्न खण्ड, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, १९५८–१९७०।

स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक (वाराणसी डिवीज़न, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़), सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, १९६५-१९७२ ।

१९२१ के असहयोग आन्दोलन की झाँकियाँ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, १९७२ ।

---